



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 2 – वर्ष 2022

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का
राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 2 – वर्ष 2022

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सार		vii
अध्याय I विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	4
शासकीय लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
राजकोषीय अवशेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	10
लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण	1.6	14
अध्याय II राज्य के वित्त		
राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	18
राज्य के संसाधन	2.3	19
राजस्व प्राप्तियाँ	2.4	20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.5	29
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.6	30
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.7	30
लोक लेखा	2.8	45
ऋण प्रबन्धन	2.9	51
नकद अवशेष का प्रबन्धन	2.10	59
निष्कर्ष	2.11	62
संस्तुतियाँ	2.12	63
अध्याय III बजटीय प्रबन्धन		
बजट प्रक्रिया	3.1	65
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ	3.2	68
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.3	73
आकस्मिकता निधि	3.4	80
निष्कर्ष	3.5	80
संस्तुतियाँ	3.6	80

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें		
राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ	4.1	83
राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त गैर-बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.2	86
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियाँ	4.3	87
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि	4.4	89
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण	4.5	90
उपभोग प्रमाणपत्र के प्रेषण में विलम्ब	4.6	90
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.7	92
वैयक्तिक जमा खाता	4.8	93
लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग	4.9	94
बहुप्रयोजनीय मानक मद: '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	4.10	97
प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष	4.11	98
ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष	4.12	100
विभागीय आंकड़ों का मिलान न किया जाना	4.13	100
स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना	4.14	101
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	4.15	102
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के लम्बित मामले	4.16	102
निष्कर्ष	4.17	104
संस्तुतियाँ	4.18	105
अध्याय V राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन		
परिचय	5.1	107
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.2	109
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिफल	5.3	114
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण (ऋण भुगतान)	5.4	115
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रचालन दक्षता	5.5	117
हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.6	121
निष्कर्ष	5.7	123
संस्तुतियाँ	5.8	124
अध्याय VI भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका		
परिचय	6.1	125
सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के	6.2	125

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमाँ द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	6.3	125
सीएजी का निरीक्षण-लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा	6.4	129
सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	6.5	130
लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों का गैर अनुपालन	6.6	139
प्रबन्धन के पत्र	6.7	141
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	6.8	142
निष्कर्ष	6.9	143
संस्तुति	6.10	143
परिशिष्टियाँ		
विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	2.1	145
2016-21 की अवधि में स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह	2.2	147
31 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निजी सहभागिता पर आधारित पूर्ण/क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का विवरण	2.3	148
वर्ष 2020-21 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण	2.4	150
वर्ष 2020-21 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.1	151
2020-21 के बजट अभिलेख में केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थाये) का उल्लेख नहीं किया जाना	3.2	155
उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानकर्ता के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है	3.3	156
वर्ष 2020-21 के दौरान में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें	3.4	157
अनुदानें जिनमें विगत पांच वर्षों (2016-21) में लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.5	160
अनावश्यक पुनर्विनियोग	3.6	161
योजनायेँ जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका	3.7	167
उन योजनाओं का विवरण जिनसे मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया	3.8	179

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
विभिन्न स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण	4.1	181
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति	4.2	183
नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संक्षेपित वित्तीय परिणाम	5.1	184
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किए गए पीएसयू की 31 मार्च 2021 को पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	5.2	188
इस अध्याय में शामिल किये गए पीएसयू की 31 मार्च 2021 को पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	5.3	199
नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दीर्घावधि ऋणों की कुल सम्पत्ति से व्याप्ति	5.4	205
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के मध्य 30 नवम्बर 2021 को पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी	5.5	208
राज्य पीएसयू जिनके लेखे बकाया थे, उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	6.1	216
पीएसयू की सूची जिन्होंने 01 जनवरी 2021 से 30 नवम्बर 2021 के मध्य लेखाओं को प्रस्तुत किया	6.2	222
पीएसयू की सूची जहां 01 जनवरी 2021 से 30 नवम्बर 2021 के मध्य सीएजी द्वारा टिप्पणी जारी की गयी	6.3	224
पदों की व्याख्या	-	225
प्रथमाक्षरी	-	227

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का अध्याय I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है एवं शासकीय लेखे की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3. इस प्रतिवेदन का अध्याय II राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है तथा विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण की वस्तुस्थिति एवं राज्य के वित्त लेखे पर आधारित लोक लेखे के प्रमुख संव्यवहारों का विश्लेषण करता है।

4. इस प्रतिवेदन का अध्याय III राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोग एवं आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है।

5. इस प्रतिवेदन का अध्याय IV राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की गुणवत्ता एवं निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन किए जाने की स्थिति पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

6. इस प्रतिवेदन का अध्याय V राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, पीएसयू में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पूंजी पर प्रतिफल, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल इत्यादि पर चर्चा करता है।

7. इस प्रतिवेदन का अध्याय VI राज्य के पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति, पीएसयू के लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं देने के प्रभाव, सीएजी द्वारा पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की पूरक/एकल लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निर्गत की गयी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ इत्यादि को प्रस्तुत करता है।

8. विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं संव्यवहारों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों पर प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों के लेखापरीक्षा आपत्तियों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित किया गया है।

कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने एवं वित्तीय आकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित आगतों को राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने का प्रयोजन रखता है। इस विश्लेषण को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने हेतु, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004, चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदनों एवं 2020-21 के बजट अनुमानों में परिकल्पित लक्ष्यों के मध्य एक वृहद तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है। इस प्रतिवेदन को छः अध्यायों में विभाजित किया गया है:

अध्याय I प्रदेश सरकार के वित्त का एक नजर में विहंगावलोकन है।

अध्याय II वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं ऋण प्रबंधन पर व्यय की प्रवृत्ति पर सूक्ष्म दृष्टि डालता है।

अध्याय III विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा जिस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया है, उसका विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय IV उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की वस्तु सूची है।

अध्याय V एवं VI राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, पीएसयू में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, राज्य के पीएसयू द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति, सीएजी द्वारा पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की पूरक/एकल लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निर्गत की गयी टिप्पणियाँ इत्यादि को प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य की राजकोषीय स्थिति

कोविड-19 महामारी ने राज्य एवं देश के संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वर्ष 2019-20 में 6.50 प्रतिशत वृद्धि के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में 1.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं केन्द्रीय कर हस्तांतरण पर नकारात्मक प्रभाव के साथ ही राज्य के राजकोषीय मानकों पर भी सहवर्ती प्रभाव पड़ा। राज्य में वर्ष 2006-07 से 14 वर्षों के सतत राजस्व अधिशेष के बाद वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,367.13 करोड़ का राजस्व घाटा था।

अतिरिक्त स्रोत बढ़ाने हेतु, भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2020-21 हेतु राज्य सरकार को जीएसडीपी की दो प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सीमा को अनुमन्य किया। तदनुसार, यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 में वर्ष 2020-21 हेतु राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर जीएसडीपी के पांच प्रतिशत करने हेतु संशोधन (अगस्त 2020) किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 54,622.11 करोड़) जीएसडीपी का 3.20 प्रतिशत था। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (32.77 प्रतिशत) यूपीएफआरबीएम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 में निर्दिष्ट लक्ष्य (32.00 प्रतिशत) से ऊपर था।

वस्तु एवं सेवाकर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति राज्य सरकार का राजस्व है। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 9,324 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त अवशेष के कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले ₹ 6,007 करोड़ की ऋण प्राप्तियां (बैंक-टू-बैंक लोन) प्राप्त हुई। इस ऋण का ऋणशोधन जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से किया जायेगा एवं इस प्रकार, अदायगी के दायित्व को राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,367.13 करोड़ के राजस्व घाटे एवं ₹ 54,622.11 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 6,007.00 करोड़ की ऋण प्राप्ति के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(प्रस्तर 1.1.1, 1.4.1 एवं 1.5)

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 2,96,176 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व (₹ 1,19,897 करोड़), गैर-कर राजस्व (₹ 11,846 करोड़), संघीय करों और शुल्कों में अंश (₹ 1,06,687 करोड़) एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 57,746 करोड़) सम्मिलित थे।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत कोविड-19 महामारी और सख्त लॉकडाउन प्रतिबंधों के साथ हुई, जिसने वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में, वास्तविक प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व में 27.78 प्रतिशत, गैर-कर राजस्व में 62.01 प्रतिशत, केंद्रीय कर हस्तांतरण में 30.21 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.35 प्रतिशत की कमी थी।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 2.38 प्रतिशत की समग्र कमी मुख्य रूप से राज्य वस्तु और सेवा कर, विद्युत पर कर और शुल्क, वाहनों पर कर और भू-राजस्व में कमी के कारण हुई थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से अंतरण (करों में अंश तथा सहायता अनुदान) वर्ष 2019-20 की तुलना में 1.59 प्रतिशत (₹ 2,571 करोड़) अधिक था तथा यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 55.52 प्रतिशत था। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश वर्ष 2019-20 की तुलना में ₹ 11,131 करोड़ (9.45 प्रतिशत) कम हो गया। तथापि, वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से सहायता अनुदान में विगत वर्ष की तुलना में 31.11 प्रतिशत (₹ 13,702 करोड़) की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.3.1 एवं 2.4.3.2)

राजस्व व्यय (₹ 2,98,543 करोड़) कुल व्यय का मुख्य घटक बना रहा और इसका हिस्सा 2016-17 के 75.56 से बढ़कर 2020-21 में 84.83 प्रतिशत हो गया। वेतन और मजदूरी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर प्रतिबद्ध व्यय (₹ 1,83,223 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 61.87 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 61.37 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य अनुदान ग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 98,888.38 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी, जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.95 प्रतिशत अधिक थी।

(प्रस्तर 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4 एवं 2.7.4.5)

वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 52,237 करोड़) में 12.94 प्रतिशत की कमी आयी। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य सेवा क्षेत्र और आर्थिक सेवा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में क्रमशः 38.96 प्रतिशत तथा 18.43 प्रतिशत की गिरावट आयी, यद्यपि सामाजिक सेवा क्षेत्र में 17.80 प्रतिशत

की वृद्धि हुयी। कुल व्यय के सापेक्ष राज्य के पूँजीगत व्यय में वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2020–21 में कमी हुई लेकिन यह वर्ष 2020–21 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों (उत्तर पूर्व तथा हिमालयीय राज्यों को छोड़कर) के अखिल भारतीय औसत से अधिक था।

(प्रस्तर 2.7.5 एवं 2.7.6)

समेकित निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने अपनी बकाया देयताओं के विमोचन हेतु एक ऋण परिशोधन निधि के रूप में समेकित निक्षेप निधि का गठन (मार्च 2020) किया, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रभाव में आयी। निधि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किया गया है। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को विगत वर्ष के अंत में अवशेष दायित्वों का 0.50 प्रतिशत अंशदान निधि में जमा करना था। वर्ष 2019–20 के अन्त में अवशेष दायित्व ₹ 4,90,883.27 करोड़ के दृष्टिगत कम से कम ₹ 2,454.42 करोड़ के निर्धारित अंशदान के सापेक्ष राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 1,000.00 का अंशदान दिया। यह ₹ 1,454.42 करोड़ का कम अंशदान समेकित निक्षेप निधि निवेश का हिस्सा नहीं बन सका।

संस्तुति

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में प्रावधानित है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।

(प्रस्तर 2.8.2.1)

मूल्यह्रास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने अनुपयोगी संयन्त्र एवं मशीनरी के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय, संयन्त्र एवं मशीनरी की विशेष मरम्मत तथा नवीनतम तकनीक से युक्त संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मूल्यह्रास आरक्षित निधि का गठन (मार्च 2005) किया। 2016–21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 216.31 करोड़ मूल्यह्रास निधि में अंशदान के रूप में कार्यों पर भारित किया तथा इसे राज्य के गैर-कर राजस्व के रूप में हस्तान्तरित किया। तथापि, मूल्यह्रास निधि को कोई धनराशि हस्तान्तरित नहीं की गयी। इस प्रकार, सरकार ने कार्य की लागत में वृद्धि करके अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि किया। इसके अलावा, निधि में बिना कोई अंशदान किये भुगतान किये जाने के कारण वर्ष 2020–21 के अन्त में इसमें ₹ 17.20 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष था।

संस्तुति

कार्यों पर मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए भारित धनराशि को राजस्व प्राप्ति के रूप में रखने के बजाय, राज्य सरकार को इसे निधि को हस्तांतरित करना चाहिए क्योंकि निधि के लिए वर्तमान लेखांकन की व्यवस्था से राज्य की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय अधिक प्रदर्शित हो रहे हैं। अग्रतर, राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि में ऋणात्मक अवशेष को तत्काल नियमित करना चाहिए।

(प्रस्तर 2.8.2.2)

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ)

भारत सरकार के इस दिशानिर्देश कि एसडीआरएफ का परिचालन 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' के अंतर्गत किया जाना चाहिए, के प्रतिकूल राज्य सरकार द्वारा

एसडीआरएफ का संचालन 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के अंतर्गत किया जा रहा है। अग्रेतर, निधि में अवशेष राशि का एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से निवेश नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त केन्द्रीय अंश के ₹ 966.50 करोड़ एसडीआरएफ को हस्तांतरित नहीं किया। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के अन्तर्गत गैर-निवेशित अवशेष धनराशि पर वर्ष 2020-21 के लिये ₹ 91.91 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया था। अग्रेतर, राज्य आपदा शमन निधि के लिए लेखांकन शीर्ष का परिचालन नहीं किया गया तथा पंद्रहवें वित्त आयोग एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अनुसंशाओं के अनुरूप राज्य आपदा शमन निधि में अपेक्षित अंशदान का अंतरण नहीं किया गया।

संस्तुति

राज्य सरकार को एसडीआरएफ की अवशेष धनराशि को 'ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ' श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों में अन्तरित करना चाहिए और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार उपाजित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि में अवशेष धनराशि का निवेश भी किया जाना वांछनीय है। राज्य सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अनुसंशाओं के अनुरूप राज्य आपदा शमन निधि का परिचालन भी करना चाहिए।

(प्रस्तर 2.8.2.3)

आकस्मिक देयतायें- प्रत्याभूतियों की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा 25 संस्थाओं यथा सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियाँ एवं अन्य संस्थाओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के अन्त में ₹ 1,50,554 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। प्रत्याभूतियों पर राज्य के दायित्वों के तात्कालिक भुगतान के उद्देश्य हेतु, राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया।

संस्तुति

राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिये।

(प्रस्तर 2.8.2.4 एवं 2.9.5)

व्यय आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दो अनुदानों एवं एक विनियोग के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा दिये गये प्राधिकार से ₹ 8.10 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ। वर्ष 2005-06 से 2019-20 से संबंधित 102 अनुदानों और 47 विनियोगों के अंतर्गत ₹ 32,525.36 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा किये गये विनियोग के अलावा संचित निधि से किसी भी धन का आहरण नहीं किया जायेगा। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

संस्तुति

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामले संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे गए हैं।

(प्रस्तर 3.2.1 एवं 3.2.1.1)

व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान कई प्रकरणों में राजस्व को पूंजीगत एवं पूंजीगत को राजस्व के रूप में व्यय का गलत वर्गीकरण पाया गया। व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का संयुक्त प्रभाव राजस्व घाटे में ₹ 85.38 करोड़ की कमी के रूप में परिणित हुआ।

संस्तुति

कतिपय मानक मदों में शामिल पूंजीगत या राजस्व प्रकृति के कुछ व्यय मदों का वर्गीकरण, जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में इंगित किया गया है, को उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के साथ सरेखित करने के लिए समीक्षा और निवारण की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 3.2.2, 3.2.2.1 एवं 3.2.2.2)

बचतें

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,48,547.50 करोड़ की कुल बचत हुई जो कुल बजट प्रावधान ₹ 5,44,571.20 करोड़ की 27.28 प्रतिशत थी। पिछले पांच वर्षों (2016-21) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन 2018-19 और 2020-21 के बीच बजट के उपभोग में कमी की प्रवृत्ति रही। 24 अनुदानों से सम्बन्धित 28 मामलों में, पिछले पांच वर्षों के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) की प्रवृत्ति रही। यह राज्य सरकार की आयोजना एवं कार्यान्वयन में बड़े अन्तर का द्योतक है।

संस्तुति

वित्त विभाग को उन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके कारण विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे और भविष्य के वर्षों में अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(प्रस्तर 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 एवं 3.3.4)

अनावश्यक पुनर्विनियोग

20 अनुदानों से संबंधित 52 उप-शीर्षों में, ₹ 1,298.55 करोड़ के पुनर्विनियोग के माध्यम से निधियों में वृद्धि की गयी। तथापि, पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुए, जैसा कि प्रत्येक मामले में व्यय इन उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल बजट प्रावधान से कम था। यह इन अनुदानों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है।

संस्तुति

पुनर्विनियोग, निधि की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान की सटीकता में सुधार करने की सलाह दे सकता है।

(प्रस्तर 3.3.5)

व्यय का अतिरेक

वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय का अतिरेक सार्वजनिक निधियों के सुदृढ़ प्रबंधन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। व्यय के अतिरेक को रोकने हेतु यूपीबीएम में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। 12 अनुदानों में, उनके कुल बजटीय प्रावधानों का 50 प्रतिशत या अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम महीने अर्थात् मार्च 2021 में किया गया।

संस्तुति

सरकार व्यय की स्थिर गति बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश निर्गत करने पर विचार कर सकती है।

(प्रस्तर 3.3.6)

बचतों के अभ्यर्पण में विलम्ब

यूपीबीएम में प्रावधान है कि नियंत्रण अधिकारियों को सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तथापि, ₹ 1,48,547.50 करोड़ की कुल बचत में से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन मात्र ₹ 1,477.51 करोड़ अभ्यर्पित किए गये एवं शेष ₹ 1,47,069.99 करोड़ व्यपगत हो गये।

संस्तुति

वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अंतिम समय के अभ्यर्पण और आवंटन के व्यपगत होने का सहारा लिए बिना, निधियों को अनावश्यक रूप से रखा नहीं जाय और शीघ्रातिशीघ्र अभ्यर्पित कर दिया जाय।

(प्रस्तर 3.3.8)

आकस्मिकता निधि

राज्य सरकार ने वर्षा ऋतु 2021 में वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 करोड़ स्वीकृत (जनवरी 2021) किया। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान आकस्मिकता निधि से लिए गए ₹ 100 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति नहीं की थी।

संस्तुति

राज्य सरकार को आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिमों की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

(प्रस्तर 3.4)

शासकीय प्राप्तियों को शासकीय लेखे से बाहर रखा जाना

श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि शासकीय लेखे में लिये बिना सीधे उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण (यूपीबीओसीडब्ल्यू) बोर्ड के बैंक खातों में जमा की जा रही है। शासकीय लेखों के माध्यम से उपकर के लेखांकन के अभाव में, राज्य सरकार के लेखे से यह भी सुनिश्चित नहीं हो सका कि उपकर, शुल्क आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी एवं विभिन्न उपकर संग्राहकों द्वारा कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी। बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2021, को बोर्ड के पास ₹ 6,159.62 करोड़ धनराशि उपलब्ध थी एवं 2016-21 की अवधि के दौरान 5.55 से 66.66 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित करते हुए श्रमिकों के कल्याण हेतु उपलब्ध निधियों का 3.81 से 12.34 प्रतिशत व्यय किया गया।

संस्तुति

उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि राज्य के लोक लेखे का भाग होनी चाहिये एवं वहाँ से यह बोर्ड के खाते में अन्तरित की जा सकती है। उ.प्र. बीओसीडब्ल्यू बोर्ड को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अपने अधिदेश को पूर्ण करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.1.1)

राज्य सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अपेक्षित राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की ₹ 96.14 करोड़ की प्राप्तियां राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी।

संस्तुति

राज्य सरकार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन करना चाहिए और निधि के अवशेष को राज्य के लोक लेखे में जमा करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.1.2)

राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर-बजट ऋण

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदंडों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर-बजट ऋण का सहारा लिया। चूंकि ये गैर-बजट ऋण राज्य के ऋण-स्टॉक के भाग नहीं हैं, वित्त लेखे में दर्शायी गयी ऋण-स्टॉक की स्थिति वास्तविक ऋण भार को नहीं दर्शाती है। परिणामस्वरूप, ऋण स्टॉक ₹ 1,636.89 करोड़ बढ़ गया तथा वर्ष 2020-21 के दौरान संज्ञान में लिये गये ऋण स्टॉक ₹ 5,64,971.68 करोड़ के सापेक्ष यह ₹ 5,66,608.57 करोड़ हो गया।

संस्तुति

राज्य सरकार को गैर-बजट ऋण से बचना चाहिये एवं राज्य सरकार की ओर से पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा लिए गए परन्तु राज्य सरकार द्वारा सर्विस किये गये ऋणों को संचित निधि में जमा करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.2)

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियां

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए ₹ 385.08 करोड़ की धनराशि नामित निधि प्रबंधक को इसके अग्रेतर निवेश के लिए प्रेषित नहीं किया। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि से कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई क्योंकि यह अभिदाताओं के निवेश के कोष का अंश नहीं बन सकी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

संस्तुति

राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे अहस्तांतरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और मूल्य वृद्धि प्राप्त कर सके।

(प्रस्तर 4.3)

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि

राज्य सरकार ने यात्रियों या मृतक आश्रितों या अन्य अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 द्वारा प्राधिकृत उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, 2015-21 की अवधि के दौरान ₹ 636.81 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं की गयी।

संस्तुति

सांविधिक आवश्यकता होने के कारण, सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।

(प्रस्तर 4.4)

उपभोग प्रमाण पत्रों (यूसी) के प्रेषण में विलम्ब

2001-02 से 2019-20 (सितम्बर 2019 तक) की अवधि के दौरान निर्गत सहायता अनुदानों हेतु 31 मार्च 2021 तक ₹ 26,237.08 करोड़ के कुल 39,587 यूसी बकाया थे। यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित धनराशि का उपभोग उन उद्देश्यों हेतु किया गया जिसके लिए उन्हें विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के बड़ी संख्या में लम्बित होने की स्थिति निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन के जोखिम से भरी हुई थी।

संस्तुति

सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं बकायेदार अनुदान प्राप्तकर्ता को नया अनुदान निर्गत करने से पूर्व सभी बकाये की समीक्षा की जा सकती है।

(प्रस्तर 4.6)

संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल

एसी बिलों के आहरण के अगले माह के अंत तक समायोजन करने के कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 31 मार्च 2021 तक ₹ 16.21 करोड़ के अग्रिम वाले 1,178 एसी बिल समायोजन हेतु लंबित थे जिसमें वर्ष 2019-20 तक आहरित 1,155 एसी बिल सम्मिलित थे।

संस्तुति

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण अधिकारी निर्धारित समय के अन्दर संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का समायोजन करें जैसा कि नियमों में वांछनीय है।

(प्रस्तर 4.7)

लघु शीर्ष 800 तथा मानक मद-42 का अविवेकपूर्ण उपयोग

वर्ष 2020-21 के दौरान, व्यय पक्ष में 78 लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 47,404.47 करोड़ की धनराशि एवं प्राप्ति पक्ष में ₹ 6,105.30 करोड़ की धनराशि सम्बंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/प्राप्तियों' में अभिलेखित की गयी। लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बड़ी राशि का पुस्तांकन वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। अग्रेतर, वर्ष 2020-21 के दौरान मानक मद '42-अन्य व्यय' के अंतर्गत ₹ 16,127.62 करोड़ का व्यय किया गया जो कि राज्य की संचित निधि के कुल व्यय ₹ 3,78,710.66 करोड़ का 4.26 प्रतिशत था। मानक मद '42-अन्य व्यय' के

अंतर्गत अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

संस्तुति

वित्त विभाग को, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ और व्यय भविष्य में समुचित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किए जाएं। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर, मानक मद 42-अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 4.9 एवं 4.10)

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना

63 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 266 वार्षिक लेखे (2020-21 तक बकाया) 30 सितम्बर 2021 तक सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वार्षिक लेखे एवं उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग को संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

संस्तुति

वित्त विभाग को निकायों/प्राधिकरणों/विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखे के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु नियमित समीक्षा को समाहित करती एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.14 एवं 4.15)

दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरण

₹ 930.78 करोड़ की धनराशि के दुर्विनियोजन, हानि और चोरी से सम्बन्धित 135 प्रकरण लम्बित थे जिन पर 31 मार्च 2021 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी।

संस्तुति

सरकार को दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.16)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2021 को, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 44 अकार्यरत पीएसयू सहित 115 राज्य पीएसयू (94 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) थे। इस प्रतिवेदन में 38 ऐसे पीएसयू के वित्तीय निष्पादन सम्मिलित हैं जिनके लेखे तीन या अधिक वर्ष से बकाया नहीं थे एवं ये कार्यरत थे अथवा समापन के अधीन नहीं थे। इन 38 कार्यरत पीएसयू ने उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 73,042 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर उत्तर प्रदेश के वर्ष 2020-21 के जीएसडीपी के 4.28 प्रतिशत के बराबर था।

(प्रस्तर 5.1.3 एवं 5.1.4)

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी एवं पीएसयू का निष्पादन

31 मार्च 2021 को, इस प्रतिवेदन में शामिल 38 पीएसयू में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,72,542.84 करोड़ था। निवेश में 53.08 प्रतिशत पूँजी एवं 46.92 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। इसमें से, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पीएसयू में ₹ 1,42,978.52 करोड़ का निवेश किया जिसमें ₹ 1,37,357.27 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 5,621.25 करोड़ का दीर्घावधि ऋण सम्मिलित है।

38 पीएसयू में से, वर्ष 2020-21 तक उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 22 पीएसयू ने ₹ 699.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 16 पीएसयू ने ₹ 7,411.34 करोड़ की हानि वहन की। उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 351.89 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 116.91 करोड़) मुख्य लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू थे। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,158.92 करोड़), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,204.30 करोड़) एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,067.87 करोड़) मुख्य हानि वहन करने वाले पीएसयू थे।

संस्तुति

राज्य सरकार को हानि वहन करने वाले पीएसयू के निष्पादन की समीक्षा करना चाहिए एवं इन पीएसयू में सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए।

(प्रस्तर 5.2, 5.3.1 एवं 5.6.1)

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे से मिलान

31 मार्च 2021 को, 66 पीएसयू के पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति में अन्तर विद्यमान था। आँकड़ों के मध्य यह अन्तर विगत कई वर्षों से बना हुआ है, यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित पीएसयू एवं विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मामला उठाया भी गया।

संस्तुति

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं जीओयूपी के वित्त लेखे के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूति के आँकड़ों के मध्य अन्तर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।

(प्रस्तर 5.2.2.1)

बकाया लेखे

71 कार्यरत पीएसयू में से, केवल चार पीएसयू ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लेखे को प्रस्तुत किया था और शेष 67 पीएसयू के 274 लेखे बकाया थे। 44 अकार्यरत पीएसयू में से, 40 पीएसयू के 699 लेखे बकाया थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 46 राज्य पीएसयू को उस अवधि के दौरान जिसमें उनके लेखे बकाया थे, ₹ 27,359.34 करोड़ (पूँजी: ₹ 10,859.11 करोड़, ऋण: ₹ 2,476.54 करोड़, सहायता अनुदान: ₹ 4,086.35 करोड़ तथा सब्सिडी: ₹ 9,937.34 करोड़) प्रदान किए थे।

संस्तुति

प्रशासनिक विभागों को पीएसयू के लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिए सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिए एवं आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत करना चाहिए। सरकार पीएसयू के लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं को भी देख सकती है और बकाया को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

(प्रस्तर 6.3.2 एवं 6.3.2.3)

अध्याय - I

विहंगावलोकन

अध्याय-I

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य एवं तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। राज्य में हर तीन कामगारों में से दो कृषि क्षेत्र¹ में कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश दलहन, दुग्ध, गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, आलू, आम, चमड़ा और हस्तशिल्प का प्रमुख उत्पादक है। वर्ष 2019-20 के दौरान में राज्य की प्रति व्यक्ति आय² वर्तमान मूल्यों पर ₹ 65,704 थी जो भारत की प्रति व्यक्ति आय (₹ 1,34,226) से 51 प्रतिशत कम थी।

तालिका 1.1: सामान्य आंकड़े

क्रम संख्या	विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्रफल	2,40,928 वर्ग किमी
2	जनसंख्या	
	अ. जनगणना 2011 (1 मार्च 2011 को)	19.98 करोड़
	ब. वर्ष 2021 हेतु अनुमानित (1 मार्च 2021 को)	23.09 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	दशकीय जनसंख्या वृद्धि ³ (2011 से 2021)	उत्तर प्रदेश अखिल भारत (केंद्र शासित सहित)
		15.17 प्रतिशत 12.30 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत)	67.7 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 30 प्रति 1000 जीवित जन्म)	41
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁵ (अखिल भारतीय औसत = 69.4 वर्ष)	65.3 वर्ष
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर	₹ 17,05,593 करोड़
9	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (2011-12 से 2020-21)	उत्तर प्रदेश अखिल भारत (केंद्र शासित सहित)
		8.27 प्रतिशत 8.08 प्रतिशत
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2011-12 से 2020-21)	उत्तर प्रदेश अखिल भारत (केंद्र शासित सहित)
		9.99 प्रतिशत 9.48 प्रतिशत
11	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) ⁶ (2011-12) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)	29.43 प्रतिशत

¹ <http://up.gov.in/Social-Demography.pdf> (राज्य में मानव शक्ति 23.7 प्रतिशत है जिसमें से 65.9 प्रतिशत कृषक एवं 5.6 प्रतिशत औद्योगिक कामगार हैं)

² आर्थिक एवं सांख्यिकी प्रभाग, राज्य योजना संस्थान, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी 2020 के त्वरित अनुमान।

³ राज्य की अनुमानित जनसंख्या अक्टूबर 2011 के 20.17 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2021 में 23.23 करोड़ हो गई : भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या पर गठित तकनीकी समूह की जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट (जुलाई 2020), तालिका 14।

⁴ नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) बुलेटिन, अक्टूबर 2021 (वर्ष 2019 के लिए), भारत के महापंजीयक का कार्यालय।

⁵ कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2014-18 (सितम्बर 2020)।

⁶ भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत की अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हस्तपुस्तिका 2020-21 (तालिका 151)

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित समय अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राज्य के जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.2 में दी गयी है।

तालिका: 1.2 वर्तमान मूल्यों पर भारत की जीडीपी एवं राज्य की जीएसडीपी (2011-12 श्रेणी)⁷

(₹ करोड़ में)


वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भारत की जीडीपी	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
विगत वर्ष के सापेक्ष जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	(-2.97)
राज्य की जीएसडीपी	12,88,700	14,16,006	15,84,764	16,87,818	17,05,593
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.26	9.88	11.92	6.50	1.05

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर में घटने की प्रवृत्ति रही एवं यह वर्ष 2018-19 के 11.92 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 में 1.05 प्रतिशत हो गयी।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। 2020-21 में जीएसडीपी से क्षेत्रीय योगदान की 2016-17 के उसी के साथ और इस अवधि में क्षेत्रीय वृद्धि की तुलनात्मक स्थिति क्रमशः चार्ट 1.1 एवं चार्ट 1.2 में दी गई है।

चार्ट 1.1: 2016-21 की अवधि में जीएसडीपी से क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन




स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (02.08.2021 को आर्थिक क्रियाओं द्वारा 2011-12 श्रेणी पर जीएसडीपी/एनएसवीए)

नोट: कृषि (प्राथमिक) क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन आदि सम्मिलित हैं; उद्योग (द्वितीयक) क्षेत्र में विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवायें एवं निर्माण सम्मिलित हैं तथा सेवा (तृतीयक) क्षेत्र में व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त सेवायें, बीमा, भू-सम्पदा, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवायें सम्मिलित हैं।

⁷ वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी और जीएसडीपी को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है, अतः पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदनों में 2016-17 से 2019-20 के जीडीपी/जीएसडीपी के सन्दर्भ में दर्शाए गए प्रतिशत अनुपात/उछाल अनुपात भी संशोधित हो गए हैं।

चार्ट 1.2 : 2016-21 की अवधि में क्षेत्रवार वृद्धि दर



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि राज्य की जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता (44.23 प्रतिशत) था जिसके बाद कृषि क्षेत्र (24.83 प्रतिशत) एवं औद्योगिक क्षेत्र (21.37 प्रतिशत) थे। तथापि, वर्ष 2018-19 के बाद सेवा क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर में कमी की प्रवृत्ति दिखी जिससे राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कमी की प्रवृत्ति हुई।

वर्ष 2020-21 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई और देश की जीडीपी में 2.97 प्रतिशत की कमी आई। आर्थिक परिदृश्य पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव ने वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की जीएसडीपी विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला हालांकि राज्य के जीएसडीपी में 1.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनका राज्य के स्वयं कर राजस्व एवं केंद्रीय कर हस्तांतरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा साथ ही राज्य के राजकोषीय मानकों पर भी सहवर्ती प्रभाव पड़ा। वर्ष 2006-07 से लगातार 14 वर्षों के राजस्व अधिशेष के बाद राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान 2,367.13 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दर्ज हुआ जैसा कि इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 1.4.1 और अध्याय II में वर्णित है।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का किसी राज्य के लेखे से सम्बन्धित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करायेंगे। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

लेखे के रखरखाव के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक और सहायक लेखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इन लेखे की स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है और उन्हें सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे, विनियोग लेखे और राज्य के बजट अभिलेखों से प्रतिवेदन हेतु मुख्य आंकड़े प्राप्त होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आंकड़े (लेखांकन एवं एमआईएस); तथा
- जीएसडीपी आंकड़े और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी।

चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों, समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004, बजट अनुमानों के साथ मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी), सर्वोत्तम प्रथाओं एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया। मसौदा प्रतिवेदन 27 अक्टूबर 2021 को टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2022) हैं।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

एसएफएआर को निम्नलिखित छः अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय - I	<p>विहंगावलोकन</p> <p>यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है एवं शासकीय लेखे की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।</p>
अध्याय - II	<p>राज्य के वित्त</p> <p>यह अध्याय राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है तथा विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण की वस्तुस्थिति एवं राज्य के वित्त लेखे पर आधारित लोक लेखे के प्रमुख संव्यवहारों का विश्लेषण करता है।</p>
अध्याय - III	<p>बजटीय प्रबंधन</p> <p>यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोग एवं आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है। बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा एवं प्रभावशीलता के संबंध में टिप्पणियों जैसे पूंजीगत और राजस्व के बीच व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं इसके विपरीत, व्ययाधिक्य और उसका नियमितीकरण, सतत बचतें, बचतों का विलंबित अभ्यर्पण, अनावश्यक पुनर्वियोजन से संबंधित टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।</p>
अध्याय - IV	<p>लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें</p> <p>यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है। प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ लेखे की पूर्णता, पारदर्शिता और माप के सम्बन्ध में टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।</p>

अध्याय -V	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन यह अध्याय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, पीएसयू में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, इक्विटी पर प्रतिफल, पूंजी निवेश पर प्रतिफल, पीएसयू के निवल मूल्य का क्षरण आदि के बारे में चर्चा करता है।
अध्याय - VI	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका यह अध्याय राज्य के पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति, पीएसयू के लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं देने के प्रभाव, सीएजी द्वारा पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की पूरक/एकल लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निर्गत की गयी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ इत्यादि को प्रस्तुत करता है।

1.4 शासकीय लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है:

i. राज्य की संचित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से धन को विधि और भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित उद्देश्यों एवं तरीके के अतिरिक्त विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार (भारित व्यय) होती हैं तथा विधायिका द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

ii. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित किया गया है, तथा राज्य विधानमंडल द्वारा व्यय का प्राधिकार लंबित रहने की दशा में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु राज्यपाल के निवर्तन पर रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य लेखा शीर्ष के नामे व्यय को लेखांकित कर की जाती है।

iii. राज्य का लोक लेखा (संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे में प्रतिदेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, निक्षेप (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों जो कि अस्थायी शीर्ष हैं जिनका अंतिम लेखांकन लंबित है) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

भारत में यह एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित

प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाय। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट अभिलेख बनता है। अग्रेतर, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्ययों से पृथक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर-राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघ करों/शुल्कों का अंश, और भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, सम्मिलित होते हैं। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यकलापों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्तियों के निर्माण के लिए हों) हेतु किए गए व्ययों से संबंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न सम्मिलित हैं:


- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली आदि; **पूंजीगत व्यय में** भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेरों में निवेश और सरकार द्वारा पीएसयू एवं अन्य इकाईयों को ऋण और अग्रिम पर व्यय सम्मिलित हैं।

वर्तमान में सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	संव्यवहार की विशेषता	वर्गीकरण
लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्ष की केन्द्र एवं राज्य के लेखों की सूची (एलएमएमएच) में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदानों के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों हेतु छोड़ी गयी नम्यता	योजना	उप शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	मानक मद -वेतन, लघु कार्य, आदि (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के मद की पहचान करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के प्रथम अंक में सन्निहित आंकिक तर्क द्वारा प्राप्त होता है। मानक मद बजट अभिलेखों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3 शासकीय लेखे की संरचना



वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के लेन देन को वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में पुस्तानुबद्ध किया जाता है:

राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखे के साथ राजस्व और पूंजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम और लेखे में अंकित शेष राशि से निकाली गयी राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण, देयता और परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे सामान्यतः (कुछ अपवादों के साथ) लघु शीर्ष तक के लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर तक, अर्थात् वसूलियों को व्यय में कमी के रूप में लेखांकन के पश्चात दर्शाए जाते हैं।

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए मतदेय अनुदानों और भारत विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। यह लेखे निधियों के उपयोग को समझने में सहायता करते हैं, वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी करते हैं अतः वित्त लेखों के पूरक हैं।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल एक **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत कराते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार उक्त विवरण राज्य विधानमंडल को अनुदानों हेतु मांगों/विनियोगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात विनियोग विधेयक को विधानमंडल द्वारा वांछित धन के

संचित निधि से विनियोग का प्रावधान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को उसके बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों के अनुश्रवण में मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय III में दिया गया है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों, वास्तविक वित्तीय परिणामों का 2019-20 के वास्तविक परिणामों के साथ विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.3: बजट अनुमानों के सापेक्ष 2020-21 के वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	2020-21 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2020-21 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
1.	स्वयं का कर राजस्व	1,22,825.83	1,66,021.00	1,19,897.30	72.22	7.03
2.	गैर-कर राजस्व	81,705.08	31,178.93	11,846.15	37.99	0.69
3.	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	1,17,818.30	1,52,863.17	1,06,687.01	69.79	6.26
4.	भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	44,043.97	72,504.73	57,745.87	79.64	3.39
5.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	3,66,393.18	4,22,567.83	2,96,176.33	70.09	17.37
6.	ऋण और अग्रिम की वसूली (गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति)	5,640.58	2,200.00	1,134.73	51.58	0.07
7.	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	73,808.69	75,790.70	86,858.87	114.60	5.09
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7)	79,449.27	77,990.70	87,993.60	112.83	5.16
9.	कुल प्राप्तियां (5+8)	4,45,842.45	5,00,558.53	3,84,169.93	76.75	22.52
10.	राजस्व व्यय जिसमें से	2,98,833.04	3,95,116.95	2,98,543.46	75.56	17.50
11.	ब्याज भुगतान	34,813.02	38,091.26	37,428.48	98.26	2.19
12.	पूंजीगत व्यय जिसमें से	62,118.03	82,846.34	53,389.71	64.44	3.13
13.	पूंजीगत परिव्यय	59,998.03	81,209.49	52,237.10	64.32	3.06
14.	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	2,120.00	1,636.85	1,152.61	70.42	0.07
15.	कुल व्यय (10+12)	3,60,951.07	4,77,963.29	3,51,933.17	73.63	20.63

क्रम संख्या	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	2020-21 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2020-21 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
16.	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (5-10)	67,560.14	27,450.88	(-)2,367.13	-	0.14
17.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (5+6-15)	11,082.69	(-)53,195.46	(-)54,622.11	102.68	3.20
18.	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष ⁸ (+) {(5+6)- (15-11)}	45,895.71	(-)15,104.20	(-)17,193.63	113.83	1.01

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 67,560.14 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं ₹ 11,082.69 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से बिना वास्तविक नकद प्राप्ति के निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के राज्य की राजस्व प्राप्तियों को हस्तांतरण के कारण था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य ने ₹ 2,367.13 करोड़ एवं ₹ 54,622.11 करोड़ का क्रमशः राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा दर्ज किया था। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि राज्य वर्ष 2006-07 से राजस्व अधिशेष में था। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान (बजट दस्तावेज़ 2021-22) प्रस्तुत करते हुए राज्य में लॉकडाउन को वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के राजस्व को प्रभावित करने का एक मुख्य कारण बताया। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में राज्य ने अधिक निधि (17.68 प्रतिशत वृद्धि) उधार ली थी, जबकि राज्य का कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कुछ (2.50 प्रतिशत) कम था।

जैसा कि प्रस्तर 2.4.2.2 में बताया गया है, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान, जो राज्य की एक राजस्व प्राप्ति है, के मामले में राज्यों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 9,323.98 करोड़ का जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा, राज्य सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में भारत सरकार से ₹ 6,007.00 करोड़ की ऋण प्राप्तियां (बैंक-टू-बैंक ऋण) भी प्राप्त हुईं। इस ऋण की अदायगी जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि⁹ में उपकर के संग्रह से की जाएगी इसलिए, अदायगी दायित्व को राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,367.13 करोड़ के राजस्व घाटे एवं ₹ 54,622.11 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 6,007.00 करोड़ की ऋण प्राप्ति के संयोजन के साथ पढ़ा जा सकता है।

1.4.2 सरकार की संपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

शासकीय लेखे सरकार के वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से निर्मित संपत्तियों को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं, और संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम एवं नकद शेष सम्मिलित होते हैं।

⁸ प्राथमिक घाटा/अधिशेष राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगियां हटाकर संदर्भित है।

⁹ जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि, भारत के लोक लेखे का भाग है जैसा कि वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 10(1) में दिया गया है।

31 मार्च 2020 की तुलना में 31 मार्च 2021 को देयताओं और संपत्तियों का सार तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व				परिसम्पत्तियां			
विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2021 तक	प्रतिशत वृद्धि/कमी	विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2021 तक	प्रतिशत वृद्धि/कमी
संचित निधि							
अ आंतरिक ऋण	4,05,048.84	4,58,552.23	13.21	अ सकल पूंजीगत परिव्यय	5,81,865.12	6,34,102.22	8.98
ब भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	11,528.75	18,106.74	57.06	ब ऋण और अग्रिम	27,188.98	27,206.86	0.07
आकस्मिकता निधि							
आकस्मिकता निधि (कार्पस)	600.00	600.00	0.00	आकस्मिकता निधि (गेर प्रतिपूर्ति)	0.00	100.00	-
लोक लेखा							
अ लघु बचत, भविष्य निधि आदि ।	57,727.01	58,789.41	1.84	अ अग्रिम	58.43	58.58	0.26
ब निक्षेप	23,581.17	25,496.10	8.12	ब प्रेषण	0.00	125.05	-
स आरक्षित निधि	4,526.25	5,027.19	11.07	स उचन्त एवं विविध कोष	4,909.54	3,212.06	(-)34.58
द प्रेषण	200.41	0.00	(-)100.00	नकद अवशेष (निर्धारित निधि द्वारा निवेश सहित)	21,443.36	31,652.77	47.61
य व्यय से अधिक प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	1,32,253.00	1,29,885.87	(-)1.79	प्राप्तियों से अधिक व्यय का संचयी आधिक्य	-	-	-
योग	6,35,465.43	6,96,457.54		योग	6,35,465.43	6,96,457.54	

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 के अनुसार, कुल दायित्व का अर्थ राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत दायित्व है। 31 मार्च 2020 को राज्य का कुल दायित्व ₹ 5,02,412.02 करोड़ था जो 31 मार्च 2021 को बढ़कर ₹ 5,64,971.68 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में बाजार ऋण में 22 प्रतिशत (₹ 63,499.68 करोड़) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 57 प्रतिशत (₹ 6,578 करोड़) की देयताओं में वृद्धि मुख्य योगदान कारक था। यद्यपि, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि में जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 6,007.00 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल था, जिसकी अदायगी की देयता नहीं है क्योंकि इसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से चुकाया जाना है। राज्य सरकार के ऋण प्रबंधन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय II में दिया गया है।

1.5 राजकोषीय अवशेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 को एक मध्यम अवधि में राजस्व घाटे को समाप्त कर, राजकोषीय घाटे को कम करके अच्छा ऋण प्रबंधन स्थापित कर एवं राज्य सरकार

के राजकोषीय संचालन की पारदर्शिता में सुधार कर एक मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचा प्रयोग करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया था। इस संदर्भ में यह अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

समय-समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम में दिए गए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के अंतर्गत राज्य का 2016-21 की अवधि में प्रदर्शन तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: यूपीएफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक शून्य राजस्व घाटा	20,283	12,552	28,250	67,560	(-)2,367
		✓	✓	✓	✓	X
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	2019-20 तक अनुमानित जीएसडीपी के तीन प्रतिशत एवं 2020-21 के लिए पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं	(-) 41,187 ¹⁰ (3.20)	(-) 27,810 (1.96)	(-) 35,203 (2.22)	11,083 (0.66)	(-) 54,622 (3.20)
		X	✓	✓	✓	✓
कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2016-17 के दौरान 31 प्रतिशत, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान 30.50 प्रतिशत एवं 2019-20 के दौरान 30.00 प्रतिशत एवं 2020-21 के दौरान 32.00 प्रतिशत से अधिक नहीं।	31.69	33.04	32.69	29.77	32.77*
		X	X	X	✓	X

स्रोत: राज्य सरकार के बजट अभिलेख, समय-समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹6,007 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को जीएसडीपी से बकाया ऋण के अनुपात की गणना के लिए हटाया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण¹¹ के अनुसार, इस उधार को किसी भी मानदंड जो कि वित्त आयोग आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

चूँकि कोविड-19 महामारी ने राज्य एवं केंद्र के संसाधनों को बुरी तरह प्रभावित किया अतः भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार को जीएसडीपी के दो प्रतिशत की सीमा के अतिरिक्त उधार अनुमन्य किया। तदनुसार, यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 को वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर जीएसडीपी के पाँच प्रतिशत करने हेतु संशोधित (अगस्त 2020) किया गया।

जैसा कि लेखे में दर्शाया गया है राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात यूपीएफआरबीएम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के पाँच प्रतिशत लक्ष्य की सीमा के अंदर था। तथापि, राज्य वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व अधिशेष के अपने लक्ष्य को बनाए नहीं रख सका। अग्रेतर, वर्ष 2020-21 के लिए कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (32.77 प्रतिशत) यूपीएफआरबीएम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 में वर्णित सीमा (जीएसडीपी का 32.00 प्रतिशत) के अन्दर नहीं था।

¹⁰ 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटा एवं कुल लम्बित ऋण उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेन्स योजना (उदय) के अंतर्गत ₹ 14,801 करोड़ के उधार को सम्मिलित नहीं किया गया है जैसाकि उदय के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उदय हेतु लिये गए ऋण की राज्य की राजकोषीय घाटा सीमा में गणना नहीं की जाएगी। उदय हेतु लिए गए ऋण को सम्मिलित करके राजकोषीय घाटा एवं बकाया ऋण का जीएसडीपी से प्रतिशत क्रमशः 4.34 प्रतिशत एवं 32.84 प्रतिशत था।

¹¹ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पत्र सं-फ.स.-40(1) पी.एफ.-एस/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021

1.5.1 मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ एक मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) रखेगी। एमटीएफआरपी निहित पूर्व धारणाओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पंचवर्षीय रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करेगी।

1.5.2 राजकोषीय मानकों की तुलनात्मक स्थिति: एमटीएफआरपी में अनुमानित के सापेक्ष वास्तविक

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत एमटीएफआरपी 2020 में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों हेतु लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के वास्तविकों की तुलना तालिका 1.6 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.6: एमटीएफआरपी में अनुमान के सापेक्ष 2020-21 के वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजकोषीय चर मदें	एमटीएफआरपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2020-21)	विचलन (प्रतिशत में)
1	स्वयं का कर राजस्व	1,66,021.00	1,19,897.30	(-)27.78
2	करेतर राजस्व	31,178.93	11,846.15	(-)62.01
3	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	1,52,863.17	1,06,687.01	(-)30.21
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	72,504.73	57,745.87	(-)20.36
5	राजस्व प्राप्ति (1+2+3+4)	4,22,567.83	2,96,176.33	(-)29.91
6	राजस्व व्यय	3,95,116.95	2,98,543.46	(-)24.44
7	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	27,450.88	(-)2,367.13	(-)108.62
8	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)53,195.46	(-)54,622.11	2.68
9	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)15,104.20	(-)17,193.63	13.83
10	ऋण स्टॉक-जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	28.82	32.77*	13.71
11	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत) ¹²	6.00	1.05	(-) 82.50

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21 एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख।

*ऋण स्टॉक का जीएसडीपी से अनुपात भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान मिले ₹ 6,007 करोड़ के बैंक-टू-बैंक लोन को हटाने के बाद निकाला गया है।

जैसा कि तालिका 1.6 में बताया गया है, 2020-21 के लिए एमटीएफआरपी में ₹ 27,450.88 करोड़ के राजस्व अधिशेष के अनुमान के सापेक्ष, राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 2,367.13 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया है। राजस्व प्राप्तियों में एमटीएफआरपी अनुमानों से ₹ 1,26,391.50 करोड़ (29.91 प्रतिशत) की कमी थी, जो कि एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में स्वयं के कर राजस्व (₹ 46,123.70 करोड़), केंद्रीय करों/ शुल्कों का अंश (₹ 46,176.16 करोड़) एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 14,758.86 करोड़) की कम प्राप्तियों के कारण था। आगे के विश्लेषण से विदित हुआ कि बजट अनुमानों की तुलना में स्वयं के कर राजस्व में कमी मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 20,421 करोड़), इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 7,439 करोड़), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 6,722 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 6,160 करोड़), विद्युत कर एवं शुल्क (₹ 2,663 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 2,167 करोड़) एवं भू-राजस्व (₹ 559 करोड़) के अंतर्गत थी।

एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में कम राजस्व व्यय (₹ 96,573 करोड़) सभी चार क्षेत्रों: सामान्य सेवाएं (₹ 50,658 करोड़), सामाजिक सेवाएं (₹ 27,752 करोड़), आर्थिक


¹² एमटीएफआरपी 2020 में राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 17,91,263 करोड़ जीएसडीपी एवं वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 16,89,871 करोड़ का अनुमान लगाया था।

सेवाएं (₹ 16,871 करोड़) एवं सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 1,292 करोड़) में कम व्यय के कारण था। राजस्व व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.7.2 में किया गया है।

1.5.3 प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2016–21 अवधि हेतु मुख्य राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा मापदंडों (राजकोषीय घाटा/अधिशेष, राजस्व घाटा/अधिशेष एवं प्राथमिक घाटा/अधिशेष), अधिशेष/घाटे का जीएसडीपी से एवं राजकोषीय देयताओं के जीएसडीपी से अनुपात की प्रवृत्ति विश्लेषण को निम्नलिखित चार्ट 1.4 से 1.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटे के मानकों में प्रवृत्ति




स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: (i) वर्ष 2016–17 के दौरान राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा उदय पर व्यय को हटाकर है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा।


(ii) वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व अधिशेष, प्राथमिक अधिशेष एवं राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष को बिना वास्तविक नकद प्राप्ति के गैर कर राजस्व में स्थानांतरित करने के कारण थे।

चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष/घाटे में प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं¹³ एवं जीएसडीपी की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2016-19 की अवधि में राज्य की लम्बित राजकोषीय देयताओं में ₹ 94,871 करोड़ (22.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान यद्यपि यह पिछले वर्ष की तुलना में 3.03 प्रतिशत (₹ 15,683 करोड़) घटकर ₹ 5,18,095 करोड़ से ₹ 5,02,412 करोड़ हो गयी। अग्रेतर, वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य की लम्बित राजकोषीय देयदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 62,560 करोड़ (12.45 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2016-21 की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति औसत ऋण¹⁴ 26.57 प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹ 19,432 (2016-17) से ₹ 24,596 (2020-21) हो गया। यद्यपि, 31 मार्च 2021 को ₹ 5,64,972 करोड़ की लम्बित देयताओं के सापेक्ष वर्ष 2020-21 की अवधि में जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के अंतर्गत राज्य की पुनर्भुगतान की कोई देयता ना होने हेतु भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक लोन के रूप में मिले ₹ 6,007 करोड़ को अलग करने के बाद राज्य की प्रभावी राजकोषीय देयताएं ₹ 5,58,965 करोड़ थी।

1.6 लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा एवं ऋण की स्थिति, दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। इन संकेतकों को अन्य हितधारकों यथा संघ सरकार, वित्तीय संस्थान, बैंकों आदि द्वारा अनुदान/ऋण आदि के रूप में कोई अग्रेतर वित्तीय सहायता प्रदान करते समय भी गम्भीरता से देखा जाता है। राज्य के वित्त का उत्तम चित्रण करने हेतु राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण एवं गैर बजट राजकोषीय परिचालन करना जैसा लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया है, निम्नलिखित प्रस्तर में उल्लिखित है।

¹³ राजकोषीय देयताओं में सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे के आँकड़ों से समानता हेतु वर्ष 2016-17 में उदय हेतु ऋण एवं वर्ष 2020-21 में जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले बैंक-टू-बैंक लोन सम्मिलित है। तथापि, चार्ट में कुल ऋण का जीएसडीपी से प्रतिशत वर्ष 2016-17 के उदय ऋण तथा वर्ष 2020-21 के जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले बैंक-टू-बैंक लोन शामिल नहीं है।

¹⁴ ऋण को विगत कैलेण्डर वर्ष की जनसंख्या से भाग देकर; विशिष्ट कैलेण्डर वर्ष में जनसंख्या उस वर्ष अक्टूबर के प्रथम दिवस की है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के उपरान्त – घाटा/अधिशेष

कुछ प्रकरणों यथा राजस्व व्यय का पूँजीगत एवं विपरीत रूप से ग़लत वर्गीकरण, 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' में राशि का हस्तांतरण न करना, ब्याज सहित आरक्षित निधियों में ब्याज का जमा न किया जाना आदि जिनकी चर्चा प्रतिवेदन के उत्तरगामी अध्यायों में की गई है, उनका वित्त लेखा 2020-21 में दर्शाए गए राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव को समाहित करने एवं वास्तविक घाटे का पता लगाने के लिए उचित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में क्रमशः ₹ 1,650.70 करोड़ और ₹ 1,565.32 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है जिसे तालिका 1.7 में आगणित किया गया है और लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
1	2	3	4	5
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में कम अंतरण एवं निधि में देय ब्याज जमा नहीं करना (प्रस्तर 2.8.2.3 में सन्दर्भित)	-	1,380.24	-	1,380.24
राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में ब्याज जमा न किया जाना (प्रस्तर 2.8.2.5 में सन्दर्भित)	-	59.75	-	59.75
राजस्व से पूँजीगत एवं विपरीततः व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण (प्रस्तर 3.2.2.1 एवं 3.2.2.2 में सन्दर्भित)	1.19	86.57	-	-
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के शेष पर ब्याज जमा न किया जाना (प्रस्तर 4.3 में सन्दर्भित)	-	24.90	-	24.90
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि का गठन न किया जाना जिसके कारण निधि में राशि का हस्तांतरण नहीं हुआ (प्रस्तर 4.4 में सन्दर्भित)	-	100.43	-	100.43
योग	1.19	1,651.89	-	1,565.32
शुद्ध प्रभाव	₹ 1,650.70 करोड़ (राजस्व घाटे की न्यूनोक्ति)		₹ 1,565.32 करोड़ (राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति)	

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21 और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	लेखे के अनुसार	न्यूनोक्ति	वास्तविक/लेखापरीक्षा जांच के बाद
1	2	3	4	5 = 3-4
1	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	(-) 2,367.13	1,650.70	(-) 4,017.83
2	राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-)	(-) 54,622.11	1,565.32	(-) 56,187.43

स्रोत: लेखापरीक्षा विश्लेषण।

1.6.2 लेखापरीक्षा के उपरान्त – कुल लोक ऋण

ऋणों के सामान्य घटकों यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण आदि के अतिरिक्त 'कुल बकाया लोक ऋण' की व्यापक परिभाषा में गैर-बजट ऋण भी सम्मिलित हैं। गैर-बजट ऋण या गैर-बजट वित्तपोषण सामान्यतः किसी विशेष वर्ष या

वर्षों में व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में अनुदान/विनियोग प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, अतः विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं। उन्हें सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो सरकार की ओर से बाजार ऋण के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। तथापि, सरकार को अपने बजट से ऋणों का पुनर्भुगतान करना होता है। इसलिए, गैर-बजट ऋणों के भुगतान/वित्तपोषण में बजट से ब्याज का भुगतान और ऋणों का पुनर्भुगतान, जैसे और जब वह देय हों, सम्मिलित होता है।

राज्य सरकार, ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी होने पर भी, राज्य सरकार के विभिन्न पीएसयू/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से ऋणों को बजट से बाहर प्रदर्शित कर नियत निर्धारित शुद्ध ऋण सीमा की उपेक्षा कर सकती है। जिससे गैर बजट ऋणों का राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ता है। बजट में प्रकट किए बिना ऐसे देयताओं का सृजन पारदर्शिता और अन्तर-पीढ़ीगत साम्यता दोनों पर प्रश्नचिह्न उठाता है। ऐसे गैर-बजट ऋणों को बजट अभिलेखों में प्रकटीकरण विवरणों या लेखे में नहीं लिया जाता है और न ही उन्हें विधायी स्वीकृति प्राप्त होती है।

लेखापरीक्षा की जांच से पाया गया कि 2017-19 की अवधि में राज्य सरकार ने ₹ 8,716.40 करोड़ के गैर बजट ऋण का सहारा लिया। इस प्रकरण पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.2 में विस्तार से चर्चा की गई है। इस गैर-बजट ऋण में से, ₹ 7,079.51 करोड़ राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से 2017-21 की अवधि के दौरान संबंधित पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा चुकाए गए। ₹ 1,636.89 करोड़ के बकाया गैर-बजट ऋण का राज्य के समग्र ऋण स्टॉक पर प्रभाव है जैसा कि तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के उपरान्त समग्र ऋण

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का प्रतिशत
1.	लेखे के अनुसार समग्र ऋण (31.03.2021 को)	5,64,971.68*	32.77*
2.	गैर-बजटीय ऋण के कारण ऋण की न्यूनोक्ति (प्रस्तर 4.2 में सन्दर्भित)	1,636.89	0.10
	योग	5,66,608.57	32.87

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21 एवं संबंधित पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त सूचनार्थ

*वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त हुए ₹ 6,007 करोड़ के बैंक-टू-बैंक लोन, जिसकी राज्य की पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को अलग करने के बाद प्रभावी लम्बित समग्र ऋण ₹ 5,58,964.68 करोड़ होगा।

तालिका 1.9 से यह स्पष्ट है कि गैर-बजट ऋणों के कारण जीएसडीपी से ऋण-स्टाक का अनुपात 32.77 प्रतिशत से बढ़कर 32.87 प्रतिशत हो गया है।

अध्याय - II

राज्य के वित्त

अध्याय-II

राज्य के वित्त

2.1 राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

यह खंड वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित संकेतकों के विश्लेषण की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none">✓राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 19.16 प्रतिशत की कमी✓राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 2.38 प्रतिशत की कमी✓गैर-कर प्राप्तियों में 85.50 प्रतिशत की कमी✓केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश में 9.45 प्रतिशत की कमी✓भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में 31.11 प्रतिशत की वृद्धि
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓राजस्व व्यय में 0.10 प्रतिशत की कमी✓सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 1.17 प्रतिशत की वृद्धि✓सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.66 प्रतिशत की वृद्धि✓आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 11.56 प्रतिशत की कमी✓सहायता अनुदान पर व्यय में 2.01 प्रतिशत की कमी
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓पूंजीगत व्यय में 12.94 प्रतिशत की कमी✓सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 38.96 प्रतिशत की कमी✓सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 17.80 प्रतिशत की वृद्धि✓आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 18.43 प्रतिशत की कमी
ऋण और अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 45.61 प्रतिशत की कमी✓ऋण और अग्रिमों की वसूली में 79.88 प्रतिशत की कमी
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓लोक ऋण प्राप्तियों में 17.68 प्रतिशत की वृद्धि✓लोक ऋण की अदायगी में 19.54 प्रतिशत की वृद्धि
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓लोक लेखा प्राप्तियों में 1.67 प्रतिशत की कमी✓लोक लेखा से संवितरण में 18.13 प्रतिशत की कमी
रोकड़ अवशेष और निवेश	<ul style="list-style-type: none">✓31 मार्च 2020 की तुलना में 31 मार्च 2021 को नकद शेष और निवेश में ₹ 10,209.41 करोड़ (47.61 प्रतिशत) की वृद्धि।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों यथा राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा, लोक लेखा से संवितरण के बाद इसमें उपलब्ध निधियों से सरकार द्वारा इसे अपने घाटे के वित्तीयन के लिए भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राज्य के निम्न संसाधन हैं:

- (i) **राजस्व प्राप्तियों** के अन्तर्गत स्वयं का कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
- (ii) **पूंजीगत प्राप्तियों** के अन्तर्गत विविध पूंजी प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण की प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की संचित निधि के भाग होते हैं।

- (iii) **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** इसके अन्तर्गत जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो संचित निधि के अंग नहीं हैं, के संबंध में प्राप्तियां और संवितरण हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं राज्य विधायिका के मत के अधीन नहीं होते हैं। इसके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद अवशेष सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2016-21 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आँकड़े **परिशिष्ट 2.1** में दिये गये हैं। **तालिका 2.1** वर्ष 2019-20 के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों एवं उप-घटकों एवं निधियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है।


तालिका 2.1: वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना

विवरण		2019-20 (₹ करोड़ में)	2020-21 (₹ करोड़ में)	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष और निवेश	26,912	21,443	(-)20.32
	राजस्व प्राप्तियां	3,66,393	2,96,176	(-)19.16
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	5,641	1,135	(-)79.88
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	51,408	60,082	16.87
	विविध पूंजी प्राप्तियां	0	0	-
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	(-) 68,590	4,850	107.07
	आकस्मिकता निधि	662	0	(-)100.00
	योग	3,82,426	3,83,686	0.33
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	2,98,833	2,98,543	(-)0.10
	पूंजीगत व्यय	59,998	52,237	(-)12.94
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	2,120	1,153	(-)45.61
	आकस्मिकता निधि	32	100	212.50
	अन्तिम रोकड़ अवशेष एवं निवेश	21,443	31,653	47.61
	योग	3,82,426	3,83,686	0.33

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.2.1 वर्ष 2020–21 दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत निधियों के घटक-वार स्रोतों और अनुप्रयोगों को चार्ट 2.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2020–21 के दौरान संसाधनों का संघटन और अनुप्रयोग



स्रोत: वित्त लेखे 2020–21


2.3 राज्य के संसाधन

यह खण्ड वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान राज्य के संसाधनों एवं उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्तियों के संघटन का विवरण



स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

वर्ष 2020-21 के दौरान में राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 3,89,020 करोड़ थी। इसमें ₹ 2,96,176 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, ₹ 87,994 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां, ₹ 4,850 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियां¹⁵ सम्मिलित है। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,19,897 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व, ₹ 11,846 करोड़ का करेतर राजस्व, ₹ 1,06,687 करोड़ के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश और ₹ 57,746 करोड़ का भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 1,135 करोड़ की गैर ऋण प्राप्तियां एवं ₹ 86,859 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित है।

2.4 राजस्व प्राप्तियां


यह प्रस्तर कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इसके बाद प्राप्तियों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है, जिन्हें राज्य की अपनी प्राप्तियों और केन्द्र सरकार से प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

2.4.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि

वित्त लेखे का विवरण 14 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान वित्त लेखे के अनुसार राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और संघटन को चार्ट 2.3, चार्ट 2.4 और तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।


¹⁵ निवल लोक लेखे प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के अंत में लघु बचत और भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा/अग्रिम, उचत एवं विविध और प्रेषणों का निवल अवशेष है।

चार्ट 2.3 वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4 वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 2.2 : राज्य के राजस्व प्राप्तियों, स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व की प्रवृत्ति

मापदण्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹ करोड़ में)	2,56,875	2,78,775	3,29,978	3,66,393	2,96,176
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.12	8.53	18.37	11.04	(-)19.16
स्वयं का राजस्व (₹ करोड़ में) जिसमें से	1,14,910	1,17,188	1,50,223	2,04,531	1,31,743
स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	85,966	97,393	1,20,122	1,22,826	1,19,897
करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	28,944	19,795	30,101	81,705	11,846
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.23	1.98	28.19	36.15	(-)35.59
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.99	13.29	23.34	2.25	(-)2.38
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रेणी वर्तमान मूल्य पर)	12,88,700	14,16,006	15,84,764	16,87,818	17,05,593
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.26	9.88	11.92	6.50	1.05
उछाल अनुपात ¹⁶					
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व उछाल	0.99	0.86	1.54	1.70	(-)18.25
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं का राजस्व उछाल	0.77	0.20	2.36	5.56	(-)33.90
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व का उछाल	0.45	1.35	1.96	0.35	(-)2.27

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 2.2 में वर्णित वित्त लेखाओं के आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि:

- वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार की राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,96,176 करोड़ थी। 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 3.62 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष (2019-20) की तुलना में वर्ष 2020-21 में इसमें 19.16 प्रतिशत की गिरावट आई है।

जैसा कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार (वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 4) में बताया गया है, वर्ष 2019-20 के दौरान, वास्तविक नकद प्राप्तियों के बिना लोक लेखे के निक्षेप निधि से ₹ 71,180 करोड़ के समेकित निधि के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में अंतरण के कारण राजस्व प्राप्तियां (₹ 3,66,393 करोड़) काफी अधिक थीं। निक्षेप निधि के इस पुस्तकीय हस्तांतरण को छोड़कर, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,95,213 करोड़ थी, जिसमें वर्ष 2018-19 की तुलना में 10.54 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 2,96,176 करोड़) वर्ष 2019-20 (निक्षेप निधि हस्तांतरण को छोड़कर) की तुलना में नाममात्र (0.33 प्रतिशत) से अधिक थीं। यह, आर्थिक परिदृश्य पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण वर्ष 2019-20 की तुलना में स्वयं के कर राजस्व (2.38 प्रतिशत) और केन्द्रीय कर हस्तांतरण (9.45 प्रतिशत) में गिरावट के बावजूद भारत सरकार से सहायता अनुदान की उच्च प्राप्तियों (31 प्रतिशत) के कारण था।

¹⁶ उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है। उदाहरण के लिये, जीएसडीपी के सम्बन्ध में राजस्व उछाल 1.85 का आशय यह है कि राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृत्ति है, यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 की शुरुआत कोविड-19 महामारी और सख्त लॉकडाउन प्रतिबंधों के साथ हुई। इसने वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के बजट अनुमानों में ₹ 4,22,568 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां अनुमानित की थी, जिसे वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 3,06,802 करोड़ कर दिया गया था। बजट अनुमान 2020–21 की तुलना में, वास्तविक प्राप्तियों में स्वयं के कर-राजस्व में 27.78 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 62.01 प्रतिशत, केन्द्रीय कर अंतरण में 30.21 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.35 प्रतिशत की कमी हुई थी। संशोधित अनुमान 2020–21 में स्वयं के कर-राजस्व में 3.98 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.35 प्रतिशत की कमी के कारण राज्य संशोधित अनुमानों को भी पूरा नहीं कर सका।
- राजस्व उछाल, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि **तालिका 2.2** से देखा जा सकता है, राजस्व उछाल जो वर्ष 2019–20 के दौरान 1.70 था, वर्ष 2020–21 में घटकर (-)18.25 हो गया है, इससे पता चलता है कि वर्ष 2020–21 के दौरान जब जीएसडीपी में एक आधार अंक की वृद्धि हुई है, राज्य की राजस्व प्राप्तियों ने 18.25 आधार अंकों की नकारात्मक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में उछाल (-)2.27 था, जिसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2020–21 के दौरान जब राज्य के जीएसडीपी में 1 आधार अंक की वृद्धि हुई है, तो स्वयं के राजस्व में 2.27 आधार अंकों की नकारात्मक वृद्धि हुई है।


2.4.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के स्वयं के संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू-राजस्व, विद्युत पर कर और शुल्क, सामानों एवं यात्रियों पर कर आदि हैं। करेतर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियां यथा सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ एवं रोकड़ अवशेष का निवेश, लाभांश और इक्विटी निवेश से लाभ, खनिज, वन और वन्य जीवन, के संरक्षक के रूप में उन रखी गई संपत्ति के उपयोग की अनुमति के लिए रॉयल्टी शुल्क या ऐसी अन्य सेवाओं और सरकार के तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क सम्मिलित हैं। 2016–21 की अवधि के दौरान स्वयं के कर/करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

2.4.2.1 स्वयं का कर राजस्व

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 1,19,897 करोड़ था। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, यह 2016–17 के ₹ 85,966 करोड़ से 39.47 प्रतिशत (₹ 33,931 करोड़) बढ़कर 2020–21 में ₹ 1,19,897 करोड़ हो गया। स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दिया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2016-21 के दौरान स्वयं का कर राजस्व



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं का कर राजस्व के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2016-21 के दौरान कर राजस्व की प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	राजस्व मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्कलाइन
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	51,883	31,113	23,798	20,517	22,127	
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	-	25,374	46,108	47,232	42,860	
3	राज्य आबकारी	14,274	17,320	23,927	27,325	30,061	
4	वाहनों पर कर	5,148	6,404	6,929	7,715	6,483	
5	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	11,564	13,398	15,733	16,070	16,475	
6	भू-राजस्व	760	1,336	631	504	297	
7	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,556	2,124	2,978	3,453	1,587	
8	अन्य कर	781	324	18	10	7	
	योग	85,966	97,393	120,122	122,826	119,897	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.3 से यह स्पष्ट है कि:

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 2.38 प्रतिशत की समग्र नकारात्मक वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु और सेवा कर (₹ 4,372 करोड़), विद्युत पर कर और शुल्क (₹ 1,866 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 1,232 करोड़) और भूमि राजस्व (₹ 207 करोड़) आदि में कमी के कारण हुई थी। यद्यपि वर्ष 2019-20 की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर करों में (₹ 1,610 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 2,736 करोड़) और स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 405 करोड़) में अधिक प्राप्तियों द्वारा यह कमी संतुलित हो गई थी।
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक है, जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए स्वयं का कर राजस्व प्राप्तियों का 35.75 प्रतिशत शामिल है। वर्ष 2020-21 के दौरान, अनुमानित एसजीएसटी ₹ 63,281 करोड़ था,

जिसके विरुद्ध वास्तविक संग्रह ₹ 42,860 करोड़ था जो अनुमान से 32.27 प्रतिशत कम था। एसजीएसटी के अन्तर्गत कम प्राप्तियां मुख्य रूप से लघु शीर्षो एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट सकल उपयोग (₹ 4,879.95 करोड़) और अन्य लघु शीर्षो को हस्तांतरण की प्रतीक्षा में प्राप्तियां (₹ 4,504.63 करोड़) के तहत कम प्राप्ति के कारण थीं।

- विद्युत पर करों और शुल्कों के अंतर्गत कम प्राप्तियां, विद्युत की खपत और बिक्री पर कर (₹ 1,796.83 करोड़) और शुल्क (₹ 83.03 करोड़) से कम प्राप्तियों के कारण थीं।
- बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अंतर्गत संग्रहण में वृद्धि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (₹ 42.71 करोड़) और मूल्य वर्धित कर (₹ 1,303.56 करोड़) के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण हुई है। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि मुख्य रूप से देशी स्पिरिट (₹ 2,226.14 करोड़) और विदेशी मदिरा और स्पिरिट (₹ 978.64 करोड़) की बिक्री और अन्य प्राप्ति (₹ 188.50 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई थी। स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से अदालती शुल्क में न्यायिक स्टाम्प्स (₹ 106.56 करोड़) और गैर-न्यायिक स्टाम्प्स (₹ 714.64 करोड़) की बिक्री में उच्च प्राप्तियों के कारण हुई है।
- अन्य करों में वस्तुओं और यात्रियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, मनोरंजन कर, सट्टेबाजी पर कर, सिनेमाघरों में प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर आदि सम्मिलित हैं। इसमें कमी मुख्य रूप से जुलाई 2017 से इन करों का वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलन के कारण हुई।

2.4.2.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम क्रियान्वित किया, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, वस्तु एवं सेवाकर के क्रियान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए करेगी। जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत जीएसटी में सम्मिलित करों के राजस्व आंकड़ों हेतु एक आधार वर्ष (2015–16) माना गया। राज्य में किसी वर्ष के लिये अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू करके की जानी थी।

वित्त लेखे में वर्ष 2020–21 के लिये जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व आंकड़ों को प्राप्ति की प्रकृति यथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास यूटिलाइजेशन एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी), आईजीएसटी का विभाजन-एसजीएसटी के कर घटक का अंतरण एवं आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन के अनुसार दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के मामले में, आधार वर्ष (2015–16) के दौरान सम्मिलित करों से राजस्व ₹ 33,359 करोड़ था। अतः आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020–21 हेतु अनुमानित राजस्व ₹ 64,230 करोड़ था, जिसके सापेक्ष एसजीएसटी के रूप में ₹ 42,860 करोड़ संग्रहीत किया गया। इसमें आईजीएसटी के अग्रिम बंटवारे में राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 3,168 करोड़ शामिल हैं। राज्य को, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्य को आवंटित शुद्ध आय के अपने हिस्से के रूप में, ₹ 31,611 करोड़ प्राप्त हुए। जीएसटी के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 74,471 करोड़ थीं। राज्य सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹ 9,324 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त किया। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, राज्य सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के एवज में भारत सरकार से ₹ 6,007 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण (ऋण प्राप्तियां) भी प्राप्त हुआ।

2.4.2.3 करेतर राजस्व

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत और उनकी प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्कलाइन
(i) ब्याज प्राप्तियाँ	1,165	1,093	1,712	1,469	1,116	
(ii) लामांश एवं लाम	86	31	175	39	105	
(iii) अन्य करेतर प्राप्तियाँ:						
(क) विभिन्न सामान्य सेवायें	4,460	4,841	13,678	72,044	572	
(ख) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,548	3,259	3,165	2,181	3,113	
(ग) ऊर्जा	2,939	4,696	5,735	1,044	1,309	
(घ) सिंचाई (वृहद, मध्यम एवं लघु)	783	953	908	1,024	1,174	
(ङ) सड़क एवं पुल	929	366	932	707	997	
(च) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	14,092	432	381	480	505	
(छ) अन्य एवं विविध	2,942	4,124	3,415	2,717	2,955	
योग	27,693	18,671	28,214	80,197	10,625	
महायोग [(i), (ii) एवं (iii)]	28,944	19,795	30,101	81,705	11,846	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 में करेतर राजस्व के अन्तर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹ 11,846 करोड़ थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 85.50 प्रतिशत की कमी को दर्शाती हैं। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान करेतर राजस्व में उल्लेखनीय कमी इस कारण से थी कि वर्ष 2019-20 में, ₹ 71,180.23 करोड़ की राशि को आरक्षित निक्षेप निधि से बिना किसी नकद प्राप्ति के करेतर राजस्व में स्थानांतरित किया गया था। इस हस्तांतरण को छोड़कर, वर्ष 2019-20 के दौरान करेतर राजस्व ₹ 10,525 करोड़ था। इसकी तुलना में, वर्ष 2020-21 के दौरान करेतर राजस्व ₹ 11,846 करोड़ था, जो 12.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग में ₹ 932 करोड़ (42.73 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई थी, सड़कों और पुलों से ₹ 290 करोड़ (41.02 प्रतिशत), विद्युत से ₹ 265 करोड़ (25.38 प्रतिशत) और सिंचाई से ₹ 150 करोड़ (14.65 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुई थी।

2.4.3 केन्द्र सरकार से अन्तरण

भारत सरकार से अन्तरण के दो मुख्य घटक केन्द्रीय कर हस्तांतरण, अर्थात् केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा सहायता अनुदान हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार (कर अन्तरण और सहायता अनुदान) से हस्तांतरण राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 55.52 प्रतिशत था, जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 1.59 प्रतिशत (₹ 2,571 करोड़) अधिक था।

2.4.3.1 केन्द्रीय कर अन्तरण

केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार के अंश के घटक निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर और एकीकृत वस्तु और सेवा कर आदि हैं। चौदहवें वित्त आयोग (2015-20) ने राज्यों के साथ साझा करने के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय के विभाज्य पूल के 42 प्रतिशत कर हस्तांतरण की अनुशंसा की थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य को 17.959 प्रतिशत हिस्सा दिया गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय

करों (विभाज्य पूल) की शुद्ध आय का 41 प्रतिशत का कुल हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की थी, जिसमें से 17.931 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित थी। 2016–21 के पांच वर्ष की अवधि के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में उत्तर प्रदेश के हिस्से के तहत प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 2.5 में दी गई है।

तालिका 2.5: वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	-	1,718	33,757	33,434	31,611
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	-	12,212	2,694	0	0
निगम कर	35,099	37,043	47,563	40,171	32,258
निगम कर से भिन्न आय पर कर	24,394	31,280	35,028	31,477	33,080
सीमा शुल्क	15,098	12,208	9,695	7,468	5,606
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	17,241	12,761	6,442	5,192	3,577
सेवा कर	17,515	13,719	1,252	0	475
अन्य कर ¹⁷	81	(-)2*	335	76	80
केन्द्रीय कर अन्तरण	1,09,428	1,20,939	1,36,766	1,17,818	1,06,687
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	20.28	10.52	13.09	(-)13.85	(-)9.45
राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर के अन्तरण की प्रतिशतता	42.60	43.38	41.45	32.16	36.02

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

*वर्ष 2017–18 के दौरान 'अन्य कर' शीर्ष के अन्तर्गत ऋणात्मक ऑकड़ा रिफंड के कारण था।

तालिका 2.5 दर्शाती है कि वर्ष 2020–21 के दौरान, केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों में वर्ष 2019–20 की तुलना में ₹ 11,131 करोड़ (9.45 प्रतिशत) की कमी आई है। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 36.02 प्रतिशत था।

2.4.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार को भारत सरकार (जीओआई) से उप मुख्य शीर्षों जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और भारत सरकार से अन्य अन्तरण के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 2.6 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.6: वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आयोजनेतर अनुदान ¹⁸	9,335	-	-	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान ¹⁸	232	-	-	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान ¹⁸	56	-	-	-	-

¹⁷ इसमें सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित है।

¹⁸ 2017–18 और उसके आगे के वर्षों के दौरान इस शीर्ष में कोई आकड़े नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2017–18 से आयोजनागत एवं आयोजनेतर अनुदान के नामकरण को सीएसएस हेतु अनुदान, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्यों के अन्य अन्तरणों/अनुदानों से प्रतिस्थापित किया गया था।

लेखाशीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान ¹⁸	22,914	-	-	-	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (सीएसएस)	-	27,731	31,250	25,824	32,342
वित्त आयोग अनुदान	-	8,849	9,318	12,965	16,023
राज्य/विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य अन्तरण/अनुदान	-	4,068	2,421	5,255	9,381
योग	32,537	40,648	42,989	44,044	57,746
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	2.12	24.93	5.76	2.45	31.11
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सहायता अनुदान की प्रतिशतता	12.67	14.58	13.03	12.02	19.50

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.6 से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से अनुदान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 2016-21 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि 2016-17 में ₹ 32,537 करोड़ से 77.48 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 57,746 करोड़ हो गई। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 में, पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में 31.11 प्रतिशत (₹ 13,702 करोड़) की वृद्धि हुई थी। राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 32,342 करोड़ प्राप्त हुए जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 25.24 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त आयोग अनुदानों और अन्य अन्तरणों में क्रमशः ₹ 3,058 करोड़ (23.59 प्रतिशत) और ₹ 4,126 करोड़ (78.52 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.4.3.3 चौदहवां/पन्द्रहवाँ वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए राज्य को अनुदान की अनुशंसा की थी। वर्ष 2016-21 के दौरान स्वीकृत तथा प्राप्त धनराशि का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त आयोग की अनुशंसायें			भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान		
	चौदहवाँ वित्त आयोग	पन्द्रहवाँ वित्त आयोग	योग	2016-17 से 2019-20	2020-21	योग	2016-17 से 2019-20	2020-21	योग
	2016-17 से 2019-20	2020-21							
स्थानीय निकाय (आधारभूत एवं निष्पादन अनुदान):									
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	31,913.97	9,752.00	41,665.97	37,075.01	9,752.00	51,165.01	35,662.66	9,752.00	49,752.66
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	9,265.62	4,695.00	13,960.62		4,338.00			4,338.00	
स्थानीय निकायों के लिये योग	41,179.59	14,447.00	55,626.59	37,075.01	14,090.00	51,165.01	35,662.66	14,090.00	49,752.66
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	3,054.00	2,578.00	5,632 ¹⁹	2,290.51	1,933.00	4,223.51	2,290.51	966.50	3,257.01
कुल योग	44,233.59	17,025.00	61,258.59	39,365.52	16,023.00	55,388.52	37,953.17	15,056.50	53,009.67

स्रोत: XIVवें एवं XVवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

¹⁹ सकल अनुदान में राज्य अंशदान का 25 प्रतिशत सम्मिलित करते हुए।

वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान के तहत चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल ₹ 55,626.59 करोड़ के अनुदान की तुलना में, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 51,165.01 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें से राज्य सरकार ने वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹ 49,752.66 करोड़ अवमुक्त किए। इस प्रकार, राज्य सरकार ने वर्ष 2016–17 और 2017–18 में ₹ 1,412.35 करोड़ कम अवमुक्त किया। वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान में राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया।

अग्रेतर, वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार, केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25 अनुपात की साझेदारी पैटर्न के अन्तर्गत आपदा अनुक्रिया निधि के लिए ₹ 4,223.50 करोड़ सहायता अनुदान की पात्र थी। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार को एसडीआरएफ के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 4,223.51 करोड़ प्राप्त हुए, जिनमें से राज्य सरकार ने एसडीआरएफ को ₹ 3,257.01 करोड़ हस्तांतरित किए। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 में ₹ 966.50 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान अपने राज्य अंश का ₹ 1,072.34 करोड़ निधि में जमा किया।

2.5 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां यथा विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से उधार आदि) से ऋण प्राप्तियां और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन में प्रवृत्तियां तालिका 2.8 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.8: वर्ष 2016–21 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूंजीगत प्राप्तियाँ	67,944	47,653	56,908	79,450	87,994
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
(ii) ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर ऋण प्राप्तियाँ)	259	236	5,313	5,641	1,135
(iii) लोक ऋण प्राप्तियाँ, जिसमें से	67,685	47,417	51,595	73,809	86,859
आंतरिक ऋण	66,654	46,314	50,791	72,554	78,677
आंतरिक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)9.83	(-)30.52	9.67	42.85	8.44
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,031	1,103	804	1,255	8,182
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	73.57	6.98	(-)27.11	56.09	551.95*
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)9.16	(-)29.94	8.81	43.05	17.68
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)64.33	(-)8.88	2,151.27	6.17	(-)79.88
जीएसडीपी की वृद्धि दर	13.26	9.88	11.92	6.50	1.05
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)9.70	(-)29.86	19.42	39.61	10.75

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेख

* भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की वृद्धि में राज्य के पुनर्भुगतान के दायित्व से रहित जीएसटी न्यूनता क्षतिपूर्ति के बदले बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 6,007 करोड़ सम्मिलित है।

जैसा कि तालिका 2.8 से स्पष्ट है कि वर्ष 2020–21 में राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 8,544 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2019–20 की तुलना में 10.75 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, आंतरिक ऋण के अन्तर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 8.44 प्रतिशत (₹ 6,123 करोड़) की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान

आंतरिक ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्ति में उतार-चढ़ाव आया और वर्ष 2020-21 में यह उच्चतम ₹ 78,677 करोड़ और वर्ष 2017-18 में निम्नतम ₹ 46,314 करोड़ था। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों में भी उतार-चढ़ाव हुआ, वर्ष 2020-21 के दौरान यह उच्चतम ₹ 8,182 करोड़ था जोकि जीएसटी न्यूनता की क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 6,007 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण के कारण था जिसमें राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है क्योंकि इसे जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से चुकाया जाना है।

वर्ष 2017-20 की अवधि के ऋणों और अग्रिमों की वसूली में वृद्धि की प्रवृत्ति और 2020-21 में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखायी दी। वर्ष 2020-21 के दौरान, इसमें विगत वर्ष (₹ 5,641 करोड़) की तुलना में 79.88 प्रतिशत (₹ 1,135 करोड़) की कमी आई। यद्यपि, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऋण और अग्रिमों की उच्च वसूली मुख्य रूप से उदय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के ऋण के पीएसयू को सहायता अनुदान में रूपांतरण के कारण हुई थी।

2.6 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन केन्द्रीय करों में राज्यांश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को सम्मिलित किये बगैर स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व के संदर्भ में किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति मध्यावधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) 2020 और पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमान से 27.78 और 21.09 प्रतिशत कम थी, जैसा कि तालिका 2.9 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.9: वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमान के सापेक्ष कर एवं करेतर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी	वास्तविक	इनके सापेक्ष वास्तविक का प्रतिशत विचलन	
				वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी
स्वयं के कर राजस्व	1,51,941	1,66,021	1,19,897	(-)21.09	(-)27.78
करेतर राजस्व	19,851	31,179	11,846	(-)40.33	(-)62.01

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वर्ष 2020-21 के लिये राज्य सरकार का बजट दस्तावेज एवं वित्त लेख 2020-21

वर्ष 2020-21 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व पंद्रहवें वित्त आयोग और बजट अनुमान/एमटीएफआरपी 2020 में किए गए अनुमान की तुलना में काफी कम था। यह मुख्य रूप से एमटीएफआरपी 2020 के अनुमानों की तुलना में एसजीएसटी (₹ 20,421 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 7,439 करोड़), स्टॉप और पंजीकरण शुल्क (₹ 6,722 करोड़) और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 6,160 करोड़) के कम संग्रह के कारण था। बजट अनुमानों/एमटीएफआरपी 2020 के अनुमानों की तुलना में करेतर राजस्व में कम प्राप्तियां देखी गईं, जो मुख्य रूप से विविध सामान्य सेवाओं (₹ 12,013 करोड़), ऊर्जा (₹ 2,228 करोड़), ब्याज प्राप्तियों (₹ 984 करोड़), प्रमुख सिंचाई (₹ 592 करोड़) आदि के अन्तर्गत थी। एमटीएफआरपी 2021 में, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति के लिए कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से प्रभावित राजस्व को जिम्मेदार ठहराया है।

2.7 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के संरचना के अन्तर्गत व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के

विकास हेतु किये गये व्यय की लागत पर नहीं हों। उप प्रस्तरों सहित यह प्रस्तर राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

2.7.1 व्यय की वृद्धि और संघटन

राजस्व शीर्ष, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित व्यय राज्य सरकार के कुल व्यय को संस्थापित करता है। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, राज्य का कुल व्यय 2016-17 में ₹ 3,13,122 करोड़ से 12.39 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 3,51,933 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय (₹ 61,951 करोड़) में वृद्धि के कारण थी, जो कि पूंजीगत परिव्यय (₹ 17,552 करोड़) और ऋण और अग्रिमों के संवितरण (₹ 5,588 करोड़) के अन्तर्गत कम व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गया। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 82.31 प्रतिशत था और ऋण और अग्रिमों के संवितरण सहित पूंजीगत व्यय 17.69 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 84.83 प्रतिशत और ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय 15.17 प्रतिशत था। इस प्रकार, राजस्व व्यय का कुल व्यय में प्रमुख अंश था।

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं राजस्व, पूंजीगत और ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत इसकी संरचना को तालिका 2.10 में संक्षेपित किया गया है और चार्ट 2.6 में भी दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना


(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (टीई)	3,13,122	3,06,821	3,70,494	3,60,951	3,51,933
राजस्व व्यय (आरई)	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543
पूंजीगत व्यय (सीई) ²⁰	69,789	39,088	62,463	59,998	52,237
पूंजीगत व्यय (उदय को छोड़कर)	66,089	39,088	62,463	59,998	52,237
ऋण एवं अग्रिम	6,741	1,509	6,303	2,120	1,153
जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/जीएसडीपी	24.30	21.67	23.38	21.39	20.63
राजस्व व्यय/जीएसडीपी	18.36	18.80	19.04	17.71	17.50
पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	5.42	2.76	3.94	3.55	3.06
ऋण तथा अग्रिम/जीएसडीपी	0.52	0.11	0.40	0.13	0.07

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

²⁰ वर्ष 2016-17 के दौरान पूंजीगत व्यय में उदय योजना के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय ₹ 3,700 करोड़ सम्मिलित था। वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु/सीमान्त कृषकों के लिए कृषि ऋण माफी योजना हेतु ₹ 36,000 करोड़ का पर्याप्त बजट प्रावधान किया था। परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय कम हो गये थे।


चार्ट 2.6: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान घटकवार व्यय की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

संचित निधि के अन्तर्गत व्यय विशिष्ट कार्यों या सेवाओं के अनुरूप क्षेत्रों जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायता अनुदान और अंशदान', 'लोक ऋण', 'ऋण एवं अग्रिम' में वर्गीकृत किये जाते हैं। सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, ऋण एवं अग्रिम तथा सहायता अनुदान के अन्तर्गत श्रेणीवार व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 2.7 में प्रस्तुत किया गया है।


चार्ट 2.7: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान में क्षेत्रवार व्यय की प्रतिशतता



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत घटकवार व्यय को चार्ट 2.8 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.8: वर्ष 2020–21 के दौरान घटकवार व्यय




स्रोत: वर्ष 2020–21 के वित्त लेखे

चार्ट 2.8 दर्शाता है कि वर्ष 2020–21 के दौरान, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय कुल व्यय का उच्चतम 31.44 प्रतिशत था जिसमें राज्य के अंगों, राजकोषीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल व्यय का 28.97 प्रतिशत था जिसमें शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं पोषण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, शहरी विकास आदि पर व्यय शामिल है। आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 14.67 प्रतिशत था जिसमें कृषि एवं संबद्ध सेवाओं, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग एवं खनिज, परिवहन आदि पर व्यय सम्मिलित है। पूँजीगत व्यय (ऋण सर्विसिंग को छोड़कर) कुल व्यय का 13.79 प्रतिशत था।

वर्ष 2020–21 के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं का घटकवार राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.9: वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे

2.7.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूंजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, सब्सिडी, स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य को अन्तरण सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड तालिका 2.11 में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (टीई)	3,13,122	3,06,821	3,70,494	3,60,951	3,51,933
राजस्व व्यय (आरई)	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543
आरई की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.21	12.52	13.34	(-)0.96	(-)0.10
टीई के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	75.56	86.77	81.44	82.79	84.83
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	18.36	18.80	19.04	17.71	17.50
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	92.10	95.50	91.44	81.56	100.80
निम्न के सापेक्ष राजस्व व्यय का उछाल					
जीएसडीपी (अनुपात)	0.85	1.27	1.12	(-)0.15	(-)0.10
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.85	1.47	0.73	(-)0.09	0.01

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा और इसका अंश वर्ष 2016-17 में 75.56 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 84.83 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2020-21 में (-)0.10 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 13.34 प्रतिशत के उच्च स्तर के बीच व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव बना रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (₹ 1,384.09 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा


(₹ 862.62 करोड़), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण (₹ 1,353.83 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ऊर्जा (₹ 8,499.84 करोड़) और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 1,842.92 करोड़) के अन्तर्गत कम व्यय के कारण थी, इस कमी को मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ब्याज भुगतान (₹ 2,615.46 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शहरी विकास (₹ 6,116.56 करोड़) और आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सड़क और सेतुओं (₹ 4,343.85 करोड़) के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2016–21 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखायी। यह वर्ष 2018–19 में उच्चतम (19.04 प्रतिशत) और वर्ष 2020–21 में निम्नतम (17.50 प्रतिशत) था। जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय उछाल, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व व्यय में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.11 से स्पष्ट है कि राजस्व व्यय में उछाल वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में संकुचन के कारण नकारात्मक था।

2.7.3 प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है। प्रतिबद्ध व्यय से इतर अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंश की प्रवृत्ति को चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर प्रतिबद्ध व्यय का अंश



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12 : वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन	85,416	85,076	91,413	1,00,188	97,576
(i) वेतन	37,547	43,490	50,471	53,508	50,333
(ii) मजदूरी	824	921	1,062	1,357	2,363
(iii) सहायक अनुदान (वेतन)	47,045	40,665	39,880	45,323	44,880
पेंशन	28,227	38,476	44,024	49,603	48,219
ब्याज भुगतान	26,936	29,136	32,042	34,813	37,428
योग	1,40,579	1,52,688	1,67,479	1,84,604	1,83,223
राजस्व प्राप्ति (आरआर) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन	33.25	30.52	27.70	27.34	32.95
पेंशन	10.99	13.80	13.34	13.54	16.28
ब्याज भुगतान	10.49	10.45	9.71	9.50	12.64
योग	54.73	54.77	50.75	50.38	61.87
राजस्व व्यय (आरई) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन	36.10	31.96	30.30	33.53	32.68
पेंशन	11.93	14.45	14.59	16.60	16.15
ब्याज भुगतान	11.39	10.94	10.62	11.65	12.54
योग	59.42	57.35	55.51	61.78	61.37

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय, व्यय की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी निवेश को पूरा करने में राज्य को प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात यह इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है। तालिका 2.12 प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2016-20 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, लेकिन वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में इसमें 0.75 प्रतिशत (₹ 1,381 करोड़) की कमी आयी। प्रतिबद्ध व्यय के घटक-वार विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.7.4.1 वेतन पर व्यय

राज्य सरकार में 31 मार्च 2020 को 12,76,375 स्वीकृत पद थे। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ₹ 50,333 करोड़ था। यह राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,96,176 करोड़) का 16.99 प्रतिशत और राजस्व व्यय (₹ 2,98,543 करोड़) का 16.86 प्रतिशत था। तथापि, मानक मद 'सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन)', 'संशोधित वेतन का बकाया (राज्य सहायता)²¹' और 'मजदूरी' क्रमशः ₹ 44,844 करोड़, ₹ 36 करोड़ और ₹ 2,363 करोड़ के व्यय को शामिल करते

²¹ प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, इत्यादि के कर्मचारियों से सम्बन्धित।

हुए वेतन मद पर कुल व्यय ₹ 97,576 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 32.95 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 32.68 प्रतिशत दर्शाता है।

पिछले वर्ष 2019–20 की तुलना में वेतन पर कुल व्यय में 2.61 प्रतिशत (₹ 2,612 करोड़) की कमी आयी, जो कि मुख्य रूप से बकाया वेतन के कम संवितरण (₹ 5,647 करोड़) के कारण थी, जिसको वेतन, महंगाई भत्ता, गैर वृत्तिशील भत्ता आदि के अधिक संवितरण द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

2.7.4.2 ब्याज भुगतान

राज्य सरकार द्वारा आंतरिक ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि, केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिमों आदि पर ब्याज भुगतान का लेखा-जोखा मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, ब्याज के भुगतान पर व्यय 8.57 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 26,936 करोड़ से बढ़कर ₹ 37,428 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–20 की तुलना में, वर्ष 2020–21 में ब्याज भुगतान में 7.51 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 3,625 करोड़) पर ब्याज भुगतान में वृद्धि के कारण हुई।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत, लेखाशीर्ष 2071-01-117-09-विलम्ब से जमा ग्राहक अंशदान पर ब्याज का भुगतान के अंतर्गत ₹ 11.35 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। इसके अलावा, लेखाशीर्षक 2071-01-117-08 दिनांक 31.03.2019 तक देय अवशेष नियोक्ता योगदान/देर से जमा नियोक्ता योगदान पर ब्याज के अंतर्गत ₹ 150.81 करोड़ का व्यय किया गया था। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची (एलएमएमएच) के अनुसार, डीसीपीएस पर ब्याज 2049-03-117 शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना आवश्यक है। मुख्य शीर्ष 2071 के तहत डीसीपीएस पर बजट और ब्याज का भुगतान एलएमएमएच का उल्लंघन था, इसके अलावा इसने मुख्य शीर्ष 2049 के तहत ब्याज व्यय को कम करके बताया।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिये गये गैर बजट ऋणों के भुगतान पर ब्याज भुगतान के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 536.27 करोड़ की वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान) प्रदान की थी, जैसा कि प्रस्तर 4.2 में चर्चा की गई है।

2.7.4.3 पेंशन भुगतान

राज्य में दिनांक 31 मार्च 2021 को 11.32 लाख पेंशनभोगी थे। 2016–21 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान पर वार्षिक व्यय ₹ 28,227 करोड़ से ₹ 49,603 करोड़ के मध्य विस्तारित था। वर्ष 2020–21 में, पेंशन पर व्यय धनराशि ₹ 48,219 करोड़ थी, जो कि विगत वर्ष (₹ 49,603 करोड़) के सापेक्ष 2.79 प्रतिशत कम थी। यह कमी मुख्य रूप से शीर्ष 'राज्य सहायतित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के पेंशन' (₹ 1,021.06 करोड़), 'अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते' (₹ 533.55 करोड़), 'पेंशन का संराशीकरण मूल्य' (₹ 323.65 करोड़), 'पारिवारिक पेंशन' (₹ 242.67 करोड़), 'ग्रेच्युटी' (₹ 222.97 करोड़) व्यय में थीं यद्यपि 'परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' में सरकार के योगदान (₹ 1,653.32 करोड़) के अन्तर्गत विगत वर्ष 2019–20 की तुलना में अधिक भुगतान हुआ था। वर्ष 2020–21 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 16.28 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 16.15 प्रतिशत था।

2.7.4.4 सब्सिडी

राज्य सरकार कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभागों, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करती है, जिसका विवरण वित्त लेख के परिशिष्ट II में दिया गया है। 2016-21 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: वर्ष 2016-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8,045	9,284	14,053	14,092	11,677
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.13	3.33	4.26	3.85	3.94
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.40	3.49	4.66	4.72	3.91

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखें

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 8,045 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 11,677 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 11,677 करोड़ की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 3.94 प्रतिशत और 3.91 प्रतिशत थी। इसमें केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 2,032.05 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। विगत वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान सब्सिडी में कुल कमी (₹ 2415.41 करोड़) मुख्य रूप से 'उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को विद्युत कर पर भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष राजस्व प्रतिपूरक अनुदान (₹ 1,880 करोड़)', 'उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को सहायक अनुदान (₹ 1,010 करोड़)', 'आधारभूत संरचना के क्रियान्वयन एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 (₹ 323.45 करोड़)' के कारण था जिसको 'राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (₹ 197.01 करोड़)', 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (₹ 142.35 करोड़)', प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समिति के माध्यम से कम ब्याज दर पर कृषि ऋण प्रदान करने के लिये अनुदान (₹ 133.97 करोड़) के अन्तर्गत बढ़ी हुई सब्सिडी से प्रतिसंतुलित किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान सब्सिडी के मुख्य अंश वाले विभाग तालिका 2.14 में दिये गये।

तालिका 2.14: 2020-21 के दौरान सब्सिडी का मुख्य अंश वाले विभाग

अनुदान संख्या	प्राप्तकर्ता विभाग का नाम	सब्सिडी की धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
09	उर्जा	6,057.35	51.87	यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को क्षतिपूरक अनुदान (₹ 4,817.35 करोड़), यूपीपीसीएल को विद्युत कर के लिए भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष राजस्व क्षतिपूरक अनुदान (₹ 1,240 करोड़)
83	समाज कल्याण	966.71	8.28	अनुसूचित जाति (₹ 717.13 करोड़) और अनुसूचित जनजाति (₹ 249.58 करोड़) के लिए विशेष घटक योजना
11	कृषि	2,365.97	20.26	कृषि उत्पादन में सुधार (₹ 1,200 करोड़) और राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (₹ 610 करोड़) के लिये किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुदान।

स्रोत : वित्त लेखे 2020-21

2.7.4.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। 2016–21 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा तालिका 2.15 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.15: वर्ष 2016–21 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(क) पंचायती राज संस्थाएँ (ज़िला परिषद एवं ग्राम पंचायतें)	7,572.31	10,096.44	16,209.80	12,517.71	10,412.00
(ख) शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ)	1,002.05	1,208.46	3,081.35	9,059.97	15,115.15
योग (क+ख)	8,574.36	11,304.90	19,291.15	21,577.68	25,527.15
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकारी कंपनियाँ और सांविधिक निगम)	8,440.26	133.41	7,053.03	8,940.17	7,018.39
(घ) स्वायत्त निकाय (विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएँ एवं अन्य)	2,295.33	5,405.83	6,436.96	37,393.78	35,251.87
(च) गैर-सरकारी संगठन	30,260.69	26,038.26	181.61	7,140.75	7,040.51
(छ) विविध	32,806.92	49,338.56	58,801.38	18,282.08	24,050.46
योग (ग+घ+च+छ)	73,803.20	80,916.06	72,472.98	71,756.78	73,361.23
महायोग (क+ख+ग+घ+च+छ)	82,377.56	92,220.96	91,764.13	93,334.46	98,888.38
राजस्व व्यय	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543
<i>राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता</i>	<i>34.82</i>	<i>34.64</i>	<i>30.41</i>	<i>31.23</i>	<i>33.12</i>

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 98,888.38 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जो वर्ष 2019–20 की तुलना में 5.95 प्रतिशत (₹ 5,553.92 करोड़) अधिक थी। वर्ष 2016–17 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान इसमें ₹ 16,510.82 करोड़ (20.04 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2016–17 में 34.82 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 33.12 प्रतिशत हो गयी।

पंचायती राज संस्थाओं को सहायता वर्ष 2016–17 में ₹ 7,572.31 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹ 10,412.00 करोड़ हो गयी। यद्यपि, वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान इसमें 16.82 प्रतिशत (₹ 2,105.71 करोड़) की कमी आयी। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान मुख्य रूप से ग्रामीण स्थानीय निकायों (₹ 9,752 करोड़) के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग से अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता (₹ 660 करोड़) का हस्तांतरण था। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत कम अनुदान के कारण वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में ₹ 2,072.44 करोड़ कम हो गया।

शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2016-17 में ₹ 1,002.05 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 15,115.15 करोड़ हो गई। वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें ₹ 6,055.18 करोड़ (66.83 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (सामान्य एवं अनुसूचित जाति उप योजना) के अन्तर्गत ₹ 6,075.12 करोड़ एवं स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ₹ 1380.63 करोड़ सहायता अनुदान होने के कारण थी। शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹ 10,840.64 करोड़ सम्मिलित थे।

2.7.5 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों, आदि जैसे अचल अवसंरचना सम्पत्तियों के सृजन पर होने वाला व्यय है। राज्य सरकार के लिए अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने, उधार ली गई निधि की लागत वसूल करने और वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उपाय हेतु पहल की आवश्यकता है। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय और कुल व्यय से इसके प्रतिशत को चार्ट 2.11 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.11: 2016-21 की अवधि के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11 से स्पष्ट है कि 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 12.74 प्रतिशत और 22.29 प्रतिशत के बीच विस्तारित रहा। कुछ मुख्य शीर्ष, जहां वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय बहुत अधिक था, तालिका 2.16 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.16: वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय

क्र० सं०	प्रमुख शीर्ष और उसका नामकरण	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	गंगा एक्सप्रेसवे (₹ 1,635 करोड़), राज्य सड़क निधि में अंतरण (₹ 1,500 करोड़), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (₹ 1,319 करोड़), ग्रामीण सड़को का निर्माण (₹ 1,244 करोड़) एवं रेलवे उपरिगामी सेतु (₹ 880 करोड़)	18,021
2	4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	उत्तर प्रदेश विद्युत पारेषण निगम को विद्युत पारेषण हेतु (₹ 1,423 करोड़), एवं वितरण गतिविधियों हेतु (₹ 4,932 करोड़) अंशपूँजी, एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश (₹ 1,345 करोड़)	10,570

क्र० सं०	प्रमुख शीर्ष और उसका नामकरण	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
3	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (₹ 4,958 करोड़)	5,164
4	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	ग्रामीण आवास-विशेष घटक योजना अनुसूचित जाति (₹ 2,247 करोड़) एवं पीएम आवास योजना-ग्रामीण (₹ 1,597 करोड़)	4,360
5	4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	सरयू नहर परियोजना (₹ 1,114 करोड़) एवं मध्य गंगा नहर परियोजना (₹ 767 करोड़)	3,142
6	4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (₹ 1,956 करोड़)	2,473
7	4210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (₹ 1,399 करोड़)	1,813

स्रोत: वित्त लेख 2020-21

वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 59,998 करोड़ के पूंजीगत व्यय के सापेक्ष ₹ 52,237 करोड़ था। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 7,761 करोड़ (12.94 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 972.20 करोड़ (38.96 प्रतिशत) एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 8,660.32 करोड़ (18.43 प्रतिशत) के कारण थी जो सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 1,871.59 करोड़ (17.80 प्रतिशत) पूंजीगत व्यय की वृद्धि से प्रतिसंतुलित थी।

2.7.5.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तनों का विवरण तालिका 2.17 में दिया गया है।

तालिका 2.17 : विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन
(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ कमी (-)
5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	21,376.18	18,020.63	(-)15.70
5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	1,328.79	528.26	(-)60.25
4408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय	3,890.04	(-)2,539.95	(-)165.29
4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8,248.83	10,570.01	28.14
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2,111.56	4,359.78	106.47
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,706.35	5,163.71	39.32

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेख

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि/कमी का प्रमुख कारण नीचे दिया गया है:

मुख्य शीर्ष 5054 (सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय): वर्ष 2020-21 के दौरान सड़क कार्यों के व्यय में कमी आयी, जैसे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना (₹ 100 करोड़ से), राज्य राजमार्ग (₹ 594.92 करोड़ से), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (₹ 1,480.02 करोड़ से) एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (₹ 1,235 करोड़ से)। यद्यपि, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना-प्रयागराज से मेरठ (₹ 1,628.33 करोड़ से) एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक कॉरीडोर के विकास पर (₹ 200 करोड़ से) व्यय में वृद्धि हुई थी।

मुख्य शीर्ष 5053 (नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय): व्यय में कमी मुख्यतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,200.02 करोड़ को वापस किये जाने के कारण थी। जबकि,

गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा (₹ 273.35 करोड़) एवं अयोध्या में हवाई अड्डा (₹ 149.94 करोड़) की स्थापना पर अधिक व्यय किया गया था।

मुख्य शीर्ष 4408 (खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से शीर्ष 4408-01-101-03-खाद्यान्न आपूर्ति परियोजना में ₹ 5,486.43 करोड़ के व्यय के विरुद्ध ₹ 8,106.21 करोड़ की वसूली के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 3,889.48 करोड़ के निवल व्यय के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के दौरान (-) ₹ 2,619.78 करोड़ का निवल व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 4801 (ऊर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश (₹ 3,816.29 करोड़ से), जैसे एकीकृत ऊर्जा विकास योजना के अन्तर्गत कार्य हेतु अंश पूंजी (₹ 143.68 करोड़ से), यूपीपीसीएल को विभिन्न कार्यों के लिये अंश पूंजी अर्थात् वितरण नेटवर्क का पारेषण सुदृढीकरण आदि (₹ 3,672.61 करोड़ से)। तथापि, विगत वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में कम निवेश (₹ 1,550.05 करोड़) हुआ।

मुख्य शीर्ष 4216 (आवास पर पूंजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण आवास सेक्टर पर व्यय (₹ 2,380.43 करोड़ से) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (₹ 51.14 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी। तथापि, सीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत ₹ 120.57 करोड़ कम व्यय किया गया था।

मुख्य शीर्ष 4515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय में ₹ 2,697.55 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

2.7.5.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खण्ड राज्य सरकार द्वारा किए गये पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं या जहां निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूंजीगत व्यय, किया गया निवेश और दिया गया ऋण धारणीय नहीं है और पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। पीएसयू में निवेश की गई अंश पूंजी पर प्रतिफल पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे यथा निवेश पर प्रतिफल, निवल मूल्य का क्षरण, लाभांश भुगतान, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल आदि पर प्रतिवेदन के अध्याय V में विभिन्न प्रस्तारों के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा की गई है।

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधियों का अवरोधन

वित्त लेखे का परिशिष्ट नौ अपूर्ण कार्यों की समग्र स्थिति को दर्शाता है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में अपूर्ण कार्यों की सूची सम्मिलित है, यद्यपि सूची में राज्य सरकार के अन्य विभागों के सभी अपूर्ण कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लम्बे समय के लिये अभिप्रेत लाभों से वंचित रखता है। अग्रेतर, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान के रूप में अतिरिक्त दायित्व की ओर ले जाती है। परिशिष्ट IX के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक विभागवार अपूर्ण कार्यों और उसमें अवरुद्ध पूंजी की स्थिति तालिका 2.18 में दी गई है।

तालिका 2.18 : 31 मार्च 2021 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय
लोक निर्माण	572	5,789.98
सिंचाई	15	3,415.27
योग	587	9,205.25

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

तालिका 2.18 से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार के दो प्रमुख विभागों (लोक निर्माण और सिंचाई विभाग) में, 587 परियोजनाएं (लोक निर्माण में 572 परियोजनाएं और सिंचाई विभाग में 15 परियोजनाएं) अपूर्ण थीं। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 तक इन 587 परियोजनाओं पर व्यय धनराशि ₹ 9,205.25 करोड़ का राज्य के लोगों को सुविधाओं और राज्य के आर्थिक विकास में सहायता के रूप में भी कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ।

2.7.5.3 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का क्रियान्वयन

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) जो गंभीर वित्तीय दबाव से जूझ रही थी, के वित्तीय सुधार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारम्भ किया (नवम्बर 2015)।

राज्य डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार), उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम के लिए और उनकी ओर से यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य निष्पादित किया गया था। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा 30 सितंबर 2015 को डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत (वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 में 25 प्रतिशत) दो वर्ष की अवधि में अधिग्रहण करने का प्रावधान करती है। तदनुसार, डिस्कॉम्स का ₹ 44,403 करोड़²² का बकाया ऋण का राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में अधिग्रहण किया गया। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण वितरण कंपनियों को अनुदान, ऋण और इक्विटी के मिश्रण के रूप में स्थानांतरित कर दिये गये, जैसा कि तालिका 2.19 में वर्णित हैं।

तालिका 2.19: 31 मार्च 2021 को उदय के अन्तर्गत इक्विटी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	योग
2015-16	11,353 ²³	6,083	12,166	29,602
2016-17	3,700	3,700	7,401	14,801
योग	15,053	9,783	19,567	44,403

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अग्रेतर, एमओयू के अनुसार राज्य सरकार डिस्कॉम की भविष्य की हानियों, यदि कोई हों, को एक चरणबद्ध ढंग से निम्नानुसार अधिग्रहण करेगी:

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली हानियाँ	वर्ष 2016-17 की हानि का 5%	वर्ष 2017-18 की हानि का 10%	वर्ष 2018-19 की हानि का 25%	विगत वर्ष की हानि का 50%

²² डिस्कॉम का 30 सितम्बर 2015 को प्रभावी बकाया ऋण ₹ 59,205 करोड़ था, जिसमें 30 सितम्बर 2015 को बकाया ऋण ₹ 53,935 करोड़ तथा वित्तीय पुनर्गठन योजना 2012 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 (30 सितम्बर 2015 के पूर्व) के दौरान निर्गत ₹ 5,270 करोड़ के बांड सम्मिलित थे।

²³ 2015-16 (30 सितम्बर 2015 के पूर्व) के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पुनर्गठन योजना 2012 के अन्तर्गत निर्गत ₹ 5,270 करोड़।

एमओयू के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों में ₹ 2,200 करोड़ की हानियों का अधिग्रहण किया।

2.7.5.4 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सरकार या सांविधिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य अवसंरचना के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु उनके साथ मिलकर कार्य करने में सक्षम बनाने वाले ढांचे को प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था है।

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड (पिकप), एक शासकीय वित्तीय संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (अक्टूबर 2021) के अनुसार पीपीपी मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं का क्षेत्र/विभागवार विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है और **तालिका 2.20** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.20 : 2020-21 तक के पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार/विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र/विभाग	पूर्ण/चालू	
		संख्या	अनुमानित लागत
1.	ऊर्जा	18	68,910.03
2.	नागरिक उड्डयन	1	29,561.00
3.	औद्योगिक विकास	1	13,782.00
4.	परिवहन	2	3,869.00
5.	चिकित्सा और स्वास्थ्य	10	2,541.28
6.	लोक निर्माण	3	2,319.84
7.	सूचना प्रौद्योगिकी	1	1,500.00
8.	नगरीय विकास	22	367.55
9.	आवास और नगरीय नियोजन	1	360.00
10.	पर्यटन	2	123.36
	योग	61	1,23,334.06

स्रोत: पिकप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

2.7.6 व्यय प्राथमिकताएं

निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी बतायी जाती है, यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। राज्य की व्यय प्राथमिकता को **तालिका 2.21** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.21: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

विवरण	स्वास्थ्य/एई	शिक्षा/एई	सीई/एई
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत ²⁴ (2016-17)	5.49	14.93	19.77
उत्तर प्रदेश	5.15	17.39	22.78
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत (2020-21)	6.74	15.00	13.03
उत्तर प्रदेश	6.14	15.53	14.89

(एई-कुल व्यय, सीई-पूंजीगत व्यय)


²⁴ उत्तर पूर्व (एनई) तथा हिमालयन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य

तालिका 2.21 से यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2020–21 में राज्य के पूंजीगत व्यय के साथ-साथ शिक्षा पर कुल व्यय का प्रतिशत कम हुआ, लेकिन वर्ष 2020–21 के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। अग्रेतर, वर्ष 2020–21 में वर्ष 2016–17 की तुलना में स्वास्थ्य पर व्यय के कुल व्यय के प्रतिशत में सुधार हुआ। तथापि, वर्ष 2020–21 के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से कम था।

2.7.7 मानक मदवार व्यय

मानक मद विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं, जो व्यय की आर्थिक प्रकृति जैसे वेतन और मजदूरी, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, व्यावसायिक सेवाएं, सहायक अनुदान, आदि को दर्शाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान मानक मदवार व्यय को चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12 : वर्ष 2020–21 के दौरान मानक मदवार व्यय (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

चार्ट 2.12 से स्पष्ट है कि राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत मानक मद वेतन, वेतन एवं पेंशन तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के लिये सहायता अनुदान के अन्तर्गत व्यय कुल व्यय (₹ 3,78,711 करोड़) का 35.04 प्रतिशत है। इसके अलावा, सहायता अनुदान (गैर-वेतन), ब्याज/लाभांश एवं सब्सिडी समेकित निधि व्यय के क्रमशः 11.30 प्रतिशत, 10.06 प्रतिशत और 3.08 प्रतिशत है। निवेश एवं ऋण और वृहद निर्माण कार्यों जो कि पूंजीगत प्रकृति के थे, पर व्यय कुल व्यय के क्रमशः 10.51 प्रतिशत और 8.52 प्रतिशत हैं।

2.8 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ संव्यवहारों यथा लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात अवशेष विभिन्न प्रयोजनों एवं उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

2.8.1 निवल लोक लेखा संव्यवहार

लोक लेखा के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण-21 में दर्शाई गई है तथा 2016-21 की अवधि के दौरान लोक लेखा (निवल) के संव्यवहारों का विवरण तालिका 2.22 में दिया गया है।

तालिका 2.22 : 2016-21 के दौरान घटक वार लोक लेखा (निवल) संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	1,619	2,530	3,646	3,314	1,062
आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	0	0	0	1757	(-)252
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	7,225	8,265	13,545	(-)70,056	(-)247
जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	187	220	184	883	607
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-)405	1,189	2,000	(-)2,990	1,308
	(स) अग्रिम	(-)83	4	12	17	(-)0.15
उचन्त एवं विविध	(अ) उचन्त	152	(-)1,436	(-)236	(-)1,743	1,859
	(ब) अन्य लेखे	440	(-)778	459	(-)85	(-)162
	(स) बाह्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	0	0	0	0	0
	(द) विविध	0	0	0	0	0
प्रेषण	(अ) मनी आर्डर तथा अन्य प्रेषण	750	(-)3,910	329	308	(-)323
	(ब) अन्तर शासकीय समायोजन लेखे	(-)2	4	(-)16	5	(-)2
योग		9,883	6,088	19,923	(-)68,590	4,850

टिप्पणी: धनात्मक इंगित करता है कि प्राप्तियाँ संवितरण से अधिक हैं और ऋणात्मक उसका विपरीत इंगित करता है।

2.8.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों को राज्य की संचित निधि के साथ-साथ भारत सरकार से अंशदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। आरक्षित निधियों एवं निर्धारित निधियों से निवेश के बारे में विस्तार से सूचना वित्त लेखे के विवरणी 21 और 22 में उपलब्ध है, जो परिशिष्ट 2.4 में संक्षेपित किया गया है।

31 मार्च 2021 को, कुल संचयी अवशेष ₹ 5,027.19 करोड़ के साथ 17 आरक्षित निधियाँ थी। इनमें से एक ब्याज सहित आरक्षित निधि²⁵ यथा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अन्तर्गत ₹ 1,505.26 करोड़ एवं 16 ब्याज रहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 3,521.93 करोड़ था, जिसमें ₹ 9.92 करोड़ की अवशेष धनराशि के साथ दो निष्क्रिय निधियाँ सम्मिलित थी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने आरक्षित निधि अवशेष से ₹ 1,045.20 करोड़

²⁵ एक निधि जहाँ राज्य सरकार को निधि में जमा धनराशि पर सरकार द्वारा तय की गयी दर से ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया था। कुछ प्रमुख आरक्षित निधियों के विवरण की चर्चा नीचे की गयी है:

2.8.2.1 समेकित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग (2005–10) ने अनुशंसा किया (नवम्बर 2004) कि सभी राज्यों द्वारा बैंकों से ऋण, एनएसएसएफ के कारण देनदारियां आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिये निक्षेप निधि की स्थापना की जानी चाहिये। इस निधि का रखरखाव राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखे से अलग किया जाना चाहिये और इसका उपयोग ऋणों के विमोचन के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जाना चाहिये। राज्य सरकारों की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बाजार ऋणों/दायित्वों के परिशोधन को सुगम बनाने के लिये समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ) का रख रखाव करता है।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने मार्च 2020 में 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' का गठन किया, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू होना था। सरकार की लम्बित देनदारियों के विमोचन के लिये परिशोधन निधि के रूप में निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रारंभ किया जाना था। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, सरकार विगत वर्ष के अंत में लम्बित देनदारियों, अर्थात् आंतरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों का कम से कम 0.50 प्रतिशत योगदान करेगी। निधि के कोष में आवधिक अंशदान के साथ-साथ निधि में उपार्जित आय को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जायेगा। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन निधि का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जायेगा। निधि में प्राप्ति का निवेश भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, कोषागार बिल, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और अन्य राज्यों के राज्य विकास ऋणों में किया जायेगा, जैसा कि बैंक समय-समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित करें।

आरबीआई के साथ 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' के संचालन से पूर्व, राज्य सरकार राज्य के लोक लेखे में एक अन्य निक्षेप निधि का रख-रखाव कर रही थी। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, मार्च 2020 के अंत में विद्यमान निक्षेप निधि के अन्तर्गत अवशेष धनराशि को समेकित निक्षेप निधि में स्थानांतरित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने लोक लेखा के अन्तर्गत विद्यमान निक्षेप निधि की कुल अवशेष धनराशि ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य की संचित निधि में अंतरित कर दिया (30 मार्च 2020)। परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2021 को 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' का प्रारंभिक अवशेष शून्य था।

वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य सरकार ने केवल ₹ 1,000.00 करोड़ (शीर्ष 2048–00–101–ऋण की कमी या परिहार के लिये विनियोग) का विनियोग किया और समान धनराशि को शीर्ष 8222–01–101–निक्षेप निधि में स्थानांतरित कर दिया। आरबीआई ने इस धनराशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया और उस पर ₹ 32.93 करोड़ की उपार्जित आय अर्जित किया।

समेकित निक्षेप निधि के दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत, सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि में कम से कम ₹ 2,454.42 करोड़ (वर्ष 2019–20 के अंत में ₹ 4,90,883.27 करोड़ की आंतरिक ऋण और लोक लेखे की देनदारियों का 0.50 प्रतिशत) का अंशदान करना अपेक्षित था। इस प्रकार, ₹ 1,454.42 करोड़ (₹ 2,454.42 करोड़ – ₹ 1,000.00 करोड़) का कम अंशदान किया गया था, जो वर्ष 2020–21 के दौरान निक्षेप निधि निवेश का भाग नहीं बन सका।

2.8.2.2 मूल्यहास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने अनुपयोगी संयन्त्र एवं मशीनरी के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय, संयन्त्र एवं मशीनरी की विशेष मरम्मत तथा नवीनतम तकनीक से युक्त संयन्त्र एवं मशीनरी क्रय हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मूल्यहास आरक्षित निधि (डीआरएफ) का सृजन किया (मार्च 2005)। डीआरएफ का रख-रखाव लोक लेखे में लेखा शीर्ष 8226-102 के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, निधि में (-)₹ 7.99 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था और इसमें से ₹ 9.21 करोड़ का संवितरण किया गया, परिणामस्वरूप, डीआरएफ का अंतिम अवशेष (-)₹ 17.20 करोड़ था।

सरकार ने निर्धारित किया कि डीआरएफ के लिये 1.50 प्रतिशत धनराशि कार्य के सापेक्ष डेबिट की जायेगी और प्राप्ति शीर्ष 1054-800-04 में जमा की जायेगी। यह धनराशि अभीष्ट उद्देश्यों के लिये लोक लेखे के अन्तर्गत डीआरएफ में अंतरित की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने डीआरएफ के सम्बन्ध में लेखाशीर्ष 1054-800-04 के अन्तर्गत गैर-कर राजस्व के रूप में ₹ 216.31 करोड़²⁶ हस्तान्तरित किया। तथापि, डीआरएफ (शीर्ष 8226-102) को कोई धनराशि हस्तान्तरित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, सरकार ने कार्य की लागत में वृद्धि करके अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने बताया (अक्टूबर 2021) कि डीआरएफ के लिये प्राप्त धनराशि का हस्तांतरण/समायोजन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन था।

2.8.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के अन्तर्गत गठित एक कोष है। एसडीआरएफ ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत कोष को प्रतिस्थापित किया। अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (सितम्बर 2010 एवं जुलाई 2015) के अनुसार, एसडीआरएफ का उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं यथा चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीटों के हमले एवं शीत लहर/ठंड के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये व्यय को पूरा करने के लिये किया जायेगा। एसडीआरएफ के दिशानिर्देश आगे निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं:

- सम्बन्धित राज्य सरकारों के लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के नीचे 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' के अन्तर्गत लोक लेखे में निधि का गठन किया जायेगा।
- प्रत्येक राज्य के लिए एसडीआरएफ में वार्षिक योगदान की धनराशि वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित होगी। एसडीआरएफ के निर्धारित कुल आकार में से, भारत सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में कुल वार्षिक आवंटन का 75 प्रतिशत का योगदान करेगी और शेष 25 प्रतिशत का योगदान सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- राज्य सरकार एसडीआरएफ को आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में प्राप्ति का केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किये

²⁶ वर्ष 2016-17 में ₹ 2.98 करोड़, वर्ष 2017-18 में ₹ 6.32 करोड़, वर्ष 2018-19 में ₹ 72.03 करोड़, वर्ष 2019-20 में ₹ 55.07 करोड़ और वर्ष 2020-21 में ₹ 79.91 करोड़

गये कोषागार बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जित जमा में निवेश किया जाना है।

तथापि, राज्य सरकार, एसडीआरएफ का परिचालन मुख्य शीर्ष 8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—111—राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के नीचे 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' श्रेणी के अन्तर्गत करती है। निधि में अवशेष धनराशि भी भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निवेश नहीं की गयी है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 आपदा अनुक्रिया निधि के अतिरिक्त शमन निधियों के गठन का भी प्रावधान करता है। इस संदर्भ में, पंद्रहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) स्थापित करने की अनुशंसा की थी। इन शमन निधियों का उपयोग उन स्थानीय स्तर पर और समुदाय—आधारित हस्तक्षेपों के लिये किया जायेगा जो जोखिमों को कम करते हैं और पर्यावरण—अनूकूल समाधान एवं आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। आपदा अनुक्रिया के साथ आपदा के शमन के लिये निधियों को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) कहा गया है। वर्ष 2020—21 के लिये एसडीआरएमएफ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिये ₹ 2,578 करोड़ आवंटित किये गये थे, जिसमें से, एसडीआरएमएफ का अंश 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ का अंश 20 प्रतिशत था। एसडीआरएमएफ एवं एसडीएमएफ की फंडिंग विंडो अंतर—परिवर्तनीय नहीं है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने एसडीआरएमएफ के लिये भारत सरकार से ₹ 1,933.00 करोड़ प्राप्त किया। तथापि, सम्पूर्ण प्राप्ति को शीर्ष 1601—07—104—एसडीआरएमएफ के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया था। वर्ष 2020—21 के दौरान राज्य की संचित निधि (शीर्ष 1601—07 एवं 2245—08) तथा लोक लेखा (शीर्ष 8121—130) में एसडीएमएफ²⁷ के लेखांकन शीर्षों का परिचालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में अग्रतर पाया गया कि राज्य सरकार ने शीर्ष 8235—111 के अन्तर्गत एसडीआरएमएफ को ₹ 1,289.00 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 966.50 करोड़ और राज्य अंश ₹ 322.50 करोड़) हस्तान्तरित किया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने वर्ष 2020—21 के दौरान प्राप्त केन्द्रीय अंश के ₹ 966.50 करोड़ (अर्थात् ₹ 1,933.00 करोड़ – ₹ 966.50 करोड़) हस्तान्तरित नहीं किया। परिणामस्वरूप, निधि में 75:25 के अनुपात में ₹ 321.83 करोड़ की धनराशि के राज्य अंश के कम हस्तांतरण सहित ₹ 1,288.33 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।

2020—21 के प्रारम्भ में, एसडीआरएमएफ के पास ₹ 1,527.00 करोड़ की अवशेष धनराशि थी और वर्ष 2020—21 के दौरान एनडीआरएमएफ/विविध प्राप्तियों सहित ₹ 1,305.62 करोड़ प्राप्त हुए। प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये ₹ 1,601.61 करोड़ के व्यय को निधि के अवशेष के सापेक्ष समायोजित (मुख्य शीर्ष 2245—05—901) किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 के अंत में अवशेष धनराशि ₹ 1,231.01 करोड़ थी। तथापि, राज्य सरकार ने एसडीआरएमएफ के अन्तर्गत उपलब्ध अवशेष पर ₹ 91.91 करोड़ (वर्ष 2020—21 में लागू ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की औसत दर पर छः मासिक आधार पर आकलित) का ब्याज जमा नहीं किया।

एसडीआरएमएफ को कम हस्तांतरण (₹ 1,288.33 करोड़) और एसडीआरएमएफ को ब्याज (₹ 91.91 करोड़) जमा नहीं करने के कारण वर्ष 2020—21 के दौरान राज्य के राजस्व के साथ—साथ राजकोषीय घाटा ₹ 1,380.24 करोड़ कम बताया गया।

²⁷ महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा सुधार पर्ची संख्या 958, 959 और 962 दिनांक 01.06.2021 द्वारा संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में एसडीएमएफ के लिये नये लेखा शीर्ष खोले गये थे।

2.8.2.4 प्रत्याभूति विमोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा (नवम्बर 2004) की थी कि राज्यों को प्रत्याभूति पर राज्य के दायित्वों के आकस्मिक उन्मोचन के लिये निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया जाना चाहिये। आगे राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के माध्यम से प्रत्याभूति की अधिकतम सीमा के लिये अनुशंसा की गयी थी। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया है। अग्रेतर, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति देने की कोई सीमा तय नहीं की।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति की स्थिति वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दी गई है, जो राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित है। वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार, वर्ष 2020-21 के अंत में 25 संस्थाओं, यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों और अन्य संस्थानों के लिये राज्य सरकार द्वारा निष्पादित बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,50,554 करोड़ थी। इसमें वर्ष 2020-21 में ₹ 36,131.84 करोड़ की प्रत्याभूति की निवल वृद्धि सम्मिलित थी, जो कि जीएसडीपी का 2.12 प्रतिशत था। अग्रेतर, वर्ष 2020-21 के दौरान कोई प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त नहीं हुई थी।

2.8.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत की गई थी। प्रतिपूरक वनीकरण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 में प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों²⁸ से प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष-103 पर ब्याज सहित अनुभाग के अन्तर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप' में जमा किया जाना है। इसमें से 90 प्रतिशत को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के नीचे लघु शीर्ष 129-एससीएएफ में अंतरित किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3 (4) के अनुसार वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जायेगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इसलिये, एससीएएफ में कोई धनराशि जमा नहीं की गयी। 31 मार्च 2021 को, निधि में अवशेष धनराशि ₹ 1,505.26 करोड़ थी।

लेखा शीर्ष 8336-सिविल जमा के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा और 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के अन्तर्गत एससीएएफ में उपलब्ध अवशेष धनराशि पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर घोषित लागू दर के अनुसार किया जाना है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को 3.40 प्रतिशत²⁹ प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना अपेक्षित था। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिये प्रारंभिक अवशेष धनराशि ₹ 1,757.31 करोड़ पर ₹ 59.75 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया। इससे वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार के राजस्व घाटे के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को ₹ 59.75 करोड़ कम बताया गया।

²⁸ 'उपयोगकर्ता एजेंसी' से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्थान या कंपनी या भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग से है जो गैर-वन उद्देश्य हेतु विपथन करने या वन भूमि की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध करता है अथवा वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों तथा उसके बाद बने नियमों तथा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-वन उद्देश्यों हेतु उपयोग करने का अनुरोध करता है।

²⁹ जैसा कि पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया।

2.9 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में निधियों की उगाही, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों की प्राप्ति और कोई अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्य जिसे अधिनियम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं द्वारा निर्धारित किया गया हो, को पूर्ण किया जा सके।

2.9.1 ऋण रूपरेखा : घटक

राज्य सरकार के कुल ऋण का गठन आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम तथा लोक लेखा देयताएं से होता है। वित्त लेखे का विवरण 6 राज्य सरकार की बकाया देनदारियों की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसे तालिका 2.23 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.23 : अवधि 2016–21 में घटक वार ऋण की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया कुल ऋण	4,23,224	4,67,842	5,18,095	5,02,412	5,64,972*
लोक ऋण					
आन्तरिक ऋण	2,88,627	3,21,479	3,53,190	4,05,049	4,58,552
भारत सरकार से ऋण	13,250	12,812	11,980	11,529	18,107*
लोक लेखा दायित्व	1,21,347	1,33,551	1,52,925	85,834 ³⁰	88,313
अवशेष कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.24	10.54	10.74	(-)3.03	12.45
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	12,88,700	14,16,006	15,84,764	16,87,818	17,05,593
ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)	32.84	33.04	32.69	29.77	32.77*
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	1,13,172	90,052	1,13,504	1,12,696	1,23,555
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज)	84,099	74,570	95,293	1,63,192	98,424
उपलब्ध निवल निधियाँ	29,073	15,482	18,211	(-)50,496	25,131
उपलब्ध निवल निधियों की लोक ऋणों एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियों से प्रतिशतता	25.69	17.19	16.04	(-) 44.81	20.34

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के सापेक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 6,007 करोड़ इसमें सम्मिलित है। इस ऋण का ऋण शोधन जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में प्राप्त उपकर से किया जाना था तथा इस प्रकार, पुनर्भुगतान दायित्व की पूर्ति राज्य के अन्य स्रोतों से नहीं की जायेगी। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, यह ऋणग्रस्तता वित्त आयोग आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदण्ड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं मानी जायेगी। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, वर्ष 2020–21 के अन्त में राज्य का प्रभावी सकल ऋण ₹ 5,58,965 करोड़ था जिसमें भारत सरकार से प्राप्त ₹ 12,100 करोड़ का ऋण शामिल था। इस प्रकार, वर्ष 2020–21 के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात 32.77 प्रतिशत था।


³⁰ वर्ष 2019–20 में कमी मुख्यतः मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ अवशेष पुस्तकीय शेष को करेतर राजस्व में अन्तरण के कारण थी।

जैसा कि तालिका 2.23 में दर्शाया गया है, अवधि 2016–21 के दौरान राज्य सरकार के समग्र ऋण के अन्तर्गत आंतरिक ऋण वर्ष 2016–17 में ₹ 2,88,627 करोड़ से 58.87 प्रतिशत बढ़कर 2020–21 में ₹ 4,58,552 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 के दौरान आन्तरिक ऋण में विगत वर्ष की तुलना में 13.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि ₹ 54,622 करोड़ के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु आवश्यक थी, जैसा कि प्रस्तर 2.9.2 में विस्तार से दर्शाया गया है। अवधि 2016–20 के दौरान केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन वर्ष 2020–21 में, इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण की धनराशि ₹ 6,007 करोड़ जिसपर राज्य को पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं है, के कारण ₹ 6,578 करोड़ की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, राज्य का सकल ऋण वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में 12.45 प्रतिशत बढ़ गया।

लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत उपलब्ध निवल निधि का उनकी प्राप्तियों से प्रतिशत में, वर्ष 2016–17 (25.69 प्रतिशत) से वर्ष 2020–21 (20.34 प्रतिशत) तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत निवल निधि, वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य रूप से निक्षेप निधि के अवशेष धनराशि के बिना वास्तविक प्राप्ति के, राजस्व प्राप्तियों में पुस्तकीय अंतरण के कारण ऋणात्मक अर्थात् (-) ₹ 50,496 करोड़ हो गयी।

चार्ट 2.13 वर्ष 2020–21 के अन्त में राज्य सरकार के बकाया सकल ऋण की स्थिति को दर्शाता है।


चार्ट 2.13 : वर्ष 2020–21 के अन्त में बकाया सकल ऋण का ब्यौरा



स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

2016–21 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण एवं उसके पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति को चार्ट 2.14 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.14: 2016–21 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण के सापेक्ष पुर्नभुगतान



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.14 से स्पष्ट है कि अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी लोक ऋण प्राप्त धनराशि का 64 प्रतिशत से 95 प्रतिशत का उपयोग पिछले लोक ऋणों और ब्याज की देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया, परिणामस्वरूप, लोक ऋण का मात्र 5 प्रतिशत से 36 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2018–19 में न्यूनतम और वर्ष 2016–17 में अधिकतम थी। वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार ने अपनी ऋण प्राप्त धनराशि का 69 प्रतिशत पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप मात्र 31 प्रतिशत धनराशि ही पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध थी।

2.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष—एक निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है।

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष ऋणों को कम करने में सहायक है। राजकोषीय घाटा राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर राजस्व और ऋण तथा अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा सरकार के निवल वृद्धिमान दायित्वों अथवा इसके अतिरिक्त उधार को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का ब्यौरा सरकार द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से इतर विभिन्न उधारों के वित्तपोषण की सीमा को उद्घाटित करता है। अग्रेतर, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया जाता है और संसाधनों को लागू किया जाता है, यह इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खंड प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण और इन घाटों के वित्तपोषण के तरीके को प्रस्तुत करता है। प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों की समग्र स्थिति तालिका 2.24 में दी गई है।

तालिका 2.24 : राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजकोषीय घाटे (-)/ अधिशेष (+) का संघटन*	(-) 55,988	(-) 27,810	(-)35,203	(+) 11,083	(-) 54,622
1 राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+) 20,283	(+) 12,552	(+)28,250	(+)67,560	(-)2,367
2 निवल पूंजीगत व्यय ³¹	(-) 69,789	(-) 39,088	(-) 62,463	(-) 59,998	(-) 52,237
3 निवल ऋण एवं अग्रिम ³²	(-) 6,482	(-) 1,274	(-) 990	(+) 3,521	(-)18
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)					
1 बाजार ऋण	36,904.42	37,178.00	33,306.67	55,825.80	63,499.68
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 408.59	(-) 437.81	(-) 832.22	(-) 450.84	6,577.99
3 एनएसएसएफ को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 4,531.58	(-) 4,643.05	(-) 4,871.64	(-) 5,122.07	(-) 5,122.07
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	15,418.15	317.32	3,275.84	1,155.20	(-) 4,874.22
5 लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,619.10	2,530.12	3,645.59	3,313.67	1,062.40
6 जमा एवं अग्रिम	(-) 300.62	1,413.38	2,196.34	(-) 2,089.80	1,914.78
7 उचन्त एव विविध	591.36	(-) 2,214.62	222.67	(-) 1,828.11	1,697.48
8 प्रेषण	747.79	(-) 3,906.31	312.67	313.50	(-)325.46
9 आरक्षित निधि	7,225.02	8,264.72	13,544.71	(-) 68,298.52	500.94
10 आकस्मिकता निधि	(-) 176.04	(-) 154.96	(-) 166.65	629.73	(-) 100.00
11 सकल घाटा	57,089.01	38,346.79	50,633.98	(-) 16,551.44	64,831.52
12 नगद अवशेष में वृद्धि (-)/कमी (+)	(-) 1,100.99	(-) 10,537.00	(-) 15,431.00	5,468.75	(-)10,209.41
13 सकल राजकोषीय घाटा	55,988.02	27,809.79	35,202.98	(-) 11,082.69	54,622.11

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* राजकोषीय घाटा के आंकड़े सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं। इसमें वर्ष 2016-17 में उदय पर हुये व्यय को जोड़ा गया है। वर्ष 2016-17 में उदय पर हुये व्यय को छोड़कर राजकोषीय घाटा ₹ 41,187 करोड़ था।

अवधि 2016-20 के दौरान राजस्व अधिशेष में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। यह 2017-18 में न्यूनतम ₹ 12,552 करोड़ और 2019-20 में अधिकतम ₹ 67,560 करोड़ था। तथापि, राज्य ने वर्ष 2020-21 में राजस्व अधिशेष के स्तर को बनाये नहीं रख सका तथा इस अवधि में ₹ 2,367 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया।

राजकोषीय घाटे में भी अवधि 2016-21 के दौरान उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। यह वर्ष 2016-17 में ₹ 55,988 करोड़ से घटकर वर्ष 2017-18 में ₹ 27,810 करोड़ हो गया और फिर वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹ 35,203 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार का राजस्व अधिशेष (₹ 67,560 करोड़) और राजकोषीय अधिशेष (₹ 11,083 करोड़) मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के राजस्व प्राप्ति लेखे में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अंतरण के कारण था। यदि निक्षेप निधि के अवशेष के इस बुक अंतरण को छोड़ दिया जाये तो वास्तव

³¹ निवल पूंजीगत व्यय = विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (-) पूंजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

³² निवल ऋण एवं अग्रिम = ऋण एवं अग्रिमों की वसूली (-) संवितरित ऋण एवं अग्रिम; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान संवितरित ऋण एवं अग्रिम वसूली से अधिक है।

में वर्ष 2019–20 में राजस्व घाटा ₹ 3,620 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 60,097 करोड़ था।

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य ने ₹ 54,622 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया। तथापि, जैसा कि प्रस्तार 1.4.1 में वर्णित है, वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त अवशेष रहने के कारण राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में प्राप्त ₹ 6,007 करोड़ के ऋण को संदर्भ में रखते हुए देखना चाहिए।

2.9.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण के सर्विस के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 31 मार्च 2021 को ₹ 5,64,972 करोड़ के बकाया समग्र ऋण/सकल शेष वित्तीय दायित्वों में से, ₹ 88,313 करोड़ लोक लेखे के दायित्वों/अन्य दायित्वों से सम्बन्धित हैं। शेष लोक ऋण (₹ 4,76,659 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.25 एवं चार्ट 2.15 में दर्शायी गयी है।


तालिका 2.25 : राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	धनराशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (लोक ऋण के संदर्भ में)
0 – 1	28,747.42	6.03
1 – 3	43,801.18	9.19
3 – 5	69,805.38	14.64
5 – 7	1,00,319.25	21.05
7 एवं अधिक	2,25,285.64	47.26
अन्य (राज्य सरकार से मिलान के अधीन/ऋण पुनर्भुगतान विवरण वांछित)	8,700.10*	1.83
योग	4,76,658.97	100.00

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

*इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 6,007 करोड़ सम्मिलित है। इस ऋण की देयता जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में प्राप्त उपकर से की जायेगी तथा इसलिए, पुनर्भुगतान के दायित्व की पूर्ति राज्य सरकार के अन्य स्रोतों से नहीं की जायेगी।

चार्ट 2.15 : ऋण परिपक्वता रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि वर्ष 2021–22, 2022–24, 2024–26 और 2026–28 की अवधि के दौरान ऋण चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 28,747.42 करोड़ (6.03 प्रतिशत), ₹ 43,801.18 करोड़ (9.19 प्रतिशत), ₹ 69,805.38 करोड़ (14.64 प्रतिशत) और ₹ 1,00,319.25 (21.05 प्रतिशत) होगी। अग्रेतर, कुल लोक ऋण के ₹ 2,25,285.64 करोड़ (47.26 प्रतिशत) का सात वर्षों के बाद भुगतान किया जायेगा।

2.9.4 ऋण संवहनीयता

भविष्य में अपने ऋण दायित्वों की सर्विस करने की राज्य की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए ऋण की संवहनीयता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि की ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ तारतम्यता होनी चाहिए। ऋण संवहनीयता ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) के सकल ऋण प्राप्तियों से अनुपात और उपलब्ध ऋण धनराशि के अनुप्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात पूंजीगत व्यय हेतु लिये गये ऋण की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किस सीमा तक किया गया।

राज्य के लोक ऋण की ऋण संवहनीयता के संकेतक तालिका 2.26 एवं चार्ट 2.16 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.26 : ऋण संवहनीयता के संकेतकों की प्रवृत्ति

ऋण संवहनीयता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया लोक ऋण ³³ (₹ करोड़ में)	3,01,877	3,34,291	3,65,170	4,16,578	4,76,659*
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	18.62	10.74	9.24	14.08	14.42
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	12,88,700	14,16,006	15,84,764	16,87,818	17,05,593
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.26	9.88	11.92	6.50	1.05
लोक ऋण / जीएसडीपी	23.42	23.61	23.04	24.68	27.59
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	8.34	7.99	8.06	7.83	7.48
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	9.03	9.12	8.54	8.36	11.28
लोक ऋण भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	30.00	31.64	40.15	30.35	30.83
राज्य के लिए उपलब्ध निवल लोक ऋण ³⁴	24,177	7,000	2,694	20,784	26,661
ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष निवल लोक ऋण की उपलब्धता प्रतिशतता में	35.72	14.76	5.22	28.16	30.69
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 29,052**	1,326	(-) 3,161	45,896	(-) 17,194
ऋण संवहनीयता (₹ करोड़ में)* (क्वांटम स्प्रेड ³⁵ + प्राथमिक घाटा)	14,56,183	6,33,136	14,06,395	(-)5,08,153	(-)30,67,019

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

*वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की पुनर्भुगतान देयता से रहित जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के लिए भारत सरकार से प्राप्त ₹ 6,007 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर लोक ऋण संवहनीयता की गणना की गयी है। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के अन्त में, पिछले वर्ष की तुलना में 12.98 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ प्रभावी लोक ऋण ₹ 4,70,652 करोड़ था, लोक ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 27.59 प्रतिशत था एवं लोक ऋण की औसत ब्याज दर 7.53 प्रतिशत थी।


**वर्ष 2016-17 के दौरान प्राथमिक घाटा में उदय पर व्यय शामिल है जिससे वित्त लेखे में आँकड़ों का मिलान किया जा सके।

³³ बकाया लोक ऋण मुख्य शीर्षों 6003-आंतरिक ऋण तथा 6004-केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में अवशेष का योग है।

³⁴ राज्य सरकार के लिए निवल लोक ऋण उपलब्धता की गणना लोक ऋण की अदायगी तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

³⁵ क्वांटम स्प्रेड = ऋण स्टॉक x इंटररेस्ट स्प्रेड एवं इंटररेस्ट स्प्रेड = (जीएसडीपी वृद्धि दर-औसत ब्याज दर)

चार्ट 2.16 : ऋण संवहनीयता संकेतांक



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.26 तथा चार्ट 2.16 का विश्लेषण निम्नानुसार इंगित करता है:

- राज्य का कुल बकाया लोक ऋण वर्ष 2016-17 के ₹ 3,01,877 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 4,76,659 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 14.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2020-21 में बकाया लोक ऋण में भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में बिना राज्य की पुनर्भुगतान देयता के प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 6,007 करोड़ सम्मिलित था। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को घटाते हुए, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की लोक ऋण की वृद्धि दर 12.98 प्रतिशत थी, जो कि विगत वर्ष की लोक ऋण की वृद्धि दर 14.08 प्रतिशत से कम थी।
- ऋण संवहनीयता की स्थिति दर्शाती हैं कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर हो जायेगा। यदि यह धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात अंततः नीचे जायेगा और इसके इतर यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि होगी। जैसा कि तालिका 2.26 में आगणित किया गया है, वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में ऋण संवहनीयता ऋणात्मक थी, जबकि यह वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान धनात्मक थी। यह वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान जीएसडीपी वृद्धि दर के सापेक्ष लोक ऋण पर उच्च औसत ब्याज दर के कारण थी।
- ब्याज भुगतान के उच्च प्रतिशत के कारण प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए कम निधि रह जाती है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज भुगतान का प्रतिशत सरकार के लिए एक निर्धारित अवधि में उसके ऋणों पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष सुरक्षा की सीमा का आकलन करता है। वर्ष 2018-19 से लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के प्रतिशत में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वर्ष 2020-21 के दौरान लोक ऋण पर ब्याज भुगतान विगत वर्ष की तुलना में 9.37 प्रतिशत बढ़ गया तथा यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 11.28 प्रतिशत था।
- ब्याज और लोक ऋण के पुनर्भुगतान के प्रावधान के पश्चात् वर्तमान परिचालनों के लिए उपलब्ध निवल ऋण की धनराशि वर्ष 2016-17 में ₹ 24,177 करोड़ से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹ 2,694 करोड़ रह गई थी लेकिन यह वर्ष 2019-20 में बढ़कर ₹ 20,784 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में ₹ 26,661 करोड़ हो गई। तथापि, राज्य के लिए उपलब्ध निवल लोक ऋण वर्ष 2020-21 के दौरान लिये गये कुल लोक ऋण का 30.69 प्रतिशत था।

- वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान औसत ऋण सर्विसिंग व्यय ₹ 49,176.13 करोड़ था, जो इसी अवधि में औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 65,472.89 करोड़) का 75.11 प्रतिशत था, जिसका अर्थ है कि ऋण का एक बड़ा प्रतिशत ऋण भुगतान के लिए प्रयोग किया जा रहा था।

2.9.4.1 उधार ली गयी निधि का उपयोग

उधार लिये गये निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूंजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। उधार ली गई धनराशि की स्थिति को तालिका 2.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27 : उधार ली गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	लोक ऋण प्राप्तियाँ	67,685	47,417	51,595	73,809	86,859
2	पूर्व के ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	20,303 (30.00)	15,002 (31.64)	20,717 (40.15)	22,401 (30.35)	26,778 (30.83)
3	निवल पूंजीगत व्यय (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	69,789 (103.11)	39,088 (82.43)	62,463 (121.06)	59,998 (81.29)	52,237 (60.14)
4	निवल संवितरित ऋण एवं अग्रिम (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	6,482 (9.58)	1,274 (2.69)	990 (1.92)	(-3,521) (-4.77)	18 (0.02)
5	निवल उपलब्ध उधार से किये गये राजस्व व्यय का भाग क्र.सं. 5 = क्र.सं. (1-2-3-4) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	(-28,889) (-42.68)	(-7,947) (-16.76)	(-32,575) (-63.14)	(-5,069) (-6.87)	7,826 (9.01)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.27 यह दर्शाती है कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि में उधार (लोक ऋण) पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत किये गये व्यय, अर्थात् लोक ऋण के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं ऋण और अग्रिमों के संवितरण से कम था, जिसका तात्पर्य है कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि में पूंजीगत लेखे पर व्यय के एक भाग की पूर्ति राज्य के राजस्व अधिशेष से की गयी। तथापि, वर्ष 2020-21 में राज्य ने अपने राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उधार ली गयी धनराशि से ₹ 7,826 करोड़ का उपयोग किया था, क्योंकि राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ इसके राजस्व व्यय के लिए पर्याप्त नहीं थी। उधार से प्राप्त निधियों से वर्तमान उपभोग तथा बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाना संवहनीय नहीं है।

2.9.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत बाण्ड तथा लिये गये अन्य उधार के लिये प्रत्याभूति प्रदान करती है। प्रत्याभूतियाँ, उधारकर्ता जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक की स्थिति में, राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखे का विवरण संख्या 9 तथा 20 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण दर्शाता है। इस संकलन में विवरण सीधे राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में दी गयी प्रत्याभूति और बकाया प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि तालिका 2.28 में दी गई है।

तालिका 2.28 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	66,702.20	74,303.03	90,662.48	1,32,499.27	1,75,469.24
ब्याज सहित प्रत्याभूति की बकाया धनराशि	55,825.49	74,841.22	1,10,032.12	1,18,696.49	1,50,554.00

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

बकाया प्रत्याभूति वर्ष 2019–20 के ₹ 1,18,696.49 करोड़ से 26.84 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹ 1,50,554 करोड़ हो गयी और यह वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,96,176 करोड़) का 50.83 प्रतिशत और राज्य सरकार की जीएसडीपी का 8.83 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2021 को बकाया प्रत्याभूति मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की चार कंपनियों (₹ 1,16,312 करोड़), अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग (₹ 24,381 करोड़), चीनी उद्योग विभाग (₹ 3,356 करोड़) तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (₹ 3,000 करोड़) से संबंधित थी।

बकाया प्रत्याभूतियों में उ०प्र० सहकारिता ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड के लिए ₹ 474.17 करोड़ की प्रत्याभूति सम्मिलित थी, जो कि संस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान निर्धारित प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि (₹ 45 करोड़) से अधिक थी। जैसा कि वित्त लेखे 2020–21 में उद्घाटित है, राज्य सरकार ने इस असंगति पर कोई कारण नहीं बताया। अग्रेतर, वर्ष 2020–21 के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूति तथा वर्ष 2019–20 के अंत में बकाया प्रत्याभूति में ₹ 4,274.33 करोड़ का अंतर था जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश तथा राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में था।

2.10 नकद अवशेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद अवशेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन अवशेष न्यूनतम सहमत धनराशि कम हो जाती है, तो समय-समय पर सामान्य आर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आर्थोपाय अग्रिम (एसडब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद अवशेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां' के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद अवशेष को समेकित निक्षेप निधि एवं अन्य निर्धारित निधियों में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार अधिक नकद अवशेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा ले क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद अवशेष में और वृद्धि होती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान नकद अवशेष तथा राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेष में से किए गए निवेश को तालिका 2.29 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.29 : वर्ष 2020-21 के दौरान नकद अवशेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2021 को अन्तिम अवशेष
अ. सामान्य नकद अवशेष		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	236.04	137.10
अन्य बैंकों के पास जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0.00	0.00
नकद अवशेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	21,150.71	30,459.45
योग (अ)	21,386.75	30,596.55
ब. अन्य नकद अवशेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी के पास नकद	10.91	10.52
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.50	0.50
निर्धारित निधियों में निवेश	45.20	1,045.20
योग (ब)	56.61	1,056.22
योग (अ+ब)	21,443.36	31,652.77

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

वर्तमान वर्ष के अंत में राज्य सरकार की नकद अवशेष धनराशि ₹ 31,652.77 करोड़ थी। वर्ष 2019-20 के अंत में अवशेष की तुलना में इसमें ₹ 10,209.41 करोड़ (47.61 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा में निवेश का प्रारंभिक अवशेष ₹ 21,150.71 करोड़ था। ₹ 4,64,321.11 करोड़ के ट्रेजरी बिल खरीदे गए और ₹ 4,55,012.37 करोड़ की धनराशि के ये इन्स्ट्रूमेंट बेचे गये, जिससे वर्ष के अंत में लेखे में ₹ 30,459.45 करोड़ की धनराशि अवशेष रही। ट्रेजरी बिलों और भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 235.75 करोड़ और ₹ 13.92 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

नकद अवशेष निवेश लेखे के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का राज्य सरकार का संव्यवहार वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1,93,630 करोड़ से लगातार बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 5,44,061 करोड़ हो गया लेकिन वर्ष 2019-20 के दौरान यह घटकर ₹ 4,93,843 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में यह घटकर ₹ 4,64,321 करोड़ हो गया। नकद अवशेष निवेश लेखे के अनुरूप, नकद अधिशेष (सामान्य नकद अवशेष) अवधि 2016-17 से 2018-19 के दौरान ₹ 887.58 करोड़ (31 मार्च 2017) से बढ़कर ₹ 26,855 करोड़ (31 मार्च 2019) हो गया जो वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020) में घटकर ₹ 21,387 करोड़ हो गया और पुनः वर्ष 2020-21 (31 मार्च 2021) में बढ़कर ₹ 30,597 करोड़ हो गया। अवधि 2016-21 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा तथा उस पर अर्जित ब्याज की स्थिति को तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30 : नकद अवशेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	अंतिम अवशेष	वृद्धि(+)/कमी (-) (अन्तिम अवशेष-प्रारंभिक अवशेष)	उपाजित ब्याज
2016-17	1,196.44	2,168.23	971.79	578.36
2017-18	2,168.23	11,159.38	8,991.15	486.61
2018-19	11,159.38	26,684.36	15,524.98	1,088.56
2019-20	26,684.36	21,150.71	(-),5,533.65	596.15
2020-21	21,150.71	30,459.45	9,308.74	249.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020–21 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश के माहवार प्रवाह को चार्ट 2.17 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.17: वर्ष 2020–21 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश का माहवार प्रवाह



स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरक्षित आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋण तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अवशेष की स्थिति चार्ट 2.18 में प्रस्तुत की गयी है।

चार्ट 2.18: अवधि 2016–21 के दौरान नकद अवशेष के सापेक्ष बाजार ऋण



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

XIIIवें वित्त आयोग ने अत्यधिक नकदी अवशेष रखने वाली राज्य सरकारों द्वारा नए ऋण का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा नकद अवशेष का उपयोग करने की दिशा में प्रयास की अनुशंसा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया था

कि अधिक नकद अवशेष आधिक्य का संचय राज्य सरकार के ऋण पर ब्याज लागत के भार को बढ़ाता है, यदि यह उधार के संसाधनों से निर्मित है³⁶।

2.10.1 नकद अवशेष में भिन्नता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत अवशेष धनराशि की पुष्टि के प्रमाण पत्र के अनुसार, राज्य के पास ₹ 81.41 करोड़ का क्रेडिट अवशेष था जबकि माह 31 मार्च 2021 को राज्य का अंतिम नकद अवशेष, जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा प्रमाणित किया गया, ₹ 137.10 करोड़ था। इस प्रकार, राज्य सरकार के नकद अवशेषों, जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा गणना की गयी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया (31 मार्च 2021 को), में ₹ 55.69 करोड़ का अंतर था, जो समाधान की प्रक्रिया में था।

2.11 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेतक

- राजकोषीय घाटा (₹ 54,622 करोड़) जीएसडीपी का 3.20 प्रतिशत था, जो कि यूपीएफआरबीएम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 द्वारा निर्धारित पाँच प्रतिशत के राजकोषीय लक्ष्य के अन्दर था।
- राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2019-20 के 61.78 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 61.37 प्रतिशत रह गया।

संकेतक जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है

- राज्य में वर्ष 2006-07 से राजस्व अधिशेष था, तथापि, वर्ष 2020-21 में इसने ₹ 2,367 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया। वर्ष 2019-20 का ₹ 11,083 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष वर्ष 2020-21 में ₹ 54,622 करोड़ के राजकोषीय घाटे में परिवर्तित हो गया।
- यूपीएफआरबीएम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 में निर्धारित 32 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019-20 के 29.77 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 32.77 प्रतिशत हो गया।
- राज्य का स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 2.38 प्रतिशत कम हो गया।
- राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर की तुलना में लोक ऋण पर उच्च ब्याज दर के कारण वर्ष 2020-21 में ऋण संवहनीयता घट गयी। राजस्व प्राप्तियों से लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत वर्ष 2019-20 के 8.36 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 11.28 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि में कम योगदान किया, जो इसके दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा दायित्वों के कम से कम 0.50 प्रतिशत के योगदान के सापेक्ष 0.20 प्रतिशत था।
- राज्य सरकार द्वारा मूल्यहास आरक्षित निधि के लिए प्रभारित धनराशि को इस निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया, इसके बजाय इसे राज्य की राजस्व प्राप्तियों के रूप में रखा गया। इस निधि में बिना अंशदान के संवितरण किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 के अन्त में इसमें ₹ 17.20 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष था।

³⁶ XIVवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.40 एवं 4.41

- राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त केन्द्रीय अंश के ₹ 966.50 करोड़ एसडीआरएफ को हस्तांतरित नहीं किया। राज्य सरकार ने निधि के गैर-निवेशित अवशेष धनराशि पर वर्ष 2020–21 के लिये ₹ 91.91 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया था। अग्रेतर, राज्य आपदा शमन निधि के लिए लेखांकन शीर्ष का परिचालन नहीं किया गया तथा पंद्रहवें वित्त आयोग एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अनुसंशाओं के अनुरूप राज्य आपदा शमन निधि में अपेक्षित अंशदान का अंतरण नहीं किया गया।
- सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति में से, उधार प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा चूक की स्थिति में ऋण की सर्विसिंग के दायित्व की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया।

2.12 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में प्रावधानित है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रेतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।
- कार्यों पर मूल्यहास आरक्षित निधि के लिए भारत धनराशि को राजस्व प्राप्ति के रूप में रखने के बजाय, राज्य सरकार को इसे निधि को हस्तांतरित करना चाहिए, क्योंकि निधि के लिए वर्तमान लेखांकन की व्यवस्था से राज्य की राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय अधिक प्रदर्शित हो रहे हैं। अग्रेतर, राज्य सरकार को मूल्यहास आरक्षित निधि में ऋणात्मक अवशेष को तत्काल नियमित करना चाहिए।
- राज्य सरकार को एसडीआरएफ की अवशेष धनराशि को “ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ” श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों में अन्तरित करना चाहिए और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि में अवशेष धनराशि का निवेश भी किया जाना वांछनीय है। राज्य सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अनुसंशाओं के अनुरूप राज्य आपदा शमन निधि का परिचालन भी करना चाहिए।
- राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुसंशा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिये।

अध्याय - III

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता, यह आंकलन करते हुए कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को धन के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है, से संबंधित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

वार्षिक बजट की कार्यवाही, सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश देने का एक साधन है। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (यूपीबीएम) उत्तर प्रदेश सरकार हेतु बजट तैयार करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 8 के अनुसार वित्त विभाग वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। विभागाध्यक्ष और अन्य प्राक्कलन अधिकारी प्रत्येक लेखा शीर्ष, जिससे वह सम्बन्धित हैं, के लिए अनुमान तैयार करते हैं और इन्हें वित्त विभाग को अग्रेषित करते हैं। विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के प्रशासनिक विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दी गयी है।

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया




सीएसएस: केंद्र प्रायोजित योजनाएं; सीएस: केंद्रीय योजनाएं; ईएपी: बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं।

बजट में नए व्यय के प्रावधान को सम्मिलित करते हुए इसे अंतिम रूप देने के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत राज्यपाल की संस्तुति पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। विधान सभा द्वारा अनुदानों पर मतदान हो जाने के बाद, राज्य की संचित निधि से मतदेय एवं भारित व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक धन के विनियोग के लिए विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक जब विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और इसे राज्यपाल की सहमति भी प्राप्त हो जाती है, तो उसमें दर्शायी गई धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जा सकती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रावधान है कि वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में पारित प्रावधानों पर अनुपूरक अनुदान या विनियोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जहां उस वर्ष, जिसके लिए विनियोग अधिनियम के प्रावधान अपर्याप्त पाए जाते हैं या जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है अथवा यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की जा रही है, जिसकी मूल बजट में परिकल्पना नहीं की गई थी।

अनुपूरक अनुदान से इतर, उसी अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत निधियों के पुनः आवंटन के लिए पुनर्विनियोग का भी उपयोग किया जा सकता है। पुनर्विनियोग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मतदेय अथवा भारित विनियोग खण्ड के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई में बचत का अंतरण उसी खण्ड के अन्तर्गत (अर्थात् राजस्व-मतदेय, राजस्व-भारित, पूंजीगत-मतदेय, पूंजीगत-भारित) किसी अन्य इकाई के अन्तर्गत मौजूदा सेवा पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।



स्रोत: उत्तर प्रदेश वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुपूरक अनुदान एवं वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट के भारित और मतदेय दोनों मदों के संबंध में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी व्यय और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं और विनियोग लेखे में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। सीएजी द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अधीन किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकार के अधीन है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत

प्रभारित किए जाने के लिए आवश्यक व्यय प्रावधानों के अधीन प्रभारित है। यह भी पता चलता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.1.1 2020-21 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधानों, व्यय और बचत की संक्षिप्त स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
राजस्व	3,45,100	64,127	2,63,323	39,047	81,777	25,080
पूँजीगत	1,00,407	34,937	66,856	26,798	33,551	8,139

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व और पूँजीगत दोनों खण्डों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय काफी कम था, जिसमें 26.11 प्रतिशत और 30.80 प्रतिशत की बचत देखी गई। अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के सापेक्ष सकल व्यय राजस्व मतदेय खण्ड में 76.30 प्रतिशत, राजस्व भारित खण्ड में 60.89 प्रतिशत, पूँजीगत मतदेय खण्ड में 66.58 प्रतिशत और अनुदान/विनियोग के पूँजीगत भारित खण्ड के अधीन 76.70 प्रतिशत था।

3.1.2 भारत और मतदेय व्यय

2016-21 की अवधि के दौरान कुल भारत एवं मतदेय व्यय और उनके सापेक्ष बचतों का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका: 3.2 वर्ष 2016-21 के दौरान मतदेय और भारत के अधीन व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व				पूँजीगत			
	व्यय		बचत		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2016-17	2,01,666	38,072	28,724	510	89,186	20,309	14,129	4,767
2017-18	2,26,083	41,806	59,686	4,111	51,973	15,014	23,000	6,972
2018-19	2,47,287	58,976	51,703	433	82,792	20,729	27,377	9,838
2019-20	2,66,083	35,367	64,113	22,640	75,556	22,420	27,637	12,993
2020-21	2,63,323	39,047	81,777	25,080	66,856	26,798	33,551	8,139

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.2 से प्रदर्शित होता है कि 2016-20 की अवधि के दौरान, राजस्व मतदेय के अधीन व्यय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 2,01,666 करोड़ से लगातार बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 2,66,083 करोड़ हो गया जो वर्ष 2020-21 में मामूली रूप से घटकर ₹ 2,63,323 करोड़ हो गया था। तथापि, राजस्व मतदेय खंड के अन्तर्गत बचत 2016-17 में 14.24 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 31.06 प्रतिशत हो गई है, जो योजना और निष्पादन के बीच व्यापक अंतर को प्रदर्शित करता है।

इसी प्रकार, पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत व्यय 2016-21 की अवधि के दौरान परिवर्तनशील था और यह वर्ष 2016-17 के दौरान उच्चतम और वर्ष 2017-18 के दौरान सबसे कम था। वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत व्यय ₹ 66,856 करोड़ था जो कि 2019-20 के दौरान हुए व्यय से 11.51 प्रतिशत कम था।

3.2 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ

इस भाग में निर्धारित बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया से विचलन पर चर्चा की गई है।

3.2.1 अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किये गये विनियोग के अलावा राज्य की संचित निधि से कोई धनराशि नहीं निकाली जायेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दो अनुदानों और एक विनियोग के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अधिकृत धनराशि से ₹ 8.10 करोड़ का अधिक संवितरण था जैसा कि तालिका 3.3 में वर्णित है।

तालिका 3.3: वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की संचित निधि से प्राधिकार से अधिक संवितरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	व्याधिक्य
57 - लोक निर्माण विभाग (सेतु)- राजस्व मतदेय	575.31	575.54	0.23
55 - लोक निर्माण विभाग (भवन)- पूंजीगत मतदेय	52.14	58.56	6.42
55 - लोक निर्माण विभाग (भवन)- पूंजीगत भारित	0.70	2.15	1.45
योग			8.10

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

जैसा कि विनियोग लेखे 2020-21 में प्रदर्शित किया गया, राज्य सरकार द्वारा अधिक व्यय का कारण सूचित नहीं किया गया था। बजटीय प्रावधान पर अधिक व्यय दोनों बजट अनुमान तैयार करते समय बजट नियंत्रण प्राधिकारी की ओर से अप्रभावी अनुश्रवण का संकेत था। संवितरण आधिक्य को राज्य विधानमंडल के माध्यम से नियमित करने की आवश्यकता है।

3.2.1.1 विगत वित्तीय वर्षों के अधिक व्यय का नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गई है, तो राज्यपाल द्वारा ऐसे अधिक व्यय की मांग को उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की विधान सभा को प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 137 में निर्देशित है कि यदि वर्ष की समाप्ति के उपरान्त, यह पता चलता है कि किसी अनुदान या भारित विनियोग के अधीन उस वर्ष के लिए उस अनुदान या भारित विनियोग के अधीन कुल विनियोग से अधिक व्यय किया गया था तो अतिरिक्त व्यय की मांग को जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) के अधीन अपेक्षित था, लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधानसभा में प्रस्तुत कर नियमित किया जाना चाहिए था।

वर्ष 2005-06 से 2019-20 से संबंधित 102 अनुदानों और 47 विनियोगों के अंतर्गत ₹ 32,525.36 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण, जैसा कि संबंधित वर्षों के विनियोग लेखों में टिप्पणी की गई है, को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है, जैसा कि तालिका 3.4 में वर्णित है।

तालिका 3.4: पिछले वित्तीय वर्षों का अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक व्यय राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
2005-06	राजस्व मतदेय- 8,12,53,55,57,58,72; पूँजीगत मतदेय-15,16,18,23, 33, 34,37,38,40, 55,56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित-1,52; पूँजीगत भारित-52,55;	869.05
2006-07	राजस्व मतदेय -9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूँजीगत मतदेय -3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित -2,3,10,52,62,89;	2,484.47
2007-08	राजस्व मतदेय -51,55,57,58,62; पूँजीगत मतदेय -13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित -51,66	3,610.65
2008-09	राजस्व मतदेय -62,96; पूँजीगत मतदेय -55,58,96; राजस्व भारित -52;	3,399.42
2009-10	राजस्व मतदेय -58; पूँजीगत मतदेय -1,16,55,58,59; राजस्व भारित -3,10,16,48,52,66;	1,250.16
2010-11	राजस्व मतदेय -30,51,91; पूँजीगत मतदेय -10,55,58; राजस्व भारित -10,23,61,82;	1,702.62
2011-12	राजस्व मतदेय -21,62,91; पूँजीगत मतदेय -1,55,58; राजस्व भारित -13,18,23,61,62,82;	1,889.66
2012-13	राजस्व मतदेय -51,57; पूँजीगत मतदेय -55,58; राजस्व भारित -55,62,89;	2,380.23
2013-14	पूँजीगत मतदेय - 55, 58; पूँजीगत भारित - 52;	2,608.18
2014-15	राजस्व मतदेय - 57,91; पूँजीगत मतदेय -1,40,55,57,58; राजस्व भारित -13;	2,225.32
2015-16	पूँजीगत मतदेय - 55,57,58,87; राजस्व भारित - 2,23,52,62;	1,566.71
2016-17	पूँजीगत मतदेय - 55,58,87; राजस्व भारित - 89; पूँजीगत भारित - 61;	5,662.17
2017-18	राजस्व मतदेय - 62; पूँजीगत मतदेय -55; राजस्व भारित -91; पूँजीगत भारित -58	1,337.17
2018-19	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय - 55, 57, 58; राजस्व भारित - 52; पूँजीगत भारित - 10, 21, 55	1,539.44
2019-20	पूँजीगत भारित - 55	0.11
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले विगत वर्षों के कुल ब्याधिकाय		32,525.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेख

अधिक व्यय बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक धन के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है और इसका नियमित न किया जाना संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। प्राधिकार से अधिक व्यय और अधिक व्यय को नियमित न किये जाने को उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से प्रकाश में लाया गया है। तथापि, वर्ष 2005-06 से 2019-20 से संबंधित अधिक व्यय के मामलों को वित्त विभाग द्वारा नियमितीकरण करने के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा कोई भी धन संचित निधि से आहरित नहीं किया जाएगा।

3.2.2 व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के अनुसार, पूँजी और राजस्व के मध्य व्यय का वर्गीकरण निम्न प्रकार है:

(अ) पूँजीगत व्यय:— पूँजीगत व्यय को मुख्यतः भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। पूँजीगत, एक परियोजना के प्रथम निर्माण के लिए सभी प्रभारों के साथ-साथ सेवा

के लिए नहीं खोले जाने तक काम के मध्यवर्ती रखरखाव के लिए प्रभार वहन करती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत ऐसे अग्रेतर परिवर्धन और सुधार के लिए अनुमोदित किए गए प्रभार भी वहन करती है।

(ब) राजस्व व्यय :- राजस्व व्यय प्रकृति में आवर्ती है और राजस्व प्राप्तियों से व्यय को पूरा करने हेतु उद्देशित है। अग्रेतर, भारत सरकार के लेखा मानक-2 (आईजीएस-2) के अनुसार, सहायता अनुदान पर व्यय को अनुदानकर्ता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्ताओं की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलेखित किया जाना है। पूंजीगत परियोजनाओं के अनुरक्षण और रखरखाव का व्यय भी राजस्व व्यय में सम्मिलित होता है।

तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान अनेक प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण देखा गया, जैसा कि आगे के प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

3.2.2.1 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

वित्त विभाग ने व्यय की आर्थिक प्रकृति को दर्शाने वाले विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में मानक मदों की एक सूची को अपनाया है। इस प्रकार, कुछ मानक मद केवल व्यय की राजस्व प्रकृति के अनुरूप हैं क्योंकि यह यूपीबीएम में परिभाषित परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते हैं। यद्यपि राजस्व प्रकृति मानक मदों के व्यय को, जैसा कि तालिका 3.5 में सारांशीकृत है, पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।

तालिका 3.5: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

क्र० सं०	मानक मद	मानक मद नामकरण	मुख्य लेखाशीर्ष	(₹ करोड़ में) 2020-21 में व्यय
1.	15	वाहनों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि का क्रय: इसमें पेट्रोल/डीजल हेतु प्रावधान एवं सरकारी कार्यालयों/कार्यालय प्रतिष्ठानों/अतिथि गृहों आदि के उपयोग हेतु मोटर वाहनोंसे सम्बन्धित अनुरक्षण का प्रावधान सम्मिलित है। सरकारी प्रयोजन हेतु मोटर वाहनों की अनुबन्ध आधार पर व्यवस्था पर होने वाला व्यय भी इस मद में सम्मिलित है।	4406	0.12
2.	16	वाणिज्यिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान: इसमें कानूनी/विशेषज्ञ सेवाओं पर खर्च, परामर्श सेवाओं के लिए शुल्क, परीक्षकों को देय राशि आदि सम्मिलित हैं।	4059 एवं 5054	11.44
3.	25	लघु निर्माण कार्य: जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 314 में दिया गया है, ₹ 1.00 लाख से अधिक किन्तु ₹ 2.00 लाख लागत से कम के कार्य लघु कार्य हैं।	4055, 4058, 4059, 4070, 4202, 4210, 4216, 4225, 4235, 4250, 4406, 4702, 4851 एवं 4853	74.39
4.	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ प्रासंगिक स्टेशनरी की खरीद: इसमें कम्प्यूटरों के अनुरक्षण तथा कम्प्यूटर लेखन सामग्री, प्रिंटर रिबन/कार्ट्रिज आदि सम्मिलित है।	4202 एवं 5054	0.62
योग				86.57

स्रोत : वित्त लेखे 2020-21

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण, ₹ 86.57 करोड़ के व्यय को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2020–21 के दौरान राज्य के राजस्व घाटे को ₹ 86.57 करोड़ कम बताया गया।

3.2.2.2 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकरण

कुछ मानक मदों को केवल व्यय की पूंजीगत श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि इन प्रावधानों से परिसंपत्ति बनाई जाती हैं और उनके तदनुसार बजट में व्यवस्था और लेखांकन की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि मानक मद 14—मोटर वाहन की खरीद के अंतर्गत ₹ 83.28 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 1.19 करोड़ को पूंजीगत व्यय की जगह राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि तालिका 3.6 में संक्षेपित है।

तालिका 3.6: पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)				
क्र० सं०	मानक मद	मानक मद नामकरण	मुख्य लेखाशीर्ष	2020–21 में व्यय
1.	14	वाहनों का क्रय: इसमें सरकारी कार्यालयों/कार्यात्मक इकाइयों/गेस्ट हाउस आदि के उपयोग के लिए मोटर वाहनों के क्रय पर व्यय सम्मिलित है।	2012 एवं 2014	1.19
योग				1.19

स्रोत : वित्त लेखे 2020–21

वर्ष 2020–21 के दौरान मानक मद 14—वाहन की खरीद के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण राज्य के राजस्व घाटे को ₹ 1.19 करोड़ से अधिक बताया गया।

3.2.3 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में विश्वसनीय, प्रासंगिक और समय पर सूचनाओं की उपलब्धता से सरकार की वित्तीय स्थिति और सरकारी गतिविधियों की सही लागत का आकलन किया जा सकता है। पारदर्शिता शासन व्यवस्था को मजबूत करने का एक साधन है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 31 के अनुसार जहां आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना के प्रारंभिक व्ययों जिसे वित्तीय वर्ष में लिए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है उनको पूर्ण करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने हैं ऐसे अप्रत्याशित प्रकरणों को छोड़कर, नियमतः अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में दिये जाने चाहिए।

वर्ष 2020–21 के दौरान, 22 अनुदानों के विभिन्न शीर्षों के अधीन ₹ 6,821.68 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान योजना विवरण को दर्शाए बिना किए गए (परिशिष्ट-3.1)। इन एकमुश्त प्रावधानों में से ₹ 3,471.10 करोड़ (प्रावधान का 50.88 प्रतिशत) का वास्तविक व्यय किया गया।

अनुदान संख्या 58—लोक निर्माण विभाग (संचार—सड़क) के पूंजीगत (मतदेय) खंड के अन्तर्गत, सड़क कार्यों के लिए ₹ 2,396.50 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया था, जो पूंजीगत (मतदेय) बजटीय प्रावधानों का 19.28 प्रतिशत था। इसमें से वास्तविक व्यय ₹ 2,357.93 करोड़ था। यथार्थ शीर्ष प्रमाणन के आंकलन के बिना एकमुश्त बजटीय प्रावधान पारदर्शिता के सिद्धान्त के विपरीत है।

3.2.4 हरित कर के लेखाकरण के लिए उप-शीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया गया

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित हरित कर के लेखाकरण के लिए विशिष्ट उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का सृजन/संचालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप हरित कर के रूप में ₹ 17.35 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शायी जा सकी तथा एकत्रित राजस्व का वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम 2014 में प्रावधान है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पंजीकरण की वैधता की समाप्ति के पश्चात परिवहन वाहन के अलावा किसी भी मोटर वाहन का उपयोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर हरित कर का भुगतान इस संबंध में न कर दिया जाये। हरित कर का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रदूषण को नियंत्रित करना था और इस प्रकार एकत्रित राजस्व का उपयोग किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया (जनवरी 2015) कि मोटर वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण के समय पंजीकरण के समय भुगतान किए गए एकमुश्त कर पर 10 प्रतिशत की दर से हरित कर देय होगा।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना (अक्टूबर 2021) से पता चला कि परिवहन विभाग ने 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹ 17.35 करोड़³⁷ का हरित कर वसूल किया था। परिवहन आयुक्त के कार्यालय से परिवहन वाहन के अलावा अन्य वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण की संख्या की सूचना वांछित (मार्च 2022) थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि हरित कर के लेखाकरण के लिए कोई पृथक उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया गया था और इसे राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अन्य करों के साथ मुख्य शीर्ष-0041-वाहन कर में जमा किया गया था। परिवहन आयुक्त का कार्यालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरित कर के वास्तविक उपयोग की स्थिति उपलब्ध नहीं करा सका और केवल इतना कहा कि हरित कर राज्य का राजस्व है और सरकार द्वारा विभाग में विभिन्न योजनाओं पर व्यय के लिए धन आवंटित किया जाता है। इस प्रकार हरित कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग कर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने का घोषित उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.2.5 में भी इस प्रकरण को प्रकाश में लाया गया था लेकिन सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। प्रकरण को पुनः सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2021); उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2022) है।

3.2.5 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2043-संग्रहण प्रभार का संचालन

यूपीबीएम के प्रस्तर 21 में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखपरीक्षक की सलाह पर महालेखा नियंत्रक (सीजीए), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य प्राप्तियों और संवितरण के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची को लेखा शीर्षों के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अग्रेतर, सरकारी लेखा नियम 1990 का नियम 26 प्रावधानित करता है कि संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में निर्धारित

³⁷ वर्षवार हरित कर का संग्रह: वर्ष 2015-16 - ₹ 1.49 करोड़, वर्ष 2016-17 - ₹ 1.72 करोड़, वर्ष 2017-18 - ₹ 2.12 करोड़, वर्ष 2018-19 - ₹ 2.66 करोड़, वर्ष 2019-20 - ₹ 4.40 करोड़ और वर्ष 2020-21 - ₹ 4.96 करोड़।

वर्गीकरण (उसके तहत मुख्य शीर्षों और लघु शीर्षों को दी गई कोड संख्या सहित) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

सीजीए ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी) से संबंधित व्यय के लेखांकन के लिए राज्य वस्तु और सेवा कर के अधीन नया मुख्यशीर्ष 2043-संग्रह प्रभार खोला (जून 2017)। तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने मुख्यशीर्ष 2043 का संचालन नहीं किया और इसके बजाय, एसजीएसटी संग्रह से संबंधित व्यय को अनुदान संख्या 89 (संस्थागत वित्त विभाग-वाणिज्य कर) में मुख्यशीर्ष-2040 (बिक्री, व्यापार, आदि पर कर) के अन्तर्गत गलत तरीके से दर्ज किया जा रहा था, जो कि सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 26 का उल्लंघन है। इस प्रकरण को 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.2.6 में भी प्रकाश में लाया गया था लेकिन सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

3.2.6 केंद्रीय योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लेखांकन में विसंगति

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली और बजट तैयार करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि बजट प्रावधानों को केंद्रीय योजनाओं/केंद्रीय सहायित योजनाओं के संबंध में उप-शीर्ष के अन्तर्गत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के साथ निर्दिष्ट वित्तपोषण पद्धति (केंद्रीय अंशदान/राज्य अंशदान/वित्तीय संस्थान) के साथ बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के लिए बजट दस्तावेजों की जांच से पता चला कि वित्तपोषण पद्धति को दर्ज करने के लिए उपरोक्त मानदंडों का पालन नहीं किया गया। केंद्रीय योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 17 कार्यक्रमों (परिशिष्ट 3.2) के प्रकरण में वित्तपोषण पद्धति (केंद्रीय अंशदान/राज्य अंशदान/वित्तीय संस्थान) का विस्तृत शीर्ष के साथ उल्लेख नहीं किया गया था। अग्रेतर, केंद्रीय योजनाओं/केंद्र सहायित योजनाओं के अन्तर्गत छः कार्यक्रमों (परिशिष्ट 3.3) के संबंध में केंद्रीय अंशदान और राज्य के अंश का कुल योग, बिना कोई कारण बताए 100 प्रतिशत से अधिक या कम था, और अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानकर्ता के वित्तपोषण अंश को इन प्रकरणों में दर्शाया नहीं गया था।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.2.7 में भी इस प्रकरण को प्रकाश में लाया गया था लेकिन सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

बजटीय आवंटन, वास्तविक संवितरण, बचत और अभ्यर्पण का विवरण और परिकल्पित योजनाओं/परियोजनाओं पर उनके प्रभाव की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3.3.1 बजट अनुमान और अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच का अंतर

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रावधानों, अनुपूरक प्रावधानों, कुल बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं राजस्व मतदेय, राजस्व भारित, पूंजीगत मतदेय, तथा पूंजीगत भारित खंडों के अन्तर्गत बचत की संक्षिप्त स्थिति तालिका 3.7 में विस्तृत रूप से दी गयी है।

तालिका 3.7: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग*	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण		
				धनराशि	प्रतिशत	
मतदेय	I. राजस्व	3,45,100.06	2,63,323.16	81,776.90	238.54	0.29
	II. पूंजीगत	98,769.67	65,703.21	33,066.46	1,238.74	3.75
	III. ऋण एवं अग्रिम	1,636.85	1,152.61	484.24	0	0.00
	योग	4,45,506.58	3,30,178.98	1,15,327.60	1,477.28	1.28
भारित	V. राजस्व	64,127.32	39,046.73	25,080.59	0.15	0.00
	VII. पूंजीगत	39.87	20.50	19.37	0.08	0.41
	VIII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	34,897.43	26,777.49	8,119.94	0	0.00
	योग	99,064.62	65,844.72	33,219.90	0.23	0.00
महायोग	5,44,571.20	3,96,023.70	1,48,547.50	1,477.51	0.99	

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

*वर्ष 2020-21 के दौरान कोई अनुपूरक प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए मूल अनुदान/विनियोग वर्ष के दौरान कुल प्रावधान का निरूपण करता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल प्रावधान ₹ 5,44,571.20 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹ 3,96,023.70 करोड़ था। ₹ 1,48,547.50 करोड़ की सकल बचत कुल प्रावधान का 27.28 प्रतिशत थी, जिसमें राजस्व मतदेय (23.70 प्रतिशत), पूंजीगत मतदेय (33.41 प्रतिशत), राजस्व भारित (39.11 प्रतिशत) और पूंजीगत भारित (23.30 प्रतिशत) खंडों के अन्तर्गत बचत सम्मिलित थी। यह राज्य सरकार के नियोजन और क्रियान्वयन में बड़े अंतर को दर्शाता है।

3.3.2 विगत पांच वर्षों (2016-21) में बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत

विगत पांच वर्षों (2016-21) के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत को तालिका 3.8 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.8: 2016-21 की अवधि के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत


(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
मूल बजट	3,60,797.65	4,17,256.95	4,56,248.38	5,09,003.49	5,44,571.20
अनुपूरक बजट	27,030.98	11,388.17	42,887.73	17,805.73	0.00
कुल बजट प्रावधान	3,87,828.63	4,28,645.12	4,99,136.11	5,26,809.22	5,44,571.20
वास्तविक व्यय	3,49,232.60	3,34,876.62	4,09,784.50	3,99,426.75	3,96,023.70
बचत	38,596.03	93,768.50	89,351.61	1,27,382.47	1,48,547.50
कुल बजट प्रावधानों से बचत का प्रतिशत	9.95	21.88	17.90	24.18	27.28

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.8 इंगित करती है कि 2016-21 की अवधि के दौरान, बजट प्रावधानों के सापेक्ष बचत 9.95 प्रतिशत (2016-17) से 27.28 प्रतिशत (2020-21) के मध्य थी। विगत पांच वर्षों (2016-21) के दौरान प्रावधान के तुलना में बजट के कम उपयोग को चार्ट 3.3 में भी देखा जा सकता है।

चार्ट 3.3: विगत पांच वर्षों (2016–21) के दौरान बजट प्रावधान और बजट का उपयोग



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखे

चार्ट 3.3 से प्रदर्शित करता है कि विगत पांच वर्षों (2016–21) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई है, किन्तु बजट के उपयोग में 2018–19 और 2020–21 के बीच कमी की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2019–20 की तुलना में 2020–21 के दौरान वास्तविक व्यय में ₹ 13,760.80 करोड़ (3.36 प्रतिशत) की कमी आई। इस प्रकार, कम बजट उपयोग से वर्ष 2020–21 के लिए उच्च प्रावधानों का लाभ निष्प्रभावी हो गया।

3.3.3 अव्ययित बजट प्रावधान

यूपीबीएम के प्रस्तर 174 के संदर्भ में दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण बजट प्रावधान, बड़े अभ्यर्पण की आवश्यकता या इसके परिणामस्वरूप अधिकता को एक गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है। बजट तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष बजट प्रक्रिया प्रारंभ होने पर वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश भी अनुमानों की सटीकता और त्रुटिपूर्ण मांगों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने पर जोर देते हैं।

उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभिन्न योजनाओं में सतत बचतों (₹ 100 करोड़ और अधिक) को प्रतिवेदित किया गया था एवं राज्य सरकार को प्रावधानों के उपयोग न होने के कारणों की समीक्षा व भविष्य के वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधान करने सम्बन्धी परामर्श दिया गया था। वर्ष 2020–21 के लिए विनियोग लेखे के अंतर्गत 91 अनुदानों में बचत के सापेक्ष मूल अनुदानों की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकाश में आया कि राजस्व-मतदेय के 45 अनुदानों से संबंधित 45 प्रकरणों में एवं पूंजीगत-मतदेय खण्डों के 25 अनुदानों से संबंधित 25 प्रकरणों (जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) के अधीन क्रमशः ₹ 80,922.06 करोड़ और ₹ 32,802.79 करोड़ की बचत अंकित की गई है। इसी प्रकार, राजस्व-भारित खंड के अन्तर्गत तीन अनुदानों से संबंधित तीन प्रकरणों में तथा पूंजीगत भारित खंड के अन्तर्गत एक अनुदान से संबंधित एक प्रकरण (जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) में क्रमशः ₹ 24,975.52 करोड़ और ₹ 10,142.61 करोड़ की बचतें अंकित की गईं। इस प्रकार, 52 अनुदानों के 74 प्रकरणों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में कुल ₹ 1,48,842.98 करोड़ की बचत हुई जैसा कि परिशिष्ट 3.4 में वर्णित है और तालिका 3.9 में संक्षेपित है।

तालिका 3.9: 2020-21 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की बड़ी बचत वाले अनुदानों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का अनुभाग	मामलों की संख्या	मूल प्रावधान	व्यय	बचत	कुल प्रावधान के सापेक्ष बचतें (प्रतिशत)
1.	राजस्व मतदेय	45	3,19,517.49	2,38,595.43	80,922.06	25.33
2.	पूंजीगत मतदेय	25	93,648.03	60,845.24	32,802.79	35.03
	कुल मतदेय	70	4,13,165.52	2,99,440.67	1,13,724.85	27.53
1.	राजस्व भारित	03	63,687.27	38,711.75	24,975.52	39.22
2.	पूंजीगत भारित	01	30,485.01	20,342.40	10,142.61	33.27
	कुल भारित	04	94,172.28	59,054.15	35,118.13	37.29
	महायोग	74	5,07,337.80	3,58,494.82	1,48,842.98	29.34

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही सम्बन्धित योजनाओं के संबंध में बड़ी बचतें त्रुटिपूर्ण बजट या निष्पादन में कमी या दोनों का संकेत है।

3.3.4 सतत बचत

24 अनुदानों के 28 प्रकरणों में, विगत पांच वर्षों के दौरान लगातार बचत ₹ 100.12 करोड़ और ₹ 17,493.77 करोड़ के मध्य (₹ 100 करोड़ और अधिक) हुई थी। सतत बचत का विवरण परिशिष्ट-3.5 में दिया गया है और तालिका 3.10 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.10: 2016-21 की अवधि के दौरान सतत बचत वाले अनुदानों का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	अनुदानों की संख्या	बचत की धनराशि				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व- मतदेय	23	23,622.92	56,198.83	37,825.43	47,801.39	53,290.45
पूंजीगत- मतदेय	05	4,844.76	6,720.57	11,031.78	12,483.18	10,924.60
योग	28	28,467.68	62,919.40	48,857.21	60,284.57	64,215.05

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

वर्षों से पर्याप्त संख्या में अनुदानों में लगातार बचत, राज्य सरकार द्वारा बार-बार निधि की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण का संकेतक है।

3.3.5 अनावश्यक पुनर्विनियोग

यूपीबीएम के प्रस्तर 147 में प्रावधान है कि विनियोग की प्रत्येक इकाई के अंतर्गत व्यय को विनियोग की उस इकाई के अधीन मूल रूप से प्रदान की गई राशि के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। तथापि, यदि किसी योजना/सेवा पर मूल/पूरक प्रावधान आवश्यकता से कम पाया जाता है, तो सरकार पुनर्विनियोग का सहारा ले सकती है जो अनुदान के उसी खण्ड के अन्तर्गत अनुदान के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में बचत का अंतरण है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2020-21 के दौरान, 20 अनुदानों के 52 उप-शीर्षों में, (परिशिष्ट-3.6) मूल बजट प्रावधान ₹ 10,288.94 करोड़ था और पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 1,298.55 करोड़ की और वृद्धि की गई थी। तथापि, पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि प्रत्येक मामले में व्यय इन उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल

बजट प्रावधान के अंतर्गत था। इन 52 उप-शीर्षों में कुल ₹ 5,887.91 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि तालिका 3.11 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.11: अनावश्यक पुनर्विनियोग की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदान	उपशीर्ष	मूल आवंटन	पुनर्विनियोग	कुल आवंटन	व्यय	बचत
20	52	10,288.94	1,298.55	11,587.49	5,699.58	5,887.91

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

यह इन अनुदानों के अधीन पुनर्विनियोग की युक्ति के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जबकि पर्याप्त बजटीय प्रावधान पहले से ही उपलब्ध थे।

3.3.6 व्यय का अतिरेक

व्यय की एक स्थिर गति को बनाए रखना सार्वभौमिक रूप से एक ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के रूप में स्वीकार किया गया है। केंद्र सरकार में लागू सामान्य वित्तीय नियमों में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय के अतिरेक को वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के रूप में माना गया है। तथापि, व्यय के अतिरेक को रोकने के लिए यूपीबीएम में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।

वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखों में यह पाया गया कि 12 अनुदानों के अन्तर्गत उनके कुल बजटीय प्रावधानों का 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम माह अर्थात् मार्च 2021 में किया गया। बजट प्रावधान और उस पर व्यय का विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है :-

तालिका 3.12: मार्च 2021 में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का विवरण	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	कुल व्यय	मार्च 2021 में व्यय	कुल व्यय से चतुर्थ त्रैमास के व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय से मार्च के व्यय का प्रतिशत
1	38	नागरिक उड्डयन विभाग	10.19	15.05	46.21	1,745.43	1,816.88	1,619.88	96.07	89.16
2	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	0.00	0.05	0.64	0.71	0.53	90.14	74.65
3	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	0.00	16.10	37.10	289.71	342.91	227.85	84.49	66.45
4	45	पर्यावरण विभाग	1.08	0.97	0.96	8.02	11.02	7.18	72.78	65.15
5	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण)	319.33	200.92	258.58	1,737.51	2,516.35	1,557.33	69.05	61.89
6	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	1.25	10.71	31.17	139.65	182.78	111.02	76.40	60.74

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का विवरण	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	कुल व्यय	मार्च 2021 में व्यय	कुल व्यय से चतुर्थ त्रैमास के व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय से मार्च के व्यय का प्रतिशत
7	44	पर्यटन विभाग	5.92	19.53	82.07	381.88	489.40	294.15	78.03	60.10
8	18	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (सहकारिता)	37.57	34.17	136.42	533.81	741.98	444.43	71.94	59.90
9	40	नियोजन विभाग	40.07	42.01	74.89	599.90	756.86	437.40	79.26	57.79
10	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	70.54	65.38	76.87	349.80	562.59	306.35	62.18	54.45
11	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	368.60	2,303.50	3,522.26	15,400.86	21,595.22	11,689.05	71.32	54.13
12	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	26.61	167.08	433.06	2,178.46	2,805.20	1,505.33	77.66	53.66

स्रोत : महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उत्तर प्रदेश द्वारा रखे गये वीएलसी के आंकड़े

वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 1,816.88 करोड़ में से ₹ 1,619.88 करोड़ (89.16 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय किये गये थे तथा ₹ 1,745.43 करोड़ (96.07 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए थे। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21³⁸ की चौथी तिमाही के दौरान नागरिक उड्डयन विभाग अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत व्यय किए गए ₹ 1,745.43 करोड़ में से ₹ 475.86 करोड़ लेखाशीर्ष 8443 (सिविल जमा)-117 (सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किए गए कार्यों के लिए जमा) के अन्तर्गत वैयक्तिक जमा/वैयक्तिक लेजर खातों में अंतरित किया गया था। वैयक्तिक जमा खाते में धनराशि का यह हस्तान्तरण प्रशासनिक विभागों द्वारा संचित निधि से धनराशि का आहरण कर वैयक्तिक जमा/वैयक्तिक लेजर खाते में रखने के प्रचलन को रोकने के राज्य सरकार के निर्देशों (मार्च 2018) का उल्लंघन था।

3.3.7 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

यूपीबीएम के प्रस्तर 212 में योजनाओं और परियोजनाओं के सूत्रीकरण और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा निम्नानुसार है-“शक्तिशाली परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन का परियोजनाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव के साथ-साथ उनके समय पर कार्यान्वयन पर एक बड़ा असर पड़ता है। परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन चरण में दिये गए अतिरिक्त समय और प्रयास के परिणामस्वरूप अंतिम परियोजना प्रभाव के मामले में गुणात्मक सुधार होगा।”

विनियोग लेखे 2020-21 की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकाश में आया कि ऐसी योजनायें थीं जिनके लिए सरकार ने मूल प्रावधान किए लेकिन विनियोग लेखाओं में बिना कारण बताए कोई धनराशि व्यय नहीं की गई। इसी प्रकार, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मूल प्रावधानों को अन्य परियोजनाओं/योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया था और उन

³⁸ ₹ 100.00 करोड़ चालान सं0 बी50530004 दिनांक 15 फरवरी 2021, ₹ 322.00 करोड़ चालान सं0 बी50530001 दिनांक 5 मार्च 2021, ₹ 53.86 करोड़ चालान सं0 बी50530002 दिनांक 31 मार्च 2021

योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था जिनके लिए मूल रूप से विनियोग किया गया था। ऐसे प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी है:

योजनायें जिनके मूल बजट आवंटन का उपयोग नहीं किया जा सका

विनियोग लेखे 2020-21 में देखा गया कि राज्य सरकार ने 57 अनुदानों के अंतर्गत 251 योजनाओं (परिशिष्ट-3.7), जिसके लिए एक करोड़ और उससे अधिक का बजट प्रावधान किया गया था, पर कोई व्यय नहीं किया, जैसा कि तालिका 3.13 में संक्षेपित है।

तालिका 3.13: उन योजनाओं का सारांश जिनमें मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)				
अनुदानों की संख्या	योजना की संख्या	मूल अनुदान	कुल व्यय	बचत
57	251	50,616.51	0.00	50,616.51

स्रोत: विनियोग लेखे 2020-21

योजनायें जिनके मूल प्रावधानों का पुनर्विनियोग अन्य योजनाओं में किया गया

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 (परिशिष्ट-3.8) के दौरान नौ अनुदानों के तहत 22 योजनाओं के लिए ₹ 1,917.65 करोड़ का प्रावधान किया, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया और इन योजनाओं से प्रावधानों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,515.99 करोड़) किया गया।


उपरोक्त 273 योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग न करना यह दर्शाता है कि या तो बजट बिना उचित विवेक के तैयार किया गया था या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गंभीर चूक हुई थी।

3.3.8 बचतों का विलम्बित अभ्यर्पण

यूपीबीएम का प्रस्तर 141 नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करता है कि सभी अंतिम बचत 25 मार्च तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित कर दी जाए। यदि वित्त विभाग ऐसे अभ्यर्पणों को स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तो विलम्ब से अभ्यर्पण करने वाले अधिकारी को परिणामी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जब बचत का उचित अनुमान लगाया जा सकता था और पहले अभ्यर्पण किया जा सकता था।

वर्ष 2020-21 के दौरान बचत और अभ्यर्पण का विवरण चार्ट 3.4 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 3.4: वर्ष 2020-21 के दौरान कुल बचतें एवं अभ्यर्पण



स्रोत : विनियोग लेखे 2020-21

चार्ट 3.4 में देखा जा सकता है कि ₹ 1,48,547.50 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 1,477.51 करोड़ (1 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए और शेष धनराशि ₹ 1,47,069.99 करोड़ व्यपगत हो गई। इसके अलावा, यूपीबीएम के निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए सभी समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किए गए थे।

3.4 आकस्मिकता निधि

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के अंतर्गत राज्य सरकार ₹ 600 करोड़ के कोष के आकस्मिकता निधि का रखरखाव करती है। उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि नियमों के अनुसार, निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा, विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत करने के उपरांत इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

राज्य सरकार ने वर्षा ऋतु 2021 में वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य हेतु आकस्मिकता निधि (8000-201) से ₹ 100 करोड़ स्वीकृत किया (जनवरी 2021), जो अंतिम रूप से अनुदान संख्या 60-वन विभाग के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4406-वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 102-सामाजिक एवं कृषि वानिकी, 03-सामाजिक वानिकी (जिला योजना), 24-प्रमुख कार्य पर प्रभारित होगा। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी (मार्च 2021)।

3.5 निष्कर्ष

- वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 5,44,571.20 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 1,48,547.50 करोड़ की सकल बचत हुई। पिछले पांच वर्षों (2016-21) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन 2018-19 और 2020-21 के बीच बजट के उपयोग में कमी की प्रवृत्ति रही।
- व्यय के गलत वर्गीकरण, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का अतिरेक, बड़ी संख्या में योजनाओं के तहत अप्रयुक्त प्रावधान और बजट प्रावधानों के अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण थे। इसके अलावा, विभागीय नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया और 99 प्रतिशत बचतें व्यपगत हो गईं।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा दो अनुदानों एवं एक विनियोग के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार से ₹ 8.10 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ। वर्ष 2005-06 से 2019-20 से संबंधित 102 अनुदानों और 47 विनियोगों के अंतर्गत ₹ 32,525.36 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी नियमित किया जाना है। अधिक व्यय के भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से लिए गए ₹ 100 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति नहीं की थी।

3.6 संस्तुतियाँ

- वित्त विभाग को उन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके कारण विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे और भविष्य के वर्षों में अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- पुनर्विनियोग, निधि की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान की सटीकता में सुधार करने की सलाह दे सकता है।

- वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अंतिम समय के अभ्यर्पण और आवंटन के व्यपगत होने का सहारा लिए बिना, निधियों को अनावश्यक रूप से रखा नहीं जाय और शीघ्रातिशीघ्र अभ्यर्पित कर दिया जाय।
- कतिपय मानक मदों में शामिल पूंजीगत या राजस्व प्रकृति के कुछ व्यय मदों का वर्गीकरण, जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में इंगित किया गया है, को उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के साथ संरेखित करने के लिए समीक्षा और निवारण की आवश्यकता है।
- सरकार व्यय की स्थिर गति बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।
- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामले संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे गए हैं।
- राज्य सरकार को आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिमों की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय - IV

लेखाओं की गुणवत्ता
एवं वित्तीय रिपोर्टिंग
परम्परायें

अध्याय-IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना सहित एक मजबूत आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार को दक्ष एवं प्रभावी शासकीय व्यवस्था प्रदान करती है। अतः वित्तीय नियमों, पद्धतियों एवं निर्देशों के अनुसार अनुपालन साथ ही साथ उन अनुपालनों के रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन का एक गुण है। अनुपालनों एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि यह प्रभावी एवं प्रचालन योग्य है, सरकार के सामरिक नियोजन एवं निर्णय निर्माण सहित मूलभूत प्रबन्धकीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। यह अध्याय सम्पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों सहित वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराओं में राज्य सरकार के लेखे की गुणवत्ता एवं अनुपालन पर एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

लेखे की सम्पूर्णता सम्बन्धी मुद्दे

4.1 राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अनुच्छेद 266(1) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा राज हुंडियाँ निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिये गये सभी उधार एवं उधारों के प्रति संदाय में सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से एक संचित निधि बनेगी जो राज्य की संचित निधि के नाम से ज्ञात होगी। अनुच्छेद 266(2) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य लोक धनराशियाँ राज्य के लोक लेखे में जमा की जायेंगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, राज्य की संचित निधि/लोक लेखे का भाग नहीं बना जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

4.1.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बीओसीडब्ल्यू (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में विगत बारह महीने के किसी भी दिन दस या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया गया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य सरकार ने उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया तथा उपकर अधिनियम के अनुसार एक प्रतिशत की दर से उपकर का उद्ग्रहण किया जाता है। समय-समय पर यथा संशोधित, उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 20 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 20 का संग्रहण करने का प्रावधान है जिन्हे बाद में (दिसम्बर 2020) कोविड महामारी को देखते हुए 31 मार्च 2021 तक घटाकर शून्य कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

शासकीय लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

उ०प्र० बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड ने अपने गठन (नवम्बर 2009) से अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया। 2016-21 की अवधि में उपकर की प्राप्तियों एवं उपभोग का विवरण, जैसा कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया, तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2016-21 की अवधि के दौरान पंजीकरण शुल्क, संग्रहीत उपकर एवं उपभोग की स्थिति (₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियाँ				कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अन्तिम अवशेष
		पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	श्रम उपकर		जमा धनराशि पर ब्याज			
			बोर्ड के खाते में प्राप्त	कोषागार (राज्य सरकार) से प्राप्त				
1	2	3	4	5	6	7 (स्तंभ 2 से 6)	8	9 (स्तंभ 7-8)
2016-17	2,457.91	13.00	829.60	10.00	162.23	3,472.74	277.78	3,194.96
2017-18	3,194.96	10.54	789.79	36.96	214.36	4,246.61	324.14	3,922.47
2018-19	3,922.47	07.42	891.31	09.99	247.86	5,079.05	193.85	4,885.20
2019-20	4,885.20	13.15	916.45	08.73	323.18	6,146.71	362.67	5,784.04
2020-21	5,784.04	9.31	878.81	10.00	360.00	7,042.16	882.54	6,159.62

स्रोत: उ०प्र० बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड (अन्तिम आकड़े)

राज्य सरकार ने उ०प्र० बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 के अन्तर्गत सभी जिलाधिकारियों एवं 16 विभाग के अधिकारियों को उपकर निर्धारक अधिकारी एवं उपकर संग्राहक अधिकारी नियुक्त (नवम्बर 2009 एवं सितम्बर 2010) किया। आगे राज्य सरकार ने संग्रहीत उपकर को बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में जमा करने का आदेश निर्गत (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) किया। उपर्युक्त तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2021 को बोर्ड के पास ₹ 6,159.62 करोड़ उपलब्ध थे। आगे यह पाया गया कि:

- (i) उपकर के लेखाकरण हेतु अपनायी गयी प्रणाली बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998³⁹ के अनुरूप नहीं है जिसमें यह प्रावधान है कि संग्रहीत उपकर को राज्य के लेखाकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड के लेखाशीर्ष में बोर्ड को अन्तरित किया जायेगा। तदनुसार, संग्रहीत उपकर लोक लेखे में दर्शाया जाना चाहिए एवं वहाँ से इसे बोर्ड के खाते में अन्तरित किया जा सकता है। उपकर को शासकीय लेखे में लिये बिना बोर्ड के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 का उल्लंघन करता है।
- (ii) सरकार के लेखे के माध्यम से उपकर का लेखाकरण नहीं अपनाये जाने के कारण राज्य सरकार के लेखे से यह भी निश्चित नहीं किया जा सकता है कि उपकर, फीस आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी और विभिन्न उपकर संग्राहकों द्वारा कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

श्रमिक उपकर का उपभोग

राज्य सरकार ने बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि से निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों यथा पेंशन, आवासीय विद्यालय, आवास के क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अंतेष्टि सहायता, चिकित्सकीय सहायता, मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह, गंभीर बीमारी, सौर ऊर्जा, कौशल विकास एवं

³⁹ भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्र सरकार ने बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम 1998 बनाया जिसे भारत के गजट दिनांक 26 मार्च 1998 में प्रकाशित किया गया।

तकनीकी प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता आदि को अधिसूचित किया। 2016–21 की अवधि के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: 2016–21 की अवधि के दौरान बीओसीडब्ल्यू पंजीकरण, आच्छादन एवं उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)	संचालित योजनायें		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष के अन्त तक पंजीकृत श्रमिक	आच्छादित श्रमिक	प्रतिशतता		
		संख्या	बीओसीडब्ल्यू द्वारा आवंटन (₹ करोड़ में)				आच्छादित श्रमिक	आवंटन के सापेक्ष निधि का उपभोग	उपलब्धता के सापेक्ष निधि का उपभोग
2016-17	3,472.74	23	752.83	249.88	34,27,104	5,16,851	15.08	33.19	7.20
2017-18	4,246.61	18	514.06	282.57	42,08,744	3,50,384	8.33	54.97	6.65
2018-19	5,079.05	16	361.75	193.62	48,56,323	2,69,424	5.55	53.52	3.81
2019-20	6,146.71	16	696.94	357.25	53,70,729	12,54,380	23.36	51.26	5.65
2020-21	7,042.16	16	1,203.15	868.88	43,74,964	29,16,380	66.66	72.22	12.34

स्रोत: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड (अनन्तिम आकड़े)

तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण पर उपलब्ध निधियों के सापेक्ष 3.81 प्रतिशत से 12.34 प्रतिशत व्यय किया गया और 5.55 प्रतिशत से 66.66 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया। आगे यह पाया गया कि गत वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में व्यय में वृद्धि मुख्यतया आपदा राहत सहायता योजना के अन्तर्गत ₹ 245.91 करोड़, बालिका विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत ₹ 237.11 करोड़, मातृत्व, शिशु एवं बालिका सहायता योजना के अन्तर्गत ₹ 152.98 करोड़ और चिकित्सा सुविधा योजना के अन्तर्गत ₹ 139.24 करोड़ के व्यय के कारण थी।

4.1.2 राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 82 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग का गठन करेगी। अधिनियम की धारा 103 में आगे प्रावधान है कि राज्य सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के रूप में जाना जायेगा एवं जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिये गये कोई भी अनुदान एवं ऋण, अधिनियम के अन्तर्गत राज्य आयोग को प्राप्त सभी फीस एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से आयोग को प्राप्त अन्य सभी निधियाँ जमा होंगी।

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का गठन 10 सितम्बर 1998 को हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा प्राप्त फीस आयोग द्वारा संचालित बैंक खाते में जमा की गयी। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) का उलंघन करते हुए 31 मार्च 2021 को ₹ 96.14 करोड़ की धनराशि राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी। यहाँ यह प्रासंगिक है कि समान मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 99 के अन्तर्गत गठित (अक्टूबर 2007) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि को भारत के लोक लेखे के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था।

प्रकरण को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 6.1 में भी रेखांकित किया गया था। प्रकरण को 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.1.2 में दोहराया गया।

अपने पूर्व के उत्तर (जून 2020) में, वित्त विभाग ने ऊर्जा विभाग से उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक निधि के लिये नियम बनाने एवं धनराशि को राज्य के लोक लेखे में अंतरित करने हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

प्रकरण सरकार को पुनः प्रतिवेदित (अक्टूबर 2021) किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2022) है।

4.2 राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त गैर-बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदंडों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से संचित निधि में जमा नहीं किए जा रहे गैर-बजट ऋण का सहारा लिया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 में रेखांकित किया गया है कि राज्य सरकार प्रतिभूतियों के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक देनदारियों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्पेशल पर्पज वेहिकल द्वारा लिये गये ऋण से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों तथा अन्य समकक्ष प्रपत्र, जहाँ पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटन पर है, को प्रकट करते हुए लोक हित में अपने राजकोषीय संक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2006 में प्रावधान किया गया है कि बजट अभिलेखों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखे जाने वाले 'मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) विवरण' में राज्य सरकार के राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं कुल बकाया ऋण⁴⁰ के सम्बन्ध में पांच साल का रोलिंग लक्ष्य शामिल होगा। वर्ष 2020-21 के लिए ऋण-स्टॉक को जीएसडीपी के 32 प्रतिशत के रूप में लक्षित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-19 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/प्राधिकरणों⁴¹ के माध्यम से बजट से बाहर ऋण प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत ₹ 9,501.40 करोड़ के ऋण के सापेक्ष, इन राज्य पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ₹ 8,716.40 करोड़ की धनराशि के ऋण लिये गये जैसा कि तालिका 4.3 में वर्णित है।

तालिका 4.3: 2017-19 की अवधि के दौरान गैर-बजट ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

गैर-बजट ऋण का वर्ष	सरकार की ओर से ऋण लेने वाली इकाइयाँ	ऋण देने वाली एफ.आई.	स्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण
2017-18	यूपीएसबीसीएल, यूपीआरएनएन, यूपीएसएचए, यूपीईआईडीए, यूपीपीसीएल एवं यूपीपीटीसीएल	हुडको एवं पीएफसी	9,501.40	8,482.40
2018-19	यूपीईआईडीए	हुडको		234.00
योग			9,501.40	8,716.40

स्रोत: सम्बन्धित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ एवं उ०प्र० सरकार के स्वीकृत आदेश

⁴⁰ राज्य का कुल बकाया ऋण राज्य के ऋण स्टॉक की स्थिति या कुल ऋणग्रस्तता जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधियाँ एवं जमा और अग्रिम शामिल हैं, को इंगित करता है।

⁴¹ उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन), उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (यूपीएसएचए), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए), उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)

इन ऋणों का भुगतान राज्य सरकार के बजट से किया गया। गैर-बजट ऋण के ₹ 8,716.40 करोड़ में से ₹ 1,834.21 करोड़ के ऋण का भुगतान 2017-20 की अवधि के दौरान संबंधित पीएसयू द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता के माध्यम से किया गया। इसमें यूपीआईडीए द्वारा लिये गये ₹ 1,179 करोड़ के सम्पूर्ण गैर-बजट ऋण का पुनर्भुगतान शामिल था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के बजट से इन पीएसयू/प्राधिकरणों को ₹ 5,781.57 करोड़ (ब्याज भुगतान के सापेक्ष ₹ 536.27 करोड़ और मूलधन के पुनर्भुगतान के सापेक्ष ₹ 5,245.30 करोड़) प्रदान किए जैसा कि तालिका 4.4 में वर्णित है।

तालिका 4.4: ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाइयों के नाम	ब्याज राशि के भुगतान के लिए सहायता	मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए सहायता
1	यूपीएसबीसीएल	37.92	501.42
2	यूपीआरएनएन	161.16	1,996.70
3	यूपीएसएचए	175.46	2,006.38
4	यूपीपीसीएल	92.35	416.67
5	यूपीपीटीसीएल	69.38	324.13
	योग	536.27	5,245.30

स्रोत: सम्बन्धित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनार्यें एवं उOग्रO सरकार के स्वीकृति आदेश।

चूंकि ये गैर-बजट ऋण राज्य के ऋण-स्टॉक का भाग नहीं हैं, ऋण-स्टॉक की स्थिति वास्तविक ऋण भार को नहीं दर्शाती है जैसा कि तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: गैर-बजट ऋणों सहित ऋण-स्टॉक की स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2021 को ऋण स्टॉक (वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार)	गैर-बजट ऋण जैसा कि तालिका 4.3 में वर्णित है	गैर-बजट ऋण का पुनर्भुगतान		31.03.2021 को गैर-बजट ऋण सहित ऋण-स्टॉक
		2017-20 की अवधि के दौरान	वर्ष 2020-21 के दौरान	
1	2	3	4	5 = 1 + (2-3-4)
5,64,971.68	8,716.40	1,834.21	5,245.30	5,66,608.57

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे और सम्बन्धित इकाइयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनार्यें

तालिका 4.5 इंगित करती है कि 31 मार्च 2021 को के गैर-बजट ऋण को समाहित करने पर 2020-21 में ऋण-स्टॉक ₹ 1,636.89 करोड़ अधिक था। तदनुसार, 31 मार्च 2021 को जीएसडीपी से ऋण-स्टॉक का अनुपात गैर-बजट ऋण को बिना समाहित किये 32.77 प्रतिशत के सापेक्ष गैर-बजट ऋण सहित 32.87 प्रतिशत था।

प्रकरण सरकार के संज्ञान में लाया गया (अक्टूबर 2021), सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2022) है।

4.3 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुमोचित देनदारियाँ

राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए अपनी देनदारियों का उन्मोचन नहीं किया जैसाकि नामित निधि प्रबन्धक को अग्रतर निवेश हेतु अंशदान अन्तरित नहीं किया गया।

1 अप्रैल 2005 या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत आच्छादित हैं। यह सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के नए प्रवेशकों पर भी लागू होता है। योजना के शर्तों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी मूल

वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारम्भ में दोनों योगदान सरकारी कर्मचारियों के लिये सम्बन्धित लेखा शीर्ष 8342-अन्य जमा-117 डीसीपीएस तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों के लिये 8342-120-विविध जमा के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा किये जाने हैं। इसके बाद, डीसीपीएस में योगदान की गई सम्पूर्ण धनराशि (सरकार का योगदान और कर्मचारियों का योगदान) को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तान्तरित किया जाना वांछनीय है। अग्रेतर, मुख्य शीर्ष 8342 'ब्याज सहित जमा' की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि सरकार को अहस्तान्तरित शेष पर ब्याज का भुगतान करना वांछनीय है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने शीर्ष 2071-01-117-डीसीपीएस के लिए सरकार का योगदान के अन्तर्गत ₹ 5,131.88 करोड़ का व्यय पुस्तांकित किया। इसमें सरकार के योगदान के रूप में ₹ 4,493.26 करोड़ (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹ 2,634.34 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए ₹ 1,858.80 करोड़ और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए ₹ 0.12 करोड़) तथा योजना से आच्छादित कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन एवं विलम्बित जमाओं पर ब्याज के भुगतान हेतु ₹ 638.62 करोड़ शामिल हैं। इसमें से, सरकार के योगदान की धनराशि ₹ 2,791.74 करोड़ लोक लेखे में डीसीपीएस हेतु नामित मुख्य शीर्ष 8342 में हस्तान्तरित की गयी। राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित धनराशि (₹ 5,131.88 करोड़) एवं डीसीपीएस हेतु नामित शीर्ष में वास्तविक हस्तान्तरित धनराशि (₹ 2,791.74 करोड़) के मध्य अन्तर की धनराशि ₹ 2,340.14 करोड़ राज्य सरकार एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य समाधान की प्रक्रिया में है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में, सरकार के अंशदान की धनराशि ₹ 2,652.96 करोड़ और कर्मचारियों के अंशदान की धनराशि ₹ 1,903.52 करोड़ को वर्ष 2020-21 के दौरान शीर्ष 8342-117 में स्थानान्तरित किया गया। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, सरकार के अंशदान की धनराशि ₹ 2,652.61 करोड़ और कर्मचारियों के अंशदान की धनराशि ₹ 1,903.02 करोड़ थी। यह अन्तर राज्य सरकार और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य समाधान की प्रक्रिया में था। अग्रेतर, वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 4,522.10 करोड़ हस्तान्तरित किये। इस प्रकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ₹ 385.08 करोड़ (मार्च 2020 के अन्त में ₹ 350.71 करोड़ की अवशेष धनराशि सहित) की अवशेष धनराशि को एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित नहीं किया गया। नामित निधि प्रबन्धक को डीसीपीएस के अंशदान के इस प्रकार के अल्प हस्तान्तरण को 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 एवं 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्षों हेतु राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पूर्व में संज्ञान में लाया गया था।

जैसा कि वित्त लेखा 2020-21 में बताया गया, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342 में हस्तान्तरित योगदान और शीर्ष के अन्तर्गत अवशेष धनराशि के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की। लेखाशीर्ष 8342-120-अन्य जमा के अन्तर्गत इन कर्मचारियों के संबंध में अवशेष धनराशि वित्त लेखे से सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी क्योंकि इसमें विविध जमा भी शामिल है।

अग्रेतर, वर्ष के प्रारम्भ में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में डीसीपीएस के प्रारम्भिक अवशेष (₹ 350.71 करोड़) पर सरकार को सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर के अनुसार गणना की गयी धनराशि ₹ 24.90 करोड़ के ब्याज को जमा करना वांछनीय था। तथापि, सरकारी कर्मचारियों के संबंध में डीसीपीएस की अवशेष धनराशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को ₹ 24.90 करोड़ कम बताया गया।

इस प्रकार, राज्य सरकार ने डीसीपीएस हेतु इस देयता का उन्मोचन नहीं किया और वर्तमान देयता भविष्य के वर्षों हेतु स्थगित है। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि से कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई क्योंकि यह अभिदाताओं के निवेश के कोष का अंश नहीं बन सकी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय लाभों/भविष्य में सरकार की परिहार्य वित्तीय देयता के सम्बन्ध में अनिश्चितता का सृजन किया और इस प्रकार योजना संभावित विफलता की ओर अग्रसर है।

प्रकरण सरकार के संज्ञान में लाया गया (अक्टूबर 2021), सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2022) है।

4.4 उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) की स्थापना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 636.81 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं की गई।

2009 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (यूपीएमवीटी) अधिनियम, 1997 की धारा 8(1) के प्रावधानों के अनुसार, किसी सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) स्थापित करेगी। धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि निधि में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना नहीं किये जाने का प्रकरण, जिसमें यूपीएमवीटी अधिनियम के प्रावधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य को नकार दिया गया था, का उल्लेख 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश सरकार-वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 04 का प्रस्तर सं० 1.9.3.2) में किया गया था। उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया था कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर थी। प्रकरण को 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.4 में दोहराया गया। तथापि, यह पाया गया कि राज्य सरकार ने यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना अभी तक नहीं किया था।

2015-21 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग ने यूपीएमवीटी अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत ₹ 31,840.13 करोड़ का कर वसूल किया, जिसका विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका 4.6: 2015-21 की अवधि के दौरान यूपीआरटीएआरएफ में जमा किए जाने योग्य कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	धारा 4 के अधीन वसूल किया गया कर			धारा 6 के अधीन वसूल किया गया अतिरिक्त कर	धारा 4 और 6 के अधीन वसूल किया गया कुल कर	यूपीआरटीएआरएफ में हस्तांतरित किये जाने हेतु 2 प्रतिशत
	0041-102-01	0041-102-03	योग			
1	2	3	4 = 2+3	5	6 = 4+5	7 = स्तम्भ 6 का 2%
2015-16	3,710.60	159.40	3,870.00	213.00	4,083.00	81.66
2016-17	4,357.84	168.27	4,526.11	243.67	4,769.78	95.40
2017-18	5,186.72	186.02	5,372.74	270.73	5,643.47	112.87
2018-19	5,585.21	199.77	5,784.98	259.01	6,043.99	120.88
2019-20	5,843.87	203.25	6,047.12	231.25	6,278.37	125.57
2020-21	4,809.33	153.75	4,963.08	58.44	5,021.52	100.43
Total	29,493.57	1,070.46	30,564.03	1,276.10	31,840.13	636.81

स्रोत: कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

तालिका 4.6 से स्पष्ट है कि 2015-21 की अवधि के लिए यूपीआरटीएआरएफ में ₹ 636.81 करोड़ की धनराशि जमा की जानी थी परन्तु निधि की स्थापना नहीं होने के कारण जमा नहीं की जा सकी। ₹ 636.81 करोड़ में से, ₹ 100.43 करोड़ वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित है। इसका राज्य के राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा पर भी प्रभाव पड़ा जो वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 100.43 करोड़ अधिक बताये गये।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने बताया (अक्टूबर 2021) कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। आगे यह भी सूचित किया गया कि 2015-21 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग के अनुदान संख्या 43 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से दुर्घटनाग्रस्त सम्बन्धित पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 1.23 करोड़⁴² की धनराशि प्रदान की गयी। इस प्रकार, दुर्घटना के कारण पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता यूपीआरटीएआरएफ से प्रदान नहीं की जा रही है जिसे यूपीएमवीटी अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत स्थापित किया जाना वांछनीय था। वर्ष 2015-21 के दौरान निधि में जमा की जानी वाली धनराशि (₹ 636.81 करोड़) एवं पीड़ितों को प्रदान की गयी सहायता (₹ 1.23 करोड़) में भी बहुत बड़ा अन्तर था। सरकार को लोक लेखे में यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना करके अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

सरकार ने अपने पहले के उत्तर बताया (जुलाई 2021) कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। प्रकरण सरकार के संज्ञान में पुनः लाया गया (अक्टूबर 2021); उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2022) है।

4.5 राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण

वित्त लेखे के खंड II का परिशिष्ट VI राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों के सीधे अन्तरण, अर्थात्, राज्य के बजट के बाहर से प्राप्त निधियों, जिसे भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल से संकलित किया गया है, को दर्शाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य के कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 182.46 करोड़ (राज्य सरकार के पीएसयू: ₹ 20.94 करोड़, राज्य सरकार के संस्थान: ₹ 160.09 करोड़ और सांविधिक निकाय: ₹ 1.43 करोड़) का सीधे अन्तरण किया। तथापि, राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों के सीधे अन्तरण में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 66.39 प्रतिशत की कमी (वर्ष 2019-20 में ₹ 542.82 करोड़ से वर्ष 2020-21 में ₹ 182.46 करोड़) आयी है।

पारदर्शिता से सम्बन्धित मुद्दे

4.6 उपभोग प्रमाणपत्र के प्रेषण में विलम्ब

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-V भाग-I, प्रस्तर 369-एच में प्रावधान है कि जहां अनुदान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किए गये हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त करना चाहिए, जिसे सत्यापन के बाद महालेखाकार (ले. एवं हक.) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, उन अनुदानों के सम्बन्ध में, जिसे स्वीकृति की तारीख से अगले 12 महीनों के दौरान उपभोग किए जाने की उम्मीद है, सक्षम प्राधिकारी को अनुदान की स्वीकृति के दिनांक से 18 महीने के अन्दर अपेक्षित प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रेषित करना चाहिए।

⁴² वर्ष 2015-16- ₹ 5.85 लाख (41 दुर्घटनायें), वर्ष 2016-17- ₹ 19.35 लाख (77 दुर्घटनायें), वर्ष 2017-18- ₹ 24.00 लाख (121 दुर्घटनायें), वर्ष 2018-19- ₹ 19.15 लाख (143 दुर्घटनायें), वर्ष 2019-20- ₹ 33.07 लाख (176 दुर्घटनायें) एवं वर्ष 2020-21- ₹ 21.60 लाख (164 दुर्घटनायें)।

जिस उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान का उपयोग किया गया था, उसकी पुष्टि केवल यूसी प्राप्त होने पर ही की जा सकती है जो अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों के अपयोजन से बचाव करेगा। इस प्रकार, लेखे में दर्शाए गए व्यय को यूसी के अप्राप्त रहने तक अंतिम नहीं माना जा सकता है। 30 सितंबर 2019 तक दिए गए अनुदानों के लिए 31 मार्च 2021 को बकाया उपभोग प्रमाणपत्रों की स्थिति तालिका 4.7 में दी गई है।

तालिका 4.7: उपभोग प्रमाण पत्र के प्रेषण में बकाया

वर्ष *	प्रतीक्षित उपभोग प्रमाणपत्रों की संख्या (31 मार्च को)	धनराशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	38,154	14,530.12
2019-20	1,433	11,706.96
योग	39,587	26,237.08

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

* उपर्युक्त वर्ष उस 'निर्गत वर्ष' से सम्बन्धित है जिसके लिए यूसी देय थे, लेकिन मार्च 2021 तक यूसी प्राप्त नहीं हुए

तालिका 4.7 दर्शाती है कि 2001-02 से 2019-20 (सितंबर 2019 तक) की अवधि के दौरान निर्गत अनुदानों के लिए कुल ₹ 26,237.08 करोड़ के 39,587 यूसी 31 मार्च 2021 को बकाया थे। यद्यपि, 30 सितंबर 2019 तक की अवधि के ₹ 9,089.88 करोड़ की धनराशि के बकाया यूसी वर्ष 2020-21 के दौरान जमा किये गये। लम्बित यूसी की वर्ष-वार स्थिति का सार तालिका 4.8 में है।

तालिका 4.8: बकाया यूसी का वर्षवार ब्योरा


(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूसी की संख्या	धनराशि
2001-02 से 2009-10	25,932	5,393.07
2010-11	936	573.08
2011-12	708	336.73
2012-13	722	415.46
2013-14	1,711	1,197.05
2014-15	1,973	954.37
2015-16	1,135	441.12
2016-17	1,163	637.88
2017-18	1,256	963.12
2018-19	2,618	3,618.24
2019-20	1,433	11,706.96
योग	39,587	26,237.08

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21 एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.), उ.प्र. द्वारा अनुरक्षित सूचनार्ये।

कुल बकाया यूसी में से, ₹ 23,430.75 करोड़ (89.30 प्रतिशत) धनराशि के 18,068 यूसी (45.64 प्रतिशत) पाँच विभागों; नगर विकास विभाग, कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज), समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) और कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास) से सम्बन्धित थे जैसा कि चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: विभागवार बकाया यूसी की धनराशि



स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के बड़ी संख्या में लम्बित होने की स्थिति निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन के जोखिम से भरी हुई थी।

4.7 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा उन व्यय की मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण, जिसके लिए आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण और समर्थित वाउचर उपलब्ध नहीं हैं, संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों पर किया जाता है। वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-V) भाग-1 के प्रस्तर 183 के अनुसार, भुगतान के बाद प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक प्रभारों के मामले में, विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल अगले माह के अन्त तक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियंत्रण अधिकारी को या जहां कोई नियंत्रण अधिकारी नहीं है, तो सीधे महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। समर्थित डीसीसी बिलों को देर से प्रस्तुत करने या लंबे समय तक प्रस्तुत न करने से एसी बिलों के अन्तर्गत किया गया व्यय अपारदर्शी हो जाता है। 31 मार्च 2021 को लम्बित डीसीसी बिलों का विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: 31 मार्च 2021 को लंबित डीसीसी बिलों की वर्षवार स्थिति


वर्ष	लम्बित डीसीसी बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	1,108	10.81
2019-20	47	5.09
2020-21	23	0.31
योग	1,178	16.21

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

जैसा कि तालिका 4.9 से स्पष्ट है, ₹ 15.90 करोड़ की धनराशि के 1,155 डीसीसी बिल वर्ष 2001-02 से 2019-20 तक की लंबी अवधि से लम्बित थे और ₹ 0.31 करोड़ की धनराशि के 23 डीसीसी बिल वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित हैं। कुल बकाया एसी बिलों में से, ₹ 13.29 करोड़ (81.99 प्रतिशत) की धनराशि के 247 बिल (20.97 प्रतिशत) चार विभागों: सचिवालय प्रशासन विभाग (₹ 7.03 करोड़ धनराशि के 127 एसी बिल); निर्वाचन विभाग (₹ 4.57 करोड़ धनराशि के 79 एसी बिल); गृह विभाग (होमगार्ड) (₹ 1.03 करोड़ धनराशि के 11 एसी बिल) और महिला एवं बाल कल्याण विभाग

(₹ 0.66 करोड़ धनराशि के 30 एसी बिल) से सम्बन्धित थे जैसा कि चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: बड़े बकायेदार विभागों के लम्बित डीसीसी बिल



स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब इंगित करता है कि निधियां बिना तत्काल भुगतान की आवश्यकता के आहरित की गई थीं। एसी बिल के माध्यम से धनराशि का आहरण संचित निधि में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के सापेक्ष लेखाबद्ध किया जाता है। जब तक निर्धारित समय के अन्दर लेखे का समायोजन नहीं किया जाता है, व्यय उस सीमा तक बढ़ा रहता है। अग्रेतर, निर्धारित समय के अन्दर डीसीसी बिलों को प्रस्तुत न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है बल्कि अपव्यय/दुर्विनियोजन/कदाचार आदि की संभावना भी बढ़ जाती है।

4.8 वैयक्तिक जमा खाता

संघ और राज्यों के लेखे के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अन्तर्गत, वैयक्तिक जमा, 8443-सिविल जमा-106- वैयक्तिक जमा के अन्तर्गत खोले गए ब्याज रहित जमा की प्रकृति के होते हैं। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता (यूपीपीएलए) नियमावली 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वैयक्तिक जमा (पीडी) खाते/पीएलए खोलने के लिए अधिकृत है। नामित प्रशासक राज्य की संचित निधि से निधियों के अंतरण द्वारा इन पीडी खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। अग्रेतर, यूपीपीएलए नियमावली 1998 के नियम 10 (2) में आगे प्रावधान है कि यदि किसी पीडी खाते में तीन साल तक कोई संव्यवहार नहीं होता है, तो कोषागार अधिकारी ऐसे खातों को बन्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध करेगा, और यदि तीन माह के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो महालेखाकार की सलाह पर अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, को सम्बन्धित लेखा शीर्ष में स्थानांतरित करने के बाद पीडी खाते को बंद कर दिया जाएगा और इसकी सूचना प्राधिकारी को दी जाएगी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य की संचित निधि से शीर्ष 8443-106 के अन्तर्गत पीडी खातों में ₹ 1.19 करोड़ की धनराशि का अन्तरण किया गया। इसमें मार्च 2021 में अन्तरित ₹ 0.04 करोड़ शामिल हैं जो राज्य की संचित निधि से पीडी खातों में कुल जमा का 3.36 प्रतिशत है। 31 मार्च 2021 को पीडी खातों का विवरण तालिका 4.10 में दिया गया है।

तालिका 4.10: वर्ष 2020-21 के दौरान पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक अवशेष (01-04-2020 को)		वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान संवितरण	अन्तिम अवशेष (31-03-2021 को)	
प्रशासकों की संख्या	धनराशि	धनराशि	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि
12	9.99	1.16	0.62	12	10.53

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

संचित निधि से अन्तरित धनराशि (₹ 1.19 करोड़) और राज्य सरकार द्वारा सूचित धनराशि (₹ 1.16 करोड़) के मध्य ₹ 0.03 करोड़ का अंतर था। वित्त लेखा 2020-21 के अनुसार, मुख्य शीर्ष 8443-106-व्यक्तिगत जमा के अन्तर्गत अन्तिम अवशेष ₹ 5.54 करोड़ था, वह भी राज्य सरकार द्वारा सूचित अवशेष (₹ 10.53 करोड़) से भिन्न है। अग्रेतर, पीडी खाते शीर्ष 8443-106 से भिन्न शीर्षों के अन्तर्गत भी संचालित किए गए थे। तथापि, राज्य सरकार ने पीडी खातों का अलग-अलग विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य के पीडी खातों के 12 प्रशासकों में से, केवल दो प्रशासकों ने कोषागार के आंकड़ों के साथ अपनी अवशेष धनराशि का मिलान और सत्यापन किया है और उनके द्वारा दो वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र कोषागार अधिकारी को महालेखाकार कार्यालय में जमा करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे।


पीडी खातों के अन्तर्गत अवशेषों के साथ-साथ पीडी खातों की कुल संख्या में अन्तर कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तर प्रदेश एवं राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में थे।

4.9 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग

बजट और लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, लेखे के प्रारूपों, जिसमें सरकार की प्राप्तियों और व्यय को विधानमंडल में प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन किया जाना चाहिए जिससे वे वास्तव में सभी महत्वपूर्ण हितधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को पारदर्शी तरीके से प्रतिबिंबित कर सकें। इस प्रयोजन हेतु, अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लेखे अपारदर्शी हो जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, व्यय पक्ष में 78 मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 47,404.47 करोड़, जो कि ₹ 3,50,780.56 करोड़ के कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 13.51 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। 2016-21 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित व्यय की प्रवृत्ति और कुल व्यय से इसका प्रतिशत चार्ट 4.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: 2016–21 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय का परिचालन



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

ऐसे उदाहरण, जहां व्यय के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे, तालिका 4.11 में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.11: वर्ष 2020–21 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण व्यय

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
2245	प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत*	1,607.85	1,321.51	121.67
2801	ऊर्जा	8,790.29	8,790.29	100.00
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	787.55	787.55	100.00
5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	528.25	528.25	100.00
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	215.99	215.99	100.00
2885	उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	183.08	183.08	100.00
2705	कमान्ड क्षेत्र विकास	88.21	88.21	100.00
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	8.20	8.20	100.00
2407	वृक्षारोपण	4.97	4.97	100.00
4853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.50	3.50	100.00
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.20	2.20	100.00
2041	वाहनों पर कर	0.76	0.76	100.00
3053	नागरिक उड्डयन	49.97	52.73	94.77
2575	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम	3.76	4.03	93.30
2216	आवास	526.15	625.74	84.08
2075	विविध सामान्य सेवायें	19.66	25.13	78.23
4575	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	445.39	622.22	71.58
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	211.29	300.92	70.21

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
2852	उद्योग	398.04	578.73	68.78
2700	वृहद सिंचाई	441.89	682.38	64.76
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10,482.27	16,508.83	63.49
4401	फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	160.04	267.71	59.78
3054	सड़कें एवं पुल	5,416.11	9,330.08	58.05
3452	पर्यटन	30.17	54.43	55.43
2211	परिवार कल्याण	4,359.09	7,971.73	54.68
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	809.3	1,574.94	51.39

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

*मुख्य शीर्ष 2245 के अन्तर्गत पुस्तांकित किए गए ₹ 2,923.12 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 1,601.61 करोड़ राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में समायोजित किया गया। परिणामस्वरूप, मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत निवल कुल व्यय ₹ 1,321.51 करोड़ था जो मुख्य शीर्ष 2245 के अधीन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत ₹ 1,607.85 करोड़ के व्यय से कम था।

इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान, प्राप्ति पक्ष के 52 राजस्व मुख्य लेखाशीर्षों में लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कुल ₹ 6,105.30 करोड़, जो कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,96,176.33 करोड़ का 2.06 प्रतिशत है, को पुस्तांकित किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे उदाहरण जहां राजस्व प्राप्तियों के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे, तालिका 4.12 में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.12: वर्ष 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
0801	ऊर्जा	1,308.99	1,308.99	100.00
0217	नगर विकास	22.13	22.13	100.00
0810	ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत	12.89	12.89	100.00
0425	सहकारिता	6.16	6.16	100.00
1456	नागरिक आपूर्ति	2.89	2.89	100.00
0506	भूमि सुधार	2.35	2.35	100.00
0023	होटल प्राप्तियाँ कर	0.99	0.99	100.00
0875	अन्य उद्योग	0.08	0.08	100.00
0047	अन्य राजकोषीय सेवायें	0.02	0.02	100.00
0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.01	0.01	100.00
0415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0.01	0.01	100.00
1053	नागरिक उड्डयन	19.53	19.57	99.80
0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	35.23	35.49	99.27
1054	सड़कें एवं पुल	985.12	997.34	98.77
0700	वृहद सिंचाई	68.14	70.02	97.32
0211	परिवार कल्याण	3.16	3.27	96.64
0056	जेल	4.59	4.90	93.67
0220	सूचना एवं प्रचार-प्रसार	0.48	0.53	90.57
0059	लोक निर्माण	48.76	53.98	90.33
0029	भू-राजस्व	260.08	297.18	87.52
1055	सड़क परिवहन	0.15	0.18	83.33
0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	487.17	589.95	82.58

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
0230	श्रम एवं रोजगार	42.83	54.15	79.10
0406	वानिकी एवं वन्य जीवन	231.79	316.96	73.13
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	54.68	79.61	68.68
0401	फसल पालन	105.97	158.64	66.80
0403	पशु पालन	17.96	28.96	62.02
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.88	1.62	54.32

स्रोत: वित्त लेखा 2020-21

बहुप्रयोजनीय लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के समुचित विश्लेषण को विकृत करता है।

4.10 बहुप्रयोजनीय मानक मद: '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय

राज्य सरकार के बजट में अधिक पारदर्शिता लाने तथा योजना एवं क्रियान्वयन में पर्याप्त सुरक्षा एवं नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से बहुप्रयोजनीय मानक मद '42-अन्य व्यय' के बजाय उपयुक्त शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान की आवश्यकता है। जैसा कि बजट दस्तावेजों में परिभाषित है, 'अन्य व्यय' अवशिष्ट मदों से सम्बन्धित है और इसमें पारिश्रमिक तथा पुरस्कार संबंधी व्यय एवं विवेकाधीन निधियों से व्यय शामिल हैं।

लेखे की जांच में पाया गया कि मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत ₹ 16,127.62 करोड़ का व्यय किया गया, जो 2020-21 के दौरान राज्य की संचित निधि से कुल संवितरण ₹ 3,78,710.66 करोड़ का 4.26 प्रतिशत है। अग्रेतर, यह देखा गया कि 20 अनुदानों में, मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय, इन अनुदानों के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक था और इसने इन अनुदानों के कुल व्यय में 30.68 प्रतिशत का योगदान दिया जैसा कि तालिका 4.13 में दिया गया है।

तालिका 4.13: विभिन्न अनुदानों में मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय और कुल व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	अनुदान सं०	अनुदान का विवरण	कुल व्यय	मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत
1	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	6,030.46	4,363.02	72.35
2	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प और निबन्धन)	299.01	181.85	60.82
3	28	गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन और अन्य व्यय)	284.36	145.82	51.28
4	76	श्रम विभाग (श्रमिक कल्याण)	562.59	284.85	50.63
5	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	492.67	248.51	50.44
6	13	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	12,021.05	5,108.41	42.50
7	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	853.60	277.54	32.51
8	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	757.11	218.28	28.83

क्र. सं.	अनुदान सं०	अनुदान का विवरण	कुल व्यय	मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत
9	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.71	0.19	26.76
10	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक और यूनानी)	915.72	219.63	23.98
11	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	950.04	211.50	22.26
12	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	3,266.11	496.14	15.19
13	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	19,236.56	2,727.66	14.18
14	45	पर्यावरण विभाग	11.02	1.21	10.98
15	38	नागरिक उड्डयन विभाग	616.21	67.57	10.97
16	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	387.27	40.66	10.50
17	66	वित्त विभाग (समूह बीमा)	232.01	22.00	9.48
18	29	गोपनीय विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	15.90	1.37	8.62
19	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	806.54	60.76	7.53
20	92	संस्कृति विभाग	122.11	9.01	7.38
योग (5 प्रतिशत से अधिक)			47,861.05	14,685.98	30.68

स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.), उ.प्र. द्वारा अनुरक्षित सूचनार्थ

मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत अत्यधिक व्यय का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

माप से सम्बन्धित मुद्दे

4.11 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल अवशेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को समेकित करके की जाती है। उचन्त और प्रेषण मदों का समाशोधन राज्य कोषागारों/निर्माण, वन प्रभागों, आदि द्वारा प्रेषित विवरणों पर निर्भर करता है। कुछ मुख्य उचन्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेषों को तालिका 4.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.14: उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अवशेष

उचन्त शीर्ष	2018-19		2019-20		2020-21	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
(₹ करोड़ में)						
मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त						
101 - पीएओ उचन्त	238.98	5.51	427.72	181.76	305.56	711.90
निवल	₹. 233.47		₹. 245.96		क्रे. 406.34	
102 - उचन्त लेखा -सिविल	424.01	(-)31.62	17,250.45	15,426.11	15,856.65	16,415.75
निवल	₹. 455.63		₹. 1,824.34		क्रे. 559.10	
109 - रिजर्व बैंक उचन्त -मुख्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

उचन्त शीर्ष	2018-19		2019-20		2020-21	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
निवल		0.00 ⁴³		0.00 ⁴⁴		0.00 ⁴⁴
110 – रिजर्व बैंक उचन्त –केन्द्रीय लेखा कार्यालय	11.69	11.89	(-)88.84	(-)83.08	(-)84.60	(-)827.29
निवल		क्रे. 0.20		क्रे. 5.76		डे. 742.69
मुख्य शीर्ष 8782–नकद प्रेषण एवं उसी लेखाधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य समायोजन						
102 – पी0डब्ल्यू0 प्रेषण	(-)0.41	2.47	1,41,969.51	1,44,127.12	1,80,269.09	1,82,097.49
निवल		क्रे. 2.88		क्रे. 2,157.61		क्रे. 1,828.40
103 – वन प्रेषण	125.65	390.18	3,100.31	3,293.99	3,206.05	3,405.87
निवल		क्रे. 264.53		क्रे. 193.68		क्रे. 199.82
8793–अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	2.09	0.16	60.46	(-)0.09	62.96	0.01
निवल		डे. 1.93		डे. 60.55		डे. 62.95

स्रोत: वित्त लेखे 2020–21

इन शीर्षों के अन्तर्गत अवशेषों के निहितार्थों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

वेतन और लेखा कार्यालय उचन्त

(i) यह लघु शीर्ष वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) और म0ले0 (ले0 एवं हक0) की बहियों में उत्पन्न होने वाले अंतर–विभागीय और अंतर–सरकारी संव्यवहारों के निपटान के लिए संचालित किया जाता है। लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ यह होगा कि म0ले0 (ले0 एवं हक0) द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से भुगतान किया गया है, जिसे अभी वसूला जाना है। बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ यह होगा कि म0ले0 (ले0 एवं हक0) द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से भुगतान प्राप्त किया गया है, जिसका अभी पुनर्भुगतान/समायोजन किया जाना है।

31 मार्च 2021 को इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल क्रेडिट शेष ₹ 406.34 करोड़ था।

उचन्त लेखे (सिविल)

(ii) यह अस्थायी लघु शीर्ष उन संव्यवहारों के लेखांकन के लिए संचालित किया जाता है, जिन्हें कुछ सूचना/दस्तावेजों यथा वाउचरों, चालानों, आदि के अभाव में व्यय या प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियों को दर्ज करने के लिए क्रेडिट और किए गए व्यय के लिए डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों की प्राप्ति पर, लघु शीर्ष को संबंधित मुख्य/उप–मुख्य/लघु लेखाशीर्षों में कान्द्रा डेबिट या क्रेडिट द्वारा माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट से समाशोधित किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को, इस मद में ₹ 559.10 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था, जो यह दर्शाता है कि विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति और व्यय का वर्गीकरण नहीं किया जा सका।

रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय

(iii) यह शीर्ष उन अंतर–सरकारी संव्यवहारों को दर्ज करने के लिए संचालित किया जाता है, जहां दो सरकारों के नकद अवशेषों के बीच मौद्रिक निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय लेखा अनुभाग को एडवाइस भेजकर किया जाता है। आरबीआई द्वारा किए गए मौद्रिक निपटान की सूचना प्राप्त होने पर अन्तिम लेखा शीर्ष में धनराशि का अंतरण करके इस शीर्ष का समाशोधन किया जाता है। इस उचन्त शीर्ष के माध्यम से निपटान किये गये प्रमुख संव्यवहार भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/ऋण

⁴³ डे. 0.40 लाख

⁴⁴ क्रे. 0.02 लाख

और उनका पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूतियों का उन्मोचन और आरबीआई के सार्वजनिक ऋण कार्यालयों द्वारा उस पर ब्याज भुगतान हैं।

31 मार्च 2021 को, इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल डेबिट शेष ₹ 742.69 करोड़ था।

4.12 ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष

प्रतिकूल अवशेष (डेबिट शीर्षों में क्रेडिट शेष और क्रेडिट शीर्षों में डेबिट शेष) उन लेखाशीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये ऋणात्मक अवशेष हैं, जहां ऋणात्मक अवशेष नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी ऋण या अग्रिम के लेखाशीर्ष के सापेक्ष, ऋणात्मक अवशेष मूल अग्रिम धनराशि से अधिक पुनर्भुगतान का संकेत देगा।

31 मार्च 2021 को, वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे में ऋण और अग्रिमों के निम्नलिखित प्रतिकूल अवशेष शामिल थे: अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (लेखा शीर्ष 6801-205 के अन्तर्गत ₹ 356.18 करोड़), मोटर वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610-202 के अन्तर्गत ₹ 15.40 करोड़), अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610-203 के अन्तर्गत ₹ 25.31 करोड़), अन्य अग्रिम (लेखा शीर्ष 7610-800 के अन्तर्गत ₹ 3.02 करोड़) एवं सरकारी गैर वाणिज्यिक विभागों का मूल्यहास/नवीनीकरण आरक्षित निधि (लेखा शीर्ष 8226-102 के अन्तर्गत ₹ 17.20 करोड़)।

ये प्रतिकूल अवशेष कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.) उत्तर प्रदेश एवं राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में थे।

4.13 विभागीय आंकड़ों का मिलान न किया जाना

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 124 के अनुसार, राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियंत्रण को लागू करने और लेखे में परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु, मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (सीसीओ)/नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) द्वारा प्रत्येक माह उनकी बहियों में दर्ज प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखे में लिए गए आंकड़ों के साथ मिलान वांछनीय है। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के मिलान की स्थिति तालिका 4.15 में नीचे दी गयी है।


तालिका 4.15: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	प्राप्तियों/व्यय का मिलान करने वाले नियंत्रण अधिकारियों की संख्या		
		पूर्ण मिलान किया गया	आंशिक मिलान किया गया	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियां				
2018-19	48	45	--	03
2019-20	48	43	--	05
2020-21	48	45	--	03
व्यय				
2018-19	179	178	--	01
2019-20	179	166	--	13
2020-21	179	173	--	06

स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ0प्र0 द्वारा अनुरक्षित सूचना

48 सीसीओ में से 45 द्वारा प्राप्तियों का मिलान पूर्ण किया गया, जैसा कि उन्होंने 2020-21 के दौरान ₹ 1,43,549.23 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 1,45,788.66 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 98.46 प्रतिशत) की प्राप्तियों का मिलान किया। अग्रेतर, 179 सीसीओ में से, 173 सीसीओ ने ₹ 2,40,684.39 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 2,41,410.83 करोड़ के कुल व्यय का 99.70 प्रतिशत) के अपने व्यय के आंकड़ों का मिलान किया था, जैसा कि चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: वर्ष 2018–21 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति



स्रोत: महालेखाकार (ले० एवं हक०), उ०प्र० द्वारा अनुरक्षित सूचना

सभी प्राप्तियों और व्यय के सम्बन्ध में मिलान के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना वांछनीय है।

प्रकटीकरण से सम्बन्धित मुद्दे

4.14 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना

सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक लोकहित में, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी से अनुरोध कर सकेगा और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम की बहियों एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अलावा, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा सीएजी को किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहाँ यदि, उनसे, यथास्थिति, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जिस पर उसके और सम्बन्धित सरकार के बीच सहमति हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये, उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा (सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20)।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के प्रकरण में, यदि सीएजी एकल लेखापरीक्षक हो तो लेखे के 'सत्य एवं उचित' होने का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। अतः इन निकायों और प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखे तैयार करना और इसे लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना वांछनीय है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा सम्पन्न होने पर लेखापरीक्षा कार्यालय एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निर्गत करता है, जो कि लेखे पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का भाग होता है।

यह देखा गया कि 63 स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के 266 वार्षिक लेखे (2020–21 तक बकाया) संबंधित संस्थाओं द्वारा 30 सितंबर 2021 तक लेखापरीक्षा के

लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। स्वायत्त कार्यों और प्राधिकरणों के बकाया लेखाओं का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है। इन 266 लेखाओं की अवधिवार लम्बित स्थिति **तालिका 4.16** में दी गई है।

तालिका 4.16: लेखापरीक्षा हेतु देय परन्तु प्रस्तुत नहीं किये गये वार्षिक लेखाओं का अवधिवार विश्लेषण

वर्षों की संख्या में देरी	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	लेखाओं की संख्या
1-2	21	39
3-4	36	142
5-10	01	06
10 से अधिक	05	79
योग	63	266

वार्षिक लेखे और उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित सहायता अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग और उनके लेखांकन को संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने बकायेदार निकायों के लेखाओं को प्रस्तुत न करने का मुद्दा सम्बन्धित प्राधिकारियों के समक्ष समय-समय पर उठाया, लेकिन कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

4.15 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा वार्षिक लेखे को अंतिम रूप दिया जाना एवं लेखाबन्दी के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। तथापि, राज्य के नौ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में से तीन ने कई वर्षों से अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था (**परिशिष्ट 4.2**)।

4.16 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के लम्बित मामले

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खंड-V भाग-I के प्रस्तर 82 में व्यक्तियों की धोखाधड़ी या लापरवाही से होने वाली हानि, सरकारी संपत्ति की हानि या विनाश के लिये जिम्मेदारी तय करने और उसे महालेखाकार को सूचित करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 9.31 करोड़ की शासकीय सामग्री/धनराशि के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी आदि के 135 प्रकरण⁴⁵ सूचित किये, जिन पर 31 मार्च, 2021 तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी। दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा एवं अंतिम निस्तारण में विलम्ब के कारणों का विवरण **तालिका 4.17** में दिया गया है।

तालिका 4.17: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरण

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	शासकीय सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों के अंतिम निस्तारण में विलम्ब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	9	28.78	-	-	7	26.83	2	1.95
समाज कल्याण	3	0.95	-	-	2	0.70	1	0.25
उद्यान	1	3.59	-	-	1	3.59	-	-
ग्रामीण विकास	9	3.28	1	0.74	7	2.34	1	0.20

⁴⁵ जनवरी 1967 से 2020-21 की अवधि से सम्बन्धित

विभाग का नाम	शासकीय सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों के अंतिम निस्तारण में विलम्ब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
शिक्षा	8	171.16	2	101.08	4	55.55	2	14.53
प्राविधिक शिक्षा	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
पशुपालन	16	6.55	7	5.20	9	1.35	-	-
मत्स्यकी	3	2.61	-	-	3	2.61	-	-
कृषि	3	7.62	2	2.17	1	5.45	-	-
सिंचाई	41	121.03	4	16.07	35	36.95	2	68.01
सहकारिता	2	1.45	-	-	1	0.17	1	1.28
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11	15.89	1	0.30	9	14.22	1	1.37
गृह (पुलिस)	8	56.09	7	8.61	-	-	1	47.48
राजस्व	5	14.49	3	8.81	2	5.68	-	-
वित्त	1	0.67	1	0.67	-	-	-	-
बाट एवं माप	1	1.01	-	-	-	-	1	1.01
लोक निर्माण विभाग	9	147.80	4	27.26	1	0.12	4	120.42
राजस्व (भूमि अधिग्रहण)	3	331.78	-	-	3	331.78	-	-
न्याय	1	4.44	-	-	1	4.44	-	-
योग	135	930.78	32	170.91	86	491.78	17	268.09

स्रोत: सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनायें

इन लंबित मामलों का आयुवार विश्लेषण तालिका 4.18 में दर्शाया गया है, जो इंगित करता है कि 31 मार्च 2021 को ₹ 4.60 करोड़ से सम्बन्धित 91 प्रकरण 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

तालिका 4.18: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का आयुवार विश्लेषण

(₹ लाख में)

वर्ष परास	प्रकरणों की संख्या	सम्बन्धित धनराशि
0 – 5 वर्ष (2016-17 से 2020-21)	शून्य	शून्य
5 – 10 वर्ष (2011-12 से 2015-16)	08	108.95
10 – 15 वर्ष (2006-07 से 2010-11)	17	310.31
15 – 20 वर्ष (2001-02 से 2005-06)	19	51.25
20 – 25 वर्ष (1996-97 से 2000-01)	27	60.20
25 वर्षों से अधिक (1995-96 एवं पूर्व)	64	400.07
योग	135	930.78

₹ 930.78 लाख से सम्बन्धित कुल 135 लम्बित प्रकरणों (31 मार्च 2021 को) में से, ₹ 170.91 लाख धनराशि के 32 प्रकरणों में विभागीय और आपराधिक जांच प्रारम्भ नहीं की गई। 86 प्रकरणों (₹ 491.78 लाख से सम्बन्धित) में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया। 17 प्रकरणों (₹ 268.09 लाख से सम्बन्धित) में आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन धनराशि की वसूली लम्बित थी।

4.17 निष्कर्ष

- श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि शासकीय लेखे में लिये बिना सीधे उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के बैंक खातों में जमा की जा रही है। शासकीय लेखों के माध्यम से उपकर के लेखांकन के अभाव में, राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि उपकर, शुल्क आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी एवं विभिन्न उपकर संग्राहकों द्वारा कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।
- राज्य सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अपेक्षित राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्राप्त शुल्क राज्य के लोक लेखे के बजाय बैंक खातों में रखा जा रहा है।
- राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदंडों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्रधिकरणों के माध्यम से गैर-बजट ऋण का सहारा लिया। चूंकि ये गैर-बजट ऋण राज्य के ऋण-स्टॉक के भाग नहीं हैं, वित्त लेखे में दर्शायी गयी ऋण-स्टॉक की स्थिति वास्तविक ऋण भार को नहीं दर्शाती है।
- राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान की सम्पूर्ण धनराशि नामित निधि प्रबंधक को इसके अग्रतर निवेश के लिए प्रेषित नहीं किया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय लाभों/भविष्य में सरकार के लिए परिहार्य वित्तीय देयता के सम्बन्ध में अनिश्चितता का सृजन किया और इस प्रकार, योजना संभावित विफलता की ओर अग्रसर है।
- राज्य सरकार ने यात्रियों या मृत यात्रियों के उत्तराधिकारियों या हताहत हुए अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत वांछनीय उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना नहीं किया।
- वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर कुल ₹ 26,237.08 करोड़ की बड़ी संख्या में (39,587) यूसी बकाया थे। यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था।
- 31 मार्च 2021 को ₹ 16.21 करोड़ की धनराशि के 1,178 एसी बिल समायोजन हेतु प्रतीक्षित थे।
- लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का सम्पूर्ण चित्रण नहीं करता है। इसी प्रकार, 20 अनुदानों के सम्बन्ध में, मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय ने इन अनुदानों के कुल व्यय में 31 प्रतिशत का योगदान दिया, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित करता है।
- 63 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 266 वार्षिक लेखे (2020-21 तक बकाया) 30 सितम्बर 2021 तक सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वार्षिक लेखे एवं उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग को संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है।
- ₹ 930.78 करोड़ की धनराशि के दुर्विनियोजन, हानि और चोरी के 135 प्रकरण, जिनमें सबसे पुराना जनवरी 1967 से लम्बित था, पर 31 मार्च 2021 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी।

4.18 संस्तुतियाँ

- उOप्रO भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि राज्य के लोक लेखे का भाग होनी चाहिये एवं वहाँ से यह बोर्ड के खाते में अन्तरित की जा सकती है। उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अपने अधिदेश को पूर्ण करना चाहिये।
- राज्य सरकार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन करना चाहिए और निधि के अवशेष धनराशि को राज्य के लोक लेखे में जमा करना चाहिए।
- राज्य सरकार को गैर-बजट ऋण से बचना चाहिये एवं राज्य सरकार की ओर से पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा लिए गए किन्तु राज्य सरकार द्वारा सर्विस किये गये ऋणों को संचित निधि में जमा करना चाहिये।
- राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे अहस्तान्तरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और मूल्य वृद्धि प्राप्त कर सके।
- सांविधिक आवश्यकता होने के कारण, सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।
- सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं बकायेदार अनुदान प्राप्तकर्ता को नया अनुदान निर्गत करने से पूर्व सभी बकाये की समीक्षा की जा सकती है।
- वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण अधिकारी निर्धारित समय के अन्दर संक्षिप्त आकरिमिक बिलों का समायोजन करें जैसा कि नियमों में वांछनीय है।
- वित्त विभाग को, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियां और व्यय भविष्य में समुचित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किए जाएं। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर मानक मद 42-अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।
- वित्त विभाग को निकायों/प्राधिकरणों/विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखे के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु नियमित समीक्षा को समाहित करती एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।
- सरकार को दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करना चाहिए।

अध्याय - V

राज्य के सार्वजनिक
क्षेत्र के उपक्रमों का
वित्तीय निष्पादन

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

5.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिए तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए की जाती है। पीएसयू में राज्य सरकार की कम्पनियाँ, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। यह अध्याय पीएसयू के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है।

5.1.1 सरकारी कम्पनियों, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित है जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी⁴⁶ को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में दर्शाया गया है। सांविधिक निगम वे निगम हैं जो विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के तहत स्थापित किए गए थे।

5.1.2 लेखापरीक्षा के अधिदेश

सरकारी कम्पनियों एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के साथ पठित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं एवं उन तरीकों पर निर्देश देते हैं जिनसे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

5.1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वरूप एवं अध्याय में इनकी व्याप्ति

31 मार्च 2021 को, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 115 पीएसयू (94 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम⁴⁷), 44 अकार्यरत⁴⁸ पीएसयू सहित थे। वर्ष 2020-21

⁴⁶ राज-पत्र अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2014 द्वारा निर्गत कम्पनी (कठिनाइयों को दूर करना), सातवाँ आदेश 2014।

⁴⁷ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

⁴⁸ अकार्यरत पीएसयू वे हैं जिन्होंने अपने क्रियाकलाप करना बन्द कर दिया है।

की अवधि के दौरान, दो नई सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ यथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) एवं डीएमआईसी इण्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड को जोड़ा गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कोई भी उपक्रम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे।

इस अध्याय में 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 38 पीएसयू (ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू, जिनका विस्तृत वर्णन **परिशिष्ट-5.1** में दिया गया है) के वित्तीय निष्पादन को सम्मिलित किया गया है। इस अध्याय में 77 पीएसयू (70 सरकारी कम्पनियाँ, चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम सहित) सम्मिलित नहीं हैं जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या विचलन/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे 30 नवम्बर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे जिनका विस्तृत वर्णन **परिशिष्ट-5.2** में दिया गया है। तथापि, यह अध्याय राज्य के सभी पीएसयू के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश, बजटीय सहायता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान (**प्रस्तर 5.2, 5.2.2 एवं 5.2.2.1**) को सम्मिलित करता है।

5.1.4 राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर

पीएसयू राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह पीएसयू राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान करते हैं। पीएसयू के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयू की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 31 मार्च 2021⁴⁹ को समाप्त चार वर्ष की अवधि के लिए पीएसयू के टर्नओवर (पीएसयूवार विवरण **परिशिष्ट-5.1** में) एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तालिका-5.1: उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

विवरण	(₹ करोड़ में)			
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू का विवरण	56,651	61,857	66,378	66,378 ⁵⁰
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू का विवरण	7,433	7,316	6,752	6,664
कुल टर्नओवर (38 पीएसयू)	64,084	69,173	73,130	73,042
उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी ⁵¹	14,16,006	15,84,764	16,87,818	17,05,593
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	4.00	3.90	3.93	3.89
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.52	0.46	0.40	0.39

⁴⁹ 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

⁵⁰ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का टर्नओवर समान माना गया है क्योंकि वर्ष 2020-21 के लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

⁵¹ वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया था, इसलिए 2017-18 से 2019-20 के लिए जीएसडीपी के संदर्भ में विभिन्न मानकों का प्रतिशत अनुपात/उछाल जो कि पहले की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है, को भी संशोधित किया गया।

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	9.19	7.31	0.00
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	(-)1.57	(-)7.71	(-)1.30
पूर्ववर्ती वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में परिवर्तन प्रतिशत में	-	11.92	6.50	1.05

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2021 को जारी जीएसडीपी आंकड़ों एवं पीएसयू के टर्नओवर के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू के टर्नओवर में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि के दौरान 7.31 प्रतिशत से 9.19 प्रतिशत के मध्य वृद्धि के साथ बढ़त की प्रवृत्ति दिखाई दी। चूँकि, वर्ष 2020-21 के लिए किसी भी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू द्वारा कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए वर्तमान वर्ष के दौरान विकास दर को विश्लेषित नहीं किया जा सका।

तथापि, ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू के टर्नओवर में 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान टर्नओवर में कमी 1.30 प्रतिशत से 7.71 प्रतिशत के मध्य थी जबकि 2018-19 से 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में वृद्धि 1.05 प्रतिशत से 11.92 प्रतिशत के मध्य थी।


चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दीर्घकालिक अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 6.40 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष 38 पीएसयू के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 4.46 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी। इससे 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान जीएसडीपी में, पीएसयू (ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू) के टर्नओवर की हिस्सेदारी घटकर क्रमशः 4.00 प्रतिशत से 3.89 प्रतिशत एवं 0.52 प्रतिशत से 0.39 प्रतिशत हो गयी।

5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2021 को, 115 पीएसयू (94 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य⁵² द्वारा निवेशित पूंजी को चार्ट 5.1 में दर्शाया गया है।

⁵² 'अन्य' में स्वामित्व कम्पनी, वित्तीय संस्थान एवं बैंकों इत्यादि द्वारा किया गया निवेश सम्मिलित है।

चार्ट 5.1: सरकारी कम्पनियों, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में निवेश की संरचना



31 मार्च 2021, को 115 राज्य पीएसयू में क्षेत्र-वार निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) का सारांश तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र-वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश								महायोग
		पूँजी				दीर्घावधि ऋण				
		जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	
इस अध्याय में सम्मिलित पीएसयू										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	11	1,34,515.87	0.00	2,213.50	1,36,729.37	406.11	0.00	1,13,207.97	1,13,614.08	2,50,343.45
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू	27	2,841.40	2,345.56	2,736.83	7,923.79	5,215.14	4,915.95	4,144.51	14,275.60	22,199.39
इस अध्याय में सम्मिलित पीएसयू का योग	38	1,37,357.27	2,345.56	4,950.33	1,44,653.16	5,621.25	4,915.95	1,17,352.48	1,27,889.68	2,72,542.84
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किये गये पीएसयू										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	2	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू	75	3,468.88	132.56	1,151.99	4,753.43	2,434.15	1.10	3,977.13	6,412.38	11,165.81
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किये गये पीएसयू का योग	77	3,468.88	132.56	1,154.26	4,755.70	2,434.15	1.10	3,977.13	6,412.38	11,168.08
महायोग	115	1,40,826.15	2,478.12	6,104.59	1,49,408.86	8,055.40	4,917.05	1,21,329.61	1,34,302.06	2,83,710.92

स्रोत: वार्षिक लेखाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित आंकड़े।

31 मार्च 2021 को, इस अध्याय में शामिल 11 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,50,343.45 करोड़ था। निवेश में 54.62 प्रतिशत पूंजी एवं 45.38 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण (₹ 406.11 करोड़) कुल दीर्घावधि ऋणों का 0.36 प्रतिशत थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 99.64 प्रतिशत (₹ 1,13,207.97 करोड़) वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था जिसका विस्तृत वर्णन **परिशिष्ट-5.3** में है।

31 मार्च 2021 को, इस अध्याय में सम्मिलित 27 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 22,199.39 करोड़ था। निवेश में 35.69 प्रतिशत पूंजी एवं 64.31 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 36.53 प्रतिशत (₹ 5,215.14 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 63.47 प्रतिशत (₹ 9,060.46 करोड़) भारत सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किये गये थे जिसका विस्तृत वर्णन **परिशिष्ट-5.3** में है।

5.2.1 ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए सम्पत्ति की पर्याप्तता

कुल ऋण का कुल सम्पत्ति से अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों में से एक है कि क्या कोई कम्पनी शोधनक्षम रह सकती है। शोधनक्षम माना जाने के लिए, एक इकाई की सम्पत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2021 को नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (18 सरकारी कम्पनियाँ, दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) जिनमें अदत्त ऋण था, में दीर्घावधि ऋणों का कुल सम्पत्ति के मूल्य से व्याप्ति **परिशिष्ट-5.4** में दिया गया है और इसका संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.3** के अंतर्गत दिया गया है।

तालिका 5.3: दीर्घावधि ऋणों की कुल सम्पत्ति से व्याप्ति

	सकारात्मक व्याप्ति				नकारात्मक व्याप्ति			
	पीएसयू की संख्या	दीर्घावधि ऋण	सम्पत्ति	ऋण से सम्पत्ति का प्रतिशत	पीएसयू की संख्या	दीर्घावधि ऋण	सम्पत्ति	ऋण से सम्पत्ति का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सरकारी कम्पनियाँ	17	88,812.95	2,55,810.83	288.03	1	101.41	43.19	42.59
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	2	3,607.42	3,633.47	100.72	-	-	-	-
सांविधिक निगम	1	41.72	3,024.95	7,250.60	-	-	-	-
योग	20	92,462.09	2,62,469.25	-	1	101.41	43.19	-

21 पीएसयू में से, 20 पीएसयू में सकारात्मक व्याप्ति थी, जबकि एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) में ₹ 101.41 करोड़ के कुल बकाया दीर्घावधि ऋण जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण ₹ 95.39 करोड़ सम्मिलित है के विरुद्ध केवल ₹ 43.19 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति है। यह इंगित करता है कि यह पीएसयू अपनी देयताओं को स्वयं चुकाने की स्थिति में नहीं है और संवहनीय नहीं है।

5.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान बजटीय सहायता (पूंजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी) का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.4** में दिया गया है।


तालिका 5.4: 2018-19 से 2020-21 के दौरान पीएसयू को बजटीय सहायता का विवरण

विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
	पीएसयू की संख्या	राशि ⁵³ (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	राशि ⁵³ (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	राशि ⁵³ (₹ करोड़ में)
(अ) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू						
अंशपूजी की सहायता (i)	3 ⁵⁴	13,409.18	3 ⁵⁴	8,248.83	3 ⁵⁴	10,568.47
दिए गए ऋण (ii)	1	615.45	-	0.00	-	0.00
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	2	17,157.09	2	19,065.56	2	10,349.30
कुल सहायता (i+ii+iii)	3⁵⁵	31,181.72	3⁵⁵	27,314.39	3⁵⁵	20,917.77
(ब) ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू						
अंशपूजी की सहायता (i)	3	55.60	4	288.63	7	529.13
दिए गए ऋण (ii)	8	990.49	8	403.32	6	1,673.16
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	15	1,721.09	17	712.21	18	1,462.46
कुल सहायता (i+ii+iii)	25⁵⁵	2,767.18	27⁵⁵	1,404.16	25⁵⁵	3,664.75

स्रोत: पीएसयू के वार्षिक लेखाओं, सरकारी आदेश एवं पीएसयू से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित।

मार्च 2021 को समाप्त हुए विगत तीन वर्षों के लिए पूंजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता से सम्बन्धित विवरण चार्ट 5.2 में दिया गया है।

चार्ट 5.2: पूंजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता



ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 31,181.72 करोड़ ₹ 27,314.39 करोड़ एवं ₹ 20,917.77 करोड़ थी। 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 20,917.77 करोड़ की बजटीय सहायता में क्रमशः ₹ 10,568.47 करोड़ एवं ₹ 10,349.30 करोड़ पूंजी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में थी।

⁵³ राशि केवल राज्य बजट से जावक को दर्शाती है।

⁵⁴ उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायक कम्पनियों में निवेश हेतु पूंजी देती है। अतः पूंजी के निवेश के उद्देश्य से, केवल स्वामित्व धारक कम्पनियों पर उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से विचार किया गया है।

⁵⁵ यह आंकड़ा उन पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं, जिन्हें एक या अधिक मदों से राशि प्राप्त की है यथा पूंजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदान/सब्सिडी में, विगत वर्षों की तुलना में 2019-20 में वृद्धि हुई और 2020-21 में कमी आई। 2019-20 के दौरान अनुदान/सब्सिडी में वृद्धि मुख्य रूप से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अन्तर्गत हानियों के वित्त पोषण के लिए सब्सिडी में वृद्धि 2018-19 में ₹ 761.00 करोड़ से 2019-20 में ₹ 2,400.00 करोड़ के कारण थी। 2020-21 में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को उदय योजना के अन्तर्गत कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू को वार्षिक बजटीय सहायता वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 2,767.18 करोड़, ₹ 1,404.16 करोड़ एवं ₹ 3,664.75 करोड़ थी। 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 3,664.75 करोड़ की बजटीय सहायता में क्रमशः ₹ 529.13 करोड़, ₹ 1,673.16 करोड़ एवं ₹ 1,462.46 करोड़ पूंजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ₹ 1,462.46 करोड़ के कुल अनुदान में से, मुख्य रूप से अनुदान 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (₹ 202.06 करोड़), प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 220.00 करोड़) और आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 294.00 करोड़) को प्रदान किये गये थे।

5.2.2.1 उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार पूंजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिये। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2021 को 66 पीएसयू (59 सरकारी कम्पनियाँ, दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और पाँच सांविधिक निगम) के सम्बन्ध में ऐसे अन्तर विद्यमान थे जिनका विवरण **परिशिष्ट-5.5** में है एवं **तालिका 5.5** में संक्षेपित है।

तालिका 5.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के सापेक्ष वित्त लेखाओं के अनुसार पूंजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

मद के सम्बन्ध में अदत्त	क्षेत्र	राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	वित्त लेखाओं के अनुसार धनराशि	
			अन्तर	(₹ करोड़ में)
पूंजी	ऊर्जा क्षेत्र	32,290.91	29,467.94	2,822.97
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	6,272.72	6,184.92	87.80
	योग	38,563.63	35,652.86	2,910.77
ऋण	ऊर्जा क्षेत्र	64.65	0.00	64.65
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	7,649.29	3,531.60	4,117.69
	योग	7,713.94	3,531.60	4,182.34
प्रत्याभूतियाँ	ऊर्जा क्षेत्र	28,171.54	28,805.76	(-634.22)
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	3,955.23	3,548.44	406.79
	योग	32,126.77	32,354.20	(-227.43)

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचनाएँ एवं वित्त लेखे।

आंकड़ों के अन्तर गत कई वर्षों से विद्यमान है। अन्तर के समाधान हेतु लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित पीएसयू एवं विभागों के साथ इस मुद्दे को समय-समय पर उठाया गया है। दो ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू⁵⁶ एवं पाँच ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू⁵⁷ के शेष राशि में बड़े अन्तर पाये गये हैं।

⁵⁶ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड।


⁵⁷ दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड एवं नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड।

5.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिफल

5.3.1 लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2018-19 से 2020-21 के दौरान पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ⁵⁸ को चार्ट 5.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.3: पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ



2018-19 में कुल 38 पीएसयू में से, 18 पीएसयू ने लाभ अर्जित किया। 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू की संख्या बढ़कर 22 हो गई। लाभ कमाने वाले पीएसयू ने 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 500.23 करोड़, ₹ 710.30 करोड़ एवं ₹ 699.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया। पीएसयू के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन (₹ 351.89 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 116.91 करोड़) शीर्ष लाभ कमाने करने वाले पीएसयू थे (परिशिष्ट-5.1)।

5.3.2 लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की थी जिसके तहत लाभ में चल रहे पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी अंश पूंजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के प्रतिफल का भुगतान करना होता है।

पीएसयू जिसमें जीओयूपी द्वारा अंशपूंजी का निवेश किया गया था के द्वारा 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान लाभांश के भुगतान को तालिका 5.6 में दर्शाया गया है।

⁵⁸ 30 नवम्बर 2020-21 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

तालिका 5.6: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान पीएसयू द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष के दौरान	कुल पीएसयू जिनमें जीओयूपी द्वारा अंशपूजी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयू		पीएसयू जिनके द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/प्रदत्त किया गया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयू की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित अंशपूजी (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूंजी (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	पीएसयू द्वारा लाभांश की घोषणा/प्रदत्त (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/5*100)
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू							
2018-19	4	1,17,911.92	1	12,305.55	-	-	-
2019-20	4	1,26,160.75	2	30,776.70	-	-	-
2020-21	4	1,34,515.87	-	-	-	-	-
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू							
2018-19	11	2,173.58	7	888.89	3 ⁵⁹	0.39	0.04
2019-20	11	2,496.95	2	10.59	1 ⁶⁰	0.02	0.19
2020-21	11	2,841.40	1	0.05	-	-	-

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 2018-19 एवं 2019-20 में लाभ में चल रहा था जबकि 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड लाभ में चल रहा था। तथापि, इन कम्पनियों ने जीओयूपी को कोई भी लाभांश घोषित/प्रदत्त नहीं किया था। अग्रेतर, ऊर्जा क्षेत्र के किसी भी पीएसयू ने वर्ष 2020-21 (30 नवम्बर 2021 तक) हेतु अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत नहीं किया था।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयू की संख्या एक से लेकर सात के मध्य थी। 2018-19 से 2019-20 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार को लाभांश घोषित/प्रदत्त करने वाले पीएसयू की संख्या एक से तीन के मध्य थी। ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त एक पीएसयू यथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया एवं लाभ अर्जित किया, जबकि कम्पनी द्वारा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया गया।

इस प्रकार, किसी पीएसयू ने 2020-21 में जीओयूपी को कोई लाभांश घोषित/प्रदत्त नहीं किया।

5.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण (ऋण शोधन)

2018-19 से 2020-21 के दौरान पीएसयू के दीर्घावधि ऋणों जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की ब्याज देयताएं थीं, का विश्लेषण पीएसयू द्वारा धारित ऋणों के भुगतान की क्षमता का आंकलन करने के लिए किया गया। इसे ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से आंकलित किया जाता है।

5.4.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज

⁵⁹ उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड।

⁶⁰ उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

का भुगतान करने की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी अपने ब्याज के व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयू जिनमें 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, से सम्बंधित ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है।

तालिका 5.7: दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज के दायित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	पीएसयू का प्रकार	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या जिनमें ऋणों पर ब्याज की देयता है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू						
2018-19	सभी सरकारी कम्पनियाँ	6,405.53	152.90	8	1	7
2019-20	सभी सरकारी कम्पनियाँ	4,733.42	1,699.28	6	1	5
2020-21	सभी सरकारी कम्पनियाँ	4,733.42	1,699.28	6	1	5
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू						
2018-19	सरकारी कम्पनियाँ	24.07	(-)42.69	5	2	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.02	0.48	1	1	-
	सांविधिक निगम	-	-	-	-	-
	योग	24.09	(-)42.21	6	3	3
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	90.72	(-)240.24	5	2	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.04	(-)0.24	1	-	1
	सांविधिक निगम	-	-	-	-	-
	योग	90.76	(-)240.48	6	2	4
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	113.38	(-)283.01	5	2	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.04	(-)0.24	1	-	1
	सांविधिक निगम	-	-	-	-	-
	योग	113.42	(-)283.25	6	2	4

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में, छः से आठ पीएसयू जिनमें ब्याज सहित ऋण की देयता थी, केवल एक पीएसयू⁶¹ का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था जबकि शेष पाँच से सात पीएसयू में ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक/एक से कम था। यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने तक के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त छः पीएसयू जिनमें ऋण की देयता थी, 2018-19 में तीन पीएसयू⁶² में एवं 2019-20 एवं 2020-21 में दो पीएसयू⁶³ में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था। तीन से चार पीएसयू का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

⁶¹ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

⁶² दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड एवं अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड।

⁶³ दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड एवं श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड।

5.4.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

31 मार्च 2021 को, जीओयूपी द्वारा पाँच पीएसयू को प्रदान किये गए दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 594.16 करोड़ का ब्याज बकाया था। पीएसयू में जीओयूपी के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण तालिका 5.8 में दिया गया है।

तालिका 5.8: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण
(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	31 मार्च 2021 को ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम बकाया	एक से तीन वर्षों का बकाया	तीन वर्षों से अधिक का बकाया
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू				
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	235.97	10.60	21.19	204.18
उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	240.59	54.85	122.07	63.67
उप योग (I)	476.56	65.45	143.26	267.85
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू				
दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	32.88	-	-	32.88
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	51.46	2.16	6.47	42.83
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	33.26	4.75	12.08	16.43
उप योग (II)	117.60	6.91	18.55	92.14
कुल योग	594.16	72.36	161.81	359.99

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि ₹ 594.16 करोड़ की कुल ब्याज राशि में से ₹ 359.99 करोड़ तीन वर्ष से अधिक से बकाया है जो यह दर्शाता है कि ये पीएसयू नियमित रूप से ब्याज का भुगतान नहीं कर रहे थे।

5.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रचालन दक्षता

5.5.1 पीएसयू में नियोजित पूंजी एवं कुल सम्पत्ति के सापेक्ष टर्नओवर

31 मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी का मूल्य तालिका 5.9 में दिया गया है।

तालिका 5.9: ऊर्जा क्षेत्र एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का टर्नओवर, सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	पीएसयू की संख्या	टर्नओवर	कुल सम्पत्ति	नियोजित पूंजी
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
2018-19	सरकारी कम्पनियाँ	11	61,857.13	2,99,516.08	27,311.01
2019-20		11	66,378.02	3,29,501.90	30,222.96
2020-21		11	66,378.02	3,29,501.90	30,222.96
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
2018-19	सरकारी कम्पनियाँ	13	1,365.79	18,184.78	10,358.93
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	199.12	3,085.30	1,820.46
	सांविधिक निगम	3	5,751.44	22,521.78	6,506.44
	योग	27	7,316.35	43,791.86	18,685.83

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	पीएसयू की संख्या	टर्नओवर	कुल सम्पत्ति	नियोजित पूंजी
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	13	1,534.55	18,929.72	11,229.64
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	24.73	6,669.90	5,412.32
	सांविधिक निगम	3	5,192.22	24,480.48	6,545.38
	योग	27	6,751.50	50,080.10	23,187.34
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	13	1,447.41	20,504.85	12,485.02
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	24.73	6,731.43	5,429.74
	सांविधिक निगम	3	5,192.22	24,480.48	6,545.38
	योग	27	6,664.36	51,716.76	24,460.14
2018-19	सभी पीएसयू	38	69,173.48	3,43,307.94	45,996.84
2019-20	सभी पीएसयू	38	73,129.52	3,79,582.00	53,410.30
2020-21	सभी पीएसयू	38	73,042.38	3,81,218.66	54,683.10

अध्याय में सम्मिलित 38 पीएसयू में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में टर्नओवर में सीमान्त कमी थी जबकि नियोजित पूंजी एवं कुल सम्पत्ति में बढ़त थी। टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी का पीएसयूवार विवरण परिशिष्ट-5.1 में दिया गया है।

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू के सम्बन्ध में, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी में बढ़त थी। यह बढ़त मुख्य रूप से मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के टर्नओवर में वृद्धि एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण थी।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू के सम्बन्ध में, विगत वर्षों की तुलना में 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी में बढ़त की प्रवृत्ति दिखाई दी जबकि टर्नओवर में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी। कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूंजी में बढ़त मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड एवं नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड के कुल सम्पत्ति और नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण थी जबकि टर्नओवर में कमी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड के टर्नओवर में कमी के कारण थी।

5.5.2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी पूंजी के नियोजन की दक्षता को मापता है।

आरओसीई की गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूंजी⁶⁴ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) के आरओसीई का विवरण तालिका 5.10 में दिया गया है।

⁶⁴ नियोजित पूंजी = प्रदत्त अंश पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घवधि ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित आयगत व्यय।

तालिका 5.10: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू			
2018-19	(-)8,093.59	27,311.01	(-)29.63
2019-20	(-)1,539.02	30,222.96	(-)5.09
2020-21	(-)1,539.02	30,222.96	(-)5.09

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल आरओसीई (-)5.09 प्रतिशत से (-)29.63 प्रतिशत के मध्य था।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू (13 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ, एवं तीन सांविधिक निगम) के आरओसीई का विवरण तालिका 5.11 में दिया गया है।

तालिका 5.11: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2018-19	सरकारी कम्पनियाँ	27.39	10,358.93	0.26
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	(-)447.15	1,820.46	(-)24.56
	सांविधिक निगम	277.27	6,506.44	4.26
	योग	(-)142.49	18,685.83	(-)0.76
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	(-)131.53	11,229.64	(-)1.17
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	26.32	5,412.32	0.49
	सांविधिक निगम	91.40	6,545.38	1.40
	योग	(-)13.81	23,187.34	(-)0.06
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	(-)173.58	12,485.02	(-)1.39
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11.43	5,429.74	0.21
	सांविधिक निगम	91.40	6,545.38	1.40
	योग	(-)70.75	24,460.14	(-)0.29

स्रोत: 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आंकड़े।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल आरओसीई (-)0.06 प्रतिशत एवं (-)0.76 प्रतिशत के मध्य था। 2018-19 के दौरान सरकारी कम्पनियों का आरओसीई 0.26 प्रतिशत था तथा 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान ये ऋणात्मक था। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों का आरओसीई क्रमशः 0.49 प्रतिशत और 0.21 प्रतिशत था एवं 2018-19 के दौरान यह ऋणात्मक था। जबकि, 2018-19 से 2020-21 के दौरान सांविधिक निगमों का आरओसीई सकारात्मक रहा एवं यह 1.40 प्रतिशत एवं 4.26 प्रतिशत के मध्य था।

2018-19 से 2020-21 के दौरान नियोजित पूंजी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 6,509.65 करोड़ से ₹ 8,073.06 करोड़) एवं नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 2,557.59 करोड़ से ₹ 3,030.83 करोड़) में हुयी महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सरकारी कम्पनियों का आरओसीई 0.26 प्रतिशत से घटकर (-)1.39 प्रतिशत हो गया।

5.5.3 पूंजी पर प्रतिफल

पूंजी पर प्रतिफल (आरओई)⁶⁵ एक कम्पनी के वित्तीय निष्पादन की माप है इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों के कोष से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं किसी भी कम्पनी के लिए जिसके शेयरधारकों का कोष सकारात्मक है, इसकी गणना की जा सकती है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान इस अध्याय में सम्मिलित ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) का आरओई तालिका 5.12 में दिया गया है।

तालिका 5.12: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में पूंजी पर प्रतिफल

	2018-19	2019-20	2020-21	
सरकारी कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय	(-)14,537.38	(-)6,499.10	(-)6,499.10
	शेयरधारकों का कोष	(-)52,131.87	(-)50,030.35	(-)50,030.35
	आरओई (प्रतिशत में)	-	-	-

स्रोत: 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आंकड़े।

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के सम्बन्ध में मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों की अवधि के दौरान शुद्ध आय एवं शेयरधारकों का कोष दोनों ऋणात्मक रहे। इन वर्षों के सम्बन्ध में आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि शेयरधारकों का कोष नकारात्मक था जो इंगित करता है कि इन पीएसयू की देयताओं ने सम्पूर्ण अंश पूंजी को समाप्त कर दिया है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान इस अध्याय में सम्मिलित ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू (13 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) का आरओई तालिका 5.13 में दिया गया है।

तालिका 5.13: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में पूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	
सरकारी कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	(-)8.28	(-)242.22	(-)306.93
	शेयरधारकों का कोष	3,341.69	3,487.27	3,823.97
	आरओई (प्रतिशत में)	(-)0.25	(-)6.95	(-)8.03
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	(-)450.69	14.27	3.01
	शेयरधारकों का कोष	1,820.39	1,804.90	1,822.32
	आरओई (प्रतिशत में)	(-)24.76	0.79	0.17
सांविधिक निगम	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	277.27	91.40	91.40
	शेयरधारकों का कोष	6,464.72	6,503.66	6,503.66
	आरओई (प्रतिशत में)	4.29	1.41	1.41
योग	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	(-)181.70	(-)136.55	(-)212.52
	शेयरधारकों का कोष	11,626.80	11,795.83	12,149.95
	आरओई (प्रतिशत में)	(-)1.56	(-)1.16	(-)1.75

स्रोत: 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आंकड़े

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में, वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल आरओई एवं सरकारी कम्पनियों का आरओई ऋणात्मक था। तथापि, सांविधिक निगमों का आरओई सकारात्मक रहा एवं यह 1.41 प्रतिशत और 4.29

⁶⁵ पूंजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/पूंजी) x 100 जबकि पूंजी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय - संचित हानि - आस्थगित आयगत व्यय।


प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों का आरओई क्रमशः 0.79 प्रतिशत एवं 0.17 प्रतिशत था एवं वर्ष 2018-19 में यह ऋणात्मक था।

5.6 हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.6.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानि

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानि को चार्ट 5.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.4: पीएसयू द्वारा वहन की गयी हानि



अध्याय में सम्मिलित कुल 38 पीएसयू में से, हानि वहन करने वाले पीएसयू की संख्या वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 20 से घटकर 16 रह गई। इन पीएसयू को वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 15,219.31 करोड़, ₹ 7,345.95 करोड़ एवं ₹ 7,411.34 करोड़ की हानि हुई। पीएसयू के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, शीर्ष हानि वहन करने वाले पीएसयू उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,158.92 करोड़), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (1,204.30 करोड़) एवं पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,067.87 करोड़) (परिशिष्ट-5.1) थे।

5.6.2 निवल मूल्य का क्षरण

प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग में से संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। वास्तव में यह एक माप है कि उपक्रम स्वामियों के लिए कितना मूल्यवान है। ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि स्वामियों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

तालिका 5.14, 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियों) के प्रदत्त पूंजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है।

तालिका 5.14: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
2018-19	1,17,724.33	(-)1,69,856.02	0.18	(-)52,131.87
2019-20	1,25,973.16	(-)1,76,003.33	0.18	(-)50,030.35
2020-21	1,25,973.16	(-)1,76,003.33	0.18	(-)50,030.35

31 मार्च 2021⁶⁶ को, ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू की कुल संचित हानि ₹ 1,76,003.33 करोड़ थी। इनमें से, सात पीएसयू को उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 6,969.96 करोड़ की हानि हुई। अग्रेतर, चार पीएसयू ने उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 470.86 करोड़ का लाभ अर्जित किया। चार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू में से, दो पीएसयू⁶⁷ का संचित लाभ ₹ 1,294.79 करोड़ जबकि दो पीएसयू⁶⁸ की संचित हानि ₹ 808.18 करोड़ थी।

संचित हानि के कारण ऊर्जा क्षेत्र के छः पीएसयू के निवल मूल्य का पूरी तरह से क्षरण हो गया था। 31 मार्च 2021 को इन छः पीएसयू⁶⁹ में ₹ 76,465.59 करोड़ के पूंजी निवेश के विरुद्ध निवल मूल्य (-)₹ 84,086.46 करोड़ था (परिशिष्ट 5.1)। पाँच⁷⁰ में से दो⁷¹ पीएसयू जिनका निवल मूल्य मार्च 2021 के अन्त में सकारात्मक था, उनका निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी के आधे से कम था, जो उनकी संभावित वित्तीय रूग्णता को दर्शाता है।

तालिका 5.15, 30 नवम्बर 2021 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू (13 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) के प्रदत्त पूंजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है।

तालिका 5.15: 2018-19 से 2020-21 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
2018-19	सरकारी कम्पनियाँ	3,696.31	(-)354.62	0.00	3,341.69
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,506.66	314.20	0.47	1,820.39
	सांविधिक निगम	926.19	5,538.53	0.00	6,464.72
	योग	6,129.16	5,498.11	0.47	11,626.80

⁶⁶ 30 नवम्बर 2020-21 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

⁶⁷ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

⁶⁸ उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड एवं यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड।

⁶⁹ पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड एवं यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड।

⁷⁰ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

⁷¹ उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	4,102.52	(-)615.25	0.00	3,487.27
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,506.66	298.45	0.21	1,804.90
	सांविधिक निगम	926.19	5,577.47	0.00	6,503.66
	योग	6,535.37	5,260.67	0.21	11,795.83
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	4,846.32	(-)1,022.35	0.00	3,823.97
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,506.66	315.87	0.21	1,822.32
	सांविधिक निगम	926.19	5,577.47	0.00	6,503.66
	योग	7,279.17	4,870.99	0.21	12,149.95

31 मार्च 2021 को ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 27 पीएसयू में से, नौ पीएसयू को ₹ 2,678.47 करोड़ की संचित हानि हुई थी। नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, इन नौ पीएसयू में से, पाँच पीएसयू को ₹ 428.77 करोड़ की हानि हुई एवं चार पीएसयू ने ₹ 56.85 करोड़ का लाभ अर्जित किया, हालांकि उनमें ₹ 1,425.90 करोड़ की संचित हानि थी।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त छः⁷² पीएसयू के निवल मूल्य का संचित हानि के कारण पूर्ण रूप से क्षरण हो गया एवं 31 मार्च 2021 को ₹ 1,157.52 करोड़ पूंजी निवेश के सापेक्ष उनका निवल मूल्य (-)₹ 561.47 करोड़ था। तथापि, छः पीएसयू में से जिनके निवल मूल्य का क्षरण हो गया था, तीन⁷³ पीएसयू ने उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 56.46 करोड़ का लाभ अर्जित किया जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अर्जित ₹ 39.85 करोड़ का लाभ सम्मिलित था।

5.7 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2021 को, 38 पीएसयू जिनका वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है, में कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,72,542.84 करोड़ था। निवेश में 53.08 प्रतिशत की पूंजी एवं 46.92 प्रतिशत का दीर्घावधि ऋण शामिल है। उसमें से, इन पीएसयू में जीओयूपी ने ₹ 1,42,978.52 करोड़ का निवेश किया है जिसमें पूंजी ₹ 1,37,357.27 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 5,621.25 करोड़ है।
- वर्ष 2020-21 तक, उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 38 पीएसयू में से 22 पीएसयू ने ₹ 699.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 16 पीएसयू ने ₹ 7,411.34 करोड़ की हानि वहन की। उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 351.89 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 116.91 करोड़) मुख्य लाभ कमाने वाले पीएसयू थे। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,158.92 करोड़), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,204.30 करोड़) एवं पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,067.87 करोड़) मुख्य हानि वहन वाले पीएसयू थे।

⁷² दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नोएडा इन्टरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

⁷³ यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड, दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड एवं नोएडा इन्टरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड।

- 31 मार्च 2021 को, 66 पीएसयू के पूंजी, ऋण एवं प्रत्याभूति में अन्तर था। आंकड़ों के बीच यह अन्तर विगत कई वर्षों से बना हुआ है, यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मामला भी उठाया गया था।
- 2020-21 के दौरान 12 पीएसयू जिनमें ब्याज सहित ऋण देयताएं थीं, में से नौ पीएसयू में ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक (1 से कम) था जो यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर खर्चों की पूर्ति हेतु तक पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।
- संचित हानि के कारण 12 पीएसयू के निवल मूल्य का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया। इन पीएसयू में, ₹ 77,623.11 करोड़ के पूंजी निवेश के विरुद्ध इन पीएसयू का निवल मूल्य (–) ₹ 84,647.93 करोड़ था।

5.8 संस्तुतियाँ

- उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं जीओयूपी के वित्त लेखे के अनुसार पूंजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूति के आंकड़ों के मध्य अन्तर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।
- राज्य सरकार को हानि वहन करने वाले पीएसयू के निष्पादन की समीक्षा करना चाहिए एवं इन पीएसयू में सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए।

अध्याय - VI

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
की निरीक्षण भूमिका

अध्याय-VI

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका

6.1 परिचय

इस अध्याय में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वर्ष 2020-21 या इससे पूर्ववर्ती वर्षों के इस वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किए गए वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है। इस अध्याय में सांविधिक निगमों जहाँ सीएजी एकल लेखापरीक्षक है के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा निर्गत टिप्पणियों के प्रभाव को भी शामिल किया गया है।

6.1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा, विधि उपबन्ध इत्यादि

सीएजी, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) व (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीएजी के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी निर्गत करने या उस पर अनुपूरक प्रतिवेदन निर्गत करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षित हैं कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाये तथा एक प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाये।

6.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अन्दर की जानी है। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) सरकारी कम्पनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से 60 दिन के अन्दर सीएजी द्वारा प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है।

6.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

6.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन को इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना होता है। इसके तैयार होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक के रूप में सीएजी की टिप्पणियों की प्रति को विधायिका के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। समान प्रावधान सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में विद्यमान हैं। यह प्रणाली राज्य की संचित निधि से कम्पनियों में निवेशित सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियन्त्रण प्रदान करती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक एजीएम और उसकी अगली की तिथि के मध्य 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 तय करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों को उक्त एजीएम में उनके विचार हेतु प्रस्तुत करना होता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कम्पनी के उत्तरदायी व्यक्तियों निदेशकों सहित पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड का प्रावधान करती है।

31 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 115 पीएसयू (94 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) में से 71 कार्यरत पीएसयू (52 सरकारी कम्पनियाँ, 13 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) तथा 44 अकार्यरत पीएसयू (42 सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) थे। लेखाओं को तैयार करने में पीएसयू द्वारा अनुसरण की गई समयबद्धता की स्थिति इस प्रकार है :

6.3.2 पीएसयू द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2020-21 के लेखे 30 सितम्बर 2021 तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। तथापि, भारत सरकार ने दिनांक 23 सितम्बर 2021 के अपने परिपत्र⁷⁴ द्वारा कम्पनियों की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये एजीएम आयोजित करने की तिथि को 30 नवम्बर 2021 तक बढ़ाया था।

- 65 कार्यकारी सरकारी कम्पनियों (52 सरकारी कम्पनियाँ एवं 13 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) में से केवल चार पीएसयू⁷⁵ (तीन सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी) ने वर्ष 2020-21 के अपने लेखे सीएजी द्वारा संपरीक्षित करने के लिए 30 नवम्बर 2021 तक प्रस्तुत किये। परिणामस्वरूप, 61 कार्यरत पीएसयू (49 सरकारी कम्पनियाँ एवं 12 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) के लेखे बकाया थे।
- छः सांविधिक निगमों में से सीएजी चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम) में एकल लेखापरीक्षक हैं। 30 नवम्बर 2021 तक इन चार सांविधिक निगमों में आठ लेखे⁷⁶ बकाया थे। अग्रेतर, इन सांविधिक निगमों में से किसी ने भी वर्ष 2020-21 (30 नवम्बर 2021 तक) के लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये।

राज्य पीएसयू द्वारा 30 नवम्बर 2021 तक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण तालिका 6.1 में दर्शाया गया है।

⁷⁴ कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, परिपत्र संख्या 09/02/आदेश/एजीएम विस्तार/2021/1488

⁷⁵ यू0पी0 मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद (सरकारी कम्पनियाँ) और डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनी)

⁷⁶ (i) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वर्ष 2019-20 एवं 2020-21; (ii) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वर्ष 2020-21; (iii) उत्तर प्रदेश जल निगम 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 और (iv) उत्तर प्रदेश वन निगम वर्ष 2020-21 के लेखे।

तालिका 6.1: पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

विवरण	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण से संबंधित स्थिति				
	सरकारी कम्पनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग	
31 मार्च 2021 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पीएसयू की कुल संख्या	94	15	06	115	
घटाया : नये पीएसयू जिनके लेखे 2020-21 के लिए देय नहीं थे	-	-	-	-	
घटाया : परिसमापन के अधीन पीएसयू जिनके 2020-21 के लेखे देय नहीं थे	12	01	-	13	
पीएसयू की संख्या जिनके 2020-21 के लेखे देय थे	82	14	06	102	
30 नवम्बर 2021 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 2020-21 के लेखे प्रस्तुत करने वाले पीएसयू की संख्या	05 ⁷⁷	01	-	06	
पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया थे ⁷⁸	87 ⁷⁹	14	06	107 ⁸⁰	
बकाया लेखाओं की संख्या	897	57	19	973	
बकाये का विवरण	(i) परिसमापन के अंतर्गत	112	08	-	120
	(ii) अकार्यरत	553	26	-	579
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये	48	10	-	58
	(iv) अन्य	184	13	19	216
'अन्य' श्रेणी के विरुद्ध बकाये का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2020-21)	14	07	02	23
	दो वर्ष (2019-20 और 2020-21)	14	06	02	22
	तीन वर्ष एवं अधिक	156	-	15	171

ऊर्जा क्षेत्र के 13 में से नौ पीएसयू जिनके लेखे बकाये थे, को उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने ₹ 20,917.77 करोड़ (पूँजी: ₹ 10,568.47 करोड़, अनुदान: ₹ 692.13 करोड़ और सब्सिडी: ₹ 9,657.17 करोड़) प्रदान किया था, जबकि ऊर्जा क्षेत्र के शेष चार पीएसयू में लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था।

अग्रेतर, ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 94 पीएसयू में से 37 पीएसयू जिनके लेखे बकाये थे को जीओयूपी ने ₹ 6,441.57 करोड़ (पूँजी: ₹ 290.64 करोड़, ऋण: ₹ 2,476.54 करोड़, अनुदान: ₹ 3,394.22 करोड़ और सब्सिडी ₹ 280.17 करोड़) प्रदान किये थे, जबकि शेष 57 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान, कोई निवेश नहीं किया गया था। लेखाओं के बकाया होने के वर्षों की अवधि के दौरान

⁷⁷ इसमें दो अकार्यरत पीएसयू (यू0पी0 स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड एवं सदरन यू0पी0 पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड) शामिल है।

⁷⁸ परिसमापन के अधीन पीएसयू के बकाया लेखे शामिल करते हुए।

⁷⁹ 94 (कुल सरकारी कंपनियों) – 7 (5 सरकारी कम्पनियों ने 2020-21 के लेखे प्रस्तुत किये और परिसमापन के अधीन दो पीएसयू जिनके लेखे बकाया नहीं थे)

⁸⁰ इसमें दो पीएसयू उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड जो परिसमापन के अधीन थे, जिनके परिसमापन में जाने की तिथि तक कोई लेखे बकाये नहीं थे, शामिल नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा पीएसयू-वार किये गये निवेश का विवरण परिशिष्ट-6.1 में दर्शाया गया है।

इन पीएसयू की गतिविधियों की निगरानी करने एवं इन पीएसयू द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अंगीकृत किये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखाओं के संबंध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

6.3.2.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ कपट एवं सार्वजनिक धन के रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणित हो सकता है। लेखाओं के बकाया की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान वहन हानि/अर्जित लाभ को सम्मिलित करते हुए इन 107 पीएसयू⁸¹ के वास्तविक निष्पादन एवं राज्य के जीडीपी में योगदान को आंकलित/राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। इन पीएसयू द्वारा लेखाओं को अन्तिमीकृत किये जाने एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये हैं तथा निधियों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रयोजन के लिए किया गया था। ऐसे सांविधिक निगमों के संबंध में जहाँ प्रमाणन का सम्पूर्ण दायित्व एकल अंकेंक्षक के रूप में सीएजी पर है, यह प्रकरण बड़ी चिन्ता का विषय है।

6.3.2.2 अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

31 मार्च 2021 को, 44 राज्य पीएसयू (42 सरकारी कम्पनियाँ और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) अकार्यरत थे जिनमें पूँजी (₹ 1,084.07 करोड़) और दीर्घावधि ऋण (₹ 731.53 करोड़) के रूप में कुल निवेश ₹ 1,815.60 करोड़ था। इनमें मुख्य निवेश उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (₹ 288.88 करोड़), नंदगंज सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड (₹ 256.80 करोड़) और उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड (₹ 206.80 करोड़) में था। अकार्यरत पीएसयू में परिसमापन के अधीन 13 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ और एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी) सम्मिलित हैं, राज्य सरकार इन अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा कर सकती है।

6.3.2.3 अकार्यरत पीएसयू के बकाया लेखे

44 अकार्यरत पीएसयू (परिसमापन के अधीन 13 पीएसयू को सम्मिलित करते हुए), में से 40 अकार्यरत पीएसयू (38 सरकारी कम्पनियाँ और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) के 699 लेखे 30 नवम्बर 2021 को बकाया थे। इन पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु-वार विश्लेषण तालिका 6.2 में दिया गया है।

तालिका 6.2: अकार्यरत पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु-वार विश्लेषण

		बकाये का आयुवार विश्लेषण				योग
		1-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-20 वर्ष	21 वर्ष एवं उससे अधिक	
बकाया लेखाओं वाले अकार्यरत पीएसयू	परिसमापन के अधीन	4	1	5	1	11
	अन्य	5	5	5	14	29

⁸¹ ऊर्जा क्षेत्र के 13 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 94 पीएसयू

		बकाये का आयुवार विश्लेषण				योग
		1-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-20 वर्ष	21 वर्ष एवं उससे अधिक	
बकाये लेखाओं की संख्या	परिसमापन के अधीन पीएसयू	9	8	74	29	120
	अन्य अकार्यरत पीएसयू	18	41	82	438	579

6.4 सीएजी का निरीक्षण – लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा

6.4.1 वित्तीय प्रतिवेदन ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित प्रारूप और केन्द्र सरकार द्वारा लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों को सीएजी के परामर्श तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से सम्बन्धित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अंतर्गत बनाये गये नियमों में निर्धारित प्रारूप में लेखे तैयार किया जाना चाहिए।

6.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सीएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस, समग्र उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आवंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, पीएसयू की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा निरीक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निष्पादन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश निर्गत करना और
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

6.4.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने का मुख्य उत्तरदायित्व इकाई के प्रबन्धन का है।

सीएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षा परिपाटियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से समीक्षा की जाती है।

उक्त समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियां, यदि कोई कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की गयी हों को एजीएम के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है।

6.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

6.5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

30 नवंबर 2021⁸² तक 46 पीएसयू (33 सरकारी कम्पनियाँ, 10 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और तीन सांविधिक निगम) से वर्ष 2020-21 तक के लिए वित्तीय विवरण प्राप्त हुए जो कि **परिशिष्ट-6.2** में वर्णित है। सीएजी द्वारा उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में 28 पीएसयू⁸³ (21 सरकारी कम्पनियाँ, तीन सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और चार सांविधिक निगमों) के लेखाओं की समीक्षा और टिप्पणियाँ की गई थीं जैसा कि **परिशिष्ट-6.3** में वर्णित है। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं:

6.5.2 वित्तीय विवरणों में संशोधन

31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया, जहाँ किसी सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी या सांविधिक निगम ने इसे एजीएम में/विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अपने वित्तीय विवरणों को संशोधित किया हो।

6.5.3 सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का संशोधन

31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एक सरकारी कम्पनी (नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड) के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन को संशोधित किया है।

6.5.4 सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में तथा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर एकल लेखापरीक्षक के रूप में सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

वर्ष 2020-21 तक के लिए वित्तीय विवरणों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के उपरांत चयनित सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की गयी। जिन पीएसयू के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ निर्गत की गई थी उनकी सूची **परिशिष्ट 6.3** में दी गयी है। सरकारी कंपनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर निर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 136.99 करोड़ और परिसंपत्तियों/दायित्वों पर ₹ 800.93 करोड़ था, उनमें से कुछ निम्नवत है:

⁸² 01 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान

⁸³ 28 पीएसयू में से, 19 पीएसयू (16 सरकारी कम्पनियाँ, एक सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनी और दो सांविधिक निगमों) ने अपने लेखे 01 जनवरी 2021 से पूर्व प्रस्तुत किये थे।

(अ) सरकारी कम्पनियाँ

1. लाभप्रदता पर टिप्पणियां

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय में आंतरिक रूप से उपभोग की गई ऊर्जा पर ₹ 2.78 करोड़ का विद्युत कर शामिल है जो उ0प्र0 विद्युत कर (संशोधित) अधिनियम 1970 की धारा 3(5) के प्रावधानों के विरुद्ध था जो प्रावधानित करते हैं कि एक लाइसेंसी द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा पर विद्युत कर नहीं लगाया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय के साथ ही साथ हानि प्रत्येक को ₹ 2.78 करोड़ से अधिक बताया गया।
2.	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	कम्पनी के कर्मचारी कल्याण व्यय में सातवें वेतन आयोग के बकाये का ₹ 24.41 करोड़ शामिल है जिसके लिए लेखा पुस्तकों में पूर्व के वर्षों में पहले ही दायित्व/प्रावधान बना लिया गया था। विद्यमान प्रावधान को समायोजित करने के स्थान पर, कम्पनी ने भुगतान करते समय इसको वर्तमान वर्ष के लिए कर्मचारी कल्याण व्यय के रूप में प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी कल्याण व्यय और अन्य चालू दायित्व प्रत्येक ₹ 24.41 करोड़ से अधिक बताया गया। फलस्वरूप वर्ष के लिए लाभ उतनी ही धनराशि से कम बताया गया।
3.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18	<p>1. कम्पनी ने प्रकट किया कि “ओबरा एचईपी, खारा, यूजीसी, बेलका, बाबेल और शीतला स्मॉल हाइड्रो प्लांट (एसएचपी) के विक्रय का लेखांकन माननीय यूपीईआरसी द्वारा तय किये गए टैरिफ (03 जुलाई 2018) के अनुसार किया गया है”</p> <p>उपरोक्त प्रकटीकरण के विपरीत कम्पनी ने 2017-18 में ₹ 60.59 करोड़ और ₹ 6.14 करोड़ की राशि के लिए विक्रय समायोजन किया है। कम्पनी द्वारा किए विक्रय के यह समायोजन टैरिफ की शर्तों के अनुसार नहीं हैं। परिणामस्वरूप, संचालन से राजस्व, पूर्व अवधि आय और व्यापार प्राप्य क्रमशः ₹ 6.14 करोड़, ₹ 60.59 करोड़ तथा ₹ 66.73 करोड़ से कम बताये गये हैं। जबकि वर्ष के लिए हानि ₹ 66.73 करोड़ से अधिक बतायी गयी थी।</p> <p>2. कम्पनी ने 2016-17 और 2017-18 की अवधि के दौरान विक्रय से क्रमशः ₹ 13.09 करोड़ और ₹ 14.99 करोड़ एलआईसी ऋण पर ब्याज के घटक के संबंध में कटौती की है क्योंकि यूपीईआरसी के टैरिफ आदेश के अनुसार उसे भुगतान आधार पर दावा किया जाना था। कम्पनी ने लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त लागत के अन्तर्गत एलआईसी ऋण पर देय ब्याज के सापेक्ष 2016-17 एवं 2017-18 प्रत्येक वर्ष के लिए ₹ 11.93 करोड़ का प्रावधान भी किया।</p> <p>इस प्रकार, एक ओर कम्पनी ने राजस्व की पहचान नहीं की है लेकिन एलआईसी ऋण पर</p>

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			देय ब्याज के सापेक्ष व्यय के लिए प्रावधान उपाजर्जन आधार पर किया। यह प्रतिपादन लेखांकन के मिलान सिद्धांत के विरुद्ध है जो उसी अवधि में व्यय को प्रभारित करने की अपेक्षा करता है जिसमें सम्बन्धित राजस्व उपाजर्जित किये गए हैं। परिणामस्वरूप, 'संचालन से राजस्व' और 'व्यापार प्राप्य' क्रमशः ₹ 14.99 करोड़ और ₹ 28.08 करोड़ से कम बताए गए हैं। अग्रेतर, वर्ष के लिए हानि और संचित हानियाँ क्रमशः ₹ 14.99 करोड़ और ₹ 28.08 करोड़ अधिक बताई गई हैं।

2. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	कम्पनी के चालू दायित्वों में नजूल भूमि के बंधमुक्त भूमि में परिवर्तन के लिए परिवर्तन प्रभार के विलंबित भुगतान के कारण उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) को देय ब्याज ₹ 51.96 करोड़ शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय दायित्व' के साथ ही साथ 'परिसंपत्तियाँ, प्लॉट और संयंत्र' प्रत्येक ₹ 51.96 करोड़ से कम बताए गए हैं।
2.	पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	दीर्घकालीन देनदारियों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) से प्राप्त ऋण और प्राप्त ऋण पर देय ब्याज शामिल है। एनबीसीएफडीसी द्वारा प्रदान किये गए विवरण के अनुसार ऋण और उस पर वर्ष के लिए देय ब्याज ₹ 54.16 करोड़ था जबकि कम्पनी ₹ 50.16 करोड़ का शेष दिखा रही थी। इस प्रकार, दीर्घकालिक देनदारियाँ एवं चालू परिसंपत्तियाँ ₹ 4.00 करोड़ की सीमा तक कम बताई गई हैं।
3.	यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	कम्पनी ने इण्ड. ए.एस. 23 (उधार लागत) के प्रावधानों के विपरीत उधार देने वाली एजेंसी को ₹ 4.88 करोड़ (मूलधन और ब्याज के भुगतान में देरी के कारण 2016-17 की अवधि में भुगतान) के दंडनीय ब्याज को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित करने के बजाय पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत लेखांकित किया। इस प्रकार, दंडनीय ब्याज के पूंजीकरण के कारण, सीडब्ल्यूआईपी तथा अन्य पूंजी प्रत्येक ₹ 4.88 करोड़ से अधिक बताई गई हैं।
4.	यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	अन्य दीर्घकालीन दायित्वों में फरवरी 2009 से मार्च 2017 के मध्य निष्पादित कार्यों हेतु श्रमिक कल्याण बोर्ड को देय श्रमिक उपकर ₹ 32.33 करोड़ शामिल नहीं था। इसके परिणामस्वरूप अन्य दीर्घकालीन दायित्वों और चालू परिसंपत्तियों (व्यापार प्राप्य) प्रत्येक को ₹ 32.33 करोड़ से कम बताया गया है।
5.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1. परिसंपत्तियाँ प्लॉट और संयंत्र में ₹ 6.75 करोड़ धनराशि के उपभोग योग्य स्पेयर्स शामिल है जिसे माल सूची के रूप में लेखांकन करने के बजाय रोलिंग स्टॉक के मूल्य के साथ पूंजीगत किया गया

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.75 करोड़ से प्रत्येक 'परिसम्पत्तियां, प्लांट और संयंत्र' (रोलिंग स्टॉक) को अधिक एवं वस्तु सूची को कम बताया गया था। 2. ट्रैक कार्य (पी-वे), पूंजीगत कार्य प्रगति पर लखनऊ मेट्रो परियोजना पर अधिशेष भण्डार (स्लीपर्स, पटरियां, क्लैपस इत्यादि) प्रदर्शित करते हैं। यह सामान नई रेल पटरियों को बिछाने के लिए उपयोग किये जाने वाले सामानों से बचे हुए थे और लखनऊ परियोजना में इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि परियोजना पहले ही पूर्ण और चालू हो चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.83 करोड़ से प्रत्येक 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर (लखनऊ)' को अधिक तथा 'वस्तु सूची' को कम बताया गया था।
6.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2018-19	अन्य दीर्घकालीन देयताओं के मद में 'उत्तर प्रदेश सरकार से अग्रिम' की शेष धनराशि ₹ 688.18 करोड़ की राशि के कार्य प्रगति पर (पूर्ण कार्य) के मूल्य को समायोजित करने के बाद निकाली गई है। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार कार्य प्रगति पर और तैयार भण्डार (पूर्ण कार्य) को राज्य सरकार को उनके हस्तांतरण तक "चालू परिसंपत्तियां - माल सूची के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अन्य दीर्घकालीन देयताओं के साथ ही साथ चालू परिसंपत्तियों को ₹ 688.18 करोड़ से कम बताया गया है।

3. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	कम्पनी ने "सहायता अनुदान" के सम्बन्ध में लेखा नीतियों पर टिप्पणियों में प्रकट किया कि केन्द्र सरकार से प्राप्त ₹ 8.89 लाख अनुदान का उपयोग विगत वर्षों की हानियों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। प्रकटीकरण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था न कि केन्द्र सरकार से।
2.	छाता शुगर कंपनी लिमिटेड	2016-17	आकस्मिक देयताओं पर लेखाओं की टिप्पणियों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार ऋण और अग्रिम में, कुछ व्यय, शामिल है जिनका भुगतान "उचंचत खाते" को डेबिट करके किया गया है क्योंकि इसके व्यय की प्रकृति अभी तय की जानी है और/या भुगतान विवादित हो गया। इसी प्रकार लेनदारों में कुछ प्राप्तियां जिनका समायोजन उचंचत खाते को क्रेडिट करके किया गया है क्योंकि ऐसी प्राप्तियों की प्रकृति अभी निर्धारित की जानी है। लेखापरीक्षा ने पाया कि उचंचत खाते के अंतर्गत ₹ 11.50 लाख डेबिट किये गये थे और ₹ 2.90 करोड़ क्रेडिट किये गये थे लेकिन वित्तीय निहितार्थ को कम्पनी द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया।
3.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	कम्पनी ने यूपीपीसीएल (स्वामित्व कम्पनी) द्वारा सहायक कम्पनी की ओर से ब्याज की छूट के लिए दायर याचिका के बावजूद यूपीईआरसी को वार्षिक लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान पर अर्जित ब्याज

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			के प्रति ₹ 36.52 लाख की आकस्मिक देयताओं को प्रकट नहीं किया।
4.	यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च 2017 को जारी अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 308(ई) के अनुसार, कम्पनी को 08 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान रखे और लेन-देन किये गए निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) का विवरण प्रकट करना चाहिए था। कम्पनी, ने उपरोक्त अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए लेखाओं पर टिप्पणियों में वांछित सूचना प्रकट नहीं की।
5.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने कम्पनी को कार्स्टिंग यार्ड की स्थापना के लिए 60,000 वर्ग मीटर भूमि पट्टे पर आवंटित की और कम्पनी से ₹ 24.40 करोड़ देय किराये की धनराशि की मांग की। कम्पनी ने 29 दिसम्बर 2019 को सर्कल रेट के आधार पर गणना के अनुसार एएआई को ₹ 2.29 करोड़ की धनराशि भुगतान की जो एएआई को स्वीकार्य नहीं थी। इस तथ्य को लेखाओं पर टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया है। 2. कम्पनी ने राजकीय महिला पालिटेक्निक, लखनऊ की 4,000 वर्ग मीटर भूमि और राजकीय पॉलिटेक्निक, लखनऊ की 48.03 वर्ग मीटर भूमि रिसीविंग सब-स्टेशन और वाय डक्ट के निर्माण के लिए उपयोग की। तथापि, उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित पट्टा एवं उप-पट्टा अनुबंधों पर हस्ताक्षर अभी भी लंबित हैं। इस सारवान तथ्य को लेखाओं पर टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया गया था।

4. सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन बताता है कि कम्पनी ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए सब्सिडी/अनुदान प्राप्त किया तथा मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए प्राप्त धनराशि को पूंजी संचय के स्थान पर आय माना जाना चाहिए था। लेकिन प्रतिवेदन में इसका उल्लेख नहीं है कि सब्सिडी के उस भाग को जो ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्राप्त हुआ है तथा पूंजी संचय में दिखाया गया उसे इण्ड.ए.एस.-20 के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लाभ एवं हानि खाते के क्रेडिट में व्यवस्थित रूप से स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था।
2.	नंदगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	लेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों, कृत कार्यवाही और कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
3.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट	2018-19	सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया कि कम्पनी के पास चरणबद्ध तरीके से अचल

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
	कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड		परिसंपत्तियों के सभी मदों को आच्छादित करने के लिए सत्यापन का एक कार्यक्रम था, जो हमारी राय में, कम्पनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के सम्बन्ध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। उपरोक्त टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।
4.	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड	2000-01	सांविधिक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कर्मचारी अग्रिमों में कुछ क्रेडिट शेष भी शामिल था जिसे चालू देयताओं में दिखाया जाना चाहिए था। तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षक ने ₹ 22.46 लाख की धनराशि का निर्धारण नहीं किया जिसे कर्मचारी अग्रिम के क्रेडिट शेष के रूप में दिखाया गया था।
5.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	2016-17	लेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों, कृत कार्यवाही और कम्पनी के वित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
6.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2016-17	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च 2017 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 308 (ई) के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षकों को अपने प्रतिवेदन में प्रकट करना चाहिये था कि क्या कम्पनी ने 08 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान रखे और लेन-देन किये गए निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) से संबंधित आवश्यक प्रकटन को इनके वित्तीय विवरणों में दिखाया है। कम्पनी ने एमसीए की अधिसूचना के अनुसार एसबीएन सूचना को प्रकट नहीं किया था तथा सांविधिक लेखापरीक्षक भी अपने प्रतिवेदन में इसे प्रतिवेदित करने में असफल रहे।

(ब) सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ

1. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	अन्य व्यय में विशिष्ट परियोजना से सम्बन्धित परियोजना प्रबंध परामर्श (पीएमसी) प्रभार धनराशि ₹ 1.00 करोड़ शामिल है। इस व्यय को परियोजना अनुदान के विरुद्ध समायोजित करने के स्थान पर लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यय, संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत परियोजना कोष के लिए अनुदान तथा हानि प्रत्येक ₹ 1.00 करोड़ से अधिक बताए गए।
2.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	संचालन से प्राप्त राजस्व में भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान पर वर्ष के दौरान ₹ 49.43 लाख का अर्जित ब्याज शामिल है। कम्पनी ने सरकारी अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज को देयता के रूप में लेखांकित करने के स्थान पर इसे अपनी आय में दर्ज किया जिसके परिणामस्वरूप

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			₹ 49.43 लाख से प्रत्येक संचालन से राजस्व को अधिक और अन्य चालू देयताओं को कम बताया गया। तदनुसार वर्ष के लिए लाभ भी ₹ 49.43 लाख से अधिक बताया गया था।

2. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	अनुदान पर ब्याज (संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत) में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) से प्राप्त अप्रयुक्त प्रशासनिक तथा संचालन व्यय (ए एवं ओई) अनुदान और परियोजना निधि अनुदान पर अर्जित ब्याज की ₹ 1.21 करोड़ धनराशि शामिल है। कम्पनी ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए लेखाओं में इसे चालू देयताओं के स्थान पर संचय एवं आधिक्य के भाग के रूप में दर्ज किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ से प्रत्येक संचय एवं आधिक्य को अधिक तथा चालू देयताओं को कम बताया गया।
2.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	कम्पनी ने स्मार्ट सिटी प्रस्ताव की अवस्था से और उसके दैनिक संचालन के व्ययों को पूरा करने हेतु प्रशासनिक और कार्यालय व्ययों (ए एवं ओई) का ₹ 10 करोड़ (2018-19 तक) का अनुदान प्राप्त किया। तथापि, कम्पनी के निगमन से पूर्व ₹ 84.40 लाख के व्यय को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित करने के स्थान पर अस्थगित व्यय के रूप में प्रतिपादित किये गये। अग्रेतर, ए एवं ओई अनुदान से मिलान धनराशि को लाभ एवं हानि खाते में आय के रूप में लेखांकित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसम्पत्तियां तथा अन्य चालू देयताओं प्रत्येक को ₹ 84.40 लाख से अधिक दिखाया गया था।
3.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था (एसपीवी) की संरचना, एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापित की जाएगी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) दोनों द्वारा 50:50 अंश पूँजी रखते हुए, संयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा। कम्पनी वर्ष 2018-19 में निगमित हुई थी। वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने धनराशि ₹ 50 लाख के 50,000 समता अंश प्रत्येक ₹ 100 के आवंटित किये और यूएलबी तथा राज्य सरकार प्रत्येक को 25,000 समता अंश आवंटित किये। आवंटन के सापेक्ष ₹ 50 लाख की सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार (जीओआई) अनुदान से उपयोग की गई थी तथा राज्य सरकार ने अपना अंशदान नहीं दिया। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्राप्य के रूप में नहीं दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-चालू देयताओं तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों प्रत्येक को ₹ 25 लाख से कम बताया गया है।

3. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार के स्मार्ट सिटी दिशानिर्देश प्रावधानित करते हैं कि 'स्मार्ट सिटी मिशन में एस्पीवी को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि बंधित अनुदान के रूप में और पृथक अनुदान निधि में रखे जायेंगे'। तथापि, कम्पनी ने ए एंड ओई अनुदान तथा परियोजना निधि अनुदान के लिए प्राप्त निधियों को एक ही खाते में रखा। अग्रेतर, लेखांकन मानक-12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' भी लेखाओं में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतीकरण की विधियों सहित सरकारी अनुदान के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति के प्रकटीकरण का प्रावधान करते हैं। लेकिन एएस-12 में अपेक्षित सरकारी अनुदान के लिए कोई लेखांकन नीति नहीं बनाई गई।

सांविधिक निगम जहां सीएजी एकल लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकल लेखापरीक्षक है, उनके लेखाओं पर सीएजी द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नवत हैं:

1. उत्तर प्रदेश वन निगम (2018-19)

- 'वन विकास गतिविधियों' पर व्यय में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल रैली (आईसीआर) के आयोजन के लिए पर्यटन विभाग को देय ₹ 1.75 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। आईसीआर के लिए कुल बजट आवंटन ₹ 3.50 करोड़ था, जिसके विरुद्ध वन निगम द्वारा पर्यटन विभाग को ₹ 1.75 करोड़ निर्गत किए गए थे। शेष ₹ 1.75 करोड़ पर्यटन विभाग को निर्गत नहीं किये गये थे जिसके लिए लेखाओं में प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.75 करोड़ से चालू देनदारियों और प्रावधान को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया।

2. उत्तर प्रदेश जल निगम (2012-13)

- परियोजनाओं के लिए प्राप्त निक्षेप राशि को ₹ 76.17 करोड़ से कम बताया गया है, क्योंकि जमा कार्यों के निष्पादन के लिए प्राप्त निधियों के निवेश पर 2008-09 से 2012-13 के दौरान ब्याज अर्जित किया गया था, जिसे देनदारियों के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए प्राप्त निक्षेप में जमा करने के स्थान पर निगम की आय के रूप में माना गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अधिशेष को भी ₹ 76.17 करोड़ से अधिक बताया गया।
- देय पेंशन और उपदान को ₹ 67.64 करोड़ से कम बताया गया क्योंकि 2008-09 से 2012-13 के वर्षों के लिए देय पेंशन और उपदान प्रावधान को लेखाओं में लेखांकित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए अधिशेष भी उस सीमा तक बढ़ा हुआ बताया गया।
- अवकाश नकदीकरण/देय बकाया के प्रति देयता ₹ 55.51 करोड़ से कम बताई गई क्योंकि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए देय अवकाश नकदीकरण/बकाया के प्रावधान को लेखाओं में शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए अधिशेष भी उस सीमा तक बढ़ा हुआ बताया गया।
- विश्व बैंक के ₹ 42.29 करोड़ के ऋण (1990-91 से 1995-96 के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त) असुरक्षित ऋण के बजाय चालू देनदारियों के अन्तर्गत अन्य से निक्षेप राशि के रूप में प्रदर्शित होने के कारण तथा उस पर मार्च 2013 के

अंत तक देय ब्याज ₹ 105.38 करोड़ की धनराशि का लेखा-जोखा नहीं करने से उत्तर प्रदेश सरकार से असुरक्षित ऋण को ₹ 147.67 करोड़ से कम बताया गया है।

- निर्माण और डिजाइन सेवा प्रभाग के कार्य प्रगति पर में निगम द्वारा प्राप्त निक्षेप राशि से निष्पादित किए जा रहे ₹ 526.28 करोड़ के कार्य शामिल किये गये हैं जिन्हें पहले ही पूरा किया जा चुका है और ग्राहकों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इसे समायोजित नहीं करने के परिणामस्वरूप 'कार्य प्रगति पर' और 'चालू देनदारियों' प्रत्येक को ₹ 526.28 करोड़ से अधिक बताया गया।
- बबीना (झांसी) परियोजना 1996-97 में ₹ 48.29 करोड़ की लागत से पूरी हुई थी। इसे 'कार्य प्रगति पर' के अंतर्गत शामिल करने के के स्थान पर 'यूपी जल निगम द्वारा अनुरक्षित पूर्ण ग्रामीण जल कार्य परियोजना' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 48.29 करोड़ से 'यूपी जल निगम द्वारा अनुरक्षित पूर्ण ग्रामीण जल कार्य परियोजना' को कम बताया गया और कार्य प्रगति पर को अधिक बताया गया।
- जल संस्थान झांसी से 1997-98 से 2010-11 की अवधि के दौरान अवशेष वसूल न किए गए जल प्रभारों के विरुद्ध अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान न करने के कारण 'देनदार' मद के अंतर्गत ठेकेदारों से बकाया राशि ₹ 148.46 करोड़ से अधिक बताई गई थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अधिशेष को भी ₹ 148.46 करोड़ से अधिक बताया गया।
- बैंक अवशेष से तैयार किये गये ₹ 40.10 करोड़ के फ्लेक्सी एफडीआर का लेखांकन नहीं करने और एफडीआर पर अर्जित ₹ 20.12 करोड़ के ब्याज का लेखांकन नहीं करने के कारण बैंकों के पास शेष ₹ 19.98 करोड़ से अधिक बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसम्पत्तियाँ : बैंकों के पास सावधि जमा ₹ 40.10 करोड़ से और वर्ष के लिए अधिशेष ₹ 20.12 करोड़ से कम बताया गया।
- निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जिसके अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय केन्द्र सरकार द्वारा सेन्टेज अनुमन्य नहीं किया गया था उस पर सेन्टेज की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया था 2012-13 के लिए आय और व्यय खाते में जमा किया गया कुल सेन्टेज ₹ 302.38 करोड़ था। इस तथ्य को महत्वपूर्ण प्रकृति का होने के कारण संबंधित वर्षों के लिए लेखाओं पर टिप्पणियों में प्रकट किया जाना चाहिए था।

3. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (2017-18)

- विविध देनदारों में ₹ 9.56 करोड़, नोएडा प्राधिकरण से ₹ 5.84 करोड़ तथा ग्रेटर नोएडा (जीएनआईडीए) प्राधिकरण से ₹ 3.72 करोड़ वसूली योग्य शामिल है जो कि नोएडा/ग्रेटर नोएडा में सिटी बसों के संचालन में हानि के कारण क्षेत्रीय प्रबंधक नोएडा की पुस्तकों में इन प्राधिकरणों से 2006-07 से 2014-15 की अवधि के लिए वसूली योग्य थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, नोएडा और जीएनआईडीए प्राधिकरण ने क्रमशः ₹ 3.48 करोड़ और ₹ 2.43 करोड़ की प्रतिपूर्ति की तथा शेष धनराशि की प्रतिपूर्ति करने से मना कर दिया। तथापि, बकाया देय राशियों के विरुद्ध संदिग्ध ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ और विविध देनदारों को ₹ 3.65 करोड़ से अधिक बताया गया है, साथ ही साथ अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों को समान राशि से कम बताया गया।
- सेवाकर विभाग ने जून 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए वातानुकूलित बसों द्वारा यात्रियों के परिवहन पर ₹ 12.73 करोड़ के सेवाकर का आंकलन किया। तथापि, लेखाओं में सेवाकर देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था

जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.73 करोड़ से लाइसेंस एवं कर व्यय तथा चालू देनदारियों को कम बताया गया साथ ही साथ लाभ को अधिक बताया गया।

- निगम के यातायात राजस्व (यात्रियों) में राज्य सरकार के संबंधित विभाग से विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के किराए की प्रतिपूर्ति के लिए दावा की गई धनराशि ₹ 9.56 करोड़ शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप यातायात राजस्व (यात्रियों) और विविध देनदारों को ₹ 9.56 करोड़ से कम बताया गया। तदनुसार लाभ को भी ₹ 9.56 करोड़ से कम बताया गया।
- तुलन पत्र की अनुसूची-I के अनुसार निगम की निर्गत, अभिदान और प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 814.87 करोड़ (राज्य सरकार) है जो परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित ₹ 700 करोड़ की 'अधिकृत पूंजी' से अधिक है।

6.6 लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों का गैर अनुपालन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(1), धारा 132 एवं धारा 133 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 एवं 9 से 29 निर्धारित किये। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा समय-समय पर इसमें किये गए संशोधन के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानक (इंड. ए.एस.) अधिसूचित किये।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि 16 कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/इंड एस का अनुपालन नहीं किया जिसका विवरण तालिका 6.3 में है:

तालिका 6.3: लेखांकन मानकों/इंड. ए.एस. के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी टिप्पणियों का विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	लेखांकन मानकों/इंड एस का पालन नहीं किया गया
अ.	सरकारी कम्पनियाँ:		
1.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	एएस-15 एवं एएस-28
2.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	इंड एएस-2, इंड एएस-10, इंड एएस-16, इंड एएस-19, इंड एएस-20, इंड एएस-36, एवं इंड एएस-115
3.	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज	2012-13	एएस-22
4.	पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	एएस-10
5.	श्रीद्रॉन इंडिया लिमिटेड	2018-19	एएस-13 एवं एएस-15
6.	सदर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	एएस-1
7.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	इंड एएस-1, इंड एएस-16, इंड एएस-19, इंड एएस-36 एवं इंड एएस-109
8.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड	2016-17	एएस-9, एएस-22, एएस-28 एवं एएस-29
9.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	2015-16	एएस-10
10.	उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड	2016-17	एएस-2, एएस-7, एएस-15 एवं एएस-29
11.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18	एएस-2 एवं एएस-22

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	लेखांकन मानकों/इंड एस का पालन नहीं किया गया
12.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	इंड एस-21, इंड एस-23, इंड एस-109 एवं इंड एस-116
13.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2018-19	एस-2, एस-7, एस-15 एवं एस-29
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2017-18	एस-9, एस-15 एवं एस-28
15.	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	2017-18	एस-1, एस-2, एस-3, एस-6, एस-9, एस-10, एस-12, एस-13, एस-15, एस-17, एस-18, एस-22 एवं एस-28
ब.	सरकार नियन्त्रित अन्य कम्पनियां:		
1.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	एस-12

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने भी लेखांकन मानकों/इंड एस का अनुपालन नहीं किया था जिसको उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 6.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.4: लेखांकन मानकों/इंड. एस. के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर सीएजी द्वारा की गयी टिप्पणियों का विवरण

लेखांकन मानक/इंड एस	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	विचलन	
एस-1	लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	कम्पनी ने वस्तु सूची के मूल्यांकन पर अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है, लेकिन लेखांकन नीति में बदलाव के कारण लेखाओं पर प्रभाव को प्रकट नहीं किया गया है।
एस-2	स्टॉक का मूल्यांकन	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	2015-16	निगम ने अस्वीकृत (समाप्त) बीजों को प्रमाणित बीजों (उपयोग योग्य या समाप्त नहीं हुए बीज) की दर से मूल्यांकित किया है, जबकि उनका मूल्यांकन इसके शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाना था।
एस-3	नकदी प्रवाह का विवरण	श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड	2018-19	नकदी प्रवाह विवरण के नीचे कम्पनी द्वारा नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी को नहीं दिखाया गया था, जिसमें नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली विधि और कम्पनी के तुलन पत्र में दिखाए गए रोकड़ एवं रोकड़ समकक्षों के मिलान को दर्शाने वाले विवरण को दर्शाया गया था।
एस-4	तुलन पत्र की तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं	यूपी राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड	2016-17	उच्च न्यायालय के दिनांक 08 दिसम्बर 2017 के आदेश (बोर्ड द्वारा लेखाओं के अनुमोदन से पूर्व) के अनुसार शिवगढ़ रिजॉर्ट (वर्ष 2002-03 के लिए) से लाइसेंस शुल्क/पट्टा किराए की वसूली योग्य राशि ₹ 8.80 लाख थी, लेकिन लेखा पुस्तकों में केवल ₹ 4.73 लाख दिखाया गया।
एस-12	सरकारी अनुदान	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन नीति नहीं तैयार की गई।
		श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड	2018-19	सरकारी अनुदानों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के विवरण में प्रकट नहीं किया गया।

लेखांकन मानक/इंड एस	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	विचलन
एस-13	निवेश श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड	2018-19	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के विवरण में निवेश के लिए लेखांकन नीति को प्रकट नहीं किया गया है।
एस-15	कर्मचारी लाभ यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	परिभाषित उपदान लाभ योजना और अवकाश नकदीकरण योजना के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण ₹ 1.60 करोड़ (उपदान- ₹ 0.14 करोड़ और अवकाश नकदीकरण- ₹ 1.46 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते के विवरण में प्रभारित नहीं किया गया।
एस-20	प्रति अंश उपार्जन उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	2017-18	कंपनी का लाभ एवं हानि खाता उसके मुखपृष्ठ पर प्रति अंश मूल तथा न्यूनकृत उपार्जन प्रस्तुत नहीं करता है।
एस-26	अमूर्त परिसम्पत्तियां मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2012-13	कम्पनी द्वारा प्रारंभिक/संचालन पूर्व व्यय को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
एस-29	संभाव्य देयताएं छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	लेखाओं पर टिप्पणियों के अनुसार विभिन्न पक्षों, कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए दावों को अभी तक ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, जो ₹ 60.64 लाख थे। इसके अलावा मेसर्स अल्फा इंजीनियरिंग के पक्ष में विवाचन निर्णय (अप्रैल 1996) का ₹ 42.15 लाख का एक पुराना दावा था। लेकिन, एस के अन्तर्गत आवश्यक इसकी प्रकृति के संक्षिप्त विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।
इंड एस-20	शासकीय अनुदान के लिए लेखांकन कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	ऋण के पुर्नभुगतान के लिए प्राप्त और पूँजी संचय के रूप में दिखायी गयी सब्सिडी के एक भाग (राशि अनिश्चित) को लाभ एवं हानि खाते में आय में परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित नहीं किया गया है।
इंड एस-23	ऋण लेने की लागत उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	इंड एस-23 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मूलधन और ब्याज के भुगतान में देरी के कारण 2016-17 के दौरान भुगतान किए गए ₹ 4.88 करोड़ के दंडात्मक ब्याज को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित करने के बजाय पूँजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में लेखांकित किया।

6.7 प्रबन्धन पत्र

लेखापरीक्षक एवं कार्पोरेट इकाई की शासन व्यवस्था के उत्तरदायित्व हेतु प्रभारित लोगों के मध्य वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मामलों पर सम्प्रेषण स्थापित करना वित्तीय लेखापरीक्षा का एक उद्देश्य है।

पीएसयू के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को सीएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय प्रतिवेदनों या प्रतिवेदन प्रक्रिया में सीएजी द्वारा देखी गयी अनियमितताओं या त्रुटियों को भी सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए 'प्रबन्धन पत्र' के माध्यम से प्रबन्धन को सम्प्रेषित किया गया। वर्ष के दौरान, सीएजी ने जिन पीएसयू को 'प्रबन्धन पत्र' निर्गत किये गए, उन्हें तालिका 6.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.5: पीएसयू का विवरण जिन्हें प्रबंधन पत्र निर्गत किए गए हैं

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष
अ. सरकारी कम्पनियाँ		
1.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17
2.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19
3.	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2012-13
4.	नंदगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17
5.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आफ यूपी लिमिटेड	2018-19
6.	श्रीद्रॉन इंडिया लिमिटेड	2018-19
7.	उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम लिमिटेड	2000-01
8.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20
9.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18
10.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड	2016-17
11.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2015-16
12.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2016-17
13.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18
14.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2017-18
16.	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	2017-18
ब. सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ:		
1.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19
2.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19

सामान्य तौर पर कमियाँ सम्बन्धित थीं

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुप्रयोग और व्याख्या से;
- लेखापरीक्षा प्रेक्षणों से उत्पन्न समायोजनों से जो वित्तीय विवरणों पर मामूली प्रभाव डाल सकते हैं; तथा
- कुछ सूचनाओं के अपर्याप्त प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण से जिस पर संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

6.8 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

6.9 निष्कर्ष

- 71 कार्यरत पीएसयू में से, केवल चार पीएसयू ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये थे और शेष 67 पीएसयू के 274 लेखे बकाया थे। 44 अकार्यरत पीएसयू में से, 40 पीएसयू के 699 लेखे बकाया थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 46 राज्य पीएसयू को उस अवधि के दौरान जिसमें उनके लेखे बकाया थे, ₹ 27,359.34 करोड़ (पूँजी: ₹ 10,859.11 करोड़, ऋण: ₹ 2,476.54 करोड़, अनुदान: ₹ 4,086.35 करोड़ तथा सब्सिडी: ₹ 9,937.34 करोड़) प्रदान किए थे।

6.10 संस्तुति

- प्रशासनिक विभागों को पीएसयू के लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिए सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिए एवं आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत करना चाहिए। सरकार पीएसयू के लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं को भी देख सकती है और बकाया को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

तान्या सिंह

(तान्या सिंह)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

लखनऊ,

दिनांक **02 मई 2022**

प्रतिहस्ताक्षरित

गिरीश चंद्र मुर्मू

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,

दिनांक **05 मई 2022**

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 2.1
(प्रस्तर 2.2 में संदर्भित)
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)
(कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष का योग से प्रतिशत दर्शाते हैं)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भाग अ – प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	2,56,875	2,78,775	3,29,978	3,66,393	2,96,176
(i) स्वयं के कर राजस्व	85,966(33)	97,393(35)	1,20,122(36)	1,22,826(34)	1,19,897(40)
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	-	25,374(26)	46,108(38)	47,232(38)	42,860(36)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	51,883(60)	31,113(32)	23,798(20)	20,517(17)	22,127(18)
राज्य आबकारी	14,274(17)	17,320(18)	23,927(20)	27,325(22)	30,061(25)
वाहनों पर कर	5,148(6)	6,404(7)	6,929(6)	7,715(6)	6,483(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	11,564(13)	13,398(14)	15,733(13)	16,070(13)	16,475(14)
भू-राजस्व	760(1)	1,336(1)	631(1)	504(0.41)	297(0.25)
विद्युत पर कर और शुल्क	1,556 (2)	2,124 (2)	2,978 (2)	3,453(3)	1,587(1)
अन्य कर	781(1)	324(0.33)	18(0.01)	10(0.01)	7(0.01)
(ii) करेतर राजस्व	28,944(11)	19,795(7)	30,101(9)	81,705(22)	11,846(4)
(iii) केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	1,09,428(43)	1,20,939(43)	1,36,766(42)	1,17,818(32)	1,06,687(36)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	32,537(13)	40,648(15)	42,989(13)	44,044(12)	57,746(20)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	259	236	5,313	5,641	1,135
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	2,57,134	2,79,011	3,35,291	3,72,034	2,97,311
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	67,685	47,417	51,595	73,809	86,859
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	57,959(86)	43,381(92)	50,791(98)	72,554(98)	78,677(91)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	8,695(13)	2,933(6)	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम ¹	1,031(1)	1,103(2)	804(2)	1,255(2)	8,182(9)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	3,24,819	3,26,428	3,86,886	4,45,843	3,84,170
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	173	258	230	662	0
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	3,06,406	3,20,471	3,80,994	3,70,692	3,64,493
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	6,31,398	6,47,157	7,68,110	8,17,197	7,48,663
भाग ब-व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	2,36,592(76)	2,66,224(87)	3,01,728(81)	2,98,833(83)	2,98,543(85)
आयोजनागत	49,706(21)				
आयोजनेतर	1,86,886(79)				

¹ वर्ष 2020-21 में, जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के लिये, बिना राज्य के पुनर्भुगतान के दायित्व के, भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 6,007 करोड़ इसमें सम्मिलित है।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	88,255(37)	1,05,782(40)	1,31,057(44)	1,17,675(39)	1,19,057(40)
सामाजिक सेवाएं	91,861(39)	84,252(32)	91,312(30)	1,03,849(35)	1,09,727(37)
आर्थिक सेवाएं	45,834(19)	64,635(24)	67,259(22)	62,809(21)	55,551(19)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,642(5)	11,555(4)	12,100(4)	14,500(5)	14,208(5)
11. पूंजीगत व्यय	69,789(22)	39,088(13)	62,463(17)	59,998(16)	52,237(15)
आयोजनागत	60,573(87)				
आयोजनेत्तर	9,216(13)				
सामान्य सेवाएं	5,727(8)	2,776(7)	3,419(5)	2,495(4)	1,523(3)
सामाजिक सेवाएं	17,151(25)	11,625(30)	10,589(17)	10,515(18)	12,386(24)
आर्थिक सेवाएं	46,911(67)	24,687(63)	48,455(78)	46,988(78)	38,328(73)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	6,741(2)	1,509(0)	6,303(2)	2,120(1)	1,153(0.32)
13. कुल व्यय (10+11+12)	3,13,122	3,06,821	3,70,494	3,60,951	3,51,933
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	20,303	15,002	20,717	22,401	26,778
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	10,168(50)	10,528(70)	19,080(92)	20,695(92)	25,174(94)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	8,695(43)	2,933(20)	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,440(7)	1,541(10)	1,637(8)	1,706(8)	1,604(6)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	0	0	0	0	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	3,33,425	3,21,823	3,91,211	3,83,352	3,78,711
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	349	413	396	32	100
18. लोक लेखे संवितरण	2,96,523	3,14,384	3,61,072	4,39,282	3,59,643
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	6,30,297	6,36,620	7,52,679	8,27,666	7,38,454
भाग स-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(+)20,283	(+)12,552	(+)28,250	(+)67,560	(-)2,367
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-)55,988	(-)27,810	(-)35,203	(+)11,083	(-)54,622
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-)29,052	(+)1,326	(-)3,161	(+)45,896	(-)17,194
23. ब्याज भुगतान (मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत राजस्व व्यय में सम्मिलित)	26,936	29,136	32,042	34,813	37,428

परिशिष्ट 2.2
(प्रस्तर 2.4.2 में संदर्भित)
2016-21 की अवधि में स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 बजट अनुमान	वास्तविक 2020-21
(अ) वर्ष 2016-21 में स्वयं का कर राजस्व						
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	25,374	46,108	47,232	63,281	42,860
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	51,883	31,113	23,798	20,517	28,287	22,127
राज्य आबकारी	14,274	17,320	23,927	27,325	37,500	30,061
वाहनों पर कर	5,148	6,404	6,929	7,715	8,650	6,483
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	11,564	13,398	15,733	16,070	23,197	16,475
भू-राजस्व	760	1,336	631	504	856	297
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,556	2,124	2,978	3,453	4,250	1,587
अन्य कर	781	324	18	10	0	7
योग अ	85,966	97,393	1,20,122	1,22,826	1,66,021	1,19,897
(ब) वर्ष 2016-21 में करेतर राजस्व						
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	1,251	1,124	1,888	1,508	2,200	1,220
सामान्य सेवायें	5,994	6,806	15,366	73,484	14,841	2,239
सामाजिक सेवायें	14,653	1,571	872	978	1,635	1,046
आर्थिक सेवायें	7,046	10,294	11,975	5,735	12,503	7,341
योग ब	28,944	19,795	30,101	81,705	31,179	11,846
महायोग (अ+ब)	1,14,910	1,17,188	1,50,223	2,04,531	1,97,200	1,31,743

परिशिष्ट- 2.3
(प्रस्तर 2.7.5.4 में सन्दर्भित)

31 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निजी सहभागिता पर आधारित पूर्ण/क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं०	विभाग का नाम/परियोजना का नाम	अनुमानित परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
	औद्योगिक विकास विभाग	
1.	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण – यमुना एक्सप्रेसवे	13,782.00
	लोक निर्माण विभाग	
2.	उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (यूपीएसएचए) – बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग (एस.एच.-37)	355.00
3.	उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (यूपीएसएचए) – वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (एस.एच.-5ए)	1,211.96
4.	उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (यूपीएसएचए) – मुजफ्फरनगर-सहारनपुर वाया देवबन्द मार्ग (एस.एच.-59)	752.88
	पर्यटन विभाग	
5.	पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज कम डेवलपमेंट मैनेजमेंट तथा मैनेजमेंट कान्ट्रैक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित करना-राही पर्यटक आवास गृह-रामगढ़ ताल, देवरिया, महोबा एवं पलिया	88.80
6.	उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों-राधारानी मंदिर, बरसाना मथुरा, देवांगना, चित्रकूट, विन्ध्यवासिनी अष्टभुजा से कालीखोह, मिर्जापुर पर रोपवे की स्थापना	34.56
	परिवहन विभाग	
7.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों का सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर विकास एवं प्रबन्धन व्यवस्था परियोजना के अन्तर्गत आलमबाग बस टर्मिनल, लखनऊ का विकास एवं प्रबन्धन	204.00
8.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों का सार्वजनिक निजी सहभागिता के अन्तर्गत विकास एवं प्रबन्धन	3,665.00
	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	
9.	आवास बन्धु-लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी की स्थापना	360.00
	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	
10.	उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड-आईटी0 सिटी, लखनऊ	1,500.00
	ऊर्जा विभाग	
11.	उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लिमिटेड-बारा तापीय परियोजना, प्रयागराज	11,500.00
12.	उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लिमिटेड-करछना तापीय परियोजना, प्रयागराज	10,605.31
13.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड-765/400 के0वी0ए0आई0एस0 उपकेंद्र मैनपुरी के साथ 765 के0वी0 सिंगल सर्किट बारा-मैनपुरी लाइन के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण स्कीम	5,158.91
14.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड-765/400 के0वी0 हापुड़ एवं ग्रेटर नोयडा उपकेंद्र के साथ 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी-हापुड़ एवं मैनपुरी-ग्रेटर नोयडा लाइन के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण स्कीम	4,706.49
15.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड-3X660 मेगा वाट घाटमपुर विद्युत तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी हेतु टी.बी.सी.बी आधार पर पारेषण तंत्र का निर्माण	2,570.60
16.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड-2X660 मेगा वाट ओबरा सी विद्युत तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण तंत्र तथा 400 के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, बदायूं एवं सम्बन्धित पारेषण लाइनों का निर्माण	843.21
17.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड-2X660 मेगा वाट जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण तंत्र तथा 400 के0 वी0 ए0आई0एस0 उपकेंद्र, फिरोजाबाद एवं सम्बन्धित पारेषण लाइनों का निर्माण	608.12
18.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0-765 के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, रामपुर तथा 400 के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, सम्भल (सम्बन्धित लाइन सहित) का निर्माण	1,035.25
19.	उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0-765 के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, मेरठ तथा 400 के0 वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र, सिम्भौली (सम्बन्धित लाइन सहित) का निर्माण	1,223.25

क्रम सं०	विभाग का नाम/परियोजना का नाम	अनुमानित परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
20.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०-आगरा शहर इनपुट बेस्ड पारेषण फ्रेन्चाइजी	360.00
21.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०-विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना	1,715.78
22.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०-रोजा तापीय परियोजना	3,112.51
23.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०-रोजा विस्तार तापीय परियोजना	3,098.60
24.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०-अनपारा-सी तापीय परियोजना	4,845.00
25.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०-बजाज तापीय परियोजना	2,448.02
26.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि०-ललितपुर तापीय परियोजना	14,916.00
27.	उ.प्र. जल विद्युत निगम लि०-निरगाजनी लघु जल विद्युत परियोजना, मुजफ्फरनगर	108.43
28.	उ.प्र. जल विद्युत निगम लि०-सलावा लघु जल विद्युत परियोजना, मेरठ	54.55
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
29.	एस०पी०एम०यू०-एन०आर०एच०एम०-100 बेड मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग (25 जिलों में)	49.00
30.	एस०पी०एम०यू०-एन०आर०एच०एम०-108 सेवा	1,000.00
31.	एस०पी०एम०यू०-एन०आर०एच०एम०-102 सेवा	1,200.00
32.	परिवार नियोजन अनुभाग-प्रोत्साहन साझेदारी	13.49
33.	एस०पी०एम०यू०-एन०आर०एच०एम०-डायलिसिस (फेज 1,2 एवं 3)	73.30
34.	एस०पी०एम०यू०-एन०आर०एच०एम०-सी०टी० स्कैन (श्रेणी-1)	66.06
35.	एस०पी०एम०यू०-एन०आर०एच०एम०- सी०टी० स्कैन (श्रेणी-2)	45.00
36.	एस०पी०एम०यू०-एन०आर०एच०एम०-टेलीमेडिसीन (वीडियो कन्सल्टेशन)	3.00
37.	एस०पी०एम०यू०-एन०आर०एच०एम०- टेलीरेडियोलॉजी	19.14
38.	एस०पी०एम०यू०-एन०आर०एच०एम०-बॉयोमेडिकल इक्यूपमेंट मेंटीनेन्स	72.29
	नगर विकास विभाग	
39.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, कानपुर	56.24
40.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, लखनऊ	52.83
41.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, आगरा	30.84
42.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, प्रयागराज	30.41
43.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, वाराणसी	48.58
44.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, मथुरा	9.51
45.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, मुरादाबाद	13.16
46.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, अलीगढ़	16.07
47.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, मुजफ्फरनगर	6.58
48.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, मीरजापुर	11.01
49.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, जौनपुर	12.20
50.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, सम्भल	6.55
51.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, इटावा	5.82
52.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, रायबरेली	8.78
53.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, बदायूं	5.78
54.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, फतेहपुर	9.38
55.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, बलिया	6.82
56.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, मैनपुरी	4.28
57.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, कन्नौज	4.62
58.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, बाराबंकी	5.25
59.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, पिलखुवा	8.98
60.	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, बरेली	13.86
	नागरिक उद्भयन विभाग	
61.	नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर	29,561.00
	योग	1,23,334.06

परिशिष्ट 2.4
(प्रस्तर 2.8.2 में संदर्भित)

वर्ष 2020-21 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम अवशेष	
ब्याज सहित आरक्षित निधियां					
8115- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57	
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57	
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	1,75,731.14	0.00	25,205.59	1,50,525.55	
129- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ)	1,75,731.14	0.00	25,205.59	1,50,525.55	
योग-ब्याज युक्त आरक्षित निधियाँ	1,75,731.14	0.00	25,205.59	1,50,525.55	
निवेश	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57	
ब्याज रहित आरक्षित निधियां					
8222- निक्षेप निधि	0.00	1,00,000.00	1,00,000.00	0.00	
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	0.00	1,00,000.00	0.00	1,00,000.00	
101-निक्षेप निधि					
02- निक्षेप निधि-निवेश लेखा	0.00	0.00	1,00,000.00	(-)	
101- निक्षेप निधि-निवेश लेखा				1,00,000.00	
8223- अकाल राहत निधि	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01	
102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01	
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	25,815.81	3,00,000.00	3,00,000.00	25,815.81	
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	25,815.81	3,00,000.00	3,00,000.00	25,815.81	
8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	(-) 799.03	0.00	920.50	(-) 1,719.53	
102- सरकारी वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	(-) 799.03	0.00	920.50	(-) 1,719.53	
8229- विकास एवं कल्याण निधि	77,189.25	0.00	1,074.75	76,114.50	
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,249.32	0.00	0.00	4,249.32	
106- औद्योगिक विकास निधि	1,174.75	0.00	1,074.75	100.00	
109- सहकारिता विकास निधि	0.01	0.00	0.00	0.01	
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	71,765.17	0.00	0.00	71,765.17	
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	1,74,687.51	1,43,147.23	1,65,852.18	1,51,982.56	
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	3,155.12	5,084.91	0.00	8,240.03	
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (राज्य शमन निधि में अवशेष ₹ 1,000 लाख को सम्मिलित करते हुए)	1,53,699.95	1,30,562.02	1,60,160.94	1,24,101.03	
200- अन्य निधियां	17,832.44	7,500.30	5,691.24	19,641.50	
योग-ब्याज रहित आरक्षित निधियां	2,76,893.54	5,43,147.23	4,67,847.43	3,52,193.34	
निवेश	(-)78.01	0.00	1,00,000.00	(-)1,00,078.01	
महायोग	आरक्षित निधियाँ	4,52,624.68	5,43,147.23	4,93,053.02	5,02,718.89
	निवेश	(-)4,519.58	0.00	1,00,000.00	(-)1,04,519.58

परिशिष्ट-3.1
(प्रस्तर 3.2.3 में संदर्भित)
वर्ष 2020-21 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मतदेय/भारित	विवरण	आवंटन	व्यय	प्रतिशत
1	1	4059-01-051-03	मतदेय	आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.50	0.41	82.00
2	9	2045-103-04	मतदेय	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के गठन हेतु एकमुश्त प्रावधान	13.28	13.28	100.00
3	9	2045-103-04	भारित	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के गठन हेतु एकमुश्त प्रावधान	1.69	1.69	100.00
4	11	2071-01-117-07	मतदेय	एन.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का दिनांक 31.03.2019 तक अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	14.00	3.25	23.21
5	25	4070-800-09	मतदेय	नव निर्मित जिलों में जेलों के निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु एकमुश्त प्रावधान	45.00	45.00	100.00
6	40	2575-06-101-03	मतदेय	सोलर लाइट/पंप/पॉवर फेंसिंग के लिए एकमुश्त प्रावधान	3.00	0.27	9.00
7	40	2575-06-102-03	मतदेय	समितियाँ/उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा के गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.10	0.00	0.00
8	40	2575-06-105-04	मतदेय	कौशल विकास मिशन के लिए एकमुश्त प्रावधान	2.00	0.00	0.00
9	40	2575-06-105-05	मतदेय	फलों और सब्जियों/मसालों के विकास के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.20	0.00	0.00
10	40	2575-06-800-04	मतदेय	समीक्षा, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.50	0.00	0.00
11	40	4575-06-101-03	मतदेय	पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.30	0.11	36.67
12	40	4575-06-102-03	मतदेय	जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए एकमुश्त प्रावधान	20.00	9.11	45.55
13	40	4575-06-106-03	मतदेय	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.05	0.00	0.00
14	40	4575-06-201-03	मतदेय	विद्यालय भवन की चहारदीवारी के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	2.50	1.66	66.40
15	40	4575-06-337-03	मतदेय	सड़कों के लिए एकमुश्त प्रावधान	20.20	11.79	58.37
16	40	4575-06-800-03	मतदेय	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्र भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	5.00	0.75	15.00

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मतदेय / भारित	विवरण	आवंटन	व्यय	प्रतिशत
17	40	4575-06-800-04	मतदेय	होम्योपैथी चिकित्सालयों के भवन निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.02	0.00	0.00
18	40	4575-06-800-05	मतदेय	वन रक्षक चौकी एवं वन दरोगा आवास हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.01	0.00	0.00
19	40	4575-06-800-06	मतदेय	आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.75	0.00	0.00
20	40	4575-06-800-09	मतदेय	सीसी सड़कों एवं केसी नालियों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	15.00	8.98	59.87
21	40	4575-06-800-10	मतदेय	बाढ़ शरणालय के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.05	0.00	0.00
22	40	4575-06-800-11	मतदेय	मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	2.00	0.20	10.00
23	40	4575-06-800-12	मतदेय	अनुसूचित जाति आश्रम पद्धति विद्यालय की चहारदीवारी एवं परिसर में सड़क निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.05	0.00	0.00
24	40	4575-06-800-13	मतदेय	शौचालय निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	4.00	0.33	8.25
25	40	4575-06-800-14	मतदेय	हेरिटेज वर्क शेड थारु शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र/विक्रय एवं प्रदर्शन केन्द्र/नृत्य संगीत केन्द्र/झोपड़ी आदि निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	0.50	0.00	0.00
26	40	4575-06-800-15	मतदेय	पर्यटन स्थल विकास हेतु निर्माण/विस्तार/जीर्णोद्धार के लिए एकमुश्त व्यवस्था	2.00	0.25	12.50
27	40	4575-06-800-16	मतदेय	किसान/शेड/गौशाला का निर्माण/विस्तार आदि के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.50	0.12	24.00
28	47	2071-01-117-07	मतदेय	सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	2.50	0.00	0.00
29	48	2071-01-117-07	मतदेय	सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	1.00	0.00	0.00
30	50	4059-01-051-02	मतदेय	प्रदेश के मण्डल/जनपदों/तहसील के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/विस्तार/पुनर्निर्माण/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त प्रावधान	20.00	17.99	89.95
31	58	5054-03-337-13	मतदेय	एकमुश्त प्रावधान	330.00	379.02	114.85

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मतदेय / भारित	विवरण	आवंटन	व्यय	प्रतिशत
32	58	5054-04-337-13	मतदेय	एकमुश्त प्रावधान	1,406.00	1,243.51	88.44
33	58	5054-04-337-66	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं लघु सेतुओं के नए कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान (नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित) (जिला योजना)	50.00	55.40	110.80
34	58	5054-04-337-83	मतदेय	नाबार्ड वित्तपोषित आरआईडीएफ योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	569.39	113.88
35	58	5054-04-337-86	मतदेय	नाबार्ड वित्तपोषित आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों में प्रमुख/अन्य जिला सड़कों के सुदृढीकरण/चौड़ीकरण के नए कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था	100.00	105.70	105.70
36	58	5054-80-800-05	मतदेय	सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन और नियोजन कार्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान	10.50	4.91	46.76
37	59	4059-80-051-03	मतदेय	अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.50	0.00	0.00
38	61	2049-04-101-03	भारित	ऋण हेतु एकमुश्त प्रावधान	153.49	153.49	100.00
39	61	6004-09-101-03	भारित	ऋण हेतु एकमुश्त प्रावधान	276.09	246.66	89.34
40	62	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	2,400.00	0.00	0.00
41	71	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	500.00	0.00	0.00
42	72	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	365.00	309.16	84.70
43	73	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	100.00	62.28	62.28
44	75	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	0.10	0.00	0.00
45	83	5054-03-789-05	मतदेय	राज्य के प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	42.50	79.37	186.75

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मतदेय / भारित	विवरण	आवंटन	व्यय	प्रतिशत
46	83	5054-04-789-19	मतदेय	रेलवे के उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नए कार्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान	25.00	24.98	99.92
47	83	5054-04-789-27	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओं के लिए ग्रामीण संपर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान (नाबार्ड से वित्तपोषित) (जिला योजना)	50.00	38.02	76.04
48	84	2075-800-03	मतदेय	अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि	3.00	1.38	46.00
49	87	2075-104-04	मतदेय	वीर चक्र श्रृंखला के विजेताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार/अनुदान	0.36	0.38	105.56
50	87	2075-104-05	मतदेय	वार सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त उत्तर प्रदेश के सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को एकमुश्त सैनिक नकद पुरस्कार	0.98	0.97	98.98
51	87	2075-104-07	मतदेय	विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला के पदक विजेताओं को एकमुश्त अनुदान	0.46	0.40	86.96
52	91	4059-01-800-03	मतदेय	स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	1.00	0.70	70.00
53	94	4701-97-051-10	मतदेय	नहरों पर क्षतिग्रस्त, पक्की संरचनाओं यथा पुल/पुलिया, साइफन फॉल हेड रेगुलेटर, गेट्स (वाणिज्यिक) के निर्माण की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था	300.00	54.67	18.22
54	94	4711-01-103-03	मतदेय	सीमा बांधों के लिए एकमुश्त प्रावधान (राज्य सेक्टर)	5.00	0.69	13.80
55	95	2701-02-001-05	मतदेय	कार्य प्रतिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित/दैनिक वेतनभोगी के कर्मचारियों के लिए एकमुश्त व्यवस्था)	25.00	24.83	99.32
योग					6,821.68	3,471.10	50.88

परिशिष्ट-3.2

(प्रस्तर 3.2.6 में संदर्भित)

2020-21 के बजट अभिलेख में केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थायें) का उल्लेख नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
003-उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-01-0103	लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना	1.00
011-कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	4401-800-02-0207	औद्योगिक एवं खाद प्रसंस्करण की पूंजीगत परियोजना	20.00
017-कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-101-01-0102	नीली क्रांति समेकित विकास एवं मत्स्य योजना का प्रबंधन	62.00
021-खाद्य एवं रसद विभाग	4059-60-051-01-0102	द्वितीय मानक प्रयोगशाला/कार्य मानक प्रयोगशाला/कैलिब्रियेशन टावरों का निर्माण	12.00
037-नगर विकास विभाग	2217-05-191-01-0102	जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता	5.00
	2230-02-101-01-0101	राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन	0.10
	4216-02-800-01-0101	राजीव आवास योजना	30.00
042-न्याय विभाग	4059-01-051-01-0110	माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों का निर्माण	150.00
044-पर्यटन विभाग	5452-80-104-01-0109	प्रसाद योजनान्तर्गत चिन्हित स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं का सृजन	25.00
047-प्राविधिक शिक्षा विभाग	4202-02-105-01-0105	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के अन्तर्गत प्राविधिक संस्थानों की स्थापना और सुदृढीकरण	6.00
049-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4235-02-102-01-0127	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन	13.80
075-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-01-201-01-0104	तीन जनपदों (गाजियाबाद, अमेठी और कासगंज) में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	5.00
081-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4202-01-796-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.12
083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	2225-01-789-01-0119	दिल्ली स्थित संस्थानों में आईएएस/पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हेतु पूर्व प्रशिक्षण	1.00
	2235-02-789-01-0103	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एसएजी)	20.00
	4202-01-789-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	3.00
092-संस्कृति विभाग	2205-800-01-11	कला और संस्कृति की शिक्षा, लोक परंपराओं का वीडियो अभिलेखीकरण, मेधावी छात्रों और वृद्ध कलाकारों के लिए आर्थिक सहायता योजना	0.25
योग			354.27

परिशिष्ट-3.3
(प्रस्तर 3.2.6 में संदर्भित)

उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानकर्ता के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
011-कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	2401-114-01-0101	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओएस/टीबीओ) (के.60%/रा.60%)	18.40
037-नगर विकास विभाग	2217-03-191-01-0102	लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी आधारभूत संरचना विकास योजना (के.80%/रा.10%)	10.00
045-पर्यावरण विभाग	3435-04-103-01-0101	अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना एवं अनाधिकृत अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार (के.0%/रा.50%)	0.50
047-प्राविधिक शिक्षा विभाग	4202-02-105-01-0102	पीपीपी प्रारूप पर आईआईआईटी की स्थापना (के.50%/रा.35%)	10.00
049-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-103-01-0104	उज्वला योजना (के.60%/रा.30%)	1.50
083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	2401-789-01-0110	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (ओएस/टीबीओ) (के.60%/रा.60%)	3.40
योग			43.80

परिशिष्ट-3.4
(प्रस्तर 3.3.3 में संदर्भित)

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व मतदेय						
1	2	आवास विभाग	457.12	304.75	152.37	152.37
2	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	615.97	472.55	143.42	143.42
3	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	1,871.98	707.28	1,164.70	1,164.70
4	9	ऊर्जा विभाग	14,719.81	11,964.76	2,755.05	2,755.05
5	10	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	771.78	552.63	219.15	219.15
6	11	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	5,643.34	3,988.34	1,655.00	1,655.00
7	12	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	791.22	88.21	703.01	703.01
8	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,884.66	2,980.84	903.82	903.82
9	14	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)	18,119.94	13,300.47	4,819.47	4,819.47
10	15	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पशुधन)	1,749.70	1,336.83	412.87	412.87
11	18	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (सहकारिता)	753.13	634.78	118.35	118.35
12	25	गृह विभाग (कारागार)	823.69	673.26	150.43	150.43
13	26	गृह विभाग (पुलिस)	24,981.87	19,387.25	5,594.62	5,594.62
14	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	3,870.85	3,376.31	494.54	494.54
15	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	8,609.08	6,094.09	2,514.99	2,514.99
16	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	1,228.94	898.25	330.69	330.69
17	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	517.53	369.41	148.12	148.12
18	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	6,426.60	5,833.97	592.63	592.63
19	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	873.06	539.71	333.35	333.35
20	37	नगर विकास विभाग	17,925.63	14,034.84	3,890.79	3,885.87
21	40	नियोजन विभाग	352.49	160.23	192.26	192.26
22	42	न्याय विभाग	2,802.83	1,835.59	967.24	967.24
23	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,351.44	1,264.87	1,086.57	1,086.57
24	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	9,536.48	5,118.86	4,417.62	4,417.62
25	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	1,127.12	808.76	318.36	318.36
26	51	राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	3,585.92	1,296.01	2,289.91	2,289.91
27	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	4,397.80	3,263.09	1,134.71	907.76
28	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,862.90	365.56	2,497.34	2,497.34
29	59	लोक निर्माण विभाग (सम्पदा निदेशालय)	291.91	187.86	104.05	104.05
30	60	वन विभाग	901.55	566.71	334.84	334.84

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
31	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	16,034.25	14,735.57	1,298.68	1,298.68
32	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशनें)	56,455.11	42,724.08	13,731.03	13,731.03
33	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	302.79	200.86	101.93	101.93
34	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	900.36	596.59	303.77	303.77
35	70	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	523.14	319.99	203.15	203.15
36	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	54,929.10	41,183.86	13,745.24	13,745.24
37	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	12,795.82	9,644.32	3,151.50	3,151.50
38	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	3,351.42	2,537.62	813.80	813.80
39	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	1,158.40	851.91	306.49	306.49
40	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	4,846.14	4,631.63	214.51	214.51
41	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	970.69	855.24	115.45	115.45
42	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	17,741.87	13,255.74	4,486.13	4,486.13
43	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	1,078.03	790.95	287.08	287.08
44	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	402.87	298.31	104.56	104.56
45	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	5,181.16	3,562.69	1,618.47	1,618.47
		योग	3,19,517.49	2,38,595.43	80,922.06	80,690.19
पूँजीगत मतदेय						
1	2	आवास विभाग	1,929.52	1,590.27	339.25	339.25
2	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	5,605.01	5,364.47	240.54	240.54
3	9	ऊर्जा विभाग	10,322.09	9,785.02	537.07	537.07
4	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	16,431.50	9,050.60	7,380.90	7,380.90
5	14	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)	340.94	132.79	208.15	208.15
6	15	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुपालन)	261.10	117.41	143.69	143.69
7	21	खाद्य तथा रसद विभाग	15,923.47	5,569.69	10,353.78	10,353.78
8	25	गृह विभाग (कारागार)	301.82	132.82	169.00	169.00
9	26	गृह विभाग (पुलिस)	2,303.87	1,000.67	1,303.20	1,303.20
10	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2,589.36	1,376.10	1,213.26	1,213.26
11	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	621.27	353.88	267.39	267.39
12	37	नगर विकास विभाग	285.77	16.80	268.97	268.97
13	38	नागरिक उड्डयन विभाग	2,604.75	1,728.92	875.83	875.83
14	40	नियोजन विभाग	1,494.20	596.63	897.57	350.37
15	42	न्याय विभाग	1,934.45	247.25	1,687.20	1,687.20
16	44	पर्यटन विभाग	921.70	434.97	486.73	486.73
17	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	807.81	116.27	691.54	0.00
18	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	154.46	15.06	139.40	139.40

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
19	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	12,428.26	11,434.10	994.16	994.16
20	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं तथा अन्य व्यय)	205.00	19.61	185.39	185.39
21	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	184.30	79.34	104.96	104.96
22	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	225.28	94.80	130.48	130.48
23	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	8,422.08	5,983.40	2,438.68	2,438.68
24	84	सामान्य प्रशासन विभाग	220.06	15.64	204.42	204.42
25	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	7,129.96	5,588.73	1,541.23	1,541.23
		योग	93,648.03	60,845.24	32,802.79	31,564.05
योग (राजस्व मतदेय + पूंजीगत मतदेय)			4,13,165.52	2,99,440.67	1,13,724.85	1,12,254.24
राजस्व भारित						
1	9	ऊर्जा विभाग	4,331.68	3,999.69	331.99	331.99
2	42	न्याय विभाग	624.93	503.21	121.72	121.72
3	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं तथा अन्य व्यय)	58,730.66	34,208.85	24,521.81	24,521.81
		योग	63,687.27	38,711.75	24,975.52	24,975.52
पूंजीगत भारित						
1	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं तथा अन्य व्यय)	30,485.01	20,342.40	10,142.61	10,142.61
		योग	30,485.01	20,342.40	10,142.61	10,142.61
योग (राजस्व भारित + पूंजीगत भारित)			94,172.28	59,054.15	35,118.13	35,118.13
महायोग			5,07,337.80	3,58,494.82	1,48,842.98	1,47,372.37

परिशिष्ट-3.5
(प्रस्तर 3.3.4 में संदर्भित)

अनुदानें जिनमें विगत पाँच वर्षों (2016-21) में लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व मतदेय							
1	11	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	828.58	14,633.26	888.77	1,078.24	1,655.00
2	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	302.86	573.19	575.80	648.55	903.83
3	15	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुपालन)	154.19	214.55	310.75	223.83	412.87
4	26	गृह विभाग (पुलिस)	886.35	1,215.29	374.07	1,809.86	5,594.62
5	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1,088.42	867.16	1,282.19	1,935.09	2,514.99
6	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक और यूनानी)	240.85	228.86	336.93	331.55	330.70
7	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	1,263.58	858.14	719.19	988.46	592.63
8	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	281.30	100.12	184.56	261.71	333.35
9	37	नगर विकास विभाग	2,751.47	5,574.84	3,451.60	8,753.97	3,890.80
10	42	न्याय विभाग	432.26	482.06	473.88	813.17	967.23
11	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	973.78	1,088.19	1,034.01	1,081.21	1,086.58
12	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1,106.73	2,247.92	2,464.72	3,554.23	4,417.62
13	51	राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	4,132.50	816.86	1,370.92	532.44	2,289.91
14	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	599.42	416.46	468.34	1,547.59	1,134.72
15	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,778.37	996.61	1,769.10	1,878.77	2,497.34
16	60	वन विभाग	138.22	156.45	188.34	245.90	334.84
17	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	123.86	185.31	101.54	124.91	303.76
18	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2,414.62	17,493.77	14,921.22	14,407.71	13,745.25
19	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	394.07	620.44	379.82	1,502.17	3,151.50
20	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	460.29	451.39	761.39	342.64	813.80
21	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	386.58	702.81	776.69	139.51	214.52
22	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,704.21	5,573.74	4,085.46	4,255.67	4,486.13
23	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1,180.41	701.41	906.14	1,344.21	1,618.46
योग			23,622.92	56,198.83	37,825.43	47,801.39	53,290.45
पूंजीगत (मतदेय)							
1	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	3,300.96	5,179.06	9,278.13	9,371.66	7,380.90
2	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	281.17	225.40	204.87	344.64	267.39
3	40	नियोजन विभाग	336.21	354.32	251.01	1,021.53	897.57
4	42	न्याय विभाग	581.42	855.26	983.23	1,377.26	1,687.20
5	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	345.00	106.53	314.54	368.09	691.54
योग			4,844.76	6,720.57	11,031.78	12,483.18	10,924.60
महायोग (राजस्व मतदेय + पूंजीगत मतदेय)			28,467.68	62,919.40	48,857.21	60,284.57	64,215.05

परिशिष्ट-3.6
(प्रस्तर 3.3.5 में संदर्भित)
अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
1	1	2039-राज्य आबकारी शुल्क 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-पर्यवेक्षण	48.06	1.07	49.13	39.30	9.83
2	1	2039- राज्य आबकारी शुल्क 001-निदेशन एवं प्रशासन 05- डिस्टिलरीज	206.93	2.74	209.67	188.32	21.35
3	8	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-अधिष्ठान (मुख्यालय)	55.67	0.20	55.87	53.07	2.80
4	8	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण 103- सरकारी मुद्रणालय 04- सरकारी मुद्रणालय, लखनऊ	52.05	0.03	52.08	36.19	15.89
5	8	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण 103- सरकारी मुद्रणालय 06- सरकारी मुद्रणालय, रामपुर	9.18	0.06	9.24	7.92	1.32
6	8	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण 103- सरकारी मुद्रणालय 07- सरकारी मुद्रणालय, वाराणसी	11.11	0.05	11.16	6.89	4.27
7	10	2406- वानिकी तथा वन्य जीवन 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 112- सार्वजनिक उद्यान 03-उद्यान	42.78	1.37	44.15	38.14	6.01
8	10	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 80- सामान्य 004- अनुसंधान 06- अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र	16.04	0.06	16.10	7.11	8.99
9	11	2435- अन्य कृषि कार्यक्रम 01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण 101-विपणन सुविधाएं 04 बाजार विनियमन एवं प्रशिक्षण केंद्र	3.66	0.02	3.68	3.31	0.37
10	23	2401- फसल कृषि कर्म 001- निदेशन तथा प्रशासन 04- क्षेत्रीय कार्यालय	7.76	0.24	8.00	7.54	0.46
11	33	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा प्रणाली 101- आयुर्वेद 04- विभागीय औषधि निर्माण	15.25	2.00	17.25	11.96	5.29
12	33	2210- चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य 02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 103- यूनानी 04- विभागीय औषधि निर्माण	2.04	0.40	2.44	2.01	0.43

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
13	33	4210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 800- अन्य व्यय 08- आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	10.00	10.00	20.00	0.00	20.00
14	41	2015-निर्वाचन 103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण 05- निर्वाचन अधिष्ठान व्यय	66.30	0.18	66.48	43.97	22.51
15	42	2014- न्याय प्रशासन 105- दीवानी और सत्र न्यायालय 01-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	73.39	6.30	79.69	49.21	30.48
16	42	2014- न्याय प्रशासन 114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल) 03- महाधिवक्ता	9.54	0.12	9.66	8.37	1.29
17	42	2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं 091-संलग्न कार्यालय 03-विधि प्रकोष्ठ-उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली	3.04	0.20	3.24	2.08	1.16
18	42	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम 200- अन्य कार्यक्रम 04- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	25.92	2.21	28.13	15.81	12.32
19	49	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02- समाज कल्याण 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-महिला कल्याण निदेशालय	15.43	1.90	17.33	11.11	6.22
20	49	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02- समाज कल्याण 102- बाल कल्याण 01-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	6,159.56	14.18	6,173.74	2,832.84	3,340.90
21	49	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02- समाज कल्याण 103- महिला कल्याण 01-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	18.26	424.64	442.90	6.18	436.72
22	51	2245-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत 05- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि 800- अन्य व्यय 06-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि से व्यय	2,578.00	800.00	3,378.00	1,601.61	1,776.39

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
23	59	2059- लोक निर्माण 01- कार्यालय भवन 053- अनुरक्षण तथा मरम्मत 09- जवाहर भवन और इंदिरा भवन परिसर	20.82	1.00	21.82	14.72	7.10
24	59	2059- लोक निर्माण 60- अन्य भवन 053- अनुरक्षण और मरम्मत 05- अन्य अतिथि गृहों के लिये व्यवस्था (मुंबई और कोलकाता)	3.40	0.15	3.55	1.51	2.04
25	59	2216- आवास 01- सरकारी आवासीय भवन 700- अन्य आवास 09- विधायकों को आवास आवंटन	31.68	1.00	32.68	13.01	19.67
26	63	2054-कोषागार तथा लेखा प्रशासन 095-लेखा एवं कोषागार निदेशालय 03- कोषागार निदेशालय	22.35	0.46	22.81	15.98	6.83
27	68	2011- संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधानमंडल 02- राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधानमंडल 103- विधान सचिवालय 03- विधान सभा सचिवालय	76.43	8.75	85.18	75.04	10.14
28	71	2202- सामान्य शिक्षा 01-प्रारंभिक शिक्षा 001- निदेशन एवं प्रशासन 03- निदेशालय अधिष्ठान	23.62	0.51	24.13	19.94	4.19
29	72	2202- सामान्य शिक्षा 01- प्रारंभिक शिक्षा 102- अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 04-सहायता अनुदान	93.00	0.68	93.68	86.88	6.80
30	72	2202- सामान्य शिक्षा 02- माध्यमिक शिक्षा 108- परीक्षाएं 04- माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय	56.90	0.88	57.78	37.57	20.21
31	76	2210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी 102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना 04- क्षेत्रीय कार्यालय	1.18	0.05	1.23	0.91	0.32
32	76	2210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी 102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना 06- औषधालय	82.26	0.06	82.32	77.65	4.67

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
33	76	2210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-चिकित्सा की अन्य प्रणालियां 102- होम्योपैथी 03- कर्मचारी राज्य बीमा योजना	2.80	0.01	2.81	2.34	0.47
34	76	2230- श्रम एवं रोजगार 01- श्रम 001- निदेशन तथा प्रशासन 03- श्रम आयुक्त का अधिष्ठान	9.46	0.81	10.27	9.23	1.04
35	76	2230- श्रम एवं रोजगार 01- श्रम 004-अनुसंधान तथा सांख्यिकी 03-अनुसंधान प्रतिवेदन और श्रम सांख्यिकी	5.09	0.04	5.13	3.84	1.29
36	76	2230- श्रम एवं रोजगार 01- श्रम 101- औद्योगिक संबंध 04- विवादों का निपटारा	65.51	1.13	66.64	56.82	9.82
37	76	2230- श्रम एवं रोजगार 01- श्रम 101- औद्योगिक संबंध 05- औद्योगिक प्रबंध तंत्र का सुदृढीकरण और विकेंद्रीकरण समितियों तथा आयोगों का विलय	0.36	0.04	0.40	0.30	0.10
38	76	2230- श्रम एवं रोजगार 01- श्रम 103- सामान्य श्रम कल्याण 03- सामान्य आवास योजनायें	9.75	0.10	9.85	6.69	3.16
39	76	2230- श्रम एवं रोजगार 01- श्रम 103- सामान्य श्रम कल्याण 09- महिला सुरक्षा कल्याण हेतु समिति का गठन	0.18	0.01	0.19	0.14	0.05
40	80	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 277- शिक्षा 03- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	10.46	1.00	11.46	8.33	3.13

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
41	81	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 11- अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति और अनावर्तक सहायता	1.10	2.19	3.29	0.48	2.81
42	81	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 17- जनजाति उपयोगना	3.06	0.07	3.13	1.93	1.20
43	81	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01- सामान्य शिक्षा 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	16.24	0.74	16.98	13.15	3.83
44	83	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01- सामान्य शिक्षा 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01- केन्द्र प्रायोजित योजना	271.77	8.32	280.09	241.39	38.70
45	94	2700- मुख्य सिंचाई 10- बेतवा नहर (वाणिज्यिक) 101- अनुरक्षण एवं मरम्मत 03- अन्य अनुरक्षण व्यय	11.53	1.21	12.74	11.03	1.71
46	94	2701- मध्यम सिंचाई 07- केन नहर (वाणिज्यिक) 101- अनुरक्षण और मरम्मत 03- अन्य अनुरक्षण व्यय	4.46	0.04	4.50	4.11	0.39
47	94	2701- मध्यम सिंचाई 36- अन्य सिंचाई योजनाएं (वाणिज्यिक) 101- अनुरक्षण और मरम्मत 03- अन्य अनुरक्षण व्यय	5.09	0.30	5.39	3.81	1.58
48	94	2701- मध्यम सिंचाई 39- कबराई बांध/ नहरें (व्यावसायिक) 101- अनुरक्षण और मरम्मत 03- अन्य अनुरक्षण व्यय	0.04	0.08	0.12	0.02	0.10
49	94	2701- मध्यम सिंचाई 42- औगासी पंप नहर (वाणिज्यिक) 101- अनुरक्षण और मरम्मत 03- अन्य अनुरक्षण व्यय	0.35	0.03	0.38	0.33	0.05

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
50	94	2701- मध्यम सिंचाई 45- सहजाद बांध/नहरें (व्यावसायिक) 101- अनुरक्षण और मरम्मत 03- अन्य अनुरक्षण व्यय	0.34	0.05	0.39	0.33	0.06
51	94	2701- मध्यम सिंचाई 68- गुंटा बांध नहर प्रणाली (वाणिज्यिक) 101- अनुरक्षण और मरम्मत 03- अन्य अनुरक्षण व्यय	0.24	0.17	0.41	0.24	0.17
52	94	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101- सतही जल 03-लिफ्ट सिंचाई	29.50	0.70	30.20	18.92	11.28
		योग	10,288.94	1,298.55	11,587.49	5,699.58	5,887.91

परिशिष्ट-3.7
(प्रस्तर 3.3.7 में संदर्भित)

योजनायें जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
1.	1	आबकारी विभाग	4047-800-03	राज्य आबकारी शुल्क-पर्यवेक्षण	1.00	0.00	1.00
2.	2	आवास विभाग	4202-04 - 800-04	गोमती नगर, लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना	40.00	0.00	40.00
3.			4202-04 - 800-05	संस्कृति स्कूल, लखनऊ	20.00	0.00	20.00
4.			4216-01 - 106-03	सिविल सेवा संस्थान के टावरों का निर्माण	25.00	0.00	25.00
5.			4217-01 - 800-03	लखनऊ में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल"	50.00	0.00	50.00
6.			4217-60 - 190-09	वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना	200.00	0.00	200.00
7.			3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-29	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2017	10.00
8.	2851-800-03	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना			1.00	0.00	1.00
9.	4851-104-03	संत रविदास नगर (भदोही) में कालीन बाजार			2.00	0.00	2.00
10.	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2851-108-06	बुनकरों को विद्युत कर में छूट की प्रतिपूर्ति	1.00	0.00	1.00
11.	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	2852-07 - 202-06	यूपीडीईएससीओ द्वारा राज्य सरकार के केंद्रीय कंप्यूटर केंद्र का प्रबंधन, रखरखाव, संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराये जाने वाली परामर्शी सेवाएं	1.00	0.00	1.00
12.			2852-07 - 202-21	आई.टी. पूल निधि की स्थापना	2.50	0.00	2.50
13.			2852-07 - 202-27	शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस की व्यवस्था	10.00	0.00	10.00
14.			2885-60 - 800-21	विशेष निवेश बोर्ड	5.00	0.00	5.00
15.			4859-02 - 800-11	इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना	10.00	0.00	10.00
16.			4859-02 - 800-16	शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस की व्यवस्था	10.00	0.00	10.00
17.			9	ऊर्जा विभाग	2801-05 - 800-21	विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु	1.00
18.	4801-05 - 190-14	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश को ऊर्जा वृद्धि परियोजना हेतु ए.डी.बी. से सहायता हेतु अंश पूंजी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में			300.00	0.00	300.00
19.	4801-80 - 190-04	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए अंश पूंजी			79.00	0.00	79.00
20.	10	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (औद्योगिक और रेशम विकास)	4401-119-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	8.47	0.00	8.47

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
21.	11	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	2071-01 - 117-09	कृषि विश्वविद्यालयों के एन.पी.एस से आच्छादित कर्मचारियों के अभिदाता अंशदान को विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का भुगतान	2.00	0.00	2.00
22.			2401-109-09	प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना	6.47	0.00	6.47
23.			2401-- 109-11	वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबंधन	15.07	0.00	15.07
24.			2401-- 113-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	300.00	0.00	300.00
25.			2401-- 115-03	लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण का भुगतान	300.00	0.00	300.00
26.			2402-101-05	जैव-उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव-उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	4.06	0.00	4.06
27.			2402-102-10	नाबार्ड सहायित समेकित वर्षा जल प्रबंधन (वाटर शेड विकास) परियोजना	100.00	0.00	100.00
28.			4401-107-04	विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण	1.00	0.00	1.00
29.			4415-80 - 277-29	कृषि विश्वविद्यालय, बांदा	5.05	0.00	5.05
30.			4415-80 - 277-31	चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	4.14	0.00	4.14
31.			4435-01 - 101-06	उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन	5.00	0.00	5.00
32.	13	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विभाग)	2702-80 - 800-12	समेकित मिनी ट्यूबवेल योजना	6.00	0.00	6.00
33.			4215-01 - 102-07	मुख्यमंत्री आर.ओ. पेयजल योजना	19.75	0.00	19.75
34.			4215-01 - 102-08	बुंदेलखंड/विंध्य तथा गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना	2,560.00	0.00	2,560.00
35.			4515-103-06	सामुदायिक विकास-मुख्य अधिष्ठान	3.00	0.00	3.00
36.			4515-800-03	विधायक निधि	1,008.00	0.00	1,008.00
37.			4702-102-11	भूजल रिचार्जिंग चेकडैम और हेडर का निर्माण (नाबार्ड सहायित)	2.00	0.00	2.00
38.			4702-800-10	लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण/सुदृढीकरण	1.00	0.00	1.00
39.	14	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)	4515-101-09	प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना	30.00	0.00	30.00
40.	15	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (पशुधन)	2403-101-04	पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केंद्रों का सुदृढीकरण (जिला योजना)	2.00	0.00	2.00
41.			2403-104-02	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	8.41	0.00	8.41
42.			2403-800-05	पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा	10.35	0.00	10.35

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
43.			4403-101-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3.40	0.00	3.40
44.			4403-101-07	पशु चिकित्सा सेवा केंद्र/“द” श्रेणी पशु औषधालय (जिला योजना)	4.00	0.00	4.00
45.			4403-101-18	गोरखपुर एवं भदोही जिले में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना	40.00	0.00	40.00
46.	16	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (डेयरी विकास)	2404-102-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	4.56	0.00	4.56
47.			2404-102-7	एन.पी.डी.डी. योजना के तहत दुग्ध संघों का पुनरुद्धार	19.66	0.00	19.66
48.			2404-102-09	उ.प्र. दुग्ध नीति-2018	5.00	0.00	5.00
49.			2404-800-04	नंद बाबा पुरस्कार	1.74	0.00	1.74
50.			6404-190-08	मथुरा में नई डेयरी की स्थापना	55.00	0.00	55.00
51.	17	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-800-12	मत्स्यपालक कल्याण निधि	25.00	0.00	25.00
52.	21	खाद्य और रसद विभाग	2408-01-001-02	एफ.पी.एस. ऑटोमेशन एवं डी.बी.टी. योजना	1.00	0.00	1.00
53.	22	खेल विभाग	2204-104-30	पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्मशताब्दी के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	2.09	0.00	2.09
54.			2204-104-36	एकलव्य क्रीड़ा कोष	25.00	0.00	25.00
55.			4202-03 - 800-71	ग्रीन पार्क, कानपुर में छात्रावास का निर्माण	3.82	0.00	3.82
56.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2852-08 - 201-08	चीनी उद्योग को उत्पादन एवं आसवानी प्रोत्साहन नीति 2013 के अंतर्गत रियायत / छूट	25.00	0.00	25.00
57.			4401-108-03	गन्ना किसान संस्थान, मुरादाबाद	10.00	0.00	10.00
58.			4415-80 - 004-03	गन्ना अनुसंधान संस्थान, गोरखपुर की पुनःस्थापना	10.25	0.00	10.25
59.			6860-04 - 101-21	सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/सह-उत्पादन संयंत्र/डिस्टिलरी की स्थापना और जीर्णोद्धार आदि कार्यों के लिए ऋण	20.00	0.00	20.00
60.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-11	केंद्रीय/बाहरी राज्यों के बलों के प्रतिस्थापन के लिए व्यवस्था	10.00	0.00	10.00
61.			2055-109-12	स्मार्ट सिटी सर्विलांस प्रणाली	1.00	0.00	1.00
62.			2235-60-800-03	सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली आतंकी गतिविधियाँ, अग्निकांड-दुर्घटनाएं आदि	1.00	0.00	1.00
63.			4055-207-12	जनपदों के यातायात प्रबंधन हेतु सीसीटीवी एवं सहवर्ती उपकरणों की खरीद	9.00	0.00	9.00
64.			4055-210-03	उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय	20.00	0.00	20.00
65.			4055-211-04	लखनऊ में सुरक्षा लाइन की स्थापना	19.45	0.00	19.45

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत	
66.			4070-800-24	अग्निशमन केन्द्रों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना	20.00	0.00	20.00	
67.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण)	4210-03 - 105-13	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शरी केयर कैंसर सेंटर की स्थापना	2.50	0.00	2.50	
68.	4210-03 - 105-16		संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर	10.00	0.00	10.00		
69.	4210-03 - 105-22		जे.के. इन्सटीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी और कैंसर अनुसंधान संस्थान, कानपुर	19.00	0.00	19.00		
70.	4210-03 - 105-64		सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) की स्थापना	1.00	0.00	1.00		
71.	4210-03 - 105-67		पांच जिला अस्पताल को उच्चकृत कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना	48.86	0.00	48.86		
72.	4210-03 - 105-73		राजकीय मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में एम्बुलेंस/क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस क्रय हेतु	1.50	0.00	1.50		
73.	4210-03 - 105-75		मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज में नर्सिंग कॉलेज	2.00	0.00	2.00		
74.	4210-03 - 105-78		माननीय अटल बिहारी वाजपेयी उ.प्र. चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	45.00	0.00	45.00		
75.	4210-03 - 105-79		रायबरेली में एम्स की स्थापना	1.00	0.00	1.00		
76.	6075-800-03		एस.जी.पी.जी.आई, लखनऊ में राज्य कर्मचारियों के इलाज के लिए रिवाल्विंग फंड	1.00	0.00	1.00		
77.	32		चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2210-01 - 110-08	जनपद लखनऊ के अस्पतालों में ई-हॉस्पिटल पायलट परियोजना	5.00	0.00	5.00
78.	2210-01 - 110-09			राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना	35.00	0.00	35.00	
79.	2210-80 - 800-11			बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली	2.00	0.00	2.00	
80.	4210-01 - 110-03			एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय एवं औषधालय	3.00	0.00	3.00	
81.	4210-01 - 110-04	क्षय रोग क्लीनिक भवन का निर्माण		1.00	0.00	1.00		
82.	4210-01 - 110-16	अलीगढ़ में 300 शय्या युक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण		1.00	0.00	1.00		
83.	4210-02 - 110-07	मिल्कीपुर जनपद अयोध्या में 100 शय्या वाले चिकित्सालय के भवन का निर्माण		1.04	0.00	1.04		
84.	4210-02 - 110-19	एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय		3.75	0.00	3.75		
85.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)		4210-01 - 800-03	राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, लखनऊ, राजकीय पंडित जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, कानपुर और लाल बहादुर शास्त्री सरकारी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के भवनों का निर्माण	7.50	0.00	7.50
86.	4210-01 - 800-05			होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय भवन का निर्माण	3.71	0.00	3.71	
87.	37	नगर विकास विभाग	2215-02 - 106-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	18.73	0.00	18.73	

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
88.			2217-03 - 191-06	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शहरी सौर पंप योजना	5.00	0.00	5.00
89.			2217-80 - 192-08	पार्कों का निर्माण एवं विकास	60.00	0.00	60.00
90.			2217-80 - 800-03	सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड पर कार्यान्वित योजनाओं के तहत सलाहकार सेवा	2.00	0.00	2.00
91.			2235-60 - 800-04	सीवरों की सफाई के दौरान मरने वाले सफाई कर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता	2.00	0.00	2.00
92.			4215-02 - 800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	5.77	0.00	5.77
93.			4217-60 - 800-03	जनपद गाजियाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	50.00	0.00	50.00
94.	40	नियोजन विभाग	2575-06-105-04	कौशल विकास मिशन के लिए एकमुश्त प्रावधान	2.00	0.00	2.00
95.			4801-05 - 800-03	त्वरित वित्तीय विकास	10.00	0.00	10.00
96.	41	निर्वाचन विभाग	2015-105-04	उप निर्वाचन	5.76	0.00	5.76
97.	42	न्याय विभाग	2014-105-15	महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालयों की स्थापना	22.74	0.00	22.74
98.			2235-60 - 200-12	उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण कोष की न्यासी समिति को अनुदान	20.00	0.00	20.00
99.			2235-60 - 200-13	युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस निधि	5.00	0.00	5.00
100.			2235-60 - 200-17	युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं	10.00	0.00	10.00
101.			4059-01 - 051-06	अधीनस्थ न्यायालयों के लिए स्वतंत्र विधुत फीडर	2.00	0.00	2.00
102.			4059-01 - 051-10	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण	12.00	0.00	12.00
103.			4059-01 - 051-11	जनपदों में ए.डी.आर. केंद्र की स्थापना	15.00	0.00	15.00
104.			4059-01 - 051-12	राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	20.00	0.00	20.00
105.			4059-01 - 051-13	जनपद एवं सत्र न्यायालय	3.50	0.00	3.50
106.			4059-01 - 051-14	दंड न्यायालय	1.61	0.00	1.61
107.			4059-01 - 052-03	अधीनस्थ न्यायालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरा तथा अन्य सुरक्षा उपकरण	75.00	0.00	75.00
108.			4070-800-04	जनपद न्यायालय, वाराणसी के नए परिसर हेतु भूमि का अधिग्रहण	100.00	0.00	100.00
109.			4216-01 - 700-10	माननीय उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	100.00	0.00	100.00
110.	43	परिवहन विभाग	4059-01 - 051-19	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, कानपुर के भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय	2.00	0.00	2.00
111.			5055-800-03	परिवहन आयुक्त कार्यालय	1.40	0.00	1.40

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
112.			5055-800-97	वाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं	2.50	0.00	2.50
113.	44	पर्यटन विभाग	3452-80 - 800-10	उत्तर प्रदेश यात्रा मार्ट-2014	1.50	0.00	1.50
114.			3452-80 - 800-14	पर्यटन नीति-2018 के अधीन पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन	50.00	0.00	50.00
115.			5452-80 - 104-03	पर्यटक आवास गृहों के लिए भूमि अधिग्रहण	1.00	0.00	1.00
116.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2071-01 - 117-08	सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के एन. पी.एस. से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक देय अवशेष नियोक्ता योगदान तथा विलम्ब से जमा नियोक्ता अंशदान पर ब्याज	1.00	0.00	1.00
117.			2203-103-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3.37	0.00	3.37
118.			2203-104-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1.36	0.00	1.36
119.			4202-02 - 105-13	इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज	8.00	0.00	8.00
120.			4202-02 - 105-19	इंजीनियरिंग कॉलेजों में लेब/सौर ऊर्जा का उन्नयन	2.80	0.00	2.80
121.			48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2071-01 - 117-07	अरबी फारसी मदरसा के एन.पी.एस. से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31 मार्च 2019 तक के शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान।	1.00
122.	2225-80 - 800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं			608.27	0.00	608.27
123.	2250-102-05	उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अनावर्ती अनुदान			1.01	0.00	1.01
124.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02 - 102-05	किशोर न्याय निधि	7.00	0.00	7.00
125.			2235-02 - 102-16	राज्य पोषण मिशन	14.00	0.00	14.00
126.			2235-02 - 102-20	शबरी संकल्प अभियान	100.00	0.00	100.00
127.			2235-02 - 103-03	महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य संसाधन केंद्र	1.00	0.00	1.00
128.			2235-02 - 103-24	स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम महिला आश्रमों की स्थापना	6.50	0.00	6.50
129.			2235-02 - 103-26	बेसहारा महिलाओं के लिए सरकारी आश्रय गृह	3.80	0.00	3.80
130.			4235-02 - 102-03	परियोजना कार्यालय के गोदामों का निर्माण	50.00	0.00	50.00
131.			4235-02 - 103-04	वृद्धाश्रम आश्रम की स्थापना	5.00	0.00	5.00
132.	51	राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	2245-05 - 101-04	राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से प्राप्त राशि का राज्य आपदा कोष में हस्तांतरण	1,000.00	0.00	1,000.00
133.			4250-101-05	राज्य आपदा शमन कोष से व्यय	2.50	0.00	2.50
134.			4250-101-06	जिला आपदा शमन कोष से व्यय	2.50	0.00	2.50
135.	52	राजस्व विभाग	2235-60 - 110-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	112.60	0.00	112.60

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
136.		(राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2235-60 - 110-03	मुख्यमंत्री किसान आवाम सर्वहित बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु	11.84	0.00	11.84
137.			4059-60 - 051-05	लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय एवं छात्रावास, गोण्डा का शेष कार्य	5.82	0.00	5.82
138.			4059-60 - 051-06	लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट का उन्नयन	1.00	0.00	1.00
139.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल)	5054-04 - 101-39	पुलों/आरओबी फ्लाईओवर के निर्माण/पुनर्निर्माण/नवीनीकरण के लिए तकनीकी अध्ययन और परियोजना के गठन और कार्यान्वयन आदि के लिए परामर्श और पुनर्निर्माण की व्यवस्था	2.00	0.00	2.00
140.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़कें)	3054-80 - 797-05	मूल्यहास आरक्षित निधि में स्थानांतरण	18.00	0.00	18.00
141.			5054-03 - 800-03	उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण	50.00	0.00	50.00
142.			5054-80-004-04	गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ के अनुसंधान संस्थान एवं प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/उन्नयन	1.00	0.00	1.00
143.	59	लोक निर्माण विभाग (संपदा निदेशालय)	4059-80 - 051-04	जवाहर भवन एवं इंदिरा भवन में एयर कंडीशन प्लांट एवं विद्युत आपूर्ति उपकरण का उन्नयन/नवीनीकरण कार्य	2.00	0.00	2.00
144.			4059-80 - 051-05	दारुलशफा के परिसर में अनावासीय कार्यालय भवन का निर्माण	20.08	0.00	20.08
145.			4059-80 - 051-08	इंदिरा भवन में एयर कंडीशन प्लांट की स्थापना	1.56	0.00	1.56
146.			4059-80 - 051-09	दिल्ली/नोएडा में राजकीय अतिथि गृह का निर्माण	2.27	0.00	2.27
147.	60	वन विभाग	4406-01 - 102-17	विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र एवं पठारी/पहाडी क्षेत्र में छोड़ी गई खदानों में पौधरोपण परियोजना (सीसीएल प्रणाली)	1.00	0.00	1.00
148.			4406-01 - 800-18	जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास एवं वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार एवं वन देवी में अतिथि गृह का निर्माण (सीसीएल प्रणाली)	1.00	0.00	1.00
149.			4406-02 - 110-06	जनपद इटावा में लायन सफारी पार्क एवं बब्लर शेर प्रजनन केन्द्र का विकास	10.00	0.00	10.00
150.			4406-02 - 110-08	कुकरैल वन क्षेत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकी पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना	5.00	0.00	5.00
151.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	2048-101-03	उ०प्र० राज्य विकास ऋणों के निक्षेप निधि को संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण	24,281.00	0.00	24,281.00
152.			2049-01 - 200-03	भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अल्पावधि ऋण पर ब्याज	5.00	0.00	5.00
153.			4070-800-03	परियोजनाओं की डी.पी.आर. पर व्यय	5.00	0.00	5.00
154.			6003-110-03	अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान	10,000.00	0.00	10,000.00

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
155.			6075-800-03	सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी निकायों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए ऋण सहायता	150.00	0.00	150.00
156.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते और पेंशन)	2049-03 - 117-03	अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर ब्याज	2.37	0.00	2.37
157.	2071-01 - 101-04		जल निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का राज्य सेवाओं के लिए योगदान	57.50	0.00	57.50	
158.	2071-01 - 115-05		अखिल भारतीय सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण	2.45	0.00	2.45	
159.	2071-01 - 117-07		एन.पी.एस. से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	2,400.00	0.00	2,400.00	
160.	2071-01 - 117-08		दिनांक 31.03.2019 तक देय अवशेष नियोक्ता अंशदान/विलम्ब से जमा किये गये नियोक्ता अंशदान पर ब्याज	580.00	0.00	580.00	
161.	2071-01 - 117-09		विलम्ब से जमा अभिदाताओं के अंशदान पर ब्याज का भुगतान	20.00	0.00	20.00	
162.	2071-01 - 800-03		उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता	1.91	0.00	1.91	
163.	2071-01 - 800-09		सेवानिवृत्ति लाभों के विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज	1.00	0.00	1.00	
164.	2071-01 - 800-10		उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखंड सरकार को देय राशि	1,000.00	0.00	1,000.00	
165.	63		वित्त विभाग (कोषागार और लेखा प्रशासन)	4059-01 - 051-03	राज्य कोषागारों/उप कोषागारों में विविध निर्माण/नवीनीकरण कार्य	1.00	0.00
166.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	2052-091-07	ब्याज जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम-2016 का क्रियान्वयन	1.48	0.00	1.48
167.	4059-01 - 051-04		जिला लखनऊ में संस्थागत वित्त निदेशालय के कार्यालय भवन का निर्माण	5.00	0.00	5.00	
168.	70	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2810-60 - 800-06	प्रधान मंत्री कुसुम योजना भाग "सी" संबंधित ग्रिड संयोजित निजी पंपों के सोलराइजेशन हेतु राज्यांश	67.32	0.00	67.32
169.	2810-60 - 800-09		आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा पर आधारित आर.ओ. जल संयंत्र की स्थापना	2.74	0.00	2.74	
170.	2810-60 - 800-11		परियोजना मोड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में सोलर आर.ओ. जल संयंत्र की स्थापना	5.00	0.00	5.00	
171.	5425-800-04		नक्षत्रशालाओं का आधुनिकीकरण	10.00	0.00	10.00	
172.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2071-01 - 117-07	एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	500.00	0.00	500.00

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
173.			2071-01 - 117-08	दिनांक 31.03.2019 तक देय नियोक्ता अंशदान/ विलम्ब से जमा अवशेष नियोक्ता अंशदान पर ब्याज	250.00	0.00	250.00
174.			2071-01 - 117-09	अभिदाता अंशदान विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का भुगतान	150.00	0.00	150.00
175.			2202-01 - 112-04	छात्र-छात्राओं को फलों का वितरण	166.71	0.00	166.71
176.			4202-01 - 201-03	जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण (जिला योजना)	1.55	0.00	1.55
177.			4202-01 - 201-04	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी, शौचालय निर्माण, विद्युतीकरण एवं हैण्डपम्प लगाने हेतु अनुदान	50.00	0.00	50.00
178.			4202-01 - 201-09	मध्याह्न भोजन के लिए रसोइघर का निर्माण	25.00	0.00	25.00
179.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02 - 800-10	राजा राम मोहन राय पुस्तक संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान	2.00	0.00	2.00
180.			2202-02 - 800-14	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा न्यायाधिकरण	8.92	0.00	8.92
181.			2204-104-04	आउटडोर खेलों, अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों और युवा कल्याण की व्यवस्था	1.00	0.00	1.00
182.			4202-04 - 105-03	शासकीय जिला पुस्तकालय भवनों का निर्माण	2.75	0.00	2.75
183.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-03 - 102-33	अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान	2.00	0.00	2.00
184.			2202-03 - 800-17	अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना	21.12	0.00	21.12
185.			4202-01 - 203-20	विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज	20.00	0.00	20.00
186.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	2235-60 - 200-03	ड्यूटीरत होमगार्ड स्वयंसेवकों के बीमा हेतु बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान	8.00	0.00	8.00
187.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्)	2202-80 - 800-06	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, इलाहाबाद हेतु टीईटी चयन, बीटीसी चयन और बीटीसी परीक्षा आयोजित करने हेतु	20.08	0.00	20.08
188.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-01 - 111-03	असंगठित श्रमिकों के लिए दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना	1.25	0.00	1.25
189.			2230-01 - 111-06	असंगठित मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना	12.52	0.00	12.52
190.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-101-04	भारत सरकार को देय आयकर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी	1.00	0.00	1.00
191.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांगों का सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों का कल्याण)	2235-02 - 101-16	समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन	7.85	0.00	7.85
192.			2235-02 - 101-21	पालनहार योजना	25.00	0.00	25.00
193.			2235-02 - 101-24	कृत्रिम अंग और पुनर्वास केंद्र का संचालन	4.00	0.00	4.00
194.			2235-02 - 101-33	मानसिक रूप से कमजोर बालिकाओं के लिए राजकीय विद्यालय "ममता"	1.01	0.00	1.01

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
195.			2235-02 - 101-38	जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) की स्थापना/संचालन	4.00	0.00	4.00
196.			4235-02 - 101-04	"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत शासकीय कार्यालयों एवं जनोपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधा रहित बनाना	60.00	0.00	60.00
197.			4235-02 - 101-33	मूक बधिर छात्र/छात्राओं हेतु "संकेत जूनियर हाई स्कूल" की स्थापना	4.00	0.00	4.00
198.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण)	2225-01 - 277-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	250.00	0.00	250.00
199.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4225-02 - 796-04	अनुसूचित जनजातियों हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अपूर्ण भवनों का निर्माण	10.00	0.00	10.00
200.			4515-796-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3.05	0.00	3.05
201.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	2235-60 - 789-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	275.31	0.00	275.31
202.			2401-789-08	लघु और सीमांत कृषकों हेतु कृषि ऋण का भुगतान	15.00	0.00	15.00
203.			2810-02 - 789-03	गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	1.42	0.00	1.42
204.			4202-02 - 789-09	इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कन्नौज	1.50	0.00	1.50
205.			4210-03 - 789-07	शासकीय एलोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, सहारनपुर	3.03	0.00	3.03
206.			4210-03 - 789-08	शासकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर	3.03	0.00	3.03
207.			4210-03 - 789-12	शासकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ	4.75	0.00	4.75
208.			4210-03 - 789-13	शासकीय मेडिकल कॉलेज, झांसी	4.67	0.00	4.67
209.			4210-03 - 789-15	शासकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर	12.73	0.00	12.73
210.			4210-03 - 789-17	शासकीय मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़	8.48	0.00	8.48
211.			4210-03 - 789-30	पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, सैफई, इटावा	1.00	0.00	1.00
212.			4210-03 - 789-32	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चंदौली	1.06	0.00	1.06
213.			4215-01 - 789-03	अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों में हैंडपंपों की स्थापना	50.00	0.00	50.00
214.			4215-01 - 789-06	मुख्यमंत्री आर.ओ. पेयजल योजना	5.25	0.00	5.25
215.			4215-01 - 789-07	बुंदेलखंड/विंध्य/गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल परियोजना	740.00	0.00	740.00
216.			4700-17 - 789-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	150.00	0.00	150.00
217.			4700-19 - 789-10	नहरें	12.00	0.00	12.00

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
218.			4700-22-789-10	नहरें	300.00	0.00	300.00
219.			4700-23 - 789-10	नहरें	15.00	0.00	15.00
220.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	2070-800-03	जनगणना-2021	45.73	0.00	45.73
221.			4250-800-06	काशी में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना	18.06	0.00	18.06
222.	86	सूचना विभाग	2220-60 - 800-07	फिल्म विकास कोष की स्थापना	15.00	0.00	15.00
223.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2049-60 - 701-03	प्रवेश कर के जमा खाते पर ब्याज भुगतान	65.35	0.00	65.35
224.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प और पंजीकरण)	2030-03 - 001-05	पुराने दस्तावेज की स्कैनिंग और इण्डेक्सिंग	40.00	0.00	40.00
225.			2030-03 - 001-06	उप निबन्धक कार्यालय में किराया आधार पर 10 एमबीपीएस की लीज लाइन की स्थापना	10.00	0.00	10.00
226.	92	संस्कृति विभाग	2205-800-15	संगीत वाद्ययंत्रों के लिए लोक कलाकारों को अनुदान	1.00	0.00	1.00
227.			2205-800-16	सांस्कृतिक क्लब की स्थापना	1.00	0.00	1.00
228.			4202-04 - 106-11	प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ	5.00	0.00	5.00
229.			4202-04 - 800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	7.07	0.00	7.07
230.			4202-04 - 800-06	भातखंडे संगीत संस्थान सह विश्वविद्यालय के नवीन परिसर हेतु भूमि व्यवस्था एवं निर्माण	1.00	0.00	1.00
231.			4202-04 - 800-16	अयोध्या, फैजाबाद में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना	5.00	0.00	5.00
232.			4202-04 - 800-45	माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु स्मृति संकुल	5.00	0.00	5.00
233.			4202-04 - 800-52	तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या का सुदृढीकरण	10.00	0.00	10.00
234.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	2700-80 - 800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1.00	0.00	1.00
235.			4700-05 - 050-10	नहरें	2.00	0.00	2.00
236.			4700-06 - 050-10	नहरें	1.00	0.00	1.00
237.			4700-06 - 051-15	जनपद मथुरा वृंदावन स्थित नदी के घाटों का विस्तार, नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण की परियोजना	1.00	0.00	1.00
238.			4700-07 - 051-17	आगरा शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ताजमहल की नींव की सुरक्षा, नौकायन, सौंदर्यीकरण व दृश्याभिराम, वातावरण बनाने, जल भण्डारण करने, भूजल स्तर सुधारने हेतु 1.50 किमी में रबर बैराज के निर्माण की परियोजना	100.00	0.00	100.00
239.			4700-08 - 050-10	नहरें	1.00	0.00	1.00

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
240.			4700-09 - 050-10	नहरें	2.00	0.00	2.00
241.			4700-09-051-15	लखनऊ में गोमती नदी का चैनेलाइजेशन	15.00	0.00	15.00
242.			4700-18 - 051-10	नहरें	10.00	0.00	10.00
243.			4700-23 - 051-10	नहरें	30.00	0.00	30.00
244.			4700-36 - 050-10	नहरें	10.00	0.00	10.00
245.			4701-21 - 051-10	नहरें	1.00	0.00	1.00
246.			4701-24 - 051-10	नहरें	8.20	0.00	8.20
247.			4701-60 - 051-05	बांध	1.00	0.00	1.00
248.			4701-87 - 051-10	नहरें	2.40	0.00	2.40
249.			4701-94 - 051-07	बैराज	5.00	0.00	5.00
250.			4701-96 - 051-10	नहरें	6.00	0.00	6.00
251.			4711-03 - 103-07	जल निकास योजना (नाबार्ड वित्तपोषित)	3.00	0.00	3.00
	57		योग		50,616.51	0.00	50,616.51

परिशिष्ट-3.8
(प्रस्तर 3.3.7 में संदर्भित)

उन योजनाओं का विवरण जिनसे मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
1.	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	5054-03-337-10	बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना	200.00	(-)109.69	90.31	0.00	90.31
2.	40	नियोजन विभाग	4202-01-202-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
3.			4202-01-203-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
4.			4210-01-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	(-)10.00	10.00	0.00	10.00
5.			4210-02-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	(-)10.00	10.00	0.00	10.00
6.			4215-01-101-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
7.			4215-01-102-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	80.00	(-)70.00	10.00	0.00	10.00
8.			4215-02-101-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	(-)10.54	9.46	0.00	9.46
9.			4215-02-106-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
10.			4406-01-102-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	15.00	(-)15.00	0.00	0.00	0.00
11.			4702-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
12.			4801-06-800-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00	(-)10.00	10.00	0.00	10.00
13.			5054-04-101-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	40.00	(-)35.27	4.73	0.00	4.73
14.			47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2071-01-117-07	सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के एन.पी.एस. से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31 मार्च 2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	2.50	(-)2.50	0.00
15.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4202-01-800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	6.81	(-)6.81	0.00	0.00	0.00
16.			4235-60-800-03	अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान/अंत्येष्टि स्थल की चहारदीवारी का निर्माण	100.00	(-)100.00	0.00	0.00	0.00
17.			4250-800-03	हज हाउस, लखनऊ तथा गाजियाबाद का निर्माण	2.34	(-)2.34	0.00	0.00	0.00

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
18.	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	2245-05-800-05	राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय	1,000.00	(-)800.00	200.00	0.00	200.00
19.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	2217-80-800-03	राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टॉप शुल्क का नगरीय निकायों को अंतरण	175.00	(-)175.00	0.00	0.00	0.00
20.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	2070-107-07	पंचायत चुनाव	100.00	(-)50.00	50.00	0.00	50.00
21.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2235-02-200-11	दिल्ली स्थित संस्थानों में आईएस/पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	1.00	(-)1.00	0.00	0.00	0.00
22.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4406-01-789-04	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सीसीएल प्रणाली)	15.00	(-)7.84	7.16	0.00	7.16
योग					1,917.65	(-)1,515.99	401.66	0.00	401.66

परिशिष्ट-4.1
(प्रस्तर 4.14 में सन्दर्भित)

विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण

क्र० सं०	विभाग का नाम	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
1.	वन विभाग	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	2014-15 से 2019-20	06
2.	अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2020-21	03
3.	-तदैव-	ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण	2019-20 से 2020-21	02
4.	-तदैव-	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2020-21	16
5.	-तदैव-	उ०प्र० एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
6.	-तदैव-	सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2020-21	16
7.	-तदैव-	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2020-21	16
8.	-तदैव-	उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2020-21	03
9.	-तदैव-	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2020-21	16
10.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
11.	-तदैव-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
12.	-तदैव-	आगरा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
13.	-तदैव-	मेरठ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
14.	-तदैव-	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
15.	-तदैव-	हापुड़/पिलखुआ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
16.	-तदैव-	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
17.	-तदैव-	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
18.	-तदैव-	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
19.	-तदैव-	मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
20.	-तदैव-	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
21.	-तदैव-	बरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
22.	-तदैव-	रायबरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
23.	-तदैव-	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
24.	-तदैव-	अयोध्या/फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
25.	-तदैव-	फिरोजाबाद/शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
26.	-तदैव-	कानपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
27.	-तदैव-	रामपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
28.	-तदैव-	उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
29.	-तदैव-	झाँसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
30.	-तदैव-	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
31.	-तदैव-	बुलंदशहर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
32.	-तदैव-	खुर्जा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
33.	-तदैव-	उरई विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
34.	-तदैव-	बाँदा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
35.	-तदैव-	बागपत बडौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
36.	-तदैव-	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
37.	-तदैव-	बस्ती विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	विभाग का नाम	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
38.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शक्तिनगर	2017-18 से 2020-21	04
39.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट	2017-18 से 2020-21	04
40.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कपिलवस्तु	2017-18 से 2020-21	04
41.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विन्ध्याचल—मिर्जापुर	2017-18 से 2020-21	04
42.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर	2017-18 से 2020-21	04
43.	—तदैव—	उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण	2019-20 से 2020-21	02
44.	ऊर्जा विभाग	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	2020-21	01
45.	बाल कल्याण विभाग	उ.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2006-07 to 2020-21	15
46.	उच्च शिक्षा	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	2019-20 से 2020-21	02
47.	—तदैव—	दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
48.	—तदैव—	डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ	2020-21	01
49.	—तदैव—	लखनऊ विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
50.	—तदैव—	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
51.	—तदैव—	उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
52.	—तदैव—	प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
53.	—तदैव—	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर	2019-20 से 2020-21	02
54.	—तदैव—	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	2019-20 से 2020-21	02
55.	—तदैव—	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
56.	—तदैव—	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
57.	—तदैव—	ख्वाजा मोउनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय	2020-21	01
58.	—तदैव—	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
59.	अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
60.	प्राविधिक शिक्षा	मदन मोहन मालवीय कृषि एवं प्राविधिक विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
61.	—तदैव—	हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
62.	—तदैव—	डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
63.	विकलांग कल्याण	डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय	2019-20 से 2020-21	02
योग				266

परिशिष्ट-4.2
(प्रस्तर 4.15 में सन्दर्भित)

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक के लेखे अन्तिमीकृत किये गये	अन्तिम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार निवेश
सिंचाई विभाग			
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2020-21	2.04
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी	2020-21	12.50
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2020-21	13.44
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2020-21	2.12
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2020-21	0.64
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, प्रयागराज	2020-21	4.08
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग			
7.	खाद्य आयुक्त एवं सीएओ	2014-15	4,002.95
पशुपालन विभाग			
8.	उप निदेशक, पशुधन फार्म निगम	2018-19	74.03
स्वास्थ्य विभाग			
9.	उप निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि विभाग	1987-88	उपलब्ध नहीं
योग			4,111.80

परिशिष्ट-5.1

(प्रस्तर 5.1.3, 5.1.4, 5.3.1, 5.5.1, 5.6.1 एवं 5.6.2 में संदर्भित)

नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संक्षेपित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व के शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूंजी सहित प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी ²	निवल मूल्य/शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि	कुल सम्पत्ति
अ	सरकारी कम्पनियां									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2019-20	1,019.62	116.91	8,758.02	15,200.69	28,590.68	15,340.14	1,290.58	38,068.27
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2019-20	3.72	(-)18.81	84.67	435.33	164.83	12.75	(-)422.58	877.70
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (क्रम सं० 1 की सहायक कम्पनी)	2019-20	1.82	1.82	0.00	1,151.04	3,953.94	1,155.25	4.21	4,781.35
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	578.55	351.89	3,498.09	15,576.01	26,363.41	14,770.06	(-)805.77	35,970.78
5	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं० 10 की सहायक कम्पनी)	2019-20	38.15	(-)1,204.30	11,641.41	19,557.50	12,647.97	(-)1,044.86	(-)20,602.36	49,800.75
6	पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं० 10 की सहायक कम्पनी)	2019-20	(-)223.57	(-)1,067.86	17,039.25	15,227.24	8,201.42	(-)2,067.34	(-)17,294.58	28,948.43
7	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं० 10 की सहायक कम्पनी)	2019-20	(-)659.99	(-)659.99	11,905.54	18,295.63	14,125.72	2,777.91	(-)15,517.72	41,104.65
8	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	933.88	(-)629.03	10,831.65	19,225.63	6,615.96	(-)8,713.04	(-)27,938.67	36,343.46

² नियोजित पूंजी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण - आस्थगित राजस्व व्यय (डी0आर0ई0)

क्र० सं०	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व के शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूंजी सहित प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी ²	निवल मूल्य/शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि	कुल सम्पत्ति
	(क्रम सं० 10 की सहायक कम्पनी)									
9	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं० 10 की सहायक कम्पनी)	2019-20	(-72.52)	(-231.05)	2,619.39	1,974.21	(-7.70)	(-1,825.45)	(-3,799.66)	4,614.79
10	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	(-3,158.92)	(-3,158.92)	0.00	97,164.01	(-70,433.52)	(-70,433.52)	(-90,914.37)	88,937.30
11	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं० 1 का संयुक्त उपक्रम कम्पनी)	2019-20	0.24	0.24	0.00	0.16	0.25	(-2.25)	(-2.41)	54.42
	उप योग-अ(क)		(-1,539.02)	(-6,499.10)	66,378.02	2,03,807.45³	30,222.96	(-50,030.35⁴	(-1,76,003.33)	3,29,501.90
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
12	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	(-321.14)	(-329.85)	25.65	3,160.74	8,073.06	2,436.01	(-724.73)	9,113.78
13	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	18.21	(-78.32)	16.15	1,400.24	3,030.83	1,166.65	(-233.59)	4,599.56
14	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2018-19	18.80	15.00	9.25	135.58	697.22	(-243.91)	(-379.49)	1,004.74
15	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2019-20	2.49	1.73	62.35	7.12	15.00	12.94	5.82	55.70

³ ₹ 2,03,807.45 करोड़ के प्रदत्त पूंजी में ₹ 77,834.29 करोड़ की धनराशि शामिल है जो कि सरकार द्वारा स्वामित्व धारक कम्पनियों क्रम सं० 01 (₹ 1,151.13 करोड़) एवं क्रम सं० 10 (₹ 76,683.16 करोड़) को उनकी सहायक/एसोसिएट्स/संयुक्त उपक्रम कम्पनियों के लिए दिया गया था। इसलिए, ₹ 77,834.29 करोड़ की धनराशि को निवल मूल्य और नियोजित पूंजी की गणना से बाहर रखा गया है।

⁴ प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त संचयों एवं अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के निवल मूल्य निकालने के लिए ₹ 0.18 करोड़ का आस्थगित राजस्व व्यय घटाया गया है।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र० सं०	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व के शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूंजी सहित प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी ²	निवल मूल्य/शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि	कुल सम्पत्ति
16	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.50	0.39	27.52	4.07	5.78	2.91	(-)1.16	45.17
17	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	5.91	4.25	67.85	91.54	143.26	35.91	11.62	419.68
18	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	18.94	12.16	224.84	1.00	33.01	33.01	32.01	183.52
19	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2019-20	62.97	62.97	484.35	0.43	383.38	383.38	382.95	476.98
20	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2018-19	(-)11.30	(-)11.30	50.98	3.00	21.80	21.80	18.80	111.54
21	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2020-21	0.68	0.68	0.67	0.05	6.75	1.75	1.70	7.60
22	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाय कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	28.60	20.65	20.30	10.16	28.38	28.38	18.22	419.53
23	उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	3.13	0.36	457.50	6.40	126.20	126.20	119.80	4,023.86
24	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2018-19	(-)1.37	(-)5.65	0.00	93.24	(-)79.65	(-)181.06	(-)274.30	43.19
	उप योग-अ(ख)		(-)173.58	(-)306.93	1,447.41	4,913.57	12,485.02	3,823.97	(-)1,022.35	20,504.85
	कुल योग अ = अ(क)+अ(ख)		(-)1,712.60	(-)6,806.03	67,825.43	2,08,721.02	42,707.98	(-)46,206.38	(-)1,77,025.68	3,50,006.75
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां									
क	ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू – शून्य									
	उप योग-ब(क)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
25	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	(-)3.60	(-)3.60	0.00	0.50	(-)5.79	(-)5.79	(-)6.29	439.60
26	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0.01	0.01	0.00	216.00	216.02	216.02	0.02	332.79
27	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	(-)11.35	(-)11.35	0.03	2.00	(-)11.66	(-)11.66	(-)13.66	208.12
28	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.23	0.17	0.50	0.25	0.42	0.42	0.17	60.71
29	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	(-)0.24	(-)0.30	0.00	0.50	204.86	204.86	204.36	214.32
30	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0.05	0.04	0.00	50.00	50.05	50.05	0.05	102.79

क्र० सं०	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व के शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूंजी सहित प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी ²	निवल मूल्य/शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि	कुल सम्पत्ति
31	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.03	0.02	0.00	0.50	0.52	0.52	0.02	60.22
32	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	(-0.72)	(-0.72)	0.05	0.50	83.45	83.45	82.95	84.21
33	अलमोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2019-20	(-0.24)	(-0.29)	24.15	2.00	7.60	7.30	5.51	23.23
34	नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	2019-20	2.52	1.61	0.00	0.01	3,604.38	(-)2.74	(-)2.75	3,610.24
35	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा मिमिटेड	2020-21	24.74	17.42	0.00	1,234.40	1,279.89	1,279.89	45.49	1,595.20
	उप योग-ब(ख)		11.43	3.01	24.73	1,506.66	5,429.74	1,822.32	315.87	6,731.43
	कुल योग ब = ब(क)+ब(ख)		11.43	3.01	24.73	1,506.66	5,429.74	1,822.32	315.87	6,731.43
स	सांविधिक निगम									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू - शून्य									
	उप योग-स(क)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
36	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	39.85	39.85	4,523.19	926.19	(-)74.59	(-)116.31	(-)1,042.50	3,024.95
37	उत्तर प्रदेश वन निगम	2019-20	22.30	22.30	216.22	0.00	1,561.62	1,561.62	1,561.62	1,813.35
38	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2019-20	29.25	29.25	452.81	0.00	5,058.35	5,058.35	5,058.35	19,642.18
	उप योग-स(ख)		91.40	91.40	5,192.22	926.19	6,545.38	6,503.66	5,577.47	24,480.48
	कुल योग स = स(क)+स(ख)		91.40	91.40	5,192.22	926.19	6,545.38	6,503.66	5,577.47	24,480.48
	ऊर्जा क्षेत्र का कुल योग = अ(क)+ब(क)+स(क)		(-1,539.02)	(-6,499.10)	66,378.02	2,03,807.45	30,222.96	(-)50,030.35	(-)1,76,003.33	3,29,501.90
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त का कुल योग = अ(ख)+ब(ख)+स(ख)		(-70.75)	(-)212.52	6,664.36	7,346.42⁵	24,460.14	12,149.95⁶	4,870.99	51,716.76
	महायोग (अ+ब+स)		(-1,609.77)	(-6,711.62)	73,042.38	2,11,153.87	54,683.10	(-)37,880.40	(-)1,71,132.34	3,81,218.66

⁵ ₹ 7,346.42 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में क्रम संख्या 17 पर दी गयी स्वामित्व कम्पनी में एक धनराशि ₹ 67.25 करोड़ सम्मिलित है जो कि सरकार द्वारा उनकी सहायक कम्पनियों को दी गयी थी। अतः निवल मूल्य तथा नियोजित पूंजी की गणना में ₹ 67.25 करोड़ को बाहर रखा गया है। अग्रेतर, क्रम संख्या 17 पर ऋण धनराशि ₹ 107.35 करोड़, क्रम संख्या क्रमशः 15 एवं 16 पर कम्पनियों को दिए गए ऋण ₹ 2.26 करोड़ एवं ₹ 2.87 करोड़ को बाहर रखा गया।

⁶ निवल मूल्य, कुल प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त संचय और आधिक्य के योग से संचित हानियों तथा आस्थगित राजस्व व्यय (डीआरई) को घटाने के पश्चात आता है। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड के प्रकरण में निवल मूल्य निकालने के लिए ₹ 0.21 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को घटाया गया है।

परिशिष्ट-5.2
(प्रस्तर 5.1.3 में संदर्भित)

इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किए गए पीएसयू की 31 मार्च 2021 को पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूँजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7 (क)	7 (ख)	7 (ग)	7 (घ)	8
I	कार्यरत पीएसयू												
अ	सरकारी कम्पनियाँ												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
1	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	2013-14	2016-17	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
	उप योग -I अ(क)				0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
2	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	2005-06	2017-18	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
3	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पिछड़ा वर्ग कल्याण	2015-16	2019-20	12.23	0.00	0.00	12.23	57.43	0.00	0.00	57.43	69.66
4	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	2015-16	2018-19	136.99	120.39	0.00	257.38	0.00	0.00	20.32	20.32	277.70
5	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य एवं रसद आपूर्ति	2010-11	2018-19	12.34	0.00	0.00	12.34	0.73	0.00	0.00	0.73	13.07
6	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	2017-18	2020-21	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कंपनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
7	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	महिला कल्याण	2015-16	2020-21	4.71	0.48	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
8	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	वक्फ एवं अल्पसंख्यक	2003-04	2016-17	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	2010-11	2016-17	58.32	0.00	0.00	58.32	0.00	0.00	23.00	23.00	81.32
10	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	2014-15	2020-21	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,825.40	1,825.40	1,826.40
11	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	2017-18	2020-21	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	600.00	600.00	615.00
12	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	2010-11	2020-21	5.96	0.00	0.00	5.96	3.57	0.00	0.00	3.57	9.53
13	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषि	2017-18	2020-21	6.25	0.00	0.67	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
14	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	मत्स्य एवं पशुधन	2016-17	2019-20	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
15	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड	स्वास्थ्य	2009-10	2012-13	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
16	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2016-17	2020-21	880.13	0.00	0.00	880.13	0.00	0.00	899.00	899.00	1,779.13

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
17	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2015-16	2018-19	1,648.31	0.00	0.00	1,648.31	909.00	0.00	46.17	955.17	2,603.48
18	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	2007-08	2017-18	6.34	0.90	0.00	7.24	12.44	0.00	0.00	12.44	19.68
19	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	2016-17	2019-20	32.60	0.00	0.00	32.60	0.15	0.00	0.00	0.15	32.75
20	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	17.84	0.00	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
21	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	लेखे प्राप्त नहीं हुए	2019-20	0.00	0.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
22	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	45.79	45.79	45.84
23	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
24	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	4.77	4.77	4.82
25	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता विभाग	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	0.05	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
26	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	शहरी विकास	2017-18	2018-19	0.00	0.00	4.91	4.91	0.00	0.00	6.57	6.57	11.48

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
27	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	समाज कल्याण	2017-18	2019-20	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
28	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2017-18	2017-18	0.15	0.00	0.10	0.25	0.00	0.00	2.48	2.48	2.73
	उप योग-I अ(ख)				2,882.24	121.77	9.77	3,013.78	983.32	0.00	3,473.50	4,456.82	7,470.60
	कुल योग I अ=I अ(क)+I अ(ख)				2,882.24	121.77	9.82	3,013.83	983.32	0.00	3,473.50	4,456.82	7,470.65
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
	उप योग-I ब(क)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
29	झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
30	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00
	उप योग-I ब(ख)				0.00	0.00	465.50	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	465.50
	कुल योग I ब=I ब(क)+I ब(ख)				0.00	0.00	465.50	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	465.50
स	सांविधिक निगम												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
	उप योग-I स(क)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
31	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2012-13	2015-16	114.51	0.00	64.78	179.29	395.59	0.00	289.15	684.74	864.03
32	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	सहकारिता	2017-18	2020-21	7.61	0.00	5.40	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
33	उत्तर प्रदेश जल निगम	शहरी विकास	2016-17	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	539.29	0.00	0.00	539.29	539.29
	उप योग-I स(ख)				122.12	0.00	70.18	192.30	934.88	0.00	289.15	1,224.03	1,416.33
	कुल योग I स=I स(क)+I स(ख)				122.12	0.00	70.18	192.30	934.88	0.00	289.15	1,224.03	1,416.33
	कार्यरत पीएसयू का कुल योग (कुल योग-I)				3,004.36	121.77	545.50	3,671.63	1,918.20	0.00	3,762.65	5,680.85	9,352.48
II	अकार्यरत पीएसयू												
अ	सरकारी कम्पनियां												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
34	सदर्न यू0पी0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड		2020-21	2020-21	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
	उप योग-II अ(क)				0.00	0.00	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
35	अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1997-98	1998-99	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	0.00	4.15	4.15	5.21
36	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2013-14	2016-17	59.43	0.00	0.00	59.43	18.24	0.00	0.00	18.24	77.67

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
37	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2016-17	2019-20	0.00	0.00	81.38	81.38	0.00	0.00	28.88	28.88	110.26
38	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2016-17	2017-18	0.00	0.00	147.72	147.72	0.00	0.00	3.90	3.90	151.62
39	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2016-17	2019-20	0.00	0.00	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80
40	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2010-11	2012-13	0.22	0.00	0.00	0.22	5.74	0.00	0.00	5.74	5.96
41	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2001-02	2005-06	0.09	0.00	1.93	2.02	5.55	0.00	11.49	17.04	19.06
42	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	1997-98	2007-08	5.28	0.10	0.00	5.38	1.94	0.00	0.00	1.94	7.32
43	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2019-20	2020-21	197.10	0.00	0.00	197.10	91.78	0.00	0.00	91.78	288.88
44	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2000-01	2020-21	36.45	10.63	0.00	47.08	157.02	0.00	2.70	159.72	206.80

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
45	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	2000-01	2002-03	5.74	0.00	0.00	5.74	1.91	0.00	0.00	1.91	7.65
46	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2020-21	2020-21	53.67	0.00	0.00	53.67	78.31	0.00	12.74	91.05	144.72
47	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	मत्स्य एवं पशुधन	2015-16	2018-19	2.73	0.00	0.00	2.73	0.71	0.00	0.00	0.71	3.44
48	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशैअलिटीज लिमिटेड	मत्स्य एवं पशुधन	2013-14	2020-21	2.88	0.06	0.00	2.94	0.00	1.10	0.00	1.10	4.04
49	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	1984-85	1994-95	6.41	0.00	0.64	7.05	3.34	0.00	0.00	3.34	10.39
50	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2013-14	2014-15	0.51	0.00	0.14	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
51	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	1995-96	2012-13	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
52	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1988-89	2007-08	1.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.00	0.00	0.05	1.05
53	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1983-84	1992-93	0.67	0.00	0.00	0.67	0.66	0.00	0.00	0.66	1.33
54	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1988-89	2011-12	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.65	0.65	1.90
55	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1988-89	2013-14	1.26	0.00	0.00	1.26	0.65	0.00	0.27	0.92	2.18

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
56	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1981-82	1992-93	0.70	0.00	0.00	0.70	0.86	0.00	0.00	0.86	1.56
57	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	2008-09	2010-11	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.01	0.01	1.01
58	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1991-92	2011-12	0.25	0.00	0.00	0.25	0.65	0.00	0.00	0.65	0.90
59	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1982-83	1990-91	0.45	0.00	0.00	0.45	1.25	0.00	0.00	1.25	1.70
60	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	2010-11	2016-17	1.23	0.00	0.00	1.23	0.05	0.00	0.00	0.05	1.28
61	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	मनोरंजन कर	2009-10	2011-12	8.18	0.00	0.00	8.18	2.47	0.00	0.00	2.47	10.65
62	उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1987-88	1994-95	1.30	0.00	0.00	1.30	0.35	0.00	0.00	0.35	1.65
63	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1987-88	1993-94	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.30	0.30	1.00
64	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2002-03 (01 जुलाई 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2004-05	0.23	0.00	0.08	0.31	1.70	0.00	0.00	1.70	2.01
65	उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2006-07 (01 जुलाई 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2008-09	0.38	0.00	0.33	0.71	6.55	0.00	0.00	6.55	7.26

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
66	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1995-96 (08 फरवरी 1999 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1996-97	68.28	0.00	0.00	68.28	124.77	0.00	0.00	124.77	193.05
67	विन्ध्याचल अग्रेसिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1987-88 (28 नवम्बर 2002 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1995-96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84
68	ऑटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1991-92 (14 फरवरी 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1995-96	5.63	0.00	1.87	7.50	0.38	0.00	0.00	0.38	7.88
69	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	1994-95 (20 फरवरी 1996 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	0.00	0.00	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
70	कॉन्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1997-98 (01 अप्रैल 2002 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2002-03	0.00	0.00	46.24	46.24	0.00	0.00	138.85	138.85	185.09
71	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	(10 जून 1996 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
72	उत्तर प्रदेश एब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	1975-76 (19 अप्रैल 1996 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
73	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1992-93 (19 फरवरी 1994 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	0.00	0.00	6.59	6.59	11.02	0.00	0.00	11.02	17.61
74	उत्तर प्रदेश प्लांट प्रोटेक्शन एप्लान्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	1974-75 (2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1984-85	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
75	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1995-96	1997-98	0.00	0.00	57.93	57.93	0.00	0.00	9.70	9.70	67.63
	उप योग-II अ(ख)				464.52	10.79	606.54	1,081.85	515.95	1.10	214.48	731.53	1,813.38
	कुल योग II अ= II अ(क) + II अ(ख)				464.52	10.79	608.76	1,084.07	515.95	1.10	214.48	731.53	1,815.60
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
	उप योग-II ब(क)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी				वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
76	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मत्स्य एवं पशुधन	1994-95	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	(14 जुलाई 1981 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग-II ब(ख)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग II ब= II ब(क)+ II ब(ख)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स	सांविधिक निगम												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
	उप योग-II स(क)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
	उप योग-II स(ख)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग II स= II स(क)+II स(ख)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अकार्यरत पीएसयू का कुल योग (कुल योग-II)				464.52	10.79	608.76	1,084.07	515.95	1.10	214.48	731.53	1,815.60
	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल योग				0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल योग				3,468.88	132.56	1,151.99	4,753.43	2,434.15	1.10	3,977.13	6,412.38	11,165.81
	महायोग (कुल योग-I + कुल योग-II)				3,468.88	132.56	1,154.26	4,755.70	2,434.15	1.10	3,977.13	6,412.38	11,168.08

परिशिष्ट-5.3
(प्रस्तर 5.2 में संदर्भित)

इस अध्याय में शामिल किये गए पीएसयू की 31 मार्च 2021 को पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केन्द्र सरकार का ऋण	होलिडिंग कम्पनी/ अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3		5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
इस अध्याय में सम्मिलित													
अ	सरकारी कम्पनियाँ												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (सहायक कम्पनी जेवीयूएनएल सहित)	ऊर्जा	2	25 अगस्त 1980 (यूपीआरवीयूएनएल)	16,545.77	0.00	0.00	16,545.77	0.00	0.00	21,538.68	21,538.68	38,084.45
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	1	15 अप्रैल 1985	435.33	0.00	0.00	435.33	64.65	0.00	85.21	149.86	585.19
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)	ऊर्जा	1	13 जुलाई 2006	15,309.81 ⁷	0.00	2,213.34	17,523.15	0.00	0.00	13,277.07	13,277.07	30,800.22

⁷ इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से प्राप्त ₹ 2,213.27 करोड़ के जीओयूपी के निवेश को सम्मिलित किया गया है।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर पूंजी				वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केन्द्र सरकार का ऋण	होलिडिंग कम्पनी/ अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
4	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्वीवीएनएल, पीवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल एवं केस्को सहित)	ऊर्जा	6	30 नवम्बर 1999 (यूपीपीसीएल)	1,02,224.96 ⁸	0.00	0.00	1,02,224.96	341.46	0.00	78,304.51	78,645.97	1,80,870.93
5	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 1 का संयुक्त उपक्रम)	ऊर्जा	1	16 अक्टूबर 2008	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	2.50	2.50	2.66
उप योग-अ(क)			11		1,34,515.87	0.00	2,213.50	1,36,729.37	406.11	0.00	1,13,207.97	1,13,614.08	2,50,343.45
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
6	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	आवास और शहरी नियोजन	1	25 नवम्बर 2013	1,603.75	1,556.94	0.05	3,160.74	1,008.20	4,628.85	0.00	5,637.05	8,797.79
7	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	11 मई 2014	0.00	687.62	712.62	1,400.24	0.00	283.00	1,581.18	1,864.18	3,264.42
8	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	29 मार्च 1972	110.58	0.00	25.00	135.58	1,177.50	4.10	0.00	1,181.60	1,317.18

⁸ इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से यूपीपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश का ₹ 2,213.27 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि उसे जीओयूपी द्वारा यूपीपीटीसीएल में निवेश में शामिल किया गया है। अग्रेतर, इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से एसयूपीपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश ₹ 2.22 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि एसयूपीपीटीसीएल को इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अलावा ₹ 1,02,224.96 करोड़ में से, ₹ 20.00 लाख डिस्कोम्स द्वारा यूपीपीसीएल को आवंटित प्रवर्तक अंश। अर्थात् चारो डिस्कोम्स को ₹ 5.00 लाख (प्रत्येक ₹ 1000 मूल्य की दर पर 500 समता अंश) मूल्य के 500 अंश से सम्बंधित है।

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर पूंजी				वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केन्द्र सरकार का ऋण	होलिडिंग कम्पनी/ अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
9	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	02 अक्टूबर 1979	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
10	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	04 अक्टूबर 1974	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
11	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	20 मार्च 1974	91.54 ⁹	0.00	0.00	91.54	111.68 ¹⁰	0.00	0.00	111.68	203.22
12	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	15 मार्च 1977	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
13	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1	23 मई 1989	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
14	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	1	27 मार्च 1987	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

⁹ क्रम संख्या 11 पर बताई गई नियंत्रक कम्पनी में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशपूंजी के रूप में निवेशित ₹ 91.54 करोड़ में ₹ 8.95 करोड़ (₹ 6.35 करोड़ और ₹ 2.60 करोड़ की धनराशि शामिल थी जो कि क्रम संख्या 9 एवं 10 पर बताई गई इसकी सहायक कम्पनियों को दी गई थी। इस निवेश की दोहरी गणना से बचने के लिए इन सहायक कम्पनियों की अंशपूंजी से बाहर रखा गया।

¹⁰ क्रम संख्या 11 पर बताई गई नियंत्रक कम्पनी में उत्तर प्रदेश सरकार के दीर्घावधि ऋण के रूप में निवेशित ₹ 111.68 करोड़ में ₹ 4.53 करोड़ की धनराशि शामिल थी जो कि क्रम संख्या 9 (₹ 2.06 करोड़) एवं क्रम संख्या 10 (₹ 2.47 करोड़) पर बताई गई इसकी सहायक कम्पनियों को दी गई थी। इसे निवेश की दोहरी गणना से बचने के लिए इन सहायक कम्पनियों के दीर्घावधि ऋण से बाहर रखा गया है।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर पूंजी				वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केन्द्र सरकार का ऋण	होलिडिंग कम्पनी/ अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
15	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	1	11 अगस्त 2016	0.05	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00	0.00	5.00	5.05
16	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	23 मार्च 2018	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
17	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	1	26 मई 1976	5.40	1.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
18	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	1	20 अगस्त 1976	93.24	0.00	0.00	93.24	149.21	0.00	0.00	149.21	242.45
	उप योग-अ(ख)		13		1,919.99	2,245.56	739.91	4,905.46	2,451.59	4,915.95	1,581.18	8,948.72	13,854.18
	कुल योग-अ		24		1,36,435.86	2,245.56	2,953.41	1,41,634.83	2,857.70	4,915.95	1,14,789.15	1,22,562.80	2,64,197.63
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग-ब(क)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां												
19	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	16 अगस्त 2016	0.00	0.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
20	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	01 सितम्बर 2017	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर पूंजी				वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केन्द्र सरकार का ऋण	होलिडिंग कम्पनी/ अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
21	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	30 अगस्त 2017	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
22	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	03 अप्रैल 2018	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
23	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	29 अगस्त 2017	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
24	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	29 अक्टूबर 2016	0.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
25	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	16 जून 2018	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
26	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	01 मार्च 2018	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
27	अलमोड़ा मेगनेसाईट लिमिटेड		1	27 अगस्त 1971	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.56	0.56	2.56
28	नोएडा इन्टरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड	नागर विमानन	1	28 अगस्त 2018	0.00	0.00	0.01	0.01	2,733.55	0.00	2,562.77	5,296.32	5,296.33
29	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	अवस्थापना	1	18 मार्च 2014	0.00	0.00	1,234.40	1,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.40
	उप योग-ब(ख)		11		0.00	100.00	1,936.91	2,036.91	2,733.55	0.00	2,563.33	5,296.88	7,333.79
	कुल योग-ब		11		0.00	100.00	1,936.91	2,036.91	2,733.55	0.00	2,563.33	5,296.88	7,333.79
स	सांविधिक निगम												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
	उप योग-स(ख)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर पूंजी				वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार का ऋण	केन्द्र सरकार का ऋण	होलिडिंग कम्पनी/ अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
30	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1	06 जनवरी 1972	921.41	0.00	60.01	981.42	30.00	0.00	0.00	30.00	1,011.42
31	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	1	25 नवम्बर 1974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास एवं शहरी नियोजन	1	04 मार्च 1966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग-स(ख)		3		921.41	0.00	60.01	981.42	30.00	0.00	0.00	30.00	1,011.42
	कुल योग-स		3		921.41	0.00	60.01	981.42	30.00	0.00	0.00	30.00	1,011.42
	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल योग = अ(क)+ब(क)+स(ख)		11		1,34,515.87	0.00	2,213.50	1,36,729.37	406.11	0.00	1,13,207.97	1,13,614.08	2,50,343.45
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल योग = अ(ख)+ब(ख)+स(ख)		27		2,841.40	2,345.56	2,736.83	7,923.79	5,215.14	4,915.95	4,144.51	14,275.60	22,199.39
	महायोग (अ+ब+स)		38		1,37,357.27	2,345.56	4,950.33	1,44,653.16	5,621.25	4,915.95	1,17,352.48	1,27,889.68	2,72,542.84

परिशिष्ट-5.4
(प्रस्तर 5.2.1 में संदर्भित)

नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दीर्घावधि ऋणों की कुल सम्पत्ति से व्याप्ति
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	दीर्घावधि ऋण	कुल सम्पत्ति	सम्पत्ति व्याप्ति अनुपात
I.	सकारात्मक व्याप्ति वाले पीएसयू					
अ	सरकारी कम्पनियाँ					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	13,250.54	38,068.27	287.30
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	152.08	877.70	577.13
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	2,798.69	4,781.35	170.84
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2020-21	11,593.35	35,970.78	310.27
5	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	13,692.83	49,800.75	363.70
6	पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	10,268.76	28,948.43	281.91
7	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	11,347.81	41,104.65	362.23
8	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	15,329.00	36,343.46	237.09
9	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2019-20	2020-21	1,817.75	4,614.79	253.87
10	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2019-20	2020-21	2.50	54.42	2,176.80
	उप योग-अ(क)			80,253.31	2,40,564.60	299.76
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
11	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2020-21	5,637.05	9,113.78	161.68
12	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2020-21	1,864.18	4,599.56	246.73
13	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यूपी लिमिटेड	2018-19	2019-20	941.13	1,004.74	106.76
14	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड	2019-20	2020-21	2.06	55.70	2,703.88
15	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड	2018-19	2020-21	2.87	45.17	1,573.87
16	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	2020-21	107.35	419.68	390.95

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	दीर्घावधि ऋण	कुल सम्पत्ति	सम्पत्ति व्याप्ति अनुपात
17	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2020-21	2020-21	5.00	7.60	152.00
	उप योग-अ(ख)			8,559.64	15,246.23	178.12
	कुल योग अ=अ(क)+अ(ख)			88,812.95	2,55,810.83	288.03
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
	उप योग-ब(क)			0.00	0.00	-
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
18	अल्मोडा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2019-20	2019-20	0.30	23.23	7,743.33
19	नोएडा इन्टरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	2019-20	2020-21	3,607.12	3,610.24	100.09
	उप योग-ब(ख)			3,607.42	3,633.47	100.72
	कुल योग ब=ब(क)+ब(ख)			3,607.42	3,633.47	100.72
स	सांविधिक निगम					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
	उप योग-स(क)			0.00	0.00	-
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
20	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	2018-19	41.72	3,024.95	7,250.60
	उप योग-स(ख)			41.72	3,024.95	7,250.60
	कुल योग स=स(क)+स(ख)			41.72	3,024.95	7,250.60
	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल योग = अ(क)+ब(क)+स(क)			80,253.31	2,40,564.60	299.76
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल योग = अ(ख)+ब(ख)+स(ख)			12,208.78	21,904.65	179.42
	महायोग (अ+ब+स)			92,462.09	2,62,469.25	283.87
II.	नकारात्मक व्याप्ति वाले पीएसयू					
अ	सरकारी कम्पनियां					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
	उप योग-अ(क)			0.00	0.00	-
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
21	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2018-19	2020-21	101.41	43.19	42.59
	उप योग-अ(ख)			101.41	43.19	42.59
	कुल योग अ=अ(क)+अ(ख)			101.41	43.19	42.59

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	दीर्घावधि ऋण	कुल सम्पत्ति	सम्पत्ति व्याप्ति अनुपात
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
	उप योग-ब(क)			0.00	0.00	-
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
	उप योग-ब(ख)			0.00	0.00	-
	कुल योग ब=ब(क)+ब(ख)			0.00	0.00	-
स	सांविधिक निगम					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
	उप योग-स(क)			0.00	0.00	-
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
	उप योग-स(ख)			0.00	0.00	-
	कुल योग स=स(क)+स(ख)			0.00	0.00	-
	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल योग अ(क)+ब(क)+स(क)			0.00	0.00	-
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल योग अ(ख)+ब(ख)+स(ख)			101.41	43.19	42.59
	महायोग (अ+ब+स)			101.41	43.19	42.59

परिशिष्ट-5.5

(प्रस्तर 5.2.2.1 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के मध्य 30 नवम्बर 2021 को पूंजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-6	10=4-7	11=5-8
I	कार्यरत पीएसयू									
अ	सरकारी कम्पनियां									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सहित)	16,545.77	0.00	27,199.14	13,456.60	0.00	27,833.36	3,089.17	0.00	(-)634.22
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	435.33	64.65	0.00	435.33	0.00	0.00	0.00	64.65	0.00
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	15,309.81	0.00	972.40	15,576.01	0.00	972.40	(-)266.20	0.00	0.00
4	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00 ¹¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग-अ(क)	32,290.91	64.65	28,171.54	29,467.94	0.00	28,805.76	2,822.97	64.65	(-)634.22
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
5	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	1,603.75	1,008.20	0.00	1,278.00	1,309.60	0.00	325.75	(-)301.40	0.00

¹¹ ₹ 7,000

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
6	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	110.58	1,177.50	1.39	110.58	411.26	1.39	0.00	766.24	0.00
7	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	91.54	111.68	0.00	91.54	31.23	0.00	0.00	80.45	0.00
8	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	0.05	5.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.05	4.05	0.00
9	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइ कार्पोरेशन लिमिटेड	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
10	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	30.00	0.00	0.00	30.00	15.18	0.00	0.00	(-)15.18	0.00
11	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	12.23	57.43	0.00	13.56	0.00	52.65	(-)1.33	57.43	-52.65
12	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	136.99	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
13	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	12.34	0.73	0.00	12.34	0.78	3,000.00	0.00	(-)0.05	(-)3,000.00
14	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	58.32	0.00	40.00	58.32	4.69	0.00	0.00	(-)4.69	40.00
15	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1.00	0.00	2,380.00	1.00	0.00	182.54	0.00	0.00	2,197.46
16	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	15.00	0.00	1,000.00	15.00	0.00	21.44	0.00	0.00	978.56
17	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	5.96	3.57	0.00	5.96	0.44	0.00	0.00	3.13	0.00

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
18	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम	880.13	0.00	200.00	880.13	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
19	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1,648.31	909.00	183.96	1,648.31	990.05	133.96	0.00	(-)81.05	50.00
20	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	6.34	12.44	0.00	6.34	5.00	0.00	0.00	7.44	0.00
21	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	32.60	0.15	0.00	32.60	2.76	0.00	0.00	(-)2.61	0.00
22	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84	0.00	0.00
23	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
24	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 28 अप्रैल 2010 को निगमित)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
25	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 15 जून 2010 को निगमित)	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	93.24	149.21	0.00	93.24	17.24	0.00	0.00	131.97	0.00
28	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	1.80	0.00	0.00	(-)1.80
	उप योग-अ(ख)	4,767.62	3,434.91	3,805.35	4,404.06	2,789.18	3,393.78	363.56	645.73	411.57
	उप योग-अ	37,058.53	3,499.56	31,976.89	33,872.00	2,789.18	32,199.54	3,186.53	710.38	(-)222.65

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग-ब(क)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
29	नोएडा इन्टरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	0.00	2,733.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.55	0.00
	उप योग-ब(ख)	0.00	2,733.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.55	0.00
	उप योग-ब	0.00	2,733.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.55	0.00
स	सांविधिक निगम									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग-स(क)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
30	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	921.41	30.00	0.00	766.18	39.18	0.00	155.23	(-)9.18	0.00
31	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	(-)0.31	0.00
32	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	114.51	395.59	2.46	114.51	15.11	2.46	0.00	380.48	0.00
33	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	7.61	0.00	146.86	7.60	0.63	146.86	0.01	(-)0.63	0.00
34	उत्तर प्रदेश जल निगम	0.00	539.29	0.00	0.00	388.77	0.00	0.00	150.52	0.00
	उप योग-स(ख)	1,043.53	964.88	149.32	888.29	444.00	149.32	155.24	520.88	0.00
	उप योग-स	1,043.53	964.88	149.32	888.29	444.00	149.32	155.24	520.88	0.00
	कार्यरत पीएसयू का कुल योग (I)	38,102.06	7,197.99	32,126.21	34,760.29	3,233.18	32,348.86	3,341.77	3,964.81	(-)222.65

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
II		अकार्यरत पीएसयू								
अ		सरकारी कम्पनियाँ								
क		ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू								
	उप योग-अ(क)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख		ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू								
35	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	59.43	18.24	0.00	59.43	4.97	0.00	0.00	13.28	0.00
36	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	81.38	0.00	0.00	(-81.38)	0.00	0.00
37	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	147.72	0.00	0.00	(-147.72)	0.00	0.00
38	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	256.80	0.00	0.00	(-256.80)	0.00	0.00
39	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	0.22	5.74	0.00	0.30	1.56	1.76	(-0.08)	4.18	(-1.76)
40	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.09	5.55	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00
41	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	5.28	1.94	0.00	5.28	0.15	0.00	0.00	1.79	0.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
42	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	197.10	91.78	0.00	160.79	206.03	0.00	36.31	(-)114.25	0.00
43	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	36.45	157.02	0.00	36.44	12.53	2.34	0.01	144.49	(-)2.34
44	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	5.74	1.91	0.00	5.74	1.40	0.00	0.00	0.51	0.00
45	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	53.67	78.31	0.00	31.91	11.45	0.00	21.76	66.86	0.00
46	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2.73	0.71	0.00	2.73	1.10	0.00	0.00	(-)0.39	0.00
47	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशीअलिटीज लिमिटेड	2.88	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00
48	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	6.41	3.34	0.56	6.41	0.00	0.56	0.00	3.34	0.01
49	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.70	0.00	0.00	-0.70
50	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1.50	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
51	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.00	0.05	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
52	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.67	0.66	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
53	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.26	0.65	0.00	0.93	0.00	0.00	0.33	0.65	0.00

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
54	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	0.70	0.86	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00
55	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.25	0.65	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
56	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.45	1.25	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
57	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1.23	0.05	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
58	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	8.18	2.47	0.00	8.18	0.31	0.00	0.00	2.16	0.00
59	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1.30	0.35	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
60	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.23	1.70	0.00	0.23	1.63	0.00	0.00	0.07	0.00
61	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.38	6.55	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00
62	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	68.28	124.77	0.00	68.28	37.45	0.00	0.00	87.32	0.00
63	ऑटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड	5.63	0.38	0.00	5.63	14.89	0.00	0.00	(-)14.51	0.00
64	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	11.02	0.00	6.59	0.00	0.00	(-)6.59	11.02	0.00

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	अंश पूंजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
65	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	(-2.85)	0.00
	उप योग-अ(ख)	461.57	515.95	0.56	892.57	296.32	5.35	(-431.00)	219.63	(-4.79)
	उप योग-अ	461.57	515.95	0.56	892.57	296.32	5.35	(-431.00)	219.63	(-4.79)
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग-ब(क)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
66	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	(-2.10)	0.00
	उप योग-ब(ख)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	(-2.10)	0.00
	उप योग-ब	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	(-2.10)	0.00
स	सांविधिक निगम									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग-स(क)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
	उप योग-स(ख)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अकार्यरत पीएसयू का कुल योग (II)	461.57	515.95	0.56	892.57	298.42	5.35	(-431.00)	217.53	(-4.79)
	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल योग	32,290.91	64.65	28,171.54	29,467.94	0.00	28,805.76	2,822.97	64.65	(-634.22)
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल योग	6,272.72	7,649.29	3,955.23	6,184.92	3,531.60	3,548.44	87.80	4,117.69	406.79
	महायोग (कुल योग-I + कुल योग-II)	38,563.63	7,713.94	32,126.77	35,652.86	3,531.60	32,354.20	2,910.77	4,182.34	(-227.43)

परिशिष्ट-6.1

(प्रस्तर 6.3.2 में संदर्भित)

राज्य पीएसयू जिनके लेखे बकाया थे, उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
I	कार्यरत पीएसयू									
अ	सरकारी कम्पनियां									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (सहायक कम्पनी जेवीयूएनएल सहित)	2	2019-20	2020-21	15,200.69	1,345.09	0.00	0.00	0.00	1,345.09
2	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	2020-21	15,576.01	1,947.13	0.00	69.38	0.00	2,016.51
3	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (सहायक कम्पनियों सहित अर्थात् एमवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल एवं केस्को)	6	2019-20	2020-21	97,164.01	7,276.25	0.00	622.75	9,657.17	17,556.17
	उप योग-I अ(क)	9			1,27,940.71	10,568.47	0.00	692.13	9,657.17	20,917.77
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
4	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइ कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	2020-21	10.16	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
5	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2020-21	135.58	0.00	90.83	0.00	0.00	90.83
6	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2020-21	91.54	0.00	0.00	68.18	0.00	68.18
7	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2020-21	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2020-21	93.24	0.00	7.45	0.00	0.00	7.45
9	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 01 फरवरी 2010 को निगमित)	1	शून्य	2009-10 से 2020-21	0.00	17.84	0.00	133.55	0.00	151.39
10	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	2013-14	2014-15 से 2020-21	0.05	0.00	0.00	21.95	0.00	21.95
11	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	2017-18	2018-19 से 2020-21	4.91	0.00	0.00	39.61	0.00	39.61
12	आगरा मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	शून्य	2010-11 से 2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25
13	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 28 अप्रैल 2010 से निगमित)	1	शून्य	2010-11 से 2020-21	0.00	0.05	0.00	67.03	8.75	75.83
14	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	शून्य	2010-11 से 2020-21	0.00	0.05	0.00	27.63	0.00	27.68

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
15	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2005-06	2006-07 से 2020-21	30.00	0.00	0.00	64.22	0.00	64.22
16	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2015-16	2016-17 से 2020-21	12.23	0.00	57.43	0.00	0.00	57.43
17	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2015-16	2016-17 से 2020-21	230.42	9.95	0.00	0.00	264.17	274.12
18	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2020-21	5.50	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
19	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1	2015-16	2016-17 से 2020-21	5.19	0.00	0.00	12.83	0.00	12.83
20	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1	2003-04	2004-05 से 2020-21	5.25	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
21	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2020-21	46.30	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41
22	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1	2015-16	2016-17 से 2020-21	1,648.31	0.00	899.00	0.00	0.00	899.00
23	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	1	2007-08	2008-09 से 2020-21	7.24	0.00	5.00	2.68	0.00	7.68
24	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	1	2017-18	2018-19 से 2020-21	6.92	0.00	0.00	29.03	0.00	29.03
25	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	1	2017-18	2018-19 से 2020-21	1.50	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
26	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड		2016-17	2017-18 से 2020-21	1.07	0.00	0.00	31.35	0.00	31.35
	उप योग-Iअ(ख)	22			2,336.41	50.71	1,059.71	649.06	280.17	2,039.65
	Iअ का योग = Iअ(क)+Iअ(ख)	31			1,30,277.12	10,619.18	1,059.71	1,341.19	9,937.34	22,957.42

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग-I ब(क)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
27	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2019-20	2020-21	216.00	107.00	0.00	294.00	0.00	401.00
28	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2019-20	2020-21	2.00	0.00	0.00	176.50	0.00	176.50
29	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2019-20	2020-21	0.50	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
30	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2019-20	2020-21	50.00	75.00	0.00	102.00	0.00	177.00
31	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2019-20	2020-21	0.50	0.25	0.00	59.50	0.00	59.75
32	नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	1	2019-20	2020-21	0.01	0.00	1203.46	0.00	0.00	1,203.46
33	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2020-21	0.25	0.25	0.00	59.25	0.00	59.50
34	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2020-21	0.50	0.00	0.00	59.50	0.00	59.50
35	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	शून्य	2016-17 से 2020-21	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	59.50
	उप योग-I ब(ख)	9			269.76	182.50	1,203.46	1,030.25	0.00	2,416.21
	I ब का योग = I ब(क)+I ब(ख)	9			269.76	182.50	1,203.46	1,030.25	0.00	2,416.21
स	सांविधिक निगम									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग-I स(क)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
36	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1	2018-19	2019-20 से 2020-21	926.19	57.43	0.00	0.00	0.00	57.43
37	उत्तर प्रदेश जल निगम	1	2016-17	2017-18 से 2020-21	0.00	0.00	0.00	1,714.91	0.00	1,714.91
38	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1	2012-13	2013-14 से 2020-21	179.28	0.00	102.60	0.00	0.00	102.60
	उप योग-I स(ख)	3			1,105.47	57.43	102.60	1,714.91	0.00	1,874.94
	I स का योग= I स(क)+I स(ख)	3			1,105.47	57.43	102.60	1,714.91	0.00	1,874.94
	कार्यरत पीएसयू का योग (योग-I)	43			1,31,652.35	10,859.11	2,365.77	4,086.35	9,937.34	27,180.38
II	अकार्यरत पीएसयू									
अ	सरकारी कम्पनियां									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग-II अ(क)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
39	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	2020-21	160.79	0.00	0.92	0.00	0.00	0.92
40	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	1	1999-2000	2000-01 से 2019-20	47.07	0.00	109.51	0.00	0.00	109.51
41	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2019-20	0.22	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34
	उप योग-II अ(ख)	3			208.08	0.00	110.77	0.00	0.00	110.77
	IIअ का योग = II अ(क)+II अ(ख)	3			208.08	0.00	110.77	0.00	0.00	110.77

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार आवेदित अंश धनराशि सहित प्रदत्त पूंजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				
						पूंजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग-II ब(क)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
	उप योग-II ब(ख)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II ब का योग = II ब(क)+II ब(ख)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स	सांविधिक निगम									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
	उप योग-II स(क)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
	उप योग-II स(ख)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II स का योग= II स(क)+II स(ख)	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अकार्यरत पीएसयू का योग (योग-II)	3			208.08	0.00	110.77	0.00	0.00	110.77
	योग ऊर्जा क्षेत्र	9			1,27,940.71	10,568.47	0.00	692.13	9,657.17	20,917.77
	योग ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	37			3,919.72	290.64	2,476.54	3,394.22	280.17	6,441.57
	महायोग (योग-I + योग-II)	46			1,31,860.43	10,859.11	2,476.54	4,086.35	9,937.34	27,359.34

परिशिष्ट-6.2

(प्रस्तर 6.5.1 में संदर्भित)

पीएसयू की सूची जिन्होंने 01 जनवरी 2021 से 30 नवम्बर 2021 के मध्य लेखाओं को प्रस्तुत किया

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	जिस वर्ष तक के लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	जिस वर्ष तक के लेखाओं को प्रस्तुत किया गया
अ. सरकारी कम्पनियां				
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
2.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2019-20	2	2018-19 एवं 2019-20
3.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	2019-20	1	2019-20
4.	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
5.	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2	2018-19 एवं 2019-20
6.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	2019-20	1	2019-20
7.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	2019-20	1	2019-20
8.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	2019-20	1	2019-20
9.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	2019-20	1	2019-20
10.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	2019-20	1	2019-20
11.	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
12.	सदर्न यू0पी0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2	2019-20 एवं 2020-21
13.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	2020-21	2	2019-20 एवं 2020-21
14.	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
15.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2015-16	2	2014-15 एवं 2015-16
16.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	1	2018-19
17.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	1	2014-15
18.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2017-18	2	2016-17 एवं 2017-18
19.	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	2019-20	1	2019-20

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	जिस वर्ष तक के लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	जिस वर्ष तक के लेखाओं को प्रस्तुत किया गया
20.	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	2018-19	1	2018-19
21.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	1	2018-19
22.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1	2016-17
23.	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	1	2010-11
24.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1	2018-19
25.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
26.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2	2016-17 एवं 2017-18
27.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2017-18	1	2017-18
28.	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2020-21	1	2020-21
29.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सफ्लाइ कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2	2018-19 एवं 2019-20
30.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
31.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-01	1	2000-01
32.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
33.	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशैअलिटीज लिमिटेड	2013-14	1	2013-14
ब. सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां				
1.	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2	2017-18 एवं 2018-19
2.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
3.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
4.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	1	2018-19
5.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	3	2017-18, 2018-19 एवं 2019-20
6.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
7.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	1	2018-19
8.	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2	2018-19 एवं 2019-20
9.	नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	2019-20	2	2018-19 एवं 2019-20
10.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
स. सांविधिक निगम				
1.	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम	2017-18	1	2017-18
2.	उत्तर प्रदेश वन निगम	2019-20	2	2018-19 एवं 2019-20
3.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2019-20	1	2019-20

परिशिष्ट-6.3

(प्रस्तर 6.5.1 एवं 6.5.4 में संदर्भित)

पीएसयू की सूची जहां 1 जनवरी 2021 से 30 नवम्बर 2021 के मध्य सीएजी द्वारा टिप्पणियां जारी की गयी

क्रम संख्या	कम्पनियों/निगमों के नाम	वर्ष जिसके लिए टिप्पणी जारी किया गया
अ. सरकारी कम्पनियां		
1	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19
2	सदर्न यू0पी0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20
4	श्रीद्वौन इण्डिया लिमिटेड	2018-19
5	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18
6	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17
7	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2012-13
8	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17
9	पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16
10	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2018-19
11	उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-01
12	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18
13	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड	2016-17
14	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2015-16
15	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2016-17
16	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18
17	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2019-20 एवं 2020-21
18	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2018-19
19	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18
20	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2017-18
21	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18
ब. सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां		
1	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19
2	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19
3	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19
स. सांविधिक निगम		
1	उत्तर प्रदेश वन निगम	2018-19
2	उत्तर प्रदेश जल निगम	2012-13
3	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2017-18
4	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम लिमिटेड	2017-18

पदों की व्याख्या एवं प्रथमाक्षरी

पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक मतदेय अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। मतदेय अनुदान/भारित विनियोग से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियाँ या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
उछाल अनुपात	उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के सापेक्ष किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के लोच या परिमाण को इंगित करता है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व खाते पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण होता है, शामिल होते हैं।
आकस्मिक देयतायें	आकस्मिक देयताओं पर व्यय, भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर किया या नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह ऋण के सर्विस की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ऋण संवहनीयता चालू या वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा लागत एवं अतिरिक्त ऋण के साथ उस पर प्रतिफल के मध्य सन्तुलन बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण के सर्विस की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	स्थिरता के लिये आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या सार्वजनिक ऋण की लागत से अधिक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात संभवतः स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो।
आन्तरिक ऋण	आन्तरिक ऋण में भारत में लोगों से प्राप्त नियमित ऋण, जिसे 'भारत में उगाहा गया ऋण' भी कहा जाता है, शामिल है। यह

पद	व्याख्या
	संचित निधि में जमा किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	इसे ऋण विमोचन (मूलधन और ब्याज का भुगतान) के कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह उस सीमा को प्रदर्शित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों का उपयोग उधार निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाले ऋणों के विमोचन में किया जाता है।
प्राथमिक घाटा/ आधिक्य	राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसे सरकार के राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर गैर-ब्याज व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखे या इस प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों, जिसे इसके समक्ष रखा जाय या जिसकी जाँच करना समिति आवश्यक समझे, की जाँच करती है।
पुनर्विनियोग	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को निधियों का अन्तरण।
निक्षेप निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय बाद अपने ऋणों से मुक्ति हेतु धन आरक्षित करती है।
अनुपूरक अनुदान	यदि संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुरूप निर्मित विधि द्वारा प्राधिकृत धनराशि चालू वित्त वर्ष के किसी विशेष सेवा पर उसी उद्देश्य हेतु व्यय के लिये अपर्याप्त पायी जाती है या जब उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल न की गयी किसी नयी सेवा के लिये अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हुई हो तब सरकार संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधान के अनुरूप अनुपूरक अनुदान या विनियोग लाती है।

प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
एसी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
एजीएम	वार्षिक आम सभा
बोओसीडब्लू एक्ट	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम
सीएजी	भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सीसीओ	मुख्य नियंत्रक अधिकारी
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीएसएफ	समेकित निक्षेप निधि
डीसीसी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डीसीपीएस	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना
ईबीआईटी	ब्याज एवं करों से पूर्व का लाभ
एफसी	वित्त आयोग
एफआरबीएम एक्ट	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीओआई	भारत सरकार
जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
इंड एएस	भारतीय लेखांकन मानक
एमएच	मुख्य शीर्ष
एमटीएफआरपी	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति
एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएओ	वेतन एवं लेखाधिकारी
पीडी एकाउण्ट	वैयक्तिक जमा खाता
पीएलए	वैयक्तिक लेजर खाता
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
पीएसयूज़	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
आरओई	पूंजी पर प्रतिफल
एसडीआरएफ	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
यूसी	उपभोग प्रमाण-पत्र
उदय	उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना
यूपीबीएम	उत्तर प्रदेश बजट नियमावली

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag2/uttar-pradesh>